महानगर नई दिल्ली बुधवार 5 जून, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

गठबंधन में गांठ

- अलग-अलग लड़ेंगे दोनों दल उपचुनाव
- मायावती ने कहा, राजनीतिक मजबूरी

सपा-बसपा की राह जुदा

नई दिल्ली/लखनऊ, 4 जून (भाषा)।

लोकसभा चुनाव से पहले बने सपा-बसपा गठबंधन के फिलहाल खत्म होने के संकेत देते हुए दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुछ सीटों पर होने वाले संभावित उपचुनाव को अपने बलबूते लड़ने की मंगलवार को घोषणा कर दी।

बसपा प्रमुख ने हालांकि भविष्य में सपा के साथ फिर से गठबंधन के विकल्प को खुला रखते हुए कहा, 'अभी हमारा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है।' वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी राह अलग करने का संकेत देते हुए कहा कि अगर रास्ते अलग-अलग हैं तो उसका स्वागत है और उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर अकेले उपचुनाव लड़ेगी।

गठबंधन को लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने के लगभग दस दिन बाद मायावती ने दिल्ली में बयान जारी कर कहा कि अपने बलबूते उपचुनाव लड़ने की प्रमुख वजह राजनीतिक विवशता है। उन्होंने सपा के साथ गठबंधन टूटने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, 'सपा के लोगों ने इस चुनाव में एक अच्छा मौका तो गंवा दिया लेकिन आगे इन्हें इसी हिसाब से बहुत अधिक तैयारी करने की जरूरत है। यदि मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ चलेंगे। अर्थात अभी हमारा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है।'

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती के बयान पर गाजीपुर में कहा, 'अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है, तो मैं उस पर बहुत सोच समझकर विचार करूंगा।' इससे पहले, अखिलेश ने आजमगढ़ में भी कहा, '2022 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। यही हमारी रणनीति है।' वहीं, भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने सपा-बसपा के अपने बलबूते उपचुनाव लड़ने पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस बेमेल गठबंधन का यही अंजाम होना था।

वर्तमान स्थिति में हमने उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को फिलहाल अकेले ही लड़ने का फैसला किया है।

-मायावती, बसपा प्रमुख

जब उपचुनाव में हमारा गठबंधन है ही नहीं तो हम अपनी तैयारी करेंगे। अगर रास्ते अलग-अलग हैं तो उसका भी स्वागत है।

-अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष

यूपी लोकसभा चुनाव नतीजे: भाजपा 62 | बसपा 10 | सपा 05

बसपा-सपा 2014 में अलग-अलग लड़े थे। सपा को 5 और बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की सरकार की योजना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन की तैयारी में है। परिसीमन आयोग के गठन की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इनमें आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा को लेकर भी चर्चा हुई।

दो दौर की बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा, अतिरिक्त सचिव (कश्मीर) ज्ञानेश कुमार, रॉ व आइबी प्रमुखों, अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों समेत आला अफसर शामिल हुए।

बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग के गठन और आंतरिक सुरक्षा को लेकर खासतौर पर चर्चा की गई। जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था। तब राज्यपाल जगमोहन के आदेश पर जम्मू-कश्मीर में 87 सीटों का बाकी पेज 8 पर

मंत्रियों की बैठक में कच्चे तेल की आपूर्ति पर विचार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की। एक घंटे से अधिक चली इस बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के बीच कच्चे तेल बाकी पेज 8 पर

कश्मीर के 10 प्रमुख आतंकियों की सूची बनाई

नई दिल्ली, 4 जून (ब्यूरो)।

अगले महीने जम्मू-कश्मीर में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले कड़े सुरक्षा इंतजाम किए बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर : साल के आखिर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

चुनाव आयोग ने कहा है कि इस साल के आखिर में जम्मू-कश्मीर विधासभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव की तारीखों का एलान अमरनाथ यात्रा बाकी पेज 8 पर

शाह ने गिरिराज को विवादित टिप्पणियों से बचने को कहा

नई दिल्ली, 4 जून (ब्यूरो)।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में राजग नेताओं की 'इफ्तार' बाकी पेज 8 पर

पायलट कम से कम जोधपुर में हार की जिम्मेदारी तो लें : गहलोत

जयपुर, 4 जून (भाषा)।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को कम से कम जोधपुर सीट पर पार्टी की हार की जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए क्योंकि वे वहां शानदार जीत का दावा कर रहे थे। इसके साथ ही गहलोत ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक की बातें मीडिया में लीक होने पर भी नाराजगी जताई है।

कांग्रेस कलह

गहलोत के इस बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री पायलट के साथ उनकी कथित खींचतान में इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत ने पहली बार पायलट के बारे में ऐसी बात कही है।

वैसे मामले के तूल पकड़ने पर गहलोत ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बात को संदर्भ से परे लिया है। वहीं, उपमुख्यमंत्री पायलट ने इस मामले में टिप्पणी से इनकार किया। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार के दौरान जब गहलोत से सोमवार को पायलट के उस बाकी पेज 8 पर

गहलोत-पायलट विवाद पर कांग्रेस ने कहा, कोई मतभेद नहीं पेज 8

तीन अलगाववादी दस दिन की हिरासत में

- मसरत आलम, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह को लेकर बंद कमरे में चली सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों की दस दिन की रिमांड मंजूर की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

मुंबई आतंकवादी हमले सहित अन्य देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के एक नए मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेता मसरत आलम, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह से राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) दस दिनों तक पूछताछ करेगी। मंगलवार को इन तीनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर दिल्ली के विशेष अदालत में पेश किया गया। बंद कमरे में करीब 30 मिनट तक चली अदालती कार्यवाही के बाद तीनों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोपों बाकी पेज 8 पर

मसरत आलम

शब्बीर शाह

सार्वजनिक सूचना

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय एसई-II (डीईएमएस), 8वां तल, ई-1 ब्लॉक, डॉ. एसपीएम सिविक सेंटर, जेएलएन मार्ग, नई दिल्ली-110002

सं. 75/ईई/एसएलएफ/एसडीएमसी दिनांक: 04.06.2019

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में मलबा डालने के लिए निर्धारित स्थान

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 65 स्थान/साइट को निर्धारित किया है जहां आम जनता द्वारा केवल कम मात्रा में मलबा/कचरा डाला जा सकता है। बड़ी मात्रा में मलबा/कचरा (1) बक्करवाला में प्रस्तावित सी एंड डी अपशिष्ट प्रंसस्करण प्लांट (2) सेनिटरी लैंडफिल साइट ओखला में डाला जा सकता है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र के भीतर सभी निवासियों से एतदद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित साइटों पर ही मलबा/निर्माण कचरा डालें। मलबा/कचरा डालने के लिए 65 निर्धारित साइटों की सूची नीचे दी गई है और यह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

डीएमसी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक गली, ढलाव और बरसाती पानी के नाले आदि में मलबे को डालना प्रतिबंधित है और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार यह दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार, निर्धारित स्थानों पर मलबा डालने के बाद इसके प्रमाण के तौर पर एक रसीद प्राप्त करनी होगी जिसे बाद में विभाग के संबंधित अधिकारी को दिखाया जा सकता है।

मध्य जोन

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	मलबा डालने का स्थान
55-एस	दरियागंज	बिक्री कर कार्यालय/कब्रिस्तान के पीछे, आईटीओ।
55-एस	दरियागंज	लॉजिस्टक सेन्टर के सामने शांति स्तूप के सामने, आउटर रिंग के साथ।
56-एस	सिद्धार्थ नगर	सिद्धार्थ एक्स. पॉकेट बी एवं सी (सर्विस रोड) बारापुला नाले के साथ।
56-एस	सिद्धार्थ नगर	धरम वीर मान मार्ग
57-एस	लाजपत नगर	जोनल कार्यालय भवन, लाजपत नगर-II के नजदीक डीडीए की खाली भूमि।
58-एस	कस्तूरबा नगर	सेवा नगर फ्लाईओवर के नीचे (ढलाव के नजदीक) ईई (परियोजना)-II कार्यालय के नजदीक खुला स्थान।
58-एस	कस्तूरबा नगर	भीष्म पितामह मार्ग फ्लाईओवर का छोर, जेएलएन स्टेडियम के सामने
59-एस	एंड्रूज गंज	श्रीनिवासपुरी नाला पीडब्ल्यूडी कार्यालय के साथ कोटिया बस्ती के निकट।
89-एस	श्रीनिवासपुरी	मथुरा रोड से एस्कार्ट अस्पताल तक नाले के साथ सुखदेव विहार मेन रोड
89-एस	श्रीनिवासपुरी	रेलवे लाइन के साथ गुरुद्वारा कैम्प के नजदीक श्रीनिवासपुरी मेन रोड
89-एस	श्रीनिवासपुरी	ओखला सब्जी मंडी के सामने कैप्टन गौड़ मार्ग के साथ सर्विस रोड
91-एस	गोविन्दपुरी	गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन के नजदीक डीडीए पार्क के साथ सड़क
93-एस	तुगलकाबाद	नजदीक पॉकेट-10, कालकाजी एक्स.
95-एस	बदरपुर	ताजपुर माइन्स

नजफगढ़ जोन

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	मलबा डालने का स्थान
35-एस	ककरौला	नजफगढ़ नाला नजदीक ककरौला गांव
37-एस	मटियाला	मनसाराम पार्क
40-एस	घुमन हेड़ा	घुमनहेड़ा में सीएंडडी अपशिष्ट प्लांट के नजदीक निचला इलाका
41-एस	गोपाल नगर	झड़ोदा कलां में मुंगेशपुर नाले का निचला इलाका
45-एस	इसापुर	विश्राम गृह ढांसा के नजदीक पीछे
52-एस	महावीर एन्क्लेव	विजय एन्क्लेव

दक्षिण जोन

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	मलबा डालने का स्थान
64-एस	वसंत विहार	गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल पूर्वी मार्ग के नजदीक
67-एस	लाडो सराय	पेट्रोल पम्प के सामने, नजदीक बस स्टैंड, लाडो सराय
68-एस	महरौली	मच्छीवाला पार्क किशनगढ़ के नजदीक
68-एस	वसंत कुंज	किशन गढ़ गांव के सामने ढलाव के नजदीक खुला स्थान
69-एस	वसंत कुंज	रजोकरी गांव के नजदीक निचला इलाका
69-एस	वसंत कुंज	मसूदपुर डेयरी वसंत कुंज के नजदीक खुला क्षेत्र
70-एस	छत्तरपुर	100 फीट रोड छत्तरपुर
70-एस	कुतुब मेट्रो	नाले के साथ कुतुब मेट्रो स्टेशन के नजदीक खुला क्षेत्र
71-एस	सैद-उल-अजैब	मैदानगढ़ी गांव के नजदीक निचला इलाका
72-एस	भाटी	भाटी गांव के नजदीक पीडब्ल्यूडी रोड पर टोल टैक्स के नजदीक
73-एस	आया नगर	आया नगर के नजदीक निचला इलाका
74-एस	दक्षिणपुरी	बंध रोड संगम विहार और जी-ब्लॉक संगम विहार
75-एस	तिगड़ी	बंध रोड संगम विहार और जी-ब्लॉक संगम विहार
76-एस	देवली	बंध रोड संगम विहार और जी-ब्लॉक संगम विहार
77-एस	संगम विहार-ए	बंध रोड संगम विहार और जी-ब्लॉक संगम विहार
78-एस	संगम विहार-बी	बंध रोड संगम विहार और जी-ब्लॉक संगम विहार
80-एस	पुष्प विहार	नगर निगम प्राथमिक विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर-3 पुष्प विहार के बीच खुला क्षेत्र
80-एस	पुष्प विहार	एफ-द्वितीय मदनगीर फेज-2 के नजदीक आरपीएस नाला
81-एस	खानपुर	बंध रोड संगम विहार और जी-ब्लॉक संगम विहार
86-एस	कालकाजी	ढलाव, अलकनंदा के नजदीक पॉल जार्ज स्कूल के सामने
87-एस	ग्रेटर कैलाश-1	अर्चना कॉम्प्लैक्स के पीछे बी-ब्लॉक नाला जी.के.-1

पश्चिम जोन

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	मलबा डालने का स्थान
01-एस	मादीपुर	एसडीएमसी जेई स्टोर मादीपुर जेजे कॉलोनी, मादीपुर बस स्टैंड
02-एस	पंजाबी बाग	चर्च, पंजाबी बाग के सामने एसडीएमसी जेई स्टोर रोड नं. 41
03-एस	राजा गार्डन	गदर मोहल्ला ढलाव, बसई दारापुर के नजदीक
04-एस	रघुबीर नगर	एसडीएमसी जेई स्टोर, सी-ब्लॉक, रघुबीर नगर नजदीक ढलाव
05-एस	राजौरी गार्डन	एसडीएमसी जेई स्टोर, टैगोर गार्डन
07-एस	विष्णु गार्डन	एसडीएमसी जेई स्टोर, ए-ब्लॉक, जेजे कॉलोनी, ख्याला
08-एस	ख्याला	एनडब्ल्यू चौक, ख्याला
09-एस	सुभाष नगर	नजदीक एसडीएमसी जेई स्टोर 6/4 के सामने, सुभाष नगर, कैम्ब्रिज स्कूल के सामने
10-एस	हरि नगर-ए	एसडीएमसी जेई स्टोर, प्रताप नगर, खजान बस्ती, कम्यूनिटी हॉल के सामने
11-एस	प्रताप नगर	झील वाला पार्क के सामने
12-एस	केशोपुर	रोड नं. 235 विकासपुरी, केशोपुर इंडस्ट्रियल एरिया पर पेट्रोल पम्प के पीछे खुला मैदान
13-एस	तिलक नगर	शहीद भगत सिंह पार्क, तिलक विहार के नजदीक
13-एस	तिलक नगर	कवर्ड सुभाष नगर नाले के ऊपर, संतगढ़ क्रॉसिंग के नजदीक
15-एस	जनकपुरी पश्चिम	एसडीएमसी कम्यूनिटी हॉल, जनकपुरी के नजदीक निगम स्टोर के सामने खुला क्षेत्र
15-एस	जनकपुरी पश्चिम	पंखा रोड, ए-1 ब्लॉक, जनकपुरी पर एफसीटीएस के नजदीक खुला ग्राउंड
16-एस	जनकपुरी दक्षिण	पंखा रोड की सर्विस लेन, शकुन्तला नर्सिंग होम के नजदीक पुलिया
20-एस	विकासपुरी	रोड नं. 236 पर मनोचा अपार्टमेंट के सामने
21-एस	हस्तसाल	एसएलएफ होली चौक, हस्तसाल
24-एस	बापरौला	बापरौला गांव के श्मशान घाट से सामने डीएसआईआईडीसी की खुली भूमि
25-एस	मोहन गार्डन (दक्षिण)	नजदीक यू.जी.आर. मोहन गार्डन
26-एस	मोहन गार्डन (उत्तर)	नजदीक यू.जी.आर. मोहन गार्डन
27-एस	नवादा	नजदीक यू.जी.आर. मोहन गार्डन
28-एस	उत्तम नगर	नजदीक जे.ई. स्टोर बिन्दापुर
29-एस	बिन्दापुर	नजदीक जे.ई. स्टोर बिन्दापुर

Ro No.08/DPI/S/19-20

कार्यपालक अभियंता (एसएलएफ)

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

IT is for general information that I Anjali Kapoor, W/o Ex Late Nikhilesh Kapoor, D/o Vinod Singh Rawat, Resident of Flat No. D-502, True Friends CGHS, Plot No-29, Sector-6, Dwarka, New Delhi-110075, declare that my Ex husband expired on 11th Aug. 2012 and the death certificate was issued with Registration No. 3676. Further I remarried with Sh. Sunil Gupta on dated 06/05/2019 henceforth name of my minor Son Arnav Kapoor aged about 7 years may be known as Arrnav Gupta. 0070658822-1

I,Virender Pal Singh S/O Mohinder Singh R/O-A-1/159, A-Block, Keshav Puram,Delhi-110035. Changed My Name To Varinder Pal Singh. 0040498058-3

I,Sushma Rani W/O Ramesh Kumar R/O-A-42,Shiv Vihar, Nilothi Extension, Delhi-110041. Changed My Name To Sushma Sharma. 0040498058-4

I,Ravinder,S/o-Roshan Singh,R/o-RZ-A-46,Gali.No-3,Sitapuri,Dabri,New Delhi-110045,have changed my name to Ravinder Singh permanently,for all purposes. 0040498119-8

I,PradeepKumar RadhaKrishna Jha,R/o-A-503,Amrapali Princely Estate,Sector-76, Noida,Plot No.GH-02,Noida, Distt-G.B. Nagar,U.P-201301, would like to change my name to Pradeep Kumar Jha for all future purposes. 0040498127-1

I,Parmeshwar kumar Singh S/o Pateshwari Singh R/oA-380 Amarpali-Leisure-valley Plot no.-GH-02 Sector-Techzone-4 Greater-Noida GB.Nagar UP have changed my name to Parmeshwar Singh. 0040498052-1

I,Nishkant S/o Sh. Om Prakash R/o B-907, Krishna Gali, Near SanwalDass School, Mahawar Nagar, Kotla Mubarak Pur, New Delhi -110003inform that in my S.C. Caste Certificate No. 191436 dated 26.07.2011 my name was wrongly mentioned as Nishkant Koli. My correct name isNishkant. 0040498114-1

I,Manju Rani Dixit,W/o Chandra Mohan Dixit R/o-F-5/24, Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Manju Dixit,for all purposes. 0040498058-10

I,Kunal S/o Sh.Pramod Kumar R/o Flat No.F-25, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Kunal Verma for all purposes. 0040498014-1

I,Kumari Navita Singh D/o Hari Shankar Singh R/o-Village-Ahpura, Postoffice-Sandesh, Bhojpur(Bihar)-802164 have changed my name from Kumari Navita Singh to Navita Singh vide,affidavit dated-01/06/2019 before,Notary Public, Delhi. 0040498120-8

I,Hitherto known as BIMLA daughter of HAYAT SINGH residing at 825-B,Nyay Khand-III,Indirapuram, Ghaziabad, UP-201014 have changed my name and shall hereafter be known as VANI BISHT. That BIMLA or BIMLA BISHT is same & one person. 0040498080-1

I,Hari Singh s/o Shri.Sher Singh R/o.House.No.474-B, Near-Old Chaupal-Village & PO-Kapashera,New Delhi-110097.have change my name to Hari Singh Yadav.for all future purposes. 0040498119-7

I,Durgadevi Joshi W/o Amba Datt Joshi R/o-D-12,New Gopal-Nagar Part-1, Najafgarh, New Delhi-110043 have changed my name,from Durgadevi Joshi to Durga Joshi vide,affidavit dated-03/06/2019 before, Notary Public, Delhi. 0040498120-9

I, Urmil Mawkan W/O Ashok Maken R/O J-6/39, 2nd Floor, Rajouri Garden, N.D-110027 Have Changed My Name To Urmil Maken. 0040498120-4

I, hitherto known as Anil Kumar,S/o Sh.Ved Prakash Nagar R/o-A-3, Street.No-1, Mukund-Vihar, Karawal-Nagar, Delhi-110094.have Changed my name and shall hereafter be known as Anil Naagar. 0040498119-6

I, Yogesh Tyagi S/o Late Sh. Jagdishwar Tyagi R/o 250, Holambi Kalan, Delhi-110082 have changed my name Yogesh Kumar to Yogesh Tyagi for all purpose. 0040498012-1

I, Wasim Ahmad S/o Khurshid Ahmad R/o 6874, Beri Wala Bagh, Gali Fateh Puri, Azad Market, Delhi-110006, have changed my name to Wasim Khan for all future purposes. 0040498021-1

I Manoj Kumar S/o Guna Nand Thapliyal R/o 2308-A Sector-3 Ballabgarh Faridabad have changed my name to Manoj Kumar Thapliyal 0040498018-1

I Janki Prasad Deshwal S/o Late.Jeetram Deshwal R/o.H.No.1124, Sector-23 A, NIT-Faridabad, HR Declare that Janki Prasad Deshwal, Janki Parsad & J.P.Deswal are the name of same/one person i.e. my self 0040498120-6

व्यक्तिगत

I, Varindepreet Singh Kamboj S/O-Gurbux Singh, R/O S-8, G.F, Janta-Market, Rajouri-Garden, N.Delhi-110027. Changed My Name To Varinderpreet Singh Kambo. 0040498119-9

I, Tasveer Solanki F/o Jayant Solanki R/o-SRS-48, Nasirpur Village Delhi have changed my son's name to Jaiyant Solanki. 0040498058-8

I, Sushil Kumar S/0-Madan Lal R/0-118-A, Qu-Block Pitam pura Delhi-110034. Changed My Name To Sushil Kumar Arora. 0040498058-7

I, Surinder Kumar Arora S/O Pyaray Lal Arora Add.38 Samrat-Enclave Pitampura-Shakurpur,New Delhi-110034. Have Changed My Name To Surinder Arora. 0040498058-6

I, Sudershan S/o Gulshan Rai R/o-WZ-1117, S.F.Ranibagh Gurdwara Delhi-34,have changed my name to Sudershan Chugh. 0040498085-1

I, Shweta Rani W/O, Manish Kumar Tamta R/o Flat No.106, 1st Floor, Gate No.2, Dda Mig Flats, Madipur, ND-63, have changed my name to Sweta Rani Tamta. 0040498062-1

I, Shreyansi Goel D/O Puneet Kumar Goel, R/O-Old-Bungalow No.6, Type-V, Jal-Vihar, Lajpat Nagar-II, Delhi-24, Changed My Name To Shreyanshi Goel. 0040498120-3

I, Sayyad Fatma Akhtar W/O, Syed Shehzad Ali R/o A96, 3rd Floor, Joshi Colony, Ip Extension, Patparganj, Delhi-92, have changed my name to Fatma Akhtar for all purposes. 0040498029-1

I, Rajive Jain,S/O Raj Pal Singh Jain R/O-A-99, First-Floor, Parasvnath-Paradise Mohan-Nagar, Ghaziabad [UP-201007.Have Changed My Name To Rajive Kumar Jain. 0040498058-2

I, Rajesh W/o Sh.Sohan Lal R/o B-308, Gagan Vihar, Sahibabad, Ghaziabad, U.P., have changed my name to Rajesh Devi for all purposes. 0040498014-2

I, Raghu Nath S/O Sh. Harish Kumar Giri R/O Block-B 82, Pahadi Kusum Pur,Vasant Vihar, South-West Delhi - 110057. Have changed my name to Raghunath Giri for all future purposes. 0040498042-1

I, Puja Rawat, W/O Manish Sandal, H.No.400/21b, Near-Rayan Internation School, Faridabad, Haryana-121001. Changed My Name To Pooja Rawat. 0040498119-1

I, Promila Bhonsle W/o Rahul Keshavrao Bhonsle R/o H. No.-4283, B-5&6, Vasant Kunj, New Delhi-110070, have changed my name to Promila Rahul Bhonsle 0040498119-5

I, Prince Chabra, R/o Flat No. 2002, Orchid Tower, Paramount Symphony, Crossing Republik, Ghaziabad-201016, have changed my name to Prince Chhabra. 0070658826-1

I, Pradeep Kumar Sharma S/o-Om Prakash Sharma R/O-WZ-281-A, St No-4, Virender-Nagar, Janakpuri, Delhi-110058 have changed my name to Pradeep Sharma, permanently. 0040498120-1

I, Pawan Sharma S/O Ram Prakash, R/O-F-52a, Pipal-Wala Road, Mohan-Garden, Uttamnagar, N.Delhi-110059,Changed My Name To Pawan Kumar Sharma. 0040498119-3

I, Paritam Kumar Goel S/O Om Parkash Goel, R/O-E-329, Mayur-Vihar Phase-II, Delhi-110091,Changed My Name To Pritam Kumar Goel. 0040498085-6

I, Nusrat Tanwar D/o, Md. Azhar Khan R/o F-31 Fourth Floor, Abul Fazal Enclave 2, Shaheen Bagh Okhla, ND-25, my correct DOB is 30 June 1992, have changed my name to Aarfa Khanam for all purposes. 0040498111-1

I, Neeraj,D/o Shri.Krishan Dixit,Resident of,House.No-45, Bhainsrawali, Faridabad, Haryana-121101. Have changed my name to Neeraj Sharma,for all purposes. 0040498085-2

I, Mukesh Kumar Sachdeva s/o Ram Saran r/o 4/44, Ramesh Nagar, Delhi-110015, have changed my name to MUKESH KUMAR. 0040498019-1

I, Monu D/o Somvir R/o-1426 Balmiki-Mohalla, Street.No.13, Tughalkabad-Village, Jaitpur, South-Delhi-110044.have changed my name to Gauri,for all purposes. 0040498085-4

I, Meenu Kumari W/O Gourav Sehgal, R/O F2/199-200, 2nd Floor, Sec-16, Rohini, Delhi-89, Changed My Name To Meenu Sehgal. 0040498120-2

I Harsharoop S/o Vidhya Sagar R/o H.No. G-18, Punjabi Colony, Narela, Delhi-40 have changed my name to Hukam Chand. 0040498040-1

I Gurleen Kaur W/o Nikhil Gupta R/o.House.No.N-6 Loni-Road West Jyoti-Nagar GokalPur Delhi-94.have changed my name to Sherry Gupta. 0040498119-4

Be it known to all that after marriage I have changed my name from Anees Fatima to Sheeba Arshad. Sheeba Arshad, W/o Mohd. arshad, R/o 169/70, Khyaliganj, Behind Kaiserbag Kotwali, Lucknow. 0060067230-2

मैं मुकेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास निवासी– पी– 2/449, सुल्तान पुरी, दिल्ली–86 ने अपनी नाबालिग पुत्री का नाम राजरानी से बदलकर रियांशी मौर्य रख दिया है।

I, Lovely D/o Mata Prasad Singh R/o C-1009, Hastsal Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name as Lovely Singh for all purposes. 0040498020-1

I, Krishan,S/O Shardha Ram,Resident of, House.No-45, Bhainsrawali, Faridabad, Haryana-121101.have changed my name to Shri Krishan Dixit,for all purposes. 0040498085-3

I, Kiran Bala W/O, Balvinder Rai R/o E-23/B, Vijay Nagar, Delhi 110009, have changed my name after marriage to Kiran Chugh for all purposes. 0040498027-1

I, Kartikey Gupta s/o Sanjeev Gupta r/o H-25, Ashok Vihar Phase-1, Delhi-110052, have changed my name to KARTIKAY GUPTA. 0040498019-2

I, Harpriya Walia D/O Harpreet Singh Walia R/o-183, Sec-29,Arun Vihar,Gautam Budh Nagar, U.P. have changed my to Tanya Walia. 0040498080-2

I, Gagan Deep S/o Manohar Singh R/o House No.435/26 Rohtak Haryana-124001, changed my name to Gagandeep Singh. 0040498058-1

I, Devinder Singh S/O Ajmer Singh, R/O-42, Rajdhani-Enclave, Shakurbasti, Pitam pura, Delhi-34, Changed My Name To Davinder Singh. 0040498058-5

I, Dev Parkash S/o Ram Kanwar Yadav R/o-RZ-G-129 B, Street No-8,Mahavir Enclave-1 Delhi-45,have changed my name to Dev Prakash Yadav 0040498018-2

I, Anil Kumar S/O Jagdish Prasad Sharma, R/O-B-7/22-A, Gali.No-01, Sadatpur-Extn, Karawal-Nagar, Delhi-110094. Changed My Name To Anil Kumar Sharma. 0040498119-2

I, Ajay Kumar Singh R/o 591 IYA/943, Baldev Vihar, Telibagh, Lucknow-2 have changed my minor daughter's name from Yashika to Yashika Singh for all purposes vide affidavit 72AD139542 dated 29/03/19 0050149657-2

I, Ajay Kumar Singh R/o 591 IYA/943, Baldev Vihar, Telibagh, Lucknow-2 have changed my minor daughter's name from Harshika to Harshika Singh for all purposes vide affidavit 72AD139540 dated 29/03/19 0050149651-1

I, Syed Mohammad Akhalaq, S/o Kamil, R/o-181, Bas Deoria, Ward No.19, Deoria, Uttar Pradesh 274001, have changed my name to Ekhalaq Ahmad. 0070658835-1

I hitherto known as Mahi Bansal, S/o Gopal Bansal, R/o Coral-B, 405, Shalimar City, Wazirabad Road, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201005, have changed my name and shall hereafter be known as Elesh Bansal. 0070658824-1

I V velmurugan S/o Vellaisa my,H.No-35, Anand-Gram, Tahirpur, New-seemapuri, Jhilmil, Vivek-Vihar, East-Delhi-110095.have changed my name to Velmurugan Vellaisamy. 0040498085-5

I Sehaj Singh Bakshi S/O Sarabjit Singh Bakshi Permanent R/O103, Sec 15A, Chandigarh Have Changed My Name To Sehej Singh Bakshi For all Future Purposes 0040498044-1

I Rajesh Kumar Gupta S/o Bajrang Lal Gupta R/o-5/14, FF, Roop-Nagar Delhi-7 have changed my name to Rajesh Gupta both are same person. 0040498120-5

I Preeti D/o Veer Parkash R/o H.No. B- 2173, Gali No.13, SGM Nagar, Faridabad, HR. declare that in my marksheet my name is wrongly written as Preeti Rani but my correct name is Preeti. 0040498120-7

I, Mukesh Kumar S/o Jugal Kishore Gupta R/o F-80, Preet-Vihar, Delhi-110092, have changed name to Mukesh Kumar Gupta. 0040498058-9

I, Meera Devi, R/o Plot B-9, Flat 102, F F R S KH No.2/16-20, Block-B, Mansa Ram Park, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Mira Devi. 0070658833-1

I, Hitherto Bhavya Gandhi S/o Sunil Kumar Gandhi R/o A-185/1, DDA Flats, Phase-1, Ashok Vihar, Delhi- 110052, have changed my name and shall hereafter be known as Aarush Gandhi It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection 0040498127-4

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

खोया+पाया

It is notified for the information that my original-qualifying examination-certificate of main-secondary examination grade sheet cum certificate of performance of year-2013, roll.no. 8163041 issued by CBSE has been actually lost. Name of candidate, Karanpreet Singh S/O.Jatinder Singh R/O.A-177, GF,Fateh-Nagar, New Delhi-110018 Tel.9873048204. 0040498085-7

LOST complete File containing Original set of my Property Documents of Ambience Creacions, Unit No.J-601, located at: Sector–22, Gurugram. Finders contact: Shailendra Kumar Agrawal S/o: Late Shanti Swaroop Agrawal R/o: D-1009, New Friend's Colony, New Delhi-110 025. #9811813107 0040498015-1

I have lost the originals of provisional Allotment letter, Payment receipts & NOC dated 28-Jun-2000 related to property at Shed No.A-26, Mangolpuri Engineering Complex, DSIIDC, Phase–I, New Delhi, If found, please contact me: Anita Meattle (+91-9810149920). 0040498014-3

I, Sameeksha Sah,D/o-Sikkandar Sah,R/o-H-69, Subhash Market Kotla Mubarakpur N.Delhi-110003 lost my 10th Marksheet/ Degree certificate Roll No.8784821 Year-2014 Finder Contact above Address. 0040498127-2

I,Atul Bhasin R/o D-11/4, ground floor,Exclusive Floors,DLF Phase-5, Gurgaon(Hr),have lost my Original Builder Buyer Agreement No.453 dated-29.09.2001 issued by DLF Limited in respect of-D-11/4,Ground floor,Exclusive Floors,DLF Phase-5, Gurgaon(Hr).Finder may Pls cont. at above address. 0040498033-1

I,Gitesh Singh Digari s/o-Umed Singh Digari R/o-D.G. 3/175, Vikas Puri, N.D-18.have lost his original-marksheet of 1st,3rd-& 4th semester. Student of BPIBS, Shakar pur,N.D-92, MOP(E) Batch-2011-14, Roll.No-317609.If-Found Contact-9818250857. 0040498136-8

I,Tushar s/o Rajesh kumar R/o-J-39 Angoori-bagh lal qulia Delhi-06.have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8774011 c.b.s.e-Delhi. 0040498136-10

It is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main. Secondary-Examination of Year-2015-2016,and Roll.No.8232954 issued by C.B.S.E has been actually lost.Name of the candidate-Rishabh Sharma R/o-194, Fatehpur-Beri, Delhi, CONT-9899964443. 0040498119-10

I,Aakash Joshi S/o Mr. Pradeep Joshi R/o-1787 St.no-12 Rajgarh-Colony Delhi-31.have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno.-8157109 c.b.s.e-Delhi. 0040498136-9

PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT SH. BHAGWAT PRASAD GARG S/O LATE SH. CHUNNI LAL R/O A-09, KEWAL PARK EXTN., AZADPUR, DELHI, IS THE OWNER OF PLOT BEARING NO. 144, BLOCK & POCKET-B1, SECTOR-36, ROHINI, DELHI AND HE HAS MISPLACED/ LOST THE ORIGINAL DDA DEMAND LETTER, OVER POSSESSION HANDING OVER SLIP & SITE POSSESSION LETTER & HAVE LODGED A FIR/NCR VIDE LR NO. 636052/2019 DATED 09.02.2019, WITH POLICE STATION, CRIME BRANCH, DELHI, IF ANY BODY FIND THE SAID DOCUMENT, PLEASE INFORM HIM AT THE ABOVESAID ADDRESS OR PH. NO. 9891315687.
IF ANY OTHER CLAIMENT HAS ANY RIGHT IN THE AFORESAID PROPERTY, HE/SHE SHOULD FILE AN FIR & GIVE INTIMATION TO DY/ASST. DIRECTOR (LAB), DDA VIKAS SADAN, INA, NEW DELHI WITH IN 30 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE OF THIS NOTICE.

Sd/-
RENU BALA (Advocate)
Ernl. No. D-4533/2014

Public Notice

My clients Shri Vijay Garg son of Late Shri Ram Kishan Garg and his wife Smt. Shalu Garg, residents of Z-205, Siddhartha Apartment, M.P. Enclave, Pitampura, Delhi-34, have severed/cut all their relations whatsoever with their son Aman Garg, due to his irresponsible behaviour. In future my clients will not have any kind of relations with him. My clients disown him and debar him from any rights or claims in our moveable & immoveable properties. Also any person dealing with him will be dealing at his/her/their own risk and responsibility. My clients will not be responsible or answerable to anyone.

Dinesh Jain (Advocate)
Off:- Ch. No.5,Ground Floor Block-RU, Sub Registrar Office Complex,Pitampura, Delhi- 110034. (M) 9711181584

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, ARMAN S/o SHAHADUTT residing at H. No. 317, Mahatama Gandhi Camp Patpar Ganj, East Delhi, Delhi-110091, declare that name of my father and my mother has been wrongly written as SAHADAT and SARBARI BEGAM in my educational documents, Driving Licence, Pan Card, Aadhaar Card, Voter Id Card, Service Record and Passport. The actual name of my father and my mother are SHAHADUTT and SARWARI BEGUM respectively, which may be amended accordingly.

Public Notice

General Public is informed that my clients Sharafat Ali S/o Abdul Waheed and Shamina Khatoon W/o Sharafat Ali Both R/o 267A L Extn. Mohan Garden Uttam Nagar New Delhi Have disowned and debarred their Son Rafakat Ali, Daughter in Law Rubina and Grand Son Sadiq Ali from all their movable and immovable properties anywhere in Delhi or in Home Town. My Clients have also severed all relations from the said son, daughter in law and grand son. Anybody dealing with the said persons shall do so at his/her/their own risk and responsibilities and my clients shall not be responsible for any acts done by debarred persons.

Praveen Rastogi(Adv.)
9810986643
D-244/06

मोटू-पतलू को दिल्ली के मैडम तुसाद में मिली जगह

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

राजधानी के मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रसिद्ध कार्टून पात्रों – मोटू-पतलू को एक विशेष जगह दी गई है।

मोटू अपने पसंदीदा नाश्ते समोसा और पतलू सब कुछ जानने के अपने सर्वोत्कृष्ट भाव के साथ रीगल बिल्डिंग स्थित इस म्यूजियम में खेल, मनोरंजनजगत की हस्तियों की लंबी सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए नई मोटू-पतलू कॉमिक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। मर्लिन इंटरटेनमेंट्स इंडिया के निदेशक अंशुल जैन ने कहा, 'हमारा प्रयास सभी आगंतुकों को पूर्ण एवं यादगार अनुभव देना है।

भारत में इस वक्त मोटू-पतलू सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पात्र हैं।

मैडम तुसाद में अन्य हस्तियों के पुतलों के साथ उनकी मौजूदगी यहां आने वाले परिवारों के अनुभव को और समृद्ध बनाएगा।' जैन के मुताबिक इस काम को पूरा करने में 20 कलाकार और पांच महीने का वक्त लगा।

ईडी के सामने पेश हुए वाड्रा, बयान दर्ज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित अवैध संपत्तियां खरीदने से जुड़े एक धनशोधन मामले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। वह सुबह पौने 11 बजे इंडिया गेट के पास स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के सामने सवालों के जवाब दिए और उनका बयान दर्ज किया गया। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वाड्रा ईडी के सामने 31 मई को पेश नहीं हुए थे। इससे पहले गुरुवार को वाड्रा से पांच घंटे पूछताछ की गई थी और जांच अधिकारी ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत मामले में उनका बयान दर्ज किया था। वाड्रा ने मंगलवार एक सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि वह ईडी के समक्ष 80 घंटों तक कई प्रश्नों का उत्तर देने के बाद 13वीं बार पूछताछ के लिए पेश हो रहे हैं।

PUBLIC NOTICE

Be It known to all that my Client, SMT. KRISHNA MISHRA W/O LATE RAM SHANKAR MISHRA R/O A-54, GALI NO. 2, MAHAVIR ENCLAVE PART-2, NEW DELHI-110059, has severed, debarred and disowned her middle son Alok Mishra (aged 27 yrs.) from all her relations and properties both movable and immovable with immediate effect, due to non-working, quarrelsome, drunkard, gambler, irresponsible, unfamiliar attitude, indulge in anti-social activities towards my client and her family and also pledge his original Aadhar Card, Pan Card, Bank Passbook, Cheque book of Kotak Mahindra Bank, photos to someone, hoping for misuse & also filed a complaint in Police Station, Dabri, New Delhi.
Whomsoever deals with him in monetary form or in any other nature shall do so at his/her/their own cost risk and responsibility.

MANISH KUMAR SINGH (Advocate)
QU-260A, Pitampura, Delhi-34

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Puran Chand** s/o Late Prabhu Dayal & **Smt. Malti Devi** w/o Shri Puran Chand, both residents of 5385, Laddu Ghati, Pahar Ganj, New Delhi- 110055, **disowned their son Mr. Kunal and his wife Smt. Juhi and their to be children**, from their all moveable immoveable properties as they have abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from them and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner.

Sd/-
G.L. GOSWAMI (Advocate)
3530, QUTAB ROAD, Delhi- 110006

PUBLIC NOTICE

My client Smt. Raj Dulari W/o late Sh. Rajender Kumar R/o S-74/156, Harijan Camp, Khanpur, New Delhi-110062, has debarred & disowned her son Arjun S/o late Sh. Rajender Kumar & her daughter in law Smt. Monika wife of Arjun, both residents of S-74/156, Harijan Camp, Khanpur, New Delhi-110062 from all her movable & immovable properties & has severed all relations from them as they are not under her control. My client shall not be liable for any omission or commission of aforesaid persons & if any one deals with them, he /she/they shall be doing so on their own risks & consequences.

Tulsi Rani Chauhan (Advocate)
Off.: 37/1228, Ground Floor, DDA Flats, Madangir, New Delhi-110062

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Shri Sharan Kumar S/o Late Sh. Narayan Das & Smt. Mahinder Bala W/o Sh. Sharan Kumar R/o AP-85D, Pitampura, Delhi-110034, hereinabove, disowned and debar all the relations with their son namely Sh. Amit Kumar, daughter in law Ms. Daizy Dhalla, along with grand daughter baby Anaya due to their anti-familiar behavior & attitude, from all moveable and immovable properties and also severed with all relations with them as they are indulging in activities which neither my clients permit nor society. Any body deals with them shall be at their own risk, cost and consequences.

Sd/-
SANJAY KR. JHA
ADVOCATE
Ch. No.-520, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

It is hereby brought to the notice of the public at large, that the public at large is informed that **Mr. RAKESH DUDANI S/o Shri S.N.DUDANI[Name of the Owner], is the lawful owner and in actual physical possession of Property bearing No.C-3/44 RAJASTHANI BHAWAN,CGHS APRTMENT,PITAMPURA,NEW DELHI.** Any member of the public dealing with the aforesaid property and/or deriving any benefit by impersonation as any of the persons executing the Documents or claiming any interest in the Property on the basis of the Documents or in any manner whatsoever shall do so at his/her own cost, expense, liability and risk. Any person having any claim against the said property by way of inheritance, mortgage, sale, gift, lease, tenancy, lien, charge, trust, bequest, third party rights, or otherwise howsoever on the said property and/or for any other reason whatsoever are hereby requested to make the same known in writing to the undersigned at their office at within 03 days from the date hereof, otherwise it shall be deemed that all such persons have surrendered and abandoned all their claims, rights, interest and title of any and all nature in the property and are left with no claim, right, title or interest of any nature in the property. **(Fir has filed against allotment letter, share certificate and possession letter on dated 21/02/2019 in PS. PITAMPURA, NEW DELHI)**

Bhuvan Chand Joshi (advocate)
Ch. No 404 III Building Delhi High Court, New Delhi
Registration No. D/1060/2016
Mobile 9717925709

PUBLIC NOTICE

FREEHOLD DDA BUILT UP SFS FLAT NO.2062, SECOND FLOOR, POCKET-2, SECTOR-C, VASANT KUNJ, NEW DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned portion of property is offered as security for Equitable/ Registered mortgage with **State Bank of India or any Other Bank/ FI**, the present owner Shri Sanjiv Mediratta informed about the lost/ misplace of Original 5th & Final Installment Letter dated 25.10.1988 & Original Letter of Handing Over of Possession dated 10.07.1989 issued by DDA in favor of Shri Sanjeev Mediratta , and the present owner did not found the same inspite of all sincere efforts

An online lost report filed on 03.06.2019 vide LR No. 1109917 , PS Crime Branch in respect of lost of above mentioned documents

It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank , financial institution having claim any charge, interest or lien or claim or otherwise and / or objection to the Equitable/ Registered Mortgage with **State Bank of India, or any Other Bank/ FI** thereof, He/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ Court Judgment / Decree within 7 days from the day of publication, failing which the title/ Sale Deed executed in favor of my client (s) **Sh. Indravir Saran Das & Smt. Mandakini Das** or their nominees shall be deemed to be clear and marketable without any defect , encumbrance, flaw and impediment and my client (s) Sh. Indravir Saran Das & Smt. Mandakini Das or their nominees is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms, company , financial Institution / Bank.

NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile – 8587898197, Email : nir2verma@gmail.com

PUBLIC NOTICE

This is to inform public at large that my clients Shri Vasudev Goel S/o Late Shri N.C. Goel and Mrs. Promila Goel W/o Shri Vasudev Goel residents of 3/9 Jaidev Park, New Delhi-110026 have entered into a deal with Shri Om Prakash Chawla and Shri Jitender Chawla both residents of 48/5 East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 to purchase property bearing no. 48/5 (Road No. 5, House No. 48) East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 measuring 277.5 sq. yards. It has been assured by said Shri Om Prakash Chawla and Shri Jitender Chawla that they are owners of 50% each in the said property and the same is free from any encumberances. However, by way of abundant caution, my clients are giving this notice that any person having any right, title or interest in this property may lodge his objection in writing with details and supporting documents to the undersigned within 15 days from the publication of this notice failing which my clients will go ahead with completing this deal and in that event no claim or objection of any nature whatsoever concerning this property shall be entertained or admissible.

Sunil Goel (Advocate)
38/7, East Punjabi Bagh, New Delhi-26
M: 9810215488

PUBLIC NOTICE

That my client Mr. Balbir s/o S. Pyara Singh, R/o E-134, Gali No. 5, Nihal Vihar, Nangloi, Nilothi, Delhi-110041 has debarred his Daughter Simranjeet Kaur from their all movable and immovable property w.e.f. 22.05.2019.

Sd/-
RISHI PAL SINGH
ADVOCATE
CH. NO. 1126, LAWYERS CHAMBER, ROHINI COURT COMPLEX, ROHINI, DELHI

PUBLIC NOTICE

This is to inform public at large that my client Sh. Satendra Jain S/o Late Jambu Prasad Jain and his wife Smt. Suman Jain R/o C-6, First Floor, Jyoti Nagar, Delhi-110093, have severed all their relations and ties with their son namely Sh. Abhishek Jain and have also disowned and debarred from all their movable and immovable properties and shall have no concern in future with him and in future if anybody deals with him my client shall not be responsible.

Aarti Manchanda (Advocate)
Ch. No.61, First Floor, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that Smt. & Sh. Dinesh Malik , S/o late Sh. Chan Lal Malik , R/o T-139/140, 2nd floor , Uttam Nagar , New Delhi-59 has severed off all their relations with their son Jatin Malik & his wife Smt. Poonam Malik & their legal heirs R/o B-8, UGF Jatin Park, Gali No.8, Uttam Nagar , New Delhi-59.
In future , my clients shall not be responsible for any misdeed or act committed by them. My clients have also debarred the said Jatin Poonam Malik, & their legal heirs from inheriting any share in any movable or immovable property belonging to my clients.

SK Ahluwalia (Advocate)

PUBLIC NOTICE

Be it known to all public that my client Shashi Jindal D/o Sh. Ved Prakash R/o property No.15-16, Sandesh Vihar, Pitam Pura, Delhi, has strained relations with her husband Sh. Ishwar Chand Jindal and has many litigations going on with him. A suit for Possession for Property No.16, Sandesh Vihar, Pitam Pura, Delhi is pending before the Hon'ble High Court of Delhi (Ordinary Original Civil Jurisdiction) vide C.S. (OS) No.415/2017 titled as "Sh. Ishwar Chand Jindal VS Smt. Shashi Jindal". Anybody dealing or negotiating with my husband for the above mentioned property will be doing it on his own risk and responsibility.

Sd/-
H.S. GILL (Advocate)
Enrl. D-1208/12

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT ASHWANI OBEROI S/O BANWARI LAL OBEROI R/O 490/G-62, RISHI NAGAR, RANI BAGH, DELHI IS THE RIGHTFUL OWNER OF PROPERTY BEARING NO. 652, BLOCK NO. C, SUSHANT LOK VILLAGE SARHAUL, SUKHRALL, CHAKARPUR KANHAL, DISTT. GURGAON, HARYANA. THE ORIGINAL DOCUMENTS i.e. SALE DEED, ALLOTMENT LETTER, PAYMENT RECEIPT AND OTHER DOCUMENTS OF SAID PROPERTY HAS BEEN LOST, AN NCR WAS ALSO LODGED NO. 1105039/19 DT. 01.06.19. IF ANY PERSON WILL MAKE CLAIM REGARDING OWNERSHIP OF SAID PROPERTY, THE SAME SHALL BE TREATED AS NULL AND VOID.

Sd/-
ANITA TIWARI, Advocate
Off: Shop No. 4, Pitampura, Delhi

PUBLIC NOTICE

This is informed to general public that my client Smt. Sharda Dodeja W/o Sh. Bharat Bhushan Dodeja R/o C-742, New Friends Colony, Delhi-25 has misplace the original last chain of Basement, Ground Floor, Second Floor & Third Floor of her property bearing No.S-357, Greater Kailash, Part-I, Delhi total area 203 sq. yds and in this regard my client has already lodged a police complaint bearing So.No.430/2014, Lr. No.999477/2019 dated 29-04-2019, P.S.-Crime Branch, Delhi, if anyone found kindly informed my client at 9871119163.

Pramod Agarwal (Advocate)
B-26A, Arihant Marg, Kewal Park, Azadpur, Delhi-110033

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण राम अवतार वर्मा व पत्नी राजकुमारी वर्मा, निवासीगण म0 नं0 1/1080, एफ/एफ जी–7, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली–32 ने अपने पुत्र दीपक वर्मा व पुत्रवधू अमरीता को उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखलकर संबंध–विच्छेद कर लिए है। यदि कोई भी व्यक्ति उनके साथ किसी प्रकार का कोई लेन–देन करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्य के लिए मेरे मुवक्किलगण व उनका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

सुरेन्द्र सिंह (अधिवक्ता)
चैम्बर नं0 एफ–226, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली–110032

PUBLIC NOTICE

It is to be notified that my clients Shri Chander Bhan S/o late Sh. Ram Chand and Smt. Chander Kala W/o Shri Chander Bhan, both R/o AC-61, Tagore Garden, New Delhi-110027 have disinherited, disowned & severed all relations with their son Mr. Lalit Setia, their daughter in law Mrs. Jyoti Setia and their grandsons Master Karnav Setia and master Taksh Setia, from inheriting their movable and immovable properties as my clients have no control over them. Henceforth my aforesaid clients have severed their all relations with them and will not be responsible for the acts and omissions of the above named persons with anybody in respect of anything whatsoever.

Sd/-
(BHUPINDER MEHTANI) ADVOCATE
Ch. NO. 245, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi- 110054.

The Indian EXPRESS Classifieds FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

EXPRESS EDUCATION

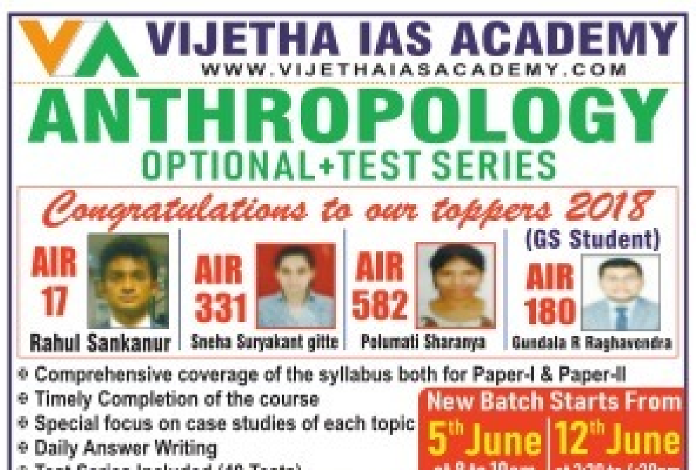

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

खबरों में शहर

बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान का एलान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान 2012 के लिए रचनाकार अनामिका को, 2013 के लिए कथाकार रमणीक को, 2014 के लिए कवि रंजीत वर्मा को, 2015 के लिए कथाकार गीताश्री को, 2016 के लिए कवि संजय कुंदन को और 2017 के लिए कहानीकार पंकज मित्र को देने का एलान किया गया है। कुछ खास कारणों से 2012 से यह सम्मान रुका पड़ा था जिसे इस साल 2012 के प्रभाव से शुरू किया गया है। खगेंद्र ठाकुर, रविभूषण, संजीव और मदन कश्यप के निर्णायक मंडल ने पुरस्कार के लिए रचनाकारों का चयन किया। यह सम्मान योजना आरा निवासी प्रेमचंदकालीन साहित्यकार बनारसी प्रसाद भोजपुरी की स्मृति में 1998 से शुरू किया गया। इसका मकसद बिहार की रचनाशीलता को सम्मानित करना है। सम्मान कार्यक्रम 28 जून को साहित्य अकादमी के सभागार में होगा।

'मातृभाषा पर जोर दिए जाने का मसला अहम'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

राइट टू एजुकेशन फोरम ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नई शिक्षा नीति) 2019 का मसौदा तय करने के सैद्धांतिक फैसले की सराहना की है। फोरम ने उम्मीद जताई कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लोक महत्त्व को केंद्र में रखते हुए शिक्षा नीति को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। आरटीई फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अंबरीश राय ने इस बाबत जारी बयान में कहा कि प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में छात्रों की मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिए जाने का मसला भी अहम है। फिलहाल इस मसविदे पर सरकार ने लोगों के सुझाव मांगे हैं जिसपर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों, नेटवर्क एवं बुद्धिजीवियों को अपने विचार देने हैं।

ऑपरेशन ब्लू स्टार की जांच हो : सिरसा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

अकाली-भाजपा गठबंधन के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों का बचाव किया। इस बाबत बुलाई प्रेसवार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सिरसा ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस हफ्ते मुलाकात करेगा और मांग करेगा कि जांच आयोग का गठन किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष जांच टीम 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की जांच करे।

नई शिक्षा नीति पर सुझाव भेजेगी एबीवीपी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से नई शिक्षा नीति के मसविदे को सुझावों के लिए आम लोगों के सामने रखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने भी तय किया है कि नई शिक्षा नीति पर बिंदुवार सुझाव मंत्रालय को भेजे जाएंगे। यह बात एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री निधि त्रिपाठी ने मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। एबीवीपी की 27, 28 और 29 मई को चेन्नई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक में पास किए गए प्रस्तावों के संबंध में यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी।

एयूडी ने वापस लिए सभी सफाई कर्मचारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

विद्यार्थियों के विभिन्न संगठनों ने मंगलवार को आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली (एयूडी) के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठनों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने 50 से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। प्रदर्शन के बाद एयूडी प्रशासन ने इन कर्मचारियों को वापस काम पर लेने का फैसला किया है। एयूडी मामले की जांच कर रहा है।

केजरीवाल के खिलाफ अदालत पहुंचे गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के कुछ नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया। केजरीवाल और सिसोदिया ने गुप्ता पर 'आप' प्रमुख की हत्या की साजिश रचने वालों में शामिल होने का आरोप लगाया था। यह मामला 6 जून को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष आएगा। गुप्ता ने अपनी शिकायत में केजरीवाल और सिसोदिया से एक करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है।

उपमुख्यमंत्री ने बस में जाकर की महिलाओं से बात

मेट्रो के मुफ्त सफर पर दिल्ली सरकार ने टटोला मन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

महिलाओं को मेट्रो व बस में मुफ्त यात्रा करवाई जा सके इसके लिए दिल्ली सरकार ने जनता के बीच जाकर रायशुमारी शुरू कर दी है। मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद डीटीसी बस में चढ़े और मुफ्त मेट्रो-बस सेवा पर महिलाओं की राय जानने की कोशिश की। सिसोदिया ने बताया कि पहले दिन करीब 50 से अधिक महिलाओं से इस योजना को लेकर बात हुई। इस योजना को लेकर महिलाएं खुश हैं। रायशुमारी में एक भी व्यक्ति ने इस योजना को गलत करार नहीं दिया है।

उपमुख्यमंत्री रायशुमारी के लिए आईटीओ, पुलिस मुख्यालय, शाहजहां रोड, आइएनए मार्केट, लोदी रोड व कनॉट प्लेस पहुंचे। आम जनता से रायशुमारी करने से पहले मनीष सिसोदिया ने प्रेसवार्ता कर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि मुफ्त सफर की योजना सामने आने के बाद से ही योजना को लेकर आम जनता से सकारात्मक संदेश आ रहे हैं, पर भाजपा इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। भाजपा की तरफ से कुतर्क किए जा रहे हैं। अगर महिलाओं को दिल्ली सरकार मुफ्त यात्रा मुहैया करवाती है तो

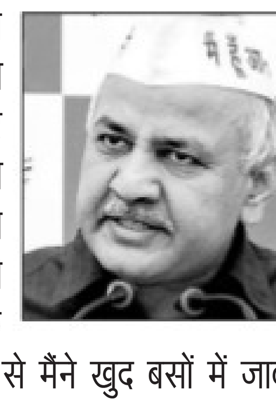

योजना को लेकर आम जनता से सकारात्मक संदेश आ रहे हैं, पर भाजपा इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। अगर महिलाओं को दिल्ली सरकार मुफ्त यात्रा मुहैया करवाती है तो इससे भाजपा को क्या दिक्कत है? भाजपा हर बार दिल्ली सरकार की लोकप्रिय योजनाओं के खिलाफ खड़ी हो जाती है। इस वजह से मैंने खुद बसों में जाकर महिलाओं से बात करने का फैसला किया।

–मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री

इससे भाजपा को क्या दिक्कत है? भाजपा को महिलाओं और उनके लिए होने वाले काम से समस्या क्या है? भाजपा हर बार दिल्ली सरकार की योजनाओं के खिलाफ खड़ी हो जाती है।

मेट्रो में अलग से मुफ्त कार्ड

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि महिलाओं को मेट्रो के लिए दिल्ली सरकार एक मुफ्त कार्ड जारी करेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो भी फैसला किया है वह सही है। दाम बढ़ने की वजह से 32 लाख की जगह अब 24 लाख यात्री हैं। 30 फीसद महिलाएं कामकाजी हैं। किराया बढ़ाने से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। यह कदम पर्यावरण व महिला सुरक्षा के लिए जरूरी है। विरोध से इस योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

कार्यालयों में पहुंचने लगे मंत्री

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जनता की परेशानियां जानने के लिए परिवहन विभाग के सराय काले खां कार्यालय पहुंचे। उन्होंने परेशानियों को लेकर सुझाव लिए। समाज कल्याण मंत्री ने विभाग के उत्तर पश्चिम व रोहिणी कार्यालय में जाकर औचक जांच की। उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि वे जनता की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम लागू करें। समाज कल्याण मंत्री ने आशा किरण होम में पुरुष मरीजों के लिए वार्ड की शुरुआत की। यहां पर 80 पुरुषों को आवास सुविधा मुहैया हो सकेगी। सरकार ने इस होम के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। होम में 53 लाख रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

फैसले का माकपा ने किया स्वागत

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की दिल्ली राज्य समिति ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की कैबिनेट की ओर से मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करने के फैसले का स्वागत किया। माकपा नेता केएम तिवारी ने कहा कि यह विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली लाखों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा जो न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित हैं। पार्टी लंबे समय से दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा मुहैया करने की मांग करती रही है। तिवारी ने कहा कि इसी तरह स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को मेट्रो और बस दोनों में किराए से छूट मिलनी चाहिए।

वेतन जारी करने का आदेश

श्रम मंत्री गोपाल राय से एलएनजेपी अस्पताल में दौरे के समय कर्मचारियों ने शिकायत की कि वेतन समय पर जारी नहीं किया जा रहा है। इस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है कि तीन दिन के अंदर वेतन जारी करने के आदेश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि भविष्य में कर्मचारियों को वेतन महीने के पहले हफ्ते में जारी किया जाए।

चांद रात

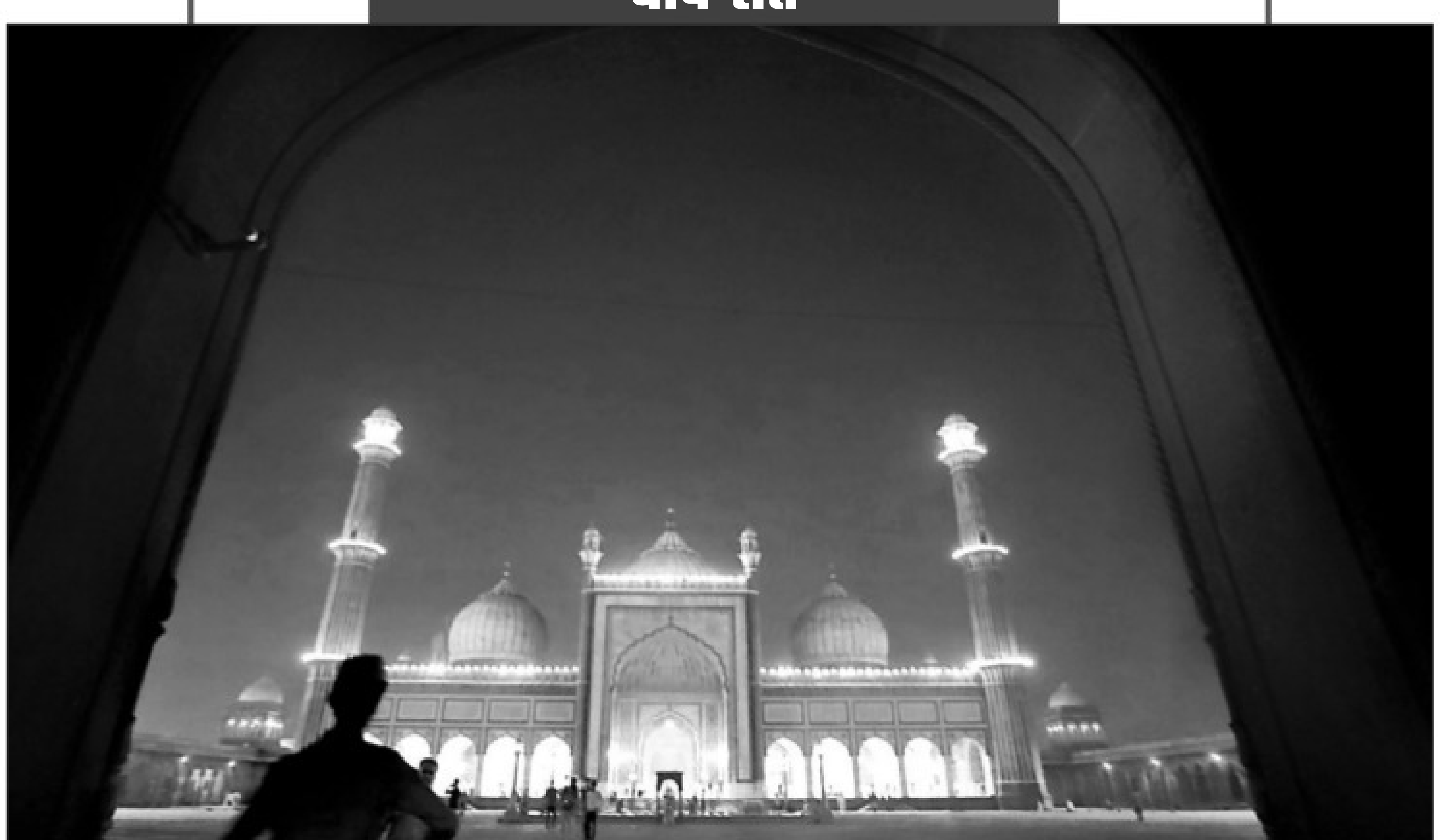

मंगलवार शाम ईद के चांद का दीदार हो गया। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश भर में बुधवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। हालांकि चांद दिल्ली में नहीं दिखा। जामा मस्जिद परिसर का कुछ यूं था नजारा। फोटो : आरुष चोपड़ा

आयुष्मान पर 'आप' सरकार और भाजपा आमने-सामने

नहीं लागू करेंगे योजना — सत्येंद्र जैन | **महंगा पड़ेगा इनका हठ** — मनोज तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

केंद्र सरकार की 'आयुष्मान भारत' योजना लागू करने को लेकर आम आदमी पार्टी व भाजपा आमने-सामने है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस योजना को लागू न करने की जानकारी दी। इसके बाद भाजपा ने मंत्री पर सवाल उठाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार को यह हठ भारी पड़ेगा और चुनाव में जनता एक बार फिर से इसका जवाब देगी।

सत्येंद्र जैन ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि 'आयुष्मान भारत' योजना को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया है। योजना लागू होने के बाद भी दिल्ली में मरीज क्यों भेजे जा रहे हैं। अगर यह योजना दिल्ली में लागू होती है तो इसका क्या परिणाम सामने आता। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है और लाभ केवल 10 लाख लोगों को ही मिलता। मनोज तिवारी ने कहा कि सत्येंद्र जैन का बयान आया है कि हम आयुष्मान योजना चालू नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी योजना से क्या परेशानी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से यह सुविधा छीनना चाहती है। इससे उसका जनता विरोधी चेहरा सामने आया है। यह हठ भारी पड़ेगा।

प्रदूषण पर पूछे 10 सवाल

दिल्ली में प्रदूषण की खराब स्थिति पर मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो पन्नों का पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से भाजपा ने दिल्ली सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। भाजपा ने मांग की है कि इस मामले में दिल्ली सरकार एक श्वेत पत्र लेकर आए ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए।

झगड़ा सुलझाने गए पुलिसवालों को बंधक बनाकर पीटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

पश्चिमी जिले के दो अलग-अलग इलाकों में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। कीर्तिनगर और विकासपुरी में हुई दोनों घटनाओं में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर पीटा भी गया है।

पुलिस के मुताबिक, पीसीआर यूनिट पश्चिमी जिले में तैनात हेड कांस्टेबल राकेश सोमवार देर रात कीर्तिनगर के पास चालक घनश्याम व महिला कांस्टेबल के साथ पहुंचा जहां से उन्हें पीड़ित ने फोन किया था। वहां राजेंद्र नामक व्यक्ति मिला। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया है। राकेश महिला कांस्टेबल व चालक घनश्याम के साथ दूसरे तल पर गए तो वहां दरवाजा बंद था। राकेश ने दरवाजे की घंटी बजाई। आवाज सुनते ही राजेंद्र का भाई अपने परिवार के साथ बाहर आया और बिना कुछ पूछे पुलिसकर्मियों से मारपीट करते हुए उन्हें प्रथम तल पर बने कमरे में बंधक बना लिया। खुद को बंधक बनते देख महिला कांस्टेबल ने थाने में सूचना देकर मदद मांगी। इस दौरान खुद के साथ हो रही मारपीट का जब पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाया तो आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कई पुलिसवालों ने पहले अपने साथियों को कमरे से मुक्त कराया और फिर तीन लोगों को हिरासत में लिया।

वाहन के दस्तावेज मांगने पर पुलिसकर्मी की पिटाई

पश्चिमी जिले के विकासपुरी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी सुरजीत ने उत्तम नगर चौक के पास एक मोटरसाइकिल सवार को गलत दिशा से आने पर रोका। आरोप है कि मोटरसाइकिल सवार सुरजीत से उलझ गए। कागज मांगने पर दोनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर सुरजीत के साथ हाथापाई की गई।

उच्च शिक्षण संस्थान छह महीने में पूरी करें भर्ती प्रक्रिया

यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मंगलवार को उच्च शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए। इस संबंध में यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है। नए दिशानिर्देशों के तहत भर्ती प्रक्रिया छह माह में पूरी की जानी है।

पत्र के माध्यम से कहा गया है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी बड़ा चिंता का विषय है और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए इसमें तुरंत सुधार की आवश्यकता है। इस समस्या के समाधान के लिए यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। पत्र में सभी कुलपतियों से उनके विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों को भरने के लिए तुरंत प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। भर्ती या चयन प्रक्रिया में उच्च शिक्षा संस्थानों को उनके अधिनियमों, परिनियमों और संघटक दस्तावेजों के अनुसार और यूजीसी विनियम, 2018 का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान सभी रिक्त पदों के साथ-साथ आरक्षण संबंधित ब्योरे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा शोध केंद्र के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी रिक्तियों की भी निगरानी करेंगे।

इस तरह चलेगी प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के 15 दिन के अंदर रिक्तियों की पहचान हो जानी चाहिए। अगले 30 दिनों में रिक्तियों को भरने की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलगे 15 दिन में रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करना होगा। अगले 15 दिनों के अंदर चयन समिति का गठन करना होगा। अगले 15 दिनों के अंदर चयन समितियों की बैठकों की तिथियां निर्धारित करनी होंगी। इसके अगले 30 दिनों में आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी। अगले 30 दिनों के अंदर साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अगले 30 दिनों में भर्ती के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेना होगा। इन दिशानिर्देशों को नहीं मानने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अनुदान रोकने की भी कार्रवाई की जा सकती है।

जहां जमानत हुई जब्त, वहां चेहरे बदलेगी कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

अस्सी पार कर चुकीं दिल्ली की कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित की अगुआई में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। जिन लोगों को चुनावी टिकट दिया जाना है, उन्हें अभी से तैयारी शुरू करने के संकेत दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद लचर रहा है, उनमें नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। दूसरी ओर बढ़िया प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में पुराने उम्मीदवारों को ही दोबारा मौका दिए जाने की संभावना है।

प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित की अगुआई में पिछले दो दिन हुई पार्टी नेताओं की बैठकों में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी बहुत बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार बदलना चाहती है। जनता के सामने नए चेहरे लाना चाहती है।

लोकसभा के चुनावी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस को मटिया महल में 65.17 फीसद वोट और सीलमपुर, बल्लीमरान, चांदनी चौक और ओखला विधानसभा क्षेत्रों में 30 फीसद से ज्यादा वोट मिले

लेकिन अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में जोरदार लहर के बावजूद जिन क्षेत्रों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वहां पुराने उम्मीदवारों को एक बार फिर से मौका दिया जाना लाजिमी है।

सूत्रों ने बताया कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी 2020 की जगह इसी साल अक्तूबर-नवंबर में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ कराए जा सकते हैं। इसके तहत सबसे जरूरी उम्मीदवार चयन के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव में जहां हम पहले नंबर पर रहे या बहुत कम अंतर से दूसरे नंबर पर रहे, वहां के उम्मीदवारों को अभी से इशारा किया जा रहा है कि वे चुनावी तैयारी शुरू कर दें। दूसरी ओर जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की जमानत जब्त हो गई या जहां 20 फीसद से भी कम वोट मिले, वहां पर बदलाव किया जाना लाजिमी है। लोकसभा के चुनावी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस को मटिया महल, सीलमपुर, बल्लीमरान, चांदनी चौक और ओखला विधानसभा क्षेत्रों में भी अव्वल रही है। पार्टी को एक दर्जन सीटों पर 30 फीसद से ज्यादा वोट मिले, जबकि 39 सीटों पर 20 फीसद से अधिक वोट मिले। वहीं, करीब डेढ़ दर्जन क्षेत्रों में उसकी जमानत जब्त हुई। पार्टी नेताओं की मानें तो अगले एक-दो दिन में ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक के बाद चुनाव की तैयारी तेज होगी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के बैंक खाते को हैक कर रुपए निकाले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा के साथ हुई ठगी का मामला अभी सुलझा भी नहीं कि कड़कड़डूमा कोर्ट के एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के साथ इसी तरह की साइबर ठगी का मामला सामने आ गया है। आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के बैंक खाते को हैक कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जहां से रुपए निकाले गए उस एटीएम बूथ के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, रविवार देर रात को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) के मोबाइल पर खाते से रुपए निकलने का संदेश आया। वे तुरंत बैंक के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात कर अपने कार्ड को बंद कराने के बाद पुलिस में इत्तिला कर दी। एमएम मुनीश गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उन्होंने कभी भी अपने खाते की जानकारी किसी को नहीं दी है। इसके अलावा वह इंटरनेट बैंकिंग भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। गर्ग परिवार के साथ कड़कड़डूमा आवासीय परिसर में बने फ्लैट में रहते हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट में एमएम मुनीश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि रविवार देर रात को वे सोने की तैयारी कर रहे थे तभी उनके मोबाइल पर एक एसएमएस आया। देखने पर पता चला कि किसी ने उनके खाते से 10 हजार रुपए निकाला है। मुनीश ने एटीएम व डेबिट कार्ड की जांच की तो उसे अपने पास पाया। उन्होंने तुरंत पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ग्राहक सेवा अधिकारी से बात की। तो उन्हें पता चला कि किसी ने उनका खाता हैक किया है। खाते से 10 हजार के अलावा चार और अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 25 हजार रुपए निकाले गए थे।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	41.5 डि.से.	41.5 डि.से.	41.2 डि.से.	41.6 डि.से.
न्यूनतम	28.7 डि.से.	28.7 डि.से.	28.5 डि.से.	28.5 डि.से.

पेशी पर आए घोटाले के आरोपी दंपति पहुंचे पार्टी में

मौज-मस्ती करते देख निवेशकों ने घेरा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 4 जून।

- 3700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में जेल में बंद है आरोपी दंपति
- आरोपी दंपति को पेशी पर लाने वाले छह पुलिसकर्मी निलंबित

करीब 3700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में जेल में बंद सोशल नेटवर्किंग साइट एब्लेज इंफो सॉल्युशंस के मालिक अभिनव मित्तल पेशी से मौका पाकर रेस्तरां में मौज मस्ती करने पहुंच गए। उनकी आरोपी पत्नी भी ब्यूटी पार्लर में थीं। रेस्तरां में निवेशकों ने जब अभिनव को पहचान लिया तो घेरकर पुलिस को सूचित किया। थाना फेज थ्री पुलिस मौके पर पहुंची और अभिनव को निकालकर थाने लाई। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, बताया जा रहा है कि डीजीपी उत्तर प्रदेश ने आरोपी दंपति को पेशी पर लाने वाले छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, अभिनव मित्तल और उसकी पत्नी को हरियाणा की एक अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया था। वहां से लौटते समय वह पुलिसकर्मियों को साथ लेकर सेक्टर-121 स्थित क्लियो काउंटी सोसायटी पहुंचा। वहां के एक रेस्तरां में उसे चार-पांच लोगों के साथ खाना खाते हुए उसकी ठगी का शिकार हुए निवेशकों ने देख लिया। जिन्होंने अपने परिचित निवेशकों को भी वहां बुला लिया। सूत्रों के मुताबिक, अभिनव की पत्नी आयुषी रेस्तरां के पास एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थीं। निवेशकों ने बताया कि लाखों निवेशकों की मेहनत को लूटने के बावजूद उसकी मौज मस्ती में कमी नहीं आई है। अभिनव का पहनावा भी उच्च स्तर का था, जो कहीं से भी जेल में बंद आरोपी का नहीं लग रहा था। मौके पर करीब दो दर्जन से ज्यादा निवेशक जमा हो गए। जिन्होंने करीब दो घंटे तक अभिनव को घेरे रखा। निवेशकों के पूछा कि, क्या वह जेल से छूट गया है, तो उसने बताया कि वह पेशी पर आया था। यह सुनकर निवेशक नाराज हो गए।

उसके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए पूछा कि पेशी के बाद यहां कैसे लेकर आए। इतना सुनकर पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। दो घंटे तक अभिनव ने निवेशकों से बचकर निकलने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। हालांकि इस दौरान उसकी पत्नी वहां से निकल गई। इस मामले पर एसएसपी वैभव कृष्ण के मुताबिक अभिनव को लखनऊ जेल से पेशी पर लाया गया था।

यह है मामला

हापुड़ के अभिनव मित्तल ने एब्लेज इंफो सॉल्युशंस कंपनी को सेक्टर-63 में खोला था। 57 हजार रुपए प्रति सदस्य बनाने के नाम पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों को यूजर आइडी और पासवर्ड मुहैया कराया था। जिस पर कुछ लिंक भेजे जाते थे। प्रत्येक लाइक पर लोगों को पांच रुपए दिए जाते थे। आरोप था कि अभिनव ने लाइक क्लिक करवाने के लिए मल्टीलेवल मार्केटिंग के जरिए करीब 6.5 लाख निवेशकों की फौज खड़ी कर उनसे करीब 3700 करोड़ रुपए ठग लिए। शुरुआत में लोगों को लाइक के नाम पर भुगतान भी ऑनलाइन किया गया। कुछ समय बाद रुपए देने बंद कर दिए। इसके बाद शिकायतें दर्ज हुईं। यूपी एसटीएफ ने अभिनव को दो फरवरी, 2017 को सेक्टर-63 स्थित ऑफिस से कंपनी के दो अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसके पिता और पत्नी को भी आरोपी बनाया गया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 550 करोड़ रुपए एसआइटी ने जब्त किए थे। प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ में भी मामला दर्ज किया गया था। सभी आरोपी लखनऊ जेल में बंद हैं।

शादी से इनकार पर बेटी को अगवा किया, महोबा से गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

- आरोपी को 12 घंटे के भीतर यूपी के महोबा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया
- दिल्ली और यूपी पुलिस ने आरोपी से बच्ची को सकुशल बरामद किया

रोहिणी जिले के विजय विहार इलाके में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने पति से अलग रह रही एक महिला पर दबाव बनाने के लिए उसकी नौ साल की बेटी को अगवा कर लिया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के महोबा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से बच्ची सकुशल बरामद हो गई है। आरोपी की पहचान महोबा के रहने वाले 28 साल के कमलेश के रूप में हुई है। वह राज मिस्त्री का काम करता है।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त एसडी मिश्रा के मुताबिक, बुद्ध विहार इलाके की रहने वाली रेखा (बदला हुआ नाम) रविवार को विजय विहार थाने पहुंची। रेखा ने अपनी नौ साल की बच्ची के गायब होने की सूचना दी। महिला ने फिरौती के लिए बेटी को अगवा होने की आशंका जताई। पुलिस मामला दर्ज कर चार थानों की पुलिस के अलावा जिले के स्पेशल स्टाफ सहित 12 पुलिस टीमों के 75 पुलिसवालों को जांच में लगाया गया। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से मदद मिली जिसमें बच्ची एक युवक के साथ दिखाई दे रही थी। रेखा को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उसने तुरंत आरोपी को पहचान लिया। पुलिस ने आरोपी कमलेश की मोबाइल कॉल की लोकेशन की जांच की तो उसका आखिरी लोकेशन निजामुद्दीन इलाके में मिला। वहां की भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो आरोपी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेट फॉर्म नंबर-तीन पर खड़ी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार होते दिखाई दिया। बच्ची भी उसके साथ थी। दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क कर आरोपी को महोबा रेलवे स्टेशन पर सोमवार को बच्ची सहित दबोच लिया।

प्राधिकरण में होंगे ऑनलाइन आवेदन

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 4 जून।

शहर के आबंटियों को अब सेवा और सुविधा के लिए प्राधिकरण में ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इस सुविधा का लाभ शहर के 81 हजार 952 से अधिक आबंटी उठा सकेंगे। प्राधिकरण ने एक जून से यह व्यवस्था लागू की है। इसके लिए आबंटियों को केवाईसी करवाना होगा।

अभी तक 4527 आबंटियों का केवाईसी हो चुका है। केवाईसी के बाद आबंटी केवल ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर अन्य सभी विभागों की 72 सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही ई-चालान व गेट-वे के जरिए ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकेगा। एक जून से एचडीएफसी और 15 दिन बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का गेट-वे आवेदन के समय वेब पेज पर दिखेगा।

चाकू दिखाकर महिला और उसके दोस्त से लूटपाट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में बदमाशों ने एक महिला और उसके दोस्त को चाकू मारने की धमकी देकर लूट लिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक बेगमपुर में रहने वाल दीपक कुमार नामक व्यक्ति दवा की दुकान पर नौकरी करता है। उसकी एक महिला दोस्त राजीव नगर इलाके में बच्चों के साथ रहती है। महिला साथी ने दीपक को फोन पर संदेश भेजकर बताया कि उसकी तबीयत खराब है। मैसेज आने के बाद दीपक मोटरसाइकिल से उसके घर गया और उसको साथ लेकर निकला। रास्ते में हेलीपैड के पास सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी कर शौच के लिए चला गया।

तभी अचानक झाड़ियों में छिपे चार बदमाश बाहर निकले और उसकी महिला दोस्त की गर्दन पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी देकर पर्स व सोने की कान की बाली उतरवा ली। दीपक जब शोर सुनकर पहुंचा तो उसे भी धमकी देकर उसके पास रखे कुछ विदेशी करेंसी व मोबाइल फोन लूटकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस दोनों के बताए हुलिए के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है।

65 लाख की लूट में छह गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 4 जून।

- सपा सांसद की दूध की कंपनी में कर्मचारी ने अपनी कार लगा रखी थी
- कंपनी से 65 लाख रुपए लेकर निकलते ही बदमाशों को दी थी सूचना

नामी दूध कंपनी पारस के खजांची से एक सप्ताह पहले दिन दहाड़े 65 लाख रुपए की लूट का मुख्य आरोपी कंपनी का ही पूर्व कर्मचारी निकला। पुलिस के मुताबिक, उसी ने लूट की पूरी योजना बनाई थी। सरगना ने अपनी बोलेरो कार कंपनी में किराए पर लगा रखी है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद थाना जारचा पुलिस ने वारदात के सरगना समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लूट की रकम में से चार लाख 10 हजार रुपए और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सरगना पारस दूध कंपनी में 10 सालों तक चालक के रूप में नौकरी कर चुका है। अभी चार बदमाश फरार हैं।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर की बुलंदशहर के गुलावटी इलाके में पारस दूध कंपनी है। 27 मई को मोटरसाइकिल और कार सवार बदमाशों ने थाना जारचा इलाके में पारस कंपनी के खजांची कमल गुप्ता से 65 लाख रुपए लूटे थे। राहगीरों की मदद से पुलिस ने दो बदमाशों को घटनास्थल से पकड़ लिया था। जबकि एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। मंगलवार को प्रेसवार्ता में एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि लूट के मामले में पूर्व में गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में कुलदीप उर्फ बिंटू, नरेश और विष्णु का नाम सामने आया है। आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाकर पुलिस ने दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि घटना का सरगना विष्णु है। दो महीने पहले नौकरी छोड़ने के बाद बोलेरो गाड़ी पर दूसरा चालक रख दिया था। एसएसपी के मुताबिक विष्णु पिछले काफी दिनों से लूट की योजना बना रहा था। विष्णु समेत 10 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल चार बदमाश गुड्डू, इरशाद, मेहरबान व मन्नान अभी फरार हैं। जबकि रहीस, इरफान और शाहिद उर्फ पांडे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank

अंचल कार्यालयः प्रथम तल, प्रवीन हाउस, 28-ए, बर्लिंगटन सर्किल, विधानसभा मार्ग, लखनऊ- 226001
दूरभाषः 0522-2611615/2615413/2231654, फैक्सः 2623150/2614814, ई-मेलः zo.lucknow@denabank.co.in

नीलामी सूचना

बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्ववर्ती देना बैंक जो 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 2, दिनांक 02/01/2019 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में सम्मिलन) बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और अधिकारों का स्थानान्तरण) अधिनियम 1970 के अनुसार एक बैंकिंग कम्पनी जिसका प्रधान कार्यालय मांडवी, बड़ौदा, गुजरात एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम तल, प्रवीन हाउस, 28-ए, बर्लिंगटन सर्किल, विधानसभा मार्ग, लखनऊ- 226001 में स्थित है।

दिनांक 25.06.2019 (मंगलवार) को होने वाली चल/अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना नियम 8(6) सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अर्न्तगत

वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रतिभूतिकरण तथा पुर्नरचना एवं प्रतिभूतिहितों के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सुरक्षा अंतर अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) अर्न्तगत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। जनता को सामान्य रूप से तथा उधारकर्ताओं एवं जमानतकर्ताओं को विशेष रूप से यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित बंधक अंचल सम्पत्तियों/सुरक्षित लेनदारों, जिनका रचनात्मक/प्रतीकात्मक कब्जा देना बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, के रूप में उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए **25.06.2019** (मंगलवार) को **"जहां है जैसा है"** एवं **"जो है जैसा है"** एवं **"जहां है जितना है"** के आधार पर बेचा जायेगा।

नीलामी दिनांक 25.06.2019 (मंगलवार) को 12:00 बजे से 01:00 बजे के मध्य ऑनलाइन वेबसाइट **https://bob.auctiontiger.net** द्वारा की जायेगी।

शाखा : बिरहाना रोड, कानपुर, सम्पर्क नं. 9152940730, ई-मेल : kanpur@denabank.co.in
ईएमडी खाता सं. 073011999999, खाते का नाम : सरफेसी ईएमडी, आईएफएससी कोड : BKDN0720730

लॉट सं.	ऋणी/बंधककर्ता का नाम	ज्ञात भार के साथ बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि (लाख में)	निर्धारित आरक्षित मूल्य(रू.)	अग्रिम धनराशि
1.	ऋणी– **अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र शंकराचार्य पाण्डेय,** 111/345, अशोक नगर, कानपुर नगर-208012	प्लॉट सं0 68, अराजी सं. 417 का भाग, हिन्दूपुर कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.61 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** 25 फीट रोड, **दक्षिणः** अन्य की अराजी **पूरबः** प्लॉट सं. 69, **पश्चिमः** प्लॉट सं0 67	रू. 4.24 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 3,46,000	रू. 34,600/-
2.	ऋणी– **अनिता वर्मा पत्नी श्री विनोद कुमार वर्मा,** 416/6, शास्त्री नगर, कानपुर	प्लॉट सं0 36 व 37, अराजी सं. 418 का भाग, हिन्दूपुर कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 167.20 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** प्लॉट सं. 30 व 31, **दक्षिणः** 25 फीट रोड, **पूरबः** प्लॉट सं. 35, **पश्चिमः** प्लॉट सं0 38	रू. 4.22 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 6,02,000	रू. 60,200/-
3.	ऋणी– **अविनाश वर्मा,** 290डी श्याम नगर, कानपुर नगर	प्लॉट सं0 34, अराजी सं. 355, प्रतापपुर हरी कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.61 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** प्रेम सं. 33, **दक्षिणः** प्रेम सं. 35, **पूरबः** प्रेम सं. 23, **पश्चिमः** 25 फीट रोड	रू. 4.67 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 5,07,000	रू. 50,700/-
4.	ऋणी– **हरदीप चन्देल पुत्र अनिरूद्ध सिंह चन्देल,** सी-39, मेडिकल कॉलेज कैम्पस, कानपुर नगर	प्लॉट सं0 70, अराजी सं. 417 का भाग, हिन्दूपुर कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.61 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** प्लॉट सं. 30 व 31, **दक्षिणः** 25 फीट रोड, **पूरबः** प्लॉट सं. 71, **पश्चिमः** प्लॉट सं. 69	रू. 4.48 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 3,46,000	रू. 34,600/-
5.	ऋणी– **मयंक मिश्रा,** 104 ए/216 रामबाग- 208012	प्लॉट सं0 66, अराजी सं. 368, प्रतापपुर हरी कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.61 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** परिसर सं0 65, **दक्षिणः** परिसर सं. 67, **पूरबः** अन्य की अराजी, **पश्चिमः** 25 फीट रोड	रू. 5.09 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 4,62,000	रू. 46,200/-
6.	ऋणी– **पुनीत वर्मा एवं शशी वर्मा,** पी/33/2 ऑफिसर इंक्लेव, अल्बर्ट रोड, कैन्ट	1. प्लॉट सं0 9, अराजी सं. 420 का भाग, हिन्दूपुर कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.60 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** प्लॉट सं. 10, **दक्षिणः** प्लॉट सं. 11, **पूरबः** 25 फीट रोड, **पश्चिमः** अन्य की अराजी 2. प्लॉट सं0 10, अराजी सं. 420 का भाग, हिन्दूपुर कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.60 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** प्लॉट सं. 11, **दक्षिणः** प्लॉट सं. 9, **पूरबः** 25 फीट रोड, **पश्चिमः** अन्य की अराजी	रू. 8.47 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 3,01,000 रू. 3,01,000	रू. 30,100/- रू. 30,100/-
7.	ऋणी– **राम बाबू विश्वकर्मा,** 117/पी 1/127, छपरा पुलिया, कानपुर नगर	प्लॉट सं0 13, अराजी सं. 356, प्रतापपुर हरी कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.61 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** अन्य की अराजी, **दक्षिणः** परिसर सं. 12, **पूरबः** 25 फीट रोड, **पश्चिमः** प्रेम सं. 14	रू. 4.15 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 4,02,000	रू. 40,200/-
8.	ऋणी– **संजय गुप्ता एवं कल्पना गुप्ता,** 78/81 हाल्सी रोड	प्लॉट सं0 02, अराजी सं. 355, 356, मिंज, प्रतापपुर हरी कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.60 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** प्लॉट सं. 1, **दक्षिणः** प्लॉट सं. 3, **पूरबः** अराजी का भाग, **पश्चिमः** 25 फीट रोड	रू. 4.72 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 5,22,000	रू. 52,200/-
9.	ऋणी– **शैलेन्द्र चौरसिया,** 117/क्यु/477 डी, शारदा नगर, कानपुर	प्लॉट सं0 30, अराजी सं. 355, प्रतापपुर हरी कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.61 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** परिसर सं. 29 ए, **दक्षिणः** परिसर सं. 31, **पूरबः** परिसर सं. 27, **पश्चिमः** 25 फीट रोड	रू. 4.70 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 5,07,000	रू. 50,700/-
10.	ऋणी– **विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र अयोध्या पीडी गुप्ता,** ए/2 79 गुजैनी- 208022	प्लॉट सं0 01, अराजी सं. 356, मिंज प्रतापपुर हरी कानपुर नगर, **क्षेत्रफलः** 83.60 वर्ग मी0, **चौहद्दीः उत्तरः** अन्य भाग, **दक्षिणः** प्लॉट सं. 2, **पूरबः** अराजी भाग, **पश्चिमः** 25 फीट रोड	रू. 4.76 लाख + ब्याज और अन्य खर्चे	रू. 5,22,000	रू. 52,200/-

अग्रिम धनराशि जमा करने के लिए के लिए अन्तिम तिथि **24.06.2019 को समय 04:00 बजे तक।** बिक्री के सभी विस्तृत नियम और शर्तों को हमारी बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.com/eauction** और ई-नीलामी संचालन के लिए **https://bob.auctiontiger.net** की वेबसाइट से देख सकते है। सम्पर्क व्यक्ति : शोभित शुक्ला, मो. नं.- 8707582176

हम बैंक ऑफ बड़ौदा के रूप में कार्य करने हेतु देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में सम्मिलन स्कीम के अर्न्तगत प्रकाशित भारत सरकार के राजपत्र के नोटिफिकेशन सं. असाधारण-2 के पैरा 4 का उल्लेख करते हैं।

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत, 15 दिनों का बिक्री नोटिस

उधारकर्ता/जमानतकर्ता को नोटिस दी जाती है कि वे नीलामी तिथी से पूर्व अपना कुल बकाया सहित ब्याज जमा कर दें। इसमें असफल होने पर उस सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी। बकाया राशि यदि कोई हो तो आपके ब्याज एवं लागत सहित वसूली जायेगी।

दिनांकः 05.06.2019
स्थानः लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी,
देना बैंक

महिला ने पुलिसकर्मी पर लगाया बदसलूकी का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

उत्तर-पश्चिमी जिले के आदर्श नगर इलाके में एक महिला ने पुलिसकर्मी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। आरोप है कि नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने महिला से बदसलूकी करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान आरोपी पुलिसकर्मी महिला का वीडियो भी बना रहा था।

शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पुलिसकर्मी गुलाबी बाग थाने में तैनात है। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात पटरी पर कपड़े बेचने वाली एक महिला के साथ हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर बदसलूकी की और उसके कपड़े फाड़ दिए। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी पुलिसकर्मी नशे की हालत में था। महिला ने जब पुलिसकर्मी की बदसलूकी का विरोध किया तो पुलिसवाले ने उसके साथ मारपीट भी की। महिला के बीच बचाव के लिए जब दूसरी महिला आई तो आरोपी पुलिसवाले ने उसके साथ भी मारपीट की। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।

पत्नी की हत्या कर फरार पति गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

जहांगीरपुरी इलाके में पत्नी की हत्या कर फरार पति को पुलिस ने एक नाबालिग के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बालेंद्र पोद्दार के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट निकाले थे। पुलिस के मुताबिक 21 मार्च को जी-ब्लॉक जहांगीरपुरी इलाके में अनमोल नामक महिला की हत्या का मामला सामने आया था। शुरुआती जांच में महिला के दो बच्चों में से एक ने कोर्ट में हत्या की कहानी बताई। जिसमें उसने अपने पिता पर ही हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस को पता लगा कि वारदात के बाद से ही उसका पति बालेंद्र फरार है। वह मूलरूप से बिहार का रहने वाला था। जहांगीरपुरी पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाले गए। कई जगहों पर छापेमारी मारने के बाद एक पुख्ता सूचना पर आरोपी और उसका नाबालिग साथी पुलिस की पकड़ में आ गए।

अलीपुर के नाले में मिला युवक का शव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

अलीपुर थाना इलाके के बुढ़पुर नाले में एक युवक का पूरी तरह से गला हुआ शव मिला। शव के पास से एक लाइटर ओर कुछ पैसे मिले हैं। अलीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले लिया है और पहचान के लिए अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है। युवक की उम्र करीब 23-24 साल के बीच की है। उसके शरीर पर कुछ घाव दिखाई दे रहे हैं। अलीपुर पुलिस आसपास के थानों से गायब लोगों की सूची मंगाकर शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

हथियार संग बदमाश दबोचा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जून।

बाहरी-उत्तरी जिले के अलीपुर पुलिस ने एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान भूपेंद्र उर्फ अक्षय उर्फ शिकारी के रूप में हुई है। उसके कब्जे से पिस्तौल और चार कारतूस बरामद हुआ है। उसके पास हथियार कहां से और किस काम के लिए था इसकी पूछताछ की जा रही है। जिले के पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा के मुताबिक, अलीपुर थाने में दीपक बतौर कांस्टेबल तैनात हैं। सोमवार रात 8 बजे जब वह अलीपुर क्षेत्र में गश्त कर रहा था। उसे पता चला कि भूपेंद्र हथियार के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने लिए वाल्मिकी चौक अलीपुर आने वाला है। कांस्टेबल ने मुस्तैदी बढ़ा दी। भूपेंद्र छोटे शिव मंदिर की तरफ से वाल्मिकी चौक की तरफ आते दिखाई दिया तो उसे रुकने का इशारा किया गया। भूपेंद्र मौके से भागने लगा तो काफी दूरी तक पीछा करते हुए पुलिस वाले ने उसे दबोच लिया।

IEC EDUCATION LIMITED
L74899DL1994PLC061053
Regd.Office : M-92,Connaught Place , New Delhi - 110001
webside : http//www.iecgroup.in , Tel. No.011-41052893
Extract of Consolidated Sudited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2019

Rs. In Lacs

S. No.	PARTICULARS	Standalone: Quarter ended 31.03.2019 Audited	Standalone: Quarter ended 31.03.2018 Audited	Standalone: Year ended 31.03.2019 Audited	Standalone: Year ended 31.03.2018 Audited	Consolidated: Quarter ended 31.03.2019 Audited	Consolidated: Quarter ended 31.03.2018 Audited	Consolidated: Year ended 31.03.2019 Audited	Consolidated: Year ended 31.03.2018 Audited
1	Total Income From Operation	0.00	2.47	0.00	0.09	0.00	2.47	0.00	0.09
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax,Exceptional and/or Extraordinary Items)	(29.19)	(26.58)	(94.02)	(91.00)	(29.94)	(27.52)	(96.18)	(94.48)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(29.19)	(26.58)	(94.02)	(91.00)	(29.94)	(27.52)	(96.18)	(94.48)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items but before minority interest)	(29.19)	(17.73)	(94.02)	(82.15)	(29.28)	(18.67)	(96.18)	(85.63)
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Paid up Equity Share Capital	1526.00	1526.00	1526.00	1526.00	1525.6	1525.6	1525.6	1525.6
9	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year	1717.62	1811.64	1717.62	1811.64	1667.45	1763.63	1667.45	1763.63
	Earnings Per Share (Of Rs.10/- Each) for continuing and discontinued operations)-								
	Basic :	(0.19)	(0.12)	(0.55)	(0.54)	(0.19)	(0.14)	(0.63)	(0.55)
	Diluted :	(0.19)	(0.12)	(0.55)	(0.54)	(0.19)	(0.14)	(0.63)	(0.55)

Notes :-
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The Full Format of Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com
2. The aforesaid Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and Subsequently approved by the Board of Directors Meeting held on May 30, 2019
3. The Board of Directors have decided to revive the Franchise operations of the Company with immediate effect.
4. figures for Prior Period have been regrouped and / or rearranged, wherever necessary

Place :- New Delhi.
Date :- 30.05.2019

by order of the Board
For IEC Education Ltd.
Sd/-
Bijoy Kumar Pandit
Chairman

छोटे बच्चों ने पर्यावरण को लेकर दिया बड़ा संदेश

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 4 जून।

मंगलवार को सेक्टर-19 का रेयाज इंटरनेशनल प्री स्कूल का कोलाहल लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उल्लास से भरे छोटे- छोटे बच्चे भाग- भाग कर प्लास्टिक की खाली बोतलें और पॉलीथीन इकट्ठा कर बड़ों को संदेश देने वाले प्रारूप बनाने में जुटे थे। दो से 12 वर्ष की आयु वाले 150 बच्चों ने कुछ ही देर अपनी सोच और समझ से ऐसे प्रारूप तैयार कर दिखाए, जिन्हें देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। स्कूल की उपाध्यक्ष जस्मिन कुमार के मुताबिक प्लास्टिक का कचरा जमीन से ज्यादा नदी और महासागर के लिए खतरनाक साबित हो रहा है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया हैबिटाट सेंटर : विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा, हैबिटाट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

निपाह से छात्र संक्रमित, केंद्र का दल केरल रवाना

नई दिल्ली/कोच्चि, 4 जून (भाषा)।

कॉलेज के एक छात्र के निपाह वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद केंद्र ने मंगलवार को केरल के लिए छह सदस्यीय टीम को भेजा है। पिछले साल मई में राज्य में इस वायरस से 17 लोगों की मौत हो गई थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्य की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा से भी मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और केंद्र की ओर से राज्य को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संदिग्ध मरीजों की जल्द पहचान करने और एकांत सुविधा की समीक्षा के लिए भेजी गई छह सदस्यीय टीम में बीमारी से जुड़े एक विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि एक नियंत्रण कक्ष और राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के स्ट्रैटजिक हेल्थ ऑपरेशन सेंटर (एसएचओसी) को सक्रिय किया गया है और इसका फोन नंबर 011-23978046 है।

केरल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक निपाह वायरस से पिछले साल मई में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें कोझिकोड में 17 लोगों की और मलप्पुरम में तीन लोगों की मौत हो गई थी। शैलजा ने मंगलवार को कहा कि निपाह वायरस से 23 वर्षीय छात्र के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और 86 अन्य लोगों को चिकित्सकीय निरीक्षण में रखा गया है।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पताल में इलाज करा रहे छात्र की हालत स्थिर है और उसे वेंटिलेटर जैसे किसी सपोर्ट सिस्टम पर नहीं रखा गया है। मरीज की ठीक से देखभाल की जा रही है। कभी-कभार मरीज बुखार के कारण बेचैन हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं। मरीज की शुरुआत में देखभाल करने वाली दो नर्सों ने गले में खराश और बुखार की शिकायत की। स्वास्थ्य विभाग उन पर भी नजर रख रहा है।

जानलेवा वायरस

- 23 वर्षीय छात्र के संक्रमित होने की पुष्टि के अलावा केरल में 86 अन्य लोगों को चिकित्सकीय निरीक्षण में रखा गया है
- इस वायरस से पिछले साल मई में केरल में 17 लोगों की मौत हो गई थी

सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों से जनता में दहशत न फैलाने की अपील करते हुए शैलजा ने कहा कि इस तरह के कृत्यों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भरोसा दिया है कि बीमारी से निपटने के लिए आस्ट्रेलिया में विकसित एनवाइवी रोधक एक दवा राज्य को दी जाएगी। निपाह वायरस का नाम मलेशिया के एक गांव सुनगई निपाह पर रखा गया है। वहां पहली बार इसका पता चला था।

इस बीच, हर्षवर्धन ने कहा, 'हम वन्यजीव और वन विभाग के भी संपर्क में हैं क्योंकि वायरस के लिए चमगादड़ों का परीक्षण किया जाना है। मुझे लगता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।' केंद्रीय मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा के लिए मंत्रालय के अधिकारियों के साथ यहां बैठक की। केरल सरकार ने संक्रमितों की पहचान, निगरानी आदि व्यवस्था के लिए कदम उठाए हैं।

राहुल को नागरिकता मामले में नोटिस का ब्योरा साझा करने से गृह मंत्रालय का इनकार

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाने वाली शिकायत के बाद उन्हें दिए गए अपने नोटिस के बारे में जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय ने आरटीआइ कानून के उन प्रावधानों का हवाला देते हुए इससे इनकार किया जो जांच बाधित करने वाली जानकारी साझा करने से रोकते हैं।

गृह मंत्रालय ने अप्रैल में राहुल गांधी को नोटिस दिया था और उनसे कहा था कि वह उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े करने वाली शिकायत पर अपनी तथ्यात्मक स्थिति एक पखवाड़े में स्पष्ट करें। यह शिकायत भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी।

एक आरटीआइ याचिका में गृह मंत्रालय से कहा गया था कि वह कांग्रेस अध्यक्ष को दिए गए नोटिस की प्रति और उनसे मिले जवाब की जानकारी मुहैया कराए। मंत्रालय ने याचिका के जवाब में कहा, 'मांगी गई जानकारी का खुलासा आरटीआइ कानून की धारा 8(1)(एच) और (जे) के तहत नहीं किया जा सकता। धारा 8 (1)(एच) ऐसी सूचना मुहैया कराने से रोकती है, जिससे जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के अभियोग या हिरासत में रुकावट पैदा होती हो।

प्रावधान (जे) उस जानकारी को देने से रोकता है, जो निजी सूचना के खुलासे से संबंधित हो और जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं हो या जो किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित हस्तक्षेप करती हो। आरटीआई याचिका में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी स्थिति पर उन्हें जारी किए गए नोटिस का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय से 2009 से 2019 के बीच उन व्यक्तियों को जारी नोटिस की जानकारी मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था जिनमें उनकी नागरिकता पर सवाल किया गया हो।

प्रमुख दलों ने अब तक नहीं दिया चुनावी बांड से मिले दान का ब्योरा

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

भाजपा, कांग्रेस और द्रमुक सहित अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित समयसीमा के भीतर जुटाई गई दान राशि का अब तक चुनाव आयोग को ब्योरा नहीं दिया है।आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को किसी प्रमुख दल की ओर से इस बारे में ब्योरा नहीं मिलने की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 30 मई तक सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बांड से जुटाए गए चंदे का ब्योरा चुनाव आयोग को देना था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 30 मई तक सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बांड से जुटाए गए चंदे का ब्योरा चुनाव आयोग को देना था

आयोग ने मई में यह समय सीमा खत्म होने से पहले सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बांड से जुटाए चंदे का ब्योरा देने की लिखित तौर पर ताकीद की थी। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस और द्रमुक ने कम से कम अभी तक ब्योरा नहीं दिया है। गौरतलब है कि 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे सरकार की राजनीतिक दान योजना में मिले चंदे के दाताओं की सूची सीलबंद लिफाफे में आयोग को 30 मई तक सौंप दें।

इस योजना में दानदाताओं की पहचान सार्वजनिक करने के बारे में आयोग और सरकार के बीच विरोधाभास बरकरार है। एक तरफ सरकार दानदाताओं की पहचान गुप्त रखने की पक्षधर है, वहीं आयोग ने चुनावी चंदे में पारदर्शिता का हवाला देते हुए दानदाताओं की पहचान सार्वजनिक करने की पैरोकारी की है।

इस बारे में अदालत के समक्ष आयोग ने कहा था कि उसका नजरिया सिर्फ राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता तक सीमित है। इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित एवं संचालित निकाय किसी राजनीतिक दल को बैंक से चुनावी बांड खरीद कर चंदा दे सकता है।

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29ए के तहत पंजीकृत ऐसा कोई भी राजनीतिक दल चुनावी बांड से चंदा ले सकता है, जिसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम एक फीसद वोट मिला हो।

योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की देश की 29 शाखाओं को पिछले साल एक से दस नवंबर के बीच चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

पर्वतारोहियों के शव देखे जाने के 30 घंटे बाद भी नहीं निकाले जा सके

पिथौरागढ़, 4 जून (भाषा)।

पिथौरागढ़ प्रशासन पांच पर्वतारोहियों के शव निकालने के संबंध में कदम उठाने के लिए केंद्र से निर्देश मिलने का मंगलवार को इंतजार करता रहा। इससे एक दिन पहले ही वायुसेना के विमानों ने नंदा देवी पूर्वी चोटी के पास पांच शवों को देखा था। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोहियों समेत आठ पर्वतारोही चोटी की चढ़ाई करने के लिए 13 मई को मुंस्यारी से निकले थे लेकिन 25 मई की तय तारीख पर आधार शिविर नहीं लौटे और लापता हो गए। इस टीम की अगुआई ब्रिटिश पर्वतारोही मार्टिन मोरन कर रहे थे। इसके बाद तलाश अभियान शुरू किया गया। पर्वतारोहियों का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद मांगी गई थी। ये पर्वतारोही संभवतया हिमस्खलन में मारे गए। वायुसेना के विमानों ने हवाई तलाश के दूसरे दिन सोमवार को पांच शवों का पता लगाया। जिला मजिस्ट्रेट वीके जोगदांडे ने कहा कि शव देखे जाने के बाद से 30 घंटे का समय गुजर गया है लेकिन हमें किसी भी दूतावास या मंत्रालय से शवों को निकालने का अब तक कोई आग्रह प्राप्त नहीं हुआ है।

न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा

समूची शिक्षा प्रणाली दुरुस्त की जाए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में समूची शिक्षा प्रणाली दुरूस्त की जानी चाहिए ताकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय छात्रों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह के अवकाश पीठ ने महाराष्ट्र में 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने प्रवेश को लेकर व्याप्त अनिश्चितता की वजह से छात्रों की परेशानियों का जिक्र किया और कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए इस तरह की स्थिति बेहद कठिनाई वाली है।पीठ ने कहा, 'हमारी चिंता छात्रों को लेकर है। यह हर साल होता है और मेडिकल या दूसरे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बारे में छात्रों के दिमाग में अनिश्चितता बनी रहती है।' पीठ ने कहा, 'आप समूची शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त क्यों नहीं करते? छात्रों के लिए यह तनाव और चिंता क्यों? यह सब मुकदमेबाजी क्यों?' पीठ ने कहा, 'हम राज्यों और केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि छात्रों की दशा पर गौर करें। प्रवेश को लेकर अनिश्चितता का अभ्यर्थियों के पूरे करियर पर प्रभाव पड़ता है।'

पीठ ने कहा, 'हमारी चिंता छात्रों को लेकर है। यह हर साल होता है और मेडिकल या दूसरे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बारे में छात्रों के दिमाग में अनिश्चितता बनी रहती है।

फार्म-16 जारी करने की समय सीमा बढ़ी

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है।

यह फार्म नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कर-विवरण के तौर पर जारी करते हैं।हालांकि नियोक्ताओं के लिए इस समय सीमा को बढ़ाए जाने से वेतनभोगियों के पास अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 20 दिन का ही समय बचा रहेगा।

इसी के साथ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के फार्म-24क्यू के माध्यम से स्रोत पर कर कटौती के विवरण दाखिल करने की तारीख भी 30 जून, 2019 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में यह जानकारी दी।

सरकारी कोष से हो चुनाव : कृष्णमूर्ति

हैदराबाद, 4 जून (भाषा)।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने मंगलवार को चुनावों के लिए सरकारी कोष से खर्च करने के लिए राष्ट्रीय चुनाव निधि बनाने की वकालत की जिसमें चंदे के माध्यम से धन आए। उन्होंने चुनाव सुधारों के तहत राजनीतिक दलों को कारपोरेट चंदे पर पाबंदी का समर्थन किया।कृष्णमूर्ति ने एक संगठन की इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि हाल के लोकसभा चुनाव में करीब 60 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ने से खर्च बढ़ सकता है।

कृष्णमूर्ति ने कहा कि कारपोरेट चंदे के माध्यम से धन जुटाने का अपारदर्शी तरीका चिंता पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि लोग एक राष्ट्रीय चुनाव निधि में चंदा दे सकते हैं और अपने दान पर सौ फीसद कर छूट हासिल कर सकते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग इस धन का इस्तेमाल सभी राजनीतिक दलों के परामर्श से बनाए गए दिशानिर्देशों के आधार पर करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्च से चुनाव हो, यही एकमात्र तरीका है। राजनीतिक दलों को चंदा देने में कारपोरेट शामिल नहीं होना चाहिए।

महिला पर हमला करवाने के आरोप में उसी का वकील गिरफ्तार

मुंबई, 4 जून (भाषा)।

अभिनेता करण ओबरॉय की कथित संलिप्तता वाले बलात्कार मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता पर पिछले महीने हुए हमले की साजिश रचने के लिए उसके वकील को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि वकील अली काशिफ खान को ओशिवरा पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। इससे पहले महिला ने दावा किया था कि 25 मई को सुबह की सैर करते वक्त मोटरसाइकल सवार दो लोगों ने उस पर हमला किया था।

महिला की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक इन दोनों व्यक्तियों ने महिला पर धारदार वस्तु से हमला किया था और उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। अधिकारी ने बताया कि मौके से जाते वक्त हमलावरों ने एक पर्ची फेंकी जिसपर लिखा हुआ था, 'मामला वापस लो।' उन्होंने बताया कि खान का नाम उस वक्त सामने आया, जब पुलिस हमले के संबंध में गिरफ्तार किए गए चार लोगों से पूछताछ कर रही थी।

अधिकारी ने बताया कि इन चार में से कम से कम एक व्यक्ति का संबंध खान से पाया गया। उन्होंने कहा, ''जांच के दौरान पुलिस को महिला पर हुए हमले में खान की भूमिका का पता चला जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।'

स्वाइन फ्लू से मौत का संदेह

पतनमतिट्ठा, 4 जून (भाषा)।

केरल में पतनमतिट्ठा के एक अस्पताल में मंगलवार तड़के 42 वर्षीय महिला की स्वाइन फ्लू से मौत होने का संदेह है।

महिला की हल्के बुखार के बाद मौत हो गई। जिला चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि महिला के नमूने पुष्टि के लिए मणिपाल विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह एच1एन1 से पीड़ित थी। श्वसन संबंधी यह बीमारी इंफ्लुएंजा वायरस के कारण होती है।

आयुष्मान मेडिकेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U85195DL1997PTC087381
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : केएच नं. 210, विलिज- दल्लूपुरा, नियर शहीद बुध सिंह मार्ग-110096

प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
जियोस्पोशियल मीडिया एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 311/डब्लू-107, शकरपुर, दिल्ली-110092 में स्थित है
......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए बुधवार, 22 मई, 2019 आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृत्ते एव उनकी और से
आयुष्मान मेडिकेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
नलिन अग्रवाल
निदेशक
डीआईएन : 00135835
स्थान : दिल्ली
तिथि : 04.06.2019

जियोस्पोशियल मीडिया एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
CIN : U72900DL1999PTC100771
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 311/डब्लू-107, शकरपुर, दिल्ली-110092

प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
जियोस्पोशियल मीडिया एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 311/डब्लू-107, शकरपुर, दिल्ली-110092 में स्थित है
......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार, 27 मई, 2019 आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृत्ते एव उनकी और से
जियोस्पोशियल मीडिया एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अन्नू नेगी
निदेशक
डीआईएन : 07382815
स्थान : दिल्ली
तिथि : 04.06.2019

टेलीमैटिक्स वायर प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U93000DL2011PTC221647
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 51, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेस -1, दिल्ली - 110091

प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
टेलीमैटिक्स वायर प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 51, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेस -1, दिल्ली - 110091 में स्थित है
......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए शुक्रवार, 10 मई, 2019 आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृत्ते एव उनकी और से
टेलीमैटिक्स वायर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
मनेश प्रसाद
निदेशक
डीआईएन : 00116602
स्थान : दिल्ली
तिथि : 04.06.2019

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए
सार्वजनिक कम्पनी को प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरित करने के लिये समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. यूनिक इन्टरकन्टिनेन्टल लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेड-164, कमरा सं. 2, प्रथम् तल, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली-110028 में है, के मामले में।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 10 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ **इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर** अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली**-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।
पंजीकृत कार्यालय का पता: जेड-164, कमरा सं. 2, प्रथम् तल, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली-110028

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
पवन कुमार गोयल
पूर्णकालिक निदेशक
DIN: 00205298
तिथिः 3 जून, 2019
स्थानः नई दिल्ली

नेस्ले इंडिया लिमिटेड
(CIN : L15202DL1959PLC003786)
पंजीकृत कार्यालय: 100/101, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001
ई-मेल: investor@in.nestle.com, वेबसाइट: www.nestle.in,
फोन: 011-23418891, फैक्स: 011-23415130

पोस्टल बैलेट / ई-वोटिंग की सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 108 (''कम्पनी अधिनियम''), कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 और 20, सेबी (सूचीयन दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 एवं साधारण सभा पर सचिवीय स्टेन्डर्डस के अनुपालन में नेस्ले इंडिया लिमिटेड (''कम्पनी'') ने ऐसे सदस्यों जिनके नाम 24 मई, 2019 (''कट-ऑफ तिथि'') को सदस्यों के रजिस्टर / लाभभोगी स्वामियों की सूची में शामिल है, को पोस्टल बैलेट सूचना तिथि 14 मई, 2019, पोस्टल बैलेट प्रपत्र तथा स्व-पता लिखित व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के प्रेषण का कार्य 31 मई, 2019, को पूरा किया है। ऐसे सदस्यों, जिनके ई-मेल आई डी उनके डिपॉजिटरी भागीदारों/कम्पनी के पास कट-ऑफ तिथि को पंजीकृत है, को पोस्टल बैलेट प्रपत्र के साथ पोस्टल बैलेट सूचना इलैक्ट्रोनिक पद्धति से भेज दी गई है। पर्यवेक्षक के पास डाक से भौतिक पोस्टल बैलेट प्रपत्र भेजने की जगह इलैक्ट्रोनिक रूप से अपना मतदान करने हेतु यह कम्पनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

(a) 10 मई, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के लिये कम्पनी क पूर्ण कालिक निदेशक नामित ''कार्यकारी निदेशक-वित्त और नियंत्रण एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी'' के रूप में श्री शोबिन्दर दुग्गल (DIN 00039580) की पुनः नियुक्ति तथा पुनः नियुक्ति के नियमों एवं शर्तो तथा श्री दुग्गल को देय परिश्रमिक जो पोस्टल बैलेट सूचना में निर्दिष्ट है के संदर्भ में विशेष व्यवसाय को पोस्टल बैलेट जिसमें इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से मतदान शामिल है, के द्वारा निष्पादित किया जायेगा;
(b) मतदान की अवधि 3 जून, 2019 (9:00 बजे सुबह) को शुरू होगी;
(c) मतदान की अवधि 2 जुलाई, 2019 (5:00 बजे सायं) को बन्द होगी;
(d) 2 जुलाई, 2019, (5:00 बजे सायं) के बाद सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलेट वैध नहीं होगा तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी;
(e) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए है, वे पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को लिखें अथवा investor@in.nestle.com पर ई-मेल भेजें तथा उनका डुप्लिकेट प्राप्त करें; तथा
(f) इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान सहित पोस्टल बैलेट सम्बंधी किसी भी पूछताछ अथवा शिकायतों के लिए सदस्यगण कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी सचिव को लिखें अथवा टेलिफोन नं. 011-23418891 पर सम्पर्क करें सदस्यगण www.evoting.nsdl.com या डाउनलोड खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल भी देखें अथवा टॉल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर अथवा कु. पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. ट्रेड वर्ल्ड, ''ए'' विंग चौथवाँ तल, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल मुम्बई-400013, से विनिर्दिष्ट ई-मेल आईडीज् evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नं. +91 22 2499 4545 पर इलैक्ट्रोनिक माध्यम से संबधित किसी भी शिकायतों के लिए सम्पर्क कर सकते है।

पोस्टल बैलेट प्रपत्र के साथ पोस्टल बैलेट सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.nestle.in पर तथा साथ ही एन. एस. डी. एल. की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा गुरूवार 4 जुलाई, 2019 5:00 बजे सायं या उससे पूर्व घोषित की जायेगी तथा पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ इसे कम्पनी की वेबसाईट www.nestle.in पर भी प्रकाशित किया जायेगा तथा बीएसई लिमिटेड तथा एन.एस.डी.एल.(ई-वोटिंग एजेन्सी) को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड
बी. मुरली
निदेशक-कानूनी एवं कम्पनी सचिव
तिथि: 3 जून, 2019
स्थान: गुरूग्राम

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त न्यास)
11, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011

प्रवेश अधिसूचना 2019 - 20
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम

भारत सरकार के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा निम्नांकित एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (अंशकालीन) में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।
1. कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स
2. प्रिवेंटिव कंजर्वेशन
3. बुद्धिस्ट स्टडीज
4. डिजिटल लाइब्रेरी एंड डाटा मैनेजमेंट
5. मैनुस्क्रिप्टोलॉजी एंड पेलिओग्राफी
6. साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज
7. कल्चरल मैनेजमेंट

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर osdignca@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अथवा डाक से ओएसडी (शैक्षणिक) को जमा करवा सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 08.07.2019 है। प्रवेश हेतु परामर्श (काउंसलिंग) का आयोजन 15 व 16 जुलाई, 2019 को किया जाएगा। निर्धारित आवेदन प्रपत्र, शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित सीटों की संख्या, शुल्क, पाठ्यक्रम रूपरेखा, आदि की जानकारी हमारी वेबसाईट www.ignca.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु इस नंबर 011-23388241 पर कॉल करें।
davp 09118/11/0001/1520

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
जेडओएसएआरबी, 9वां तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23448841, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

जेडओ-एसएआरबी-एनडी: 21:2049:257 तिथि: 30.5.2019

1. मै. कात्यायनी फूड्स एंड बेवरेजेस प्रा.लि.: जी-6, स्काईपर कॉर्नर, 88, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, 2. सुनीत कुमार चोना (गारन्टर) 75, लाजपत राय रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024, **साथ ही:** ए-27, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110024, **साथ ही:** प्लॉट नं. 88, ग्राम सतबड़ी, तहसील मेहरौली, नई दिल्ली-110030, 3. शर्मीला चोना: (गारन्टर) ए-6, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110024, 4. जगमोहन सरूप शर्मा (गारन्टर):- 3518, कूंचा लाल मन, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

विषय: आपकी खाता मै. कात्यानी फूड्स एंड बेवरेजेज प्रा. लि. तथा उसके निदेशकों तथा गारन्टर श्री सुनीत कुमार चोना, श्रीमती शर्मीला चोना तथा जगमोहन सरूप शर्मा को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना।

हम, शीर्षांकित खाता मै. कात्यानी फूड्स एंड बेवरेजेज प्रा. लि. तथा उसके निदेशकों तथा गारन्टर श्री सुनीत कुमार चोना, श्रीमती शर्मीला चोना तथा जगमोहन सरूप शर्मा को 31.03.2008 को विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में घोषित करने के लिये अपनी वेबसाईट bankofbaroda.com की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं।
उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में बैंक की विलफुल डिफॉल्टर्स पर कार्यकारिणी समिति (सीओई) ने कंपनी तथा उसके प्रॉप्राईटर को यह निष्कर्ष निकालते हुए कि ऋणधारक ने लेण्डर के प्रति पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है तथा निधियों को उस विशिष्ट प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं किया है जिसके लिये धन प्राप्त की गई थी अथवा नहीं अन्य परिसम्पत्तियों के रूप में यूनिट में फंड्स उपलब्ध है, ''विलफुल डिफॉल्टर्स'' के रूप में घोषित करने का फैसला किया है।
उपरोक्त परिस्थितियों में विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंक की समीक्षा समिति ने कार्यकारिणी समिति के निर्णय की पुष्टि की है।
अतः नियत प्रक्रिया का अनुसरण करने के उपरांत आपकी कम्पनी तथा उसके निदेशकों को विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में घोषित करने का फैसला किया गया है।

(वाई.पी. चावला)
मुख्य प्रबंधक

CITY UNION BANK LTD.
Administrative Office : No. 24-B, Gandhi Nagar, Kumbakonam - 612 001.
Phone : 0435-2402322, 2401622 Fax : 0435-2431746

POSSESSION NOTICE (Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of **City Union Bank Ltd.**, having its **Administrative Office** at **No.24-B, Gandhi Nagar, Kumbakonam - 612 001** and one of the Branch Offices at **Keltron Chambers, Ground Floor, 18/7, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2)& (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated **30-11-2018 followed by paper publication dated 25-01-2019** calling upon the borrowers **No.1) M/s. Mass Metals Pvt. Ltd., No.526/527, 5th Floor, DLF Tower, Shivaji Marg, Najajgarh Road, New Delhi - 110 015. No.2) Mr. Rajesh Grover, No.40/13, Block No.40, East Patel Nagar, New Delhi - 8. No.3) M/s. NM Engineering Works, F-458, RIICO Industrial Area, Bhiwade, Phase - I, Alwar, Rajasthan. No.4) Mrs. Seep Grover, W/o. Mr. Rajesh Grover, No.40/13, Block 40, East Patel Nagar, New Delhi - 110 008. No.5) Mr. Hitesh Chhabra, H.No.64/3H, NIT, Faridabad - 121 001. No.6) M/s. Parsvanath Hessa Developers Pvt. Ltd., Parsvanath Metro Tower, Near Sahdara Metro Station, New Delhi - 32** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.14,65,00,140/- (Rupees Fourteen Crore Sixty Five Lakh One Hundred and Forty Only)** within 60 days from the date of the said Notice with subsequent interest thereon from **27-11-2018** with monthly rests.

The borrowers above named having failed to repay the amount despite the receipt of the above referred statutory notice, NOTICE is hereby given to the borrowers above named and the public in general that the undersigned has taken possession of the Property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 31st day of May 2019.

The borrowers above named in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the Property and any dealings with the Property will be subject to the charge of City Union Bank Ltd., for an amount of **Rs.14,65,00,140/- (Rupees Fourteen Crore Sixty Five Lakh One Hundred and Forty Only)** and interest thereon from **27-11-2018** till the repayment of entire dues.

Immovable Property Mortgaged to our Bank
Schedule - A: (Property Owned by Mr. Rajesh Grover)

First Floor Flat bearing No.B-5-101 (under construction), Tower No.b-5, Parsvanath Exotica, Golf Course Road, Sec - 53, Gurgaon (HR), comprised in Khasra Nos.1938/1, 1938/2 Part of 1939, Part of 1940, 2403/3, 2405/2, 2406, 2408, 2413/1, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2421 & Part of 2425, Village Wazirabad, The/Distt. Gurgaon (HR). Super area of the Flat - 3,390 Sq.ft. with orientation as under: North - Open Area (below), South - Open Area (below), East - Open Area (below), West - Entrance of the said Flat / Common Corridor / Shaft.

Place: New Delhi, Date: 31-05-2019
Authorised Officer

मौके के साथी

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का फिर से अलग हो जाना कोई नई और चौंकाने वाली बात नहीं है। दो दशक से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी को भुलाते हुए चुनाव से ठीक पहले दोनों दल साथ इसलिए आए थे कि इस बार का लोकसभा चुनाव दोनों के लिए ही राजनीतिक जीवन-मरण का सवाल बन गया था। इसी से अगले विधानसभा चुनाव का रास्ता तैयार होना था। 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों को जैसी करारी हार का सामना करना पड़ा था, वह मामूली नहीं थी। इस हार का संदेश साफ था कि ढाई दशक से प्रदेश में सपा और बसपा के शासन से लोग उकता चुके थे। इसलिए लोगों ने दोनों दलों को सिरे से खारिज कर दिया था। ऐसे में 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा के लिए बड़ी उम्मीदें लिए हुए था। दोनों ही इस हकीकत से अनजान नहीं थे कि अगर मिल कर चुनाव नहीं लड़े तो किसी को भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसी राजनीतिक मजबूरी से सपा और बसपा के गठबंधन की नींव पड़ी थी। लेकिन अब फिर से हालात बदल चुके हैं और गठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल अवसर की राजनीति के रास्ते पर चल निकले हैं।

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ही इस बात के संकेत आने लगे थे कि सपा-बसपा गठबंधन अब ज्यादा नहीं चलने वाला। यह गठबंधन प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए बना था और माना जा रहा था कि भाजपा को कड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। बसपा को दस और सपा को सिर्फ पांच सीटें मिलीं। यानी बसपा को पिछली बार के मुकाबले फायदा ही हुआ। 2014 के चुनाव में पार्टी का लोकसभा में एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंच पाया था। लेकिन बसपा प्रमुख ने इस हार का ठीकरा सपा पर फोड़ा। दो दिन पहले पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव नतीजों की समीक्षा बैठक में बसपा प्रमुख ने साफ कहा कि अब बसपा किसी पार्टी से कोई मदद नहीं लेगी। दरअसल, चुनाव नतीजों से बसपा प्रमुख को भारी झटका लगा है। जातिगत समीकरणों के आधार पर जिन नतीजों की उम्मीद की गई थी, उन पर पानी फिर गया। सपा अपनी ही महत्त्वपूर्ण सीटें नहीं बचा पाई। बसपा को जो दस सीटें हासिल हुई हैं, वे परंपरागत वोटों के भरोसे ही आई हुई मानी जा रही हैं। साथ ही बसपा का वोट प्रतिशत भी पिछली बार के मुकाबले मामूली घटा है। ऐसे में बसपा को अब यही लग रहा है कि जीत की उम्मीद में जो राजनीतिक सौदेबाजी हुई थी, वह बेकार गई।

सवाल है अब सपा और बसपा का अगला कदम क्या होता है। दोनों के सामने रिश्तों के बजाय राजनीतिक मजबूरी ज्यादा बड़ी है। उत्तर प्रदेश में ग्यारह सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बसपा को उम्मीद है कि वह अपने बल पर जो प्रदर्शन करेगी, वह गठबंधन की तुलना में कहीं ज्यादा लाभदायक होगा। गठबंधन से अलग होने की पहल बसपा ने की है, इसलिए सपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगले विधानसभा चुनाव में दोनों दल फिर से साथ आएंगे या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई कयास लगाना जल्दबाजी होगी। अपने दस सांसदों की जीत से बसपा में यह विश्वास जगा है कि आने वाले दिनों में वह अच्छा कर सकती है और विधानसभा चुनाव में निर्णायक स्थिति में आ सकती है। सपा और बसपा के बनते-टूटते रिश्ते दलों की मौकापरस्ती का उदाहरण हैं। चुनाव जीतने के लिए कौन किसके साथ हो ले और किसको छोड़ दे, भारत की राजनीति में यह आम है। इसीलिए जनता ऐसे दलों को सबक सिखाने से नहीं चूकती।

बेलगाम नुमाइंदे

संसद या विधानसभा चुनावों के पहले अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की ओर से जनता के सामने कई तरह के वादे करने और जीत हासिल करने के बाद उनसे मुकर जाने या उन वादों को पूरा नहीं करने के तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारे देश में अभी जागरूकता का स्तर इतना नहीं है कि इस स्थिति में जनता अपने जनप्रतिनिधियों को उनके चुनावी वादों की याद दिलाए और उन्हें पूरा करने का दवाब बनाए। अगर कभी किसी इलाके में लोग यह हिम्मत करते भी हैं तो आमतौर पर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन इससे अफसोसनाक और क्या हो सकता है कि किसी इलाके के लोग महज पानी की समस्या को लेकर अपनी बात रखने विधायक के पास जाएं और वह उनकी बात सुनने और कोई हल निकालने के बजाय उनके साथ मारपीट करे! गुजरात के नरोदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक बलराम थवानी को जहां अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान अपनी पहलकदमी पर करना चाहिए था, वहां उन्होंने इसके लिए आवाज उठाने वाले को ही पीटना जरूरी समझा। ज्यादा शर्मनाक यह है कि बलराम थवानी ने अपने सहयोगियों के साथ मिल कर एक महिला को थप्पड़ और लातें मारीं। जबकि वह सिर्फ अपनी बात कहने विधायक के पास गई थी।

यह समझना मुश्किल है कि एक जनप्रतिनिधि के भीतर इस तरह की आक्रामकता कैसे और कहां से आती है कि वह सरेआम सड़क पर लोगों के सामने महिला पर हमला कर देता है। अपने क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि चुने के जाने के बावजूद बलराम थवानी को अपने व्यवहार को मर्यादित रखना जरूरी क्यों नहीं लगा? किसी बात पर अचानक पैदा हुई स्थिति के बावजूद यह ध्यान क्यों नहीं रखा कि जिस पर हमला किया जा रहा है, वह महिला है। बचाव में ऐसी प्रतिक्रिया की दलील को कितना सही माना जा सकता है? किसी भी नागरिक की ओर से क्षेत्र की समस्या के बारे में सवाल उठाने पर उसे जवाब देने के बजाय उसके साथ मारपीट करने को किस रूप में देखा जाना चाहिए? विधायक के लिए शायद असहज स्थिति यह रही कि किसी ने इस समूची घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर प्रचारित कर दिया। फिर मामले ने जब तूल पकड़ लिया तब जाकर विधायक ने महिला से माफी मांगी और उससे राखी बंधवाते हुए तस्वीर खिंचवाई।

घटना का वीडियो सामने होने से इतना साफ था कि इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। जाहिर है, इसी भय से आनन-फानन में महिला से माफी मांगने और समझौता हो जाने की बात कही गई। लेकिन ऐसी बेलगाम हरकत के बाद दोनों पक्षों के बीच जिस तरह का समझौता देखने में आया, अच्छा हो कि उसके पीछे पीड़ित महिला पर किसी तरह का दवाब नहीं रहा हो। इसके बावजूद महिला के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, मारपीट की गई, उसे किसी आपराधिक हरकत से कम नहीं माना जा सकता है। यों देश के किसी भी हिस्से के जनप्रतिनिधि को अपनी ओर से ही अपने क्षेत्र की समस्याओं की पहचान करके उसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जनता के पास यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं से अपने जनप्रनिधित्व को अवगत कराए। उसका हल नहीं होने पर सवाल उठाए और जरूरत पड़ने पर विरोध भी जताए। यह एक जागरूक समाज की जरूरत भी है। इस पर आक्रामक होने के बजाय जनता की बात सुन कर बेहतर हल निकालने वाला विधायक या सांसद ही लोकतंत्र में वास्तविक जनप्रतिनिधि हो सकता है।

कल्पमेधा

अर्ध रात्रि के पहले के एक घंटे की निद्रा उसके बाद के तीन घंटों की निद्रा के बराबर है।

– जॉर्ज हर्बर्ट

मानव, पर्यावरण और समन्वयवाद

चंद्रशेखर तिवारी

वर्तमान वैश्विक दौर में जिस तरह पर्यावरण पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वह गहन चिंता की बात है। प्रश्न चाहे हिमालयी क्षेत्र की लुप्त होती जैव विविधता का हो, या नगरों-महानगरों में बढ़ती जनसंख्या व प्रदूषण का। आखिर इन सारे सवालों के समाधान के लिए हमें 'संभववाद' और 'नियतिवाद' जैसी विचारधाराओं से बाहर निकल कर 'समन्वयवाद' की ओर उन्मुख होना श्रेयकर होगा।

मानव का प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति और वायुमंडल से मिल कर बने पर्यावरण के तत्व जहां मानव को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते रहे हैं, वहीं मानव प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने हितों के लिए करता आया है। आदिकाल से वर्तमान तक अनवरत रूप से वह अनाज पैदा करने और वन व खनिजों के दोहन से अपना जीवन चलाता आ रहा है। यही नहीं, वह पर्यावरण के प्रभावों को प्रारंभ से ही महसूस करता आया है। कुल मिला कर पृथ्वी और वायुमंडल से मिल कर बना वातावरण जिसे हम दूसरे शब्दों में पर्यावरण भी कहते हैं, मानव जगत पर एक सामूहिक प्रभाव डालते हैं। विभिन्न स्थानों का पर्यावरण अलग-अलग होने के कारण वहां की भौगोलिक बनावट, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि मानव पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भिन्न-भिन्न प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण के इस प्रभाव को मनुष्य ने शुरुआत से ही महसूस किया है। हालांकि वनस्पति, जानवरों और अन्य निर्जीव वस्तुओं की तरह मानव पर भी उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मानव अपनी विकसित बुद्धि से पर्यावरण के प्रभाव को एक निश्चित सीमा तक दूर करने का प्रयास करता आया है। इस संदर्भ में अनेक विद्वानों ने समय-समय पर अपने महत्त्वपूर्ण मत दिए हैं।

पर्यावरण और मानव के सह-संबंधों के बारे में लोगों के अलग-अलग मत हैं। कुछ लोग पर्यावरण को स्वामी मानते हैं। उनके विचार में मानव पर्यावरण का दास है और मानव को स्थान विशेष के पर्यावरण के अनुरुप ही जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। 'नियतिवाद' अथवा 'निश्चितवाद' की इस विचारधारा को वर्तमान में विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता, लेकिन प्राचीन समय में हिप्पोक्रेट्स व अरस्तू सरीखे दार्शनिक इस विचारधारा को मानते थे। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों का मत था कि क्षेत्र विशेष के पर्यावरण से प्रभावित होकर मानव वहां के पर्यावरण के अनुरूप ढल जाता है। शीत जलवायु वाले टुंड्रा प्रदेश के निवासी वहां की विकट जलवायु और भू-सरंचना में जीवन यापन करते हैं, जिस कारण उनके जीवन निर्वाह व विचार की शैली अन्य प्रदेश के निवासियों से भिन्न होती है। मध्य एशिया के चरवाहे अपने पशुओं के साथ जगह-जगह घूमते रहते हैं क्योंकि वहां की भौगोलिक बनावट ही इस तरह की है कि न तो वहां स्थायी खेती के लिए अच्छी व उपजाऊ मिट्टी है और न ही जल संसाधनों की उपलब्धता। इस तरह उनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के पीछे स्थानीय पर्यावरण को उत्तरदायी माना जा सकता है। भारत के राजस्थान, बुंदेलखंड व पहाड़ी इलाकों के निवासियों में वीरता व साहस जैसी विशेषताओं का पनपाने में भी दरअसल उस क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हाथ माना जाता है।

मानव अपने बुद्धि कौशल व ज्ञान के बल पर पर्यावरण के तमाम तत्वों- वनस्पति, खनिज, मिट्टी, जल तथा वन्य जीव-जंतुओं का उपयोग अपने जीवन-यापन के लिए करता रहा है। वैज्ञानिक काल में नवीन तकनीकों के प्रचलन से कृषि पद्वति, उद्योग व व्यवसाय के क्षेत्र में असाधारण बदलाव होने लगा। जल संसाधन का उपयोग मानव ने पेयजल, सिंचाई व जलविद्युत उत्पादन के लिए किया। प्राकृतिक संसाधनों का वृहद उपयोग करने में खुद को सक्षम पाकर मानव महसूस करने लगा कि अब वह पर्यावरण के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं है। पर्यावरण पर विजय प्राप्त कर लेने से उसे अब 'नियतिवाद' विचारधारा में पिछड़ेपन की बू आने लगी। इसके फलस्वरुप 'संभववाद' के नाम से नई विचारधारा जन्म लेने लगी। इस विचारधारा को मानने वाले विद्वान फैब्बरे का मत था 'सब ओर संभावनाएं हैं, मानव इन संभावनाओं का मालिक है, इस कारण वह इसके उपयोग का हकदार है।'

कालांतर में 'नियतिवाद' और 'संभववाद' के सम्मिश्रण ने एक तीसरी विचारधारा निकली जिसे 'समन्वयवाद' कहा गया। इस विचारधारा के समर्थक जहां मानव को पूरी तरह पर्यावरण का दास मानने से इनकार करते हैं, वहीं वे पर्यावरण के विरुद्ध कार्य करने की संभावनाओं को भी एक निश्चित सीमा तक मानते हैं। इस विचारधारा के लोग मानते हैं कि मानव जो स्वयं पर्यावरण का ही एक अंग है, पर्यावरण के गुणों को समझ-बूझ कर उसके साथ समझौता-सहयोग कर लेता है। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों का कहना था कि मानव जो स्वयं में पर्यावरण का ही एक अंग है, उसे पर्यावरण की विशेषताओं को समझ-बूझ कर उसके समुचित उपयोग और उसके साथ समन्वय व सहयोग करने की जरुरत है।

वर्तमान वैश्विक दौर में जिस तरह पर्यावरण पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वह गहन चिंता की बात है। प्रश्न चाहे हिमालयी क्षेत्र की लुप्त होती जैव विविधता का हो, या नगरों-महानगरों में बढ़ती जनसंख्या व प्रदूषण का। आखिर इन सारे सवालों के समाधान के लिए हमें 'संभववाद' और 'नियतिवाद' जैसी विचारधाराओं से बाहर निकल कर 'समन्वयवाद' की ओर उन्मुख होना श्रेयकर होगा। सही रूप में प्रकृति के साथ समन्वय करके ही उस पर विजय पाई जा सकती है। पर्यावरण के सिद्वांतों के अनुरूप ही हम सभी को अपनी सुविधाओं एवं आकांक्षाओं में परस्पर तालमेल बिठाना होगा। इसके लिए पग-पग पर पर्यावरण से सहयोग करना उतना ही जरूरी समझा जाना चाहिए, जितना कि उससे लाभ उठाने की इच्छा। इस दृष्टि से भारतीय परंपरा का जिक्र करना उचित होगा।

भारत के लोकजीवन के विविध पक्षों में पर्यावरण की महत्ता को पग-पग पर स्वीकार किया गया है। मांगलिक कार्यों में देवी-देवताओं के साथ ही यहां प्रकृति पूजा का भी विधान है। विभिन्न व्रत-पर्वों में धरती के प्रतीक कलश की स्थापना कर सूर्य, चंद्र, नवग्रह, जल, अग्नि सहित दूव, वृक्ष, बेल व पत्तियों को पूजने की परंपरा चली आ रही है। पूजा-अर्चना में प्रयुक्त इनकी उपस्थिति हमें इस बात का अहसास कराती है कि यही प्राकृतिक तत्व हमें जीवन प्रदान करते हैं। प्रकृति के प्रमुख तत्व जल को वैदिक विज्ञान में सर्वाधिक कल्याणकारी माना गया है। जल हमारी सभी अशुद्धियों को धोकर निर्मल व पवित्र कर देता है, साथ ही शरीर व मन से हमें संस्कारवान होने की प्रेरणा देता है। भारत की प्राचीन जल संस्कृति में नदियों को बहुत महत्ता प्रदान की गई है। यहां के अनेक नगर और तीर्थ नदियों के किनारे ही स्थित हैं। इन्हीं नगरों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति नदी की धारा के साथ सतत आगे बढ़ती रही है। नदियों का मूल स्वभाव दूसरों का हित करने का रहा है। कुल मिलाकर भारतीय परंपरा में नदियां सुसंस्कृत समाज के लिए सृजन व चेतना के तौर पर मुखरित होती दिखाई देती हैं।

भारतीय परंपरा में धरती को हमेशा से ही माता कह कर पुकारा गया है। भारतीय साहित्य व लोक मान्यताओं में प्रकृति को सर्वोच्च सत्ता के रूप में आसीन करने और भूमि को देवत्व स्वरूप प्रदान करने की परिकल्पना रची गई है। उत्तराखंड में आज भी लोग खेती का कार्य करने से पहले और नई फसल को देवताओं को अर्पित करते समय भूमि के रक्षक भूम्याल (भूमिपाल) का आह्वान करते हैं। यहां कई जगहों पर देववनों की स्थापना भी की गई है। संरक्षण की दृष्टि से गांव समाज के सामूहिक जंगलों को पांच साल के लिए स्थानीय देवी देवताओं को अर्पित किया गया है। लोक नियमानुसार इस अवधि में इन देववनों से पेड़ की एक भी पत्ती नहीं तोड़ी जा सकती। हमारी भारतीय परम्परा में धरती माता के प्रति इससे बड़ी आस्था और क्या हो सकती है।

निश्चय ही 'समन्वयवाद' के इस नजरिए से हमें पर्यावरण पर पूर्ण रूप से हावी होने के स्थान पर अपनी बढ़ती भोगवादी संस्कृति पर लगाम लगानी होगी। अंततः धरती की पीड़ा को समझते हुए उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने जैसी तमाम कोशिशें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होनी चाहिए। इस तरह पर्यावरण के साथ सतत रूप से समन्वय बिठा कर ही भूमंडल की सुरक्षा में योगदान देने का प्रयास हमें करना होगा।

शब्दों का विसर्जन

कौशलेंद्र प्रपन्न

दुनिया मेरे आगे

हमारे आम बोलचाल से बहुत सारे शब्द खत्म हो चुके हैं या हो रहे हैं। या कहें कि उन शब्दों को विसर्जन किया जा चुका है। विसर्जन का मतलब है कि पूजा के बाद किसी मूर्ति या वस्तु को किसी नदी, तालाब या नहर में विसर्जित कर दिया जाता है। भाषाएं और इनसे गहरे साबका रखने वाली बोलियां बहुत-सी शब्दावली साझा किया करती हैं। भाषा को मजबूती प्रदान करने में इन बोलियों की अहम भूमिका होती है। थोड़ी देर के लिए मानकीकरण को छोड़ दें तो हमारा समाज इन्हीं बोलियों, उप-बोलियों में अपनी अभिव्यक्ति को मुकम्मल करता है। किसी भी समाज में जितनी बहुतायत मात्रा में बोलियां समृद्ध होंगी, उनकी भाषा और भाषिक अभिव्यक्ति उतनी ही सार्थक और बहुविध छटाओं वाली हो जाती है। लेकिन ज्यों-ज्यों हमारा समाज तथाकथित प्रगति के पथ पर दौड़ने लगा है, हमारी अभिव्यक्तियों से बोलियां हाशिये पर सिमटती जा रही हैं। बल्कि कहना चाहिए कि हमारी बोलियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। वह चाहे भोजपुरी, मैथिली, मागधी, ब्रज, गढ़वाली, पंजाबी आदि ही क्यों न हो, मानकीकरण और बाजार का दबाव बढ़ने के साथ-साथ इन बोलियों पर भी खतरा मंडराने लगा है।

यह स्पष्ट तौर पर देखा और महसूस किया जा सकता है कि जब हम नागर समाज का हिस्सा हो जाते हैं, तब धीरे-धीरे बोलियों को पीछे धकेलने लगते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी और अबूझ-सी होती है कि हमें भी पता नहीं चलता कि कब हमने 'उहां-इहां', 'एने-ओने' जैसे शब्दों को 'यहां-वहां', 'इधर-उधर' से स्थानांतरित कर दिया। 'काहे' को 'क्यों' से तब्दील करते वक्त यह भी जान नहीं पाते कि कब हमने अपनी सहज बोली को मानकीकृत भाषा में पिरो दिया। इस प्रकार न केवल भोजपुरी, बल्कि तमाम भारतीय बोलियां मानक भाषाओं में विलय हो जाती हैं। यही वजह है बोलियों की खास अभिव्यक्ति क्षमता हमारे बीच से विलुप्त हो रही हैं। हालांकि अभी भी हमारे जो 'बुढ़-पुरनिया' यानी बुजुर्ग बचे हैं, वे अपनी ही बोली में बोलते-बतियाते हैं। उन्हें चाहे शहर में रख दीजिए या फिर अपने गांव में। दूसरी ओर, जब हम किसी को स्थानीय बोली के बजाय प्रचलित भाषा में बात करने को कहते हैं या दबाव बनाते हैं तो कहीं न कहीं हम किसी बोली या शब्द की हत्या करते हैं।

शब्दों का विसर्जन कहीं न कहीं वृहद भाषायी संपदा को हानि पहुंचाते हैं। यह विसर्जन जाने-अनजाने रोजमर्रा की बोलचाल में हम करते हैं। इसका असर हमें तत्काल नहीं नजर आता है और न ही हम इसका अंदाजा लगा पाते हैं कि इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक पूरी नई पीढ़ी बोली, भाषा की प्राचीन छटाओं से कटती चली जाती है। अगर नाती-पोतों से दादी या नानी अपनी भाषा में बातें करती हैं, तब बच्चे मुंह बिचकाते हुए बोल देते हैं- 'दादी ये क्या बोलती रहती हो? किस भाषा में बोलती हो! ऐसी भाषा तो हमारे स्कूलों में नहीं बोली जाती और न ही पढ़ाई जाती है! ये तो गांव की भाषा है! जब आप अपने गांव में जाती हो, तब वहीं इस भाषा में बोला करो।' कच्ची आयु के बच्चे-बच्चियों की इस प्रक्रिया को हमें गंभीरता से लेना होगा। बच्चे जिन भाषा, बोलियों और शब्दों को लेकर इस प्रकार की धारणाएं रखते हैं, हमें क्या उम्मीद है कि वे हमारी इन भाषाओं का प्रयोग आने वाले सालों में करेंगे?

बच्चे भाषाओं को अपने स्कूल की भाषा से जोड़ कर देखने और समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जो भाषा स्कूल में या फिर पाठ्य-पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, वही भाषा है। उससे इतर कोई और भाषा या तो हो नहीं सकती या फिर वह गांव की भाषा है, जिन्हें बोलने से हमारी पहचान प्रभावित होती है। हालांकि हमारे बच्चों की यह चिंता बिला वजह भी नहीं है। उन्हें स्कूलों में बताया जाता है कि किस भाषा में उन्हें बोलना और संप्रेषित करना है। अगर बच्चे निर्देशित भाषा से हट कर किसी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार उन्हें दंड भरने पड़ते हैं। जब बच्चों को किसी खास भाषा का प्रयोग करने पर दंड भरना पड़े तो बच्चे क्यों उन भाषाओं का प्रयोग अपने आम जीवन में करना चाहेंगे! होता तो यह भी है कि बच्चे अपने मां-बाप को भी टोक देते हैं कि अपनी गांव की भाषा हमारे साथ इस्तेमाल मत कीजिए। यह भाषायी निषेध कहीं न कहीं शब्दों की हत्या या फिर भाषायी विसर्जन की ओर इशारा करता है।

विश्व के तमाम भाषाविद्, शिक्षाविद् इस बात को स्थापित कर चुके हैं कि भाषाएं और बोलियों का जितना प्रयोग होगा, उतनी ही वे समृद्ध होती हैं। भाषाएं वहीं मरती हैं, बल्कि शब्दों की हत्या तब होती है, जब हम जानते-समझते हुए किसी खास शब्द और भाषा को अपनी जुबान से बेदखल कर देते हैं। अगर इस प्रवृत्ति के व्यापक असर और कारण को समझना चाहें तो यही होगा कि हम अपने आसपास रोज न जाने कितनी ही भाषाई परिवार के शब्दों और बोलियों को विसर्जित कर देते हैं।

बत्ती गुल

लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी बंद हो गई। जैसे-जैसे पारा ऊपर चढ़ रहा है, राज्य में शहरों और गांवों में अघोषित बिजली कटौती बढ़ती गई है और गर्मी में जीना और मुहाल हो गया है। अमेठी में जगदीशपुर एक ऐसी ही जगह है जिसने चुनाव के दौरान निर्बाध बिजली का मजा लिया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इसी तरह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली आपूर्ति में बाधा की एक बड़ी वजह बिजली की चोरी भी है। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, लेकिन किसी भी नेता ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कटिया कनेक्शन न केवल आपूर्ति का हिस्सा हड़प ले रहे हैं, बल्कि बिजली के वितरण को भी प्रभावित कर रहे हैं। बिजली संकट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में तो आपातकालीन हालात पैदा कर दिए हैं जहां बिजली-पानी का मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

● *प्रियंबदा, गोरखपुर*

पाक का चरित्र

इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षाबलों ने सुरक्षा की आड़ में जो दमनात्मक रुख अपनाया, वह शर्मनाक है। शिष्टाचार को तार-तार करते हुए अतिथियों के साथ बदसलूकी, मारपीट, छीनाझपटी का जैसा तांडव हुआ, वह अंतरराष्ट्रीय राजनय की आचार संहिता के विरुद्ध है। एक ओर इमरान खान भारत से दोस्ती का पैगाम भेजते हैं, दूसरी ओर इस घिनौनी आचरण की निंदा नहीं करना उनके दोहरे चरित्र को परिभाषित करता है। असल में पाकिस्तान का जन्म ही नफरत, द्वेष, खूनखराबे और वैमनस्य के धरातल पर हुआ है, इसलिए उससे कोई सकारात्मक और अनुकूल आचरण की अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते।

● *अशोक कुमार, पटना*

कैसे बचे पर्यावरण

पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के बहुत से राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कुछ जगहों पर तो लू से मौतों की भी खबर है। इस भीषण गर्मी के लिए कोई और नहीं, बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं। भौतिकतावाद और आधुनिकता की अंधी दौड़ में इंसान ने पर्यावरण को बेहद खराब कर दिया है। पर्यावरण को बचाने के मकसद से हर साल पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को लेकर आज पूरी दुनिया चिंतित है। जिस तरह साफ-सुथरा खाना, पीने का साफ पानी इंसान की उम्र बढ़ाता है, उसी प्रकार साफ-सुथरा पर्यावरण भी इंसान की जीवन में खुशहाली लाता है। इंसान को अगर अपना भविष्य खुशहाल और कई बीमारियों रहित रखना है तो पर्यावरण को बचाना ही होगा। आज जिस तरह का गंभीर पर्यावरण संकट है उसमें तो रोज ही पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। समाज सेवी संस्थाओं को भी लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण के लिए विशेष अभियान चलाने चाहिए।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

चौपाल

बातें नहीं, काम

पर्यावरण दिवस आते ही सब नसीहत देने में लग जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर असल में खुद कभी कोई प्रयास नहीं करता, बस दूसरों से उम्मीद रहती है कि जो करें दूसरे करें, हम तो केवल हुकुम देंगे। क्यों भला? आप इस दुनिया के नहीं हो क्या या आपको पर्यावरण की जरूरत नहीं हैं? हर कोई अपने स्तर पर काम कर रहा है। सरकार नई योजनाएं बना रही है, गैर सरकारी संस्थान अपने ढंग से पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो वो हैं हम और आप जैसे लोग हैं। हर बार का यही मुद्दा होता है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। हर साल पर्यावरण दिवस पर यह शपथ ली जाती है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने में सब अपना सहयोग देंगे, पर यह शपथ जिस दिन ली जाती है उसके अगले दिन तक सब भूल भी जाते हैं। ऐसे में पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो सकता है? पर्यावरण किसी एक की नहीं, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है तो काम भी सबको मिल कर करना पड़ेगा।

● *गीता, दिल्ली विवि*

दोहन रोकना जरूरी

इस साल पर्यावरण दिवस की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि इस बार इसका विषय 'वायु प्रदूषण' है। आज वायु प्रदूषण विश्व की सबसे गंभीर समस्या है। उद्योगों का व्यापक प्रसार, धुआं छोड़ने वाली वाहनों की संख्या में अनियमित वृद्धि, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और ऊर्जा के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अनैतिक दोहन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस संपूर्ण विश्व को न केवल दूषित होती जीवनदायनी हवा के प्रति सतर्क करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पूरे विश्व को साथ आकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने के लिए भी प्रेरित करता है। यदि समय रहते हमने पर्यावरण संरक्षण की और मजबूत प्रतिबद्धता नहीं दिखाई और इसके अनैतिक दोहन को नहीं रोका तो हमारी भावी पीढ़ियां कहीं ज्यादा कष्ट झेलेंगी।

● *अंकित कुमार मिश्रा, बंगलूरू*

समस्या और समाधान

सार्वजनिक परिवहन सेवा की महत्ता को समझते हुए ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बेहतर विकल्प बताया है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यह तर्क कुछ कमजोर लगता है। गौरतलब है कि सार्वजनिक बस और मेट्रो में सफर करते हुए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कहीं ज्यादा होता है। हालांकि बसों में मार्शलों की व्यवस्था की गई है, वह भी केवल शाम की शिफ्ट तक ही सीमित है। डीआईएमटीएस बस सेवा में तो मार्शल होते ही नहीं हैं। शायद दिल्ली सरकार को लगता है कि इन बसों में महिलाएं सफर ही नहीं करती हैं या फिर इन बसों में बदमाश सफर नहीं करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं तो यह फैसला पिछले ही साल ही क्यों नहीं लिया था? यह प्रस्ताव एकतरफा और बिना किसी तैयारी के आनन-फानन में लिया जान पड़ता है।

● *आसिफ सैफी, दिल्ली*

बीकॉम ऑनर्स के लिए गणित में 50 फीसद अंक अनिवार्य

डीयू ने बीकॉम ऑनर्स में दाखिला लेने के लिए गणित या बिजनेस गणित में कम से कम 50 फीसद अंक अनिवार्य कर दिए हैं। साल 2018 तक बीकॉम ऑनर्स में दाखिला लेने के लिए कक्षा 12 में गणित में पास होने की शर्त ही होती थी। इसी तरह बीएससी कंप्यूटर साइंस में दाखिले के लिए गणित में कम से कम 60 फीसद अंक होने अनिवार्य हैं। कक्षा 12 में अंग्रेजी में 55 फीसद या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी ही बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी के लिए आवेदन कर पाएंगे। बीएससी (ऑनर्स) रसायन और बीएससी (ऑनर्स) भौतिकशास्त्र में भी प्रवेश के लिए अंग्रेजी में 50 फीसद या उससे अधिक अंक होने जरूरी हैं।

डीयू में दाखिले के लिए जरूरी हैं कुछ बातें

सुशील राघव
नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ही नहीं, समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करता है। डीयू में देश के सभी राज्यों के अलावा 90 से अधिक देशों के विद्यार्थी स्नातक से लेकर पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलसचिव प्रोफेसर तरुण कुमार दास के मुताबिक डीयू एक 'छोटे भारत' का प्रतिनिधित्व करता है। उनके मुताबिक डीयू में देश के सभी राज्यों के लगभग सभी श्रेणी के विद्यार्थी पढ़ते हैं इसलिए आज हम डीयू की 62,500 से अधिक स्नातक पाठ्यक्रमों की सीटों और करीब 12,000 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों के अलावा एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों की खाली सीटों के लिए शुरू हुई दाखिला प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।

प्रवेश प्रक्रिया में नए बदलाव

डीयू के छात्र कल्याण डीन (डीएसडब्लू) और प्रवेश के लिए स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गुप्ता के मुताबिक इस बार स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन करने वालों को दाखिला प्रक्रिया के दौरान कम से कम परेशानी हो, इसके मद्देनजर कई बड़े बदलाव किए हैं। इसके अंतर्गत आवेदकों के डैशबोर्ड पर खाली और भरी सीटों की पल-पल की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। डीएसडब्लू के मुताबिक, इससे आवेदक को पता रहेगा कि उसे जिस पाठ्यक्रम में दाखिला लेना है, उसमें किस-किस कॉलेजों में सीटें खाली हैं। इससे प्रवेश रद्द करने की दर में भी कमी आएगी। डैशबोर्ड पर हर तरह के भुगतान की भी जानकारी उपलब्ध होगी। ऑनलाइन फॉर्म में भरते समय डीयू के सभी पाठ्यक्रम अपने आप ही निशान किए हुए मिलेंगे, जिससे किसी छात्र का पाठ्यक्रम आवेदन करते समय ना छूटे। अगर किसी पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं लेना है तो आवेदक फॉर्म भरते समय पाठ्यक्रम के आगे लगे टिक को अनटिक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दाखिला पोर्टल को मोबाइल के अनुरूप बनाया गया है। विद्यार्थी अपने बारहवीं के अंकों के आधार पर बेस्ट फोर की गणना कर सकेंगे। इससे उन्हें पहले ही पता लग जाएगा कि वे किस पाठ्यक्रम के लिए योग्य हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश रद्द करने को हतोत्साहित करने के लिए इस बार दो कदम उठाए गए हैं। पहला तो यह कि इस बार हर कटऑफ के बाद एक ही बार प्रवेश रद्द कराया जा सकेगा। दूसरा, इस बार प्रवेश रद्द कराने के शुल्क को पहले से दोगुना यानी 1,000 रुपए कर दिया गया है।

22 जून से 6 जुलाई के बीच होंगी प्रवेश परीक्षाएं

स्नातकोत्तर, एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए भी पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण करने को आवेदकों को दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। इन दिनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिले होते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) डीयू के 9 स्नातक पाठ्यक्रमों सहित 180 से अधिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी। डीन (परीक्षा) विनय गुप्ता ने बताया कि प्रवेश परीक्षाएं 22 जून से 6 जुलाई तक आयोजित होंगी। गुप्ता ने बताया कि परीक्षाएं प्रतिदिन तीन सत्रों में होंगी और परीक्षा केंद्रों पर जैमर तथा सीटीवी कैमरे लगे होंगे। दो घंटे की लिखित परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न (एमसीक्यू, चार विकल्पों वाले) होंगे।

250 रुपए पंजीकरण शुल्क

अनारक्षित और ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 250 रुपए देने होंगे, जो पिछले साल के मुकाबले 100 रुपए अधिक है। पंजीकरण से लेकर पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान डीयू के पोर्टल के माध्यम से ही होगा। इसी तरह एससी, एसटी और पीडब्लूडी श्रेणी के आवेदकों को 100 रुपए और ईसीए व खेल श्रेणी के आवेदकों को 100 रुपए देने होंगे। इसी तरह प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों के लिए अनारक्षित व ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को 750 रुपए और एससी, एसटी और पीडब्लूडी श्रेणी के आवेदकों को 300 रुपए का भुगतान करना होगा।

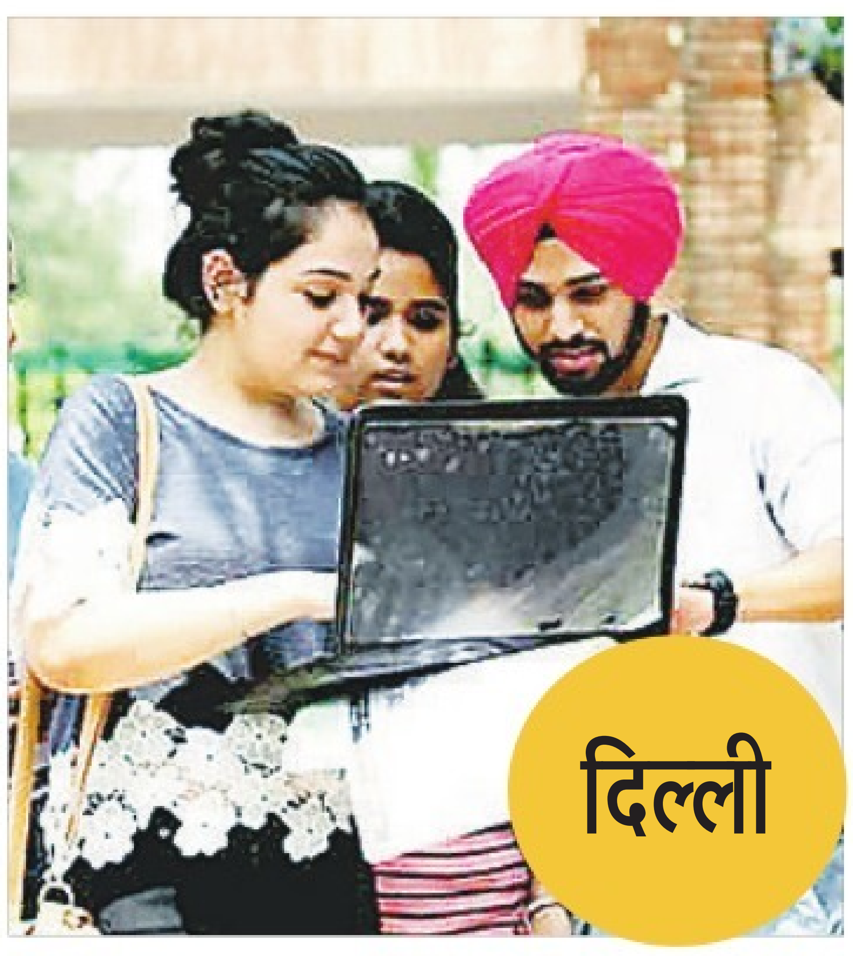

महत्त्वपूर्ण तिथियां

स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 14 जून तक पंजीकरण किए जा सकेंगे और पहली कटऑफ 20 जून को आएगी। पहली कटऑफ के आधार 22 जून तक दाखिले होंगे। दूसरी कटऑफ 25 जून को आएगी और इस कटऑफ के आधार पर 27 जून तक प्रवेश होंगे। कॉलेज तीसरी कटऑफ 29 जून को जारी करेंगे और इसके आधार पर 2 जुलाई तक (रविवार को छोड़कर) दाखिले लिए जा सकेंगे। चौथी कटऑफ 4 जुलाई को आएगी और चौथी कटऑफ के आधार पर 6 जुलाई तक प्रवेश होंगे। पांचवीं कटऑफ 9 जुलाई को जारी होगी और इसके आधार पर 11 जुलाई तक दाखिले होंगे।

एक बार फॉर्म में संशोधन संभव

स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बाद आवेदक कक्षा 12 के अंकों में बदलाव कर सकता है। लेकिन यदि उसे अंकों के अलावा अपने फॉर्म की किसी अन्य जानकारी में बदलाव करना है तो उसके लिए आवेदक को 100 रुपए का भुगतान करना होगा। यह सुविधा भी आवेदक को केवल एक बार मिलेगी। पहली कटऑफ होने बाद किसी भी परिस्थिति में फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

सांध्य कॉलेज के भी दाखिले सुबह होंगे

इस बार सुबह और सांध्य दोनों पालियों के कॉलेज में सुबह से ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय ने यह फैसला दूसरे राज्यों से दाखिले के लिए दिल्ली आने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल देखा गया था कि सांध्य कॉलेजों में देर रात तक दाखिला प्रक्रिया चलती रहती थी। इससे एक तो आवदेकों और उनके अभिभावकों को समस्या का सामना करना पड़ता था।

परीक्षा की पाठ्यचर्या पोर्टल पर उपलब्ध

दाखिला पोर्टल पर पीजी, एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की पाठ्यचर्या उपलब्ध करा दी गई है। इसी के आधार पर प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र आएंगे। ये परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी और देश के कई शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा।

ओबीसी प्रमाणपत्र

प्रोफेसर राजीव गुप्ता के मुताबिक हमें केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से निर्देश मिला है कि जो भी विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं, वह 31 मार्च 2019 के बाद का बना ओबीसी प्रमाणपत्र ही लगाएं। इसी तरह ईडब्लूएस कोटे के तहत दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों को भी 31 मार्च 2019 के बाद बना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, जो एसडीएम दफ्तर से बना हो, प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

1. फोटो
2. हस्ताक्षर
3. कक्षा 10 का प्रमाणपत्र या अंकपत्र (स्वहस्ताक्षरित)
4. कक्षा 12 का अंकपत्र (स्वहस्ताक्षरित)
5. एसी/एसटी/पीडब्लूडी/कश्मीरी अप्रवासी प्रमाणपत्र
6. नॉन क्रीमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र
7. ईडब्लूएस प्रमाणपत्र (एसडीएम द्वारा)
8. खेल और ईसीए प्रमाणपत्र (स्वहस्ताक्षरित)

निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ी

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान में नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों की मनमानी शुरू हो गई है। निजी स्कूलों में भी सरकार का फीस एक्ट लागू है बावजूद इसकी धज्जियां उड़ रही हैं। स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से गुस्साए लोग सडकों पर उतर कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। अभिभावकों का कहना है कि प्रदेश के ज्यादातर स्कूल फीस एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं और मनमाने तरीके शुल्क बढ़ोतरी कर दी है। राज्य सरकार निजी स्कूलों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। वहीं फीस एक्ट की खामियों को देखते हुए सरकार अब नया फीस एक्ट बनाने की तैयारी में है।

प्रदेश में निजी स्कूलों में फीस पर नियंत्रण के लिए फीस एक्ट लागू है और इसके लिए स्कूल स्तर पर फीस निर्धारण समिति भी है। पर इस एक्ट के प्रावधान इतने लचीले हैं कि उससे अभिभावकों को राहत मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कुछ अदालती निर्णयों के कारण फीस एक्ट पर कारगर अमल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

डोटासरा का कहना है कि सरकार अब जल्द ही नया फीस एक्ट बनाएगी, जिसमें सख्त प्रावधान रखा जाएगा ताकि निजी स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके। सरकार के पास अभी निजी स्कूलों की फीस से जुड़ी करीब 60 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इन शिकायतों पर गंभीरता से विचार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 24 हजार से ज्यादा स्कूलों में फीस निर्धारण समितियां बन गई हैं पर ये समितियां केवल कागजों में ही हैं। इस वर्ष जैसे ही एक अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ तो निजी स्कूलों ने बच्चों को नई फीस के आदेश थमा दिए। इसके बाद तो अभिभावकों में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश के 33091 निजी स्कूलों में से 7394 ऐसे हैं जिनमें अभी तक फीस एक्ट के नियमों के तहत स्कूल स्तरीय फीस निर्धारण समितियां नहीं बनी हैं। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भर में हो रहे आंदोलन के बाद अब शिक्षा निदेशालय ने कानून का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया है।

क्या है शुल्क अधिनियम

1-राजस्थान में फीस एक्ट के मुताबिक हर स्कूल में फीस निर्धारण समिति बनेगी।

2- फीस निर्धारण की बैठक में पांच सदस्य होना जरूरी है। इस समिति में पांच स्कूल के और पांच अभिभावक सदस्य होंगे। इसके अलावा समिति में अध्यक्ष और सचिव दोनों ही स्कूल से होंगे। अभिभावकों का चयन विद्यालय प्रशासन लॉटरी से करेगा।

3-इस मामले में सरकार ने एक खंडीय फीस विनियामक समिति और उसके बाद पुनरीक्षण समिति बना रखी है। इन दोनों अपीलीय समितियों में सरकारी अफसरों को ही रखा गया है। इससे ही अभिभावकों को संरक्षण नहीं मिल पाता है। निजी स्कूल संचालक इन समितियों से सांठगांठ कर मनमाने तरीके से फीस की वसूली करते है और उन्हें बच्चों की कॉपी-किताबें और पोशाक आदि खरीदने को मजबूर करते है।

कौन कर सकता है अपील

-इस एक्ट में एक कमी यह भी है कि स्कूल फीस निर्धारण समिति के फैसले से स्कूल असंतुष्ट हैं तो वे अपील समिति में जा सकते हैं पर अभिभावक नहीं जा सकते। अभिभावकों के स्कूल के खिलाफ अपील नहीं करने के प्रावधान ने भी निजी स्कूलों को मनमानी करने की खुली छूट दे रखी है। राजस्थान अभिभावक संघ का कहना है कि ज्यादातर स्कूलों ने समितियां कागजों में बना कर अधिकारियों से साठगांठ कर रखी है। संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा का कहना है कि स्कूल अपनी मर्जी से सदस्य चुनते हैं और अपनी मर्जी से ही फीस तय करके, उसी को शिक्षा विभाग में भेज देते है। स्कूलों से आने वाली इन सूचनाओं को शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी फाइलों में जमा कर लेते हैं। अभिभावकों को अपील का अधिकार नहीं होने से अफसरों और स्कूल संचालकों की मिलीभगत के कारण लोगों को लूटने में लगे रहते हैं। फीस बढ़ने और कितनी बढ़ी और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है।

खंडहरों में तब्दील हो रहा है अवध का इतिहास

अंशुमान शुक्ल
लखनऊ।

लखनऊ महन कूचाओ मीनार नहीं, गुम्बदो बाजार नहीं। यहां की गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। कभी लखनऊ की शान में पढ़ा गया यह शेर आज नवाबों की इस नगरी को मुंह चिढ़ा रहा है। नवाबों की बनवाई बेमिसाल इमारतें खस्ताहाल हैं। चाहे वह रूमी दरवाजा हो या इमामबाड़ा, हर तरफ सरकार की बेरुखी ऐतिहासिक इमारतों को बेबसी का अहसास करा रही हैं। कहीं प्रतिबंध के बावजूद भारी वाहन अपने घर्षण से दो सौ साल से अधिक पुरानी इमारतों की नींव कमजोर कर रहे हैं, तो कहीं इंसानों की बस्ती ने पुरातत्व महत्त्व की इमारतों का कलेजा फाड़ कर उससे निकली ईटों से अपने आशियाने बना लिए।

पहले बात शाहनजफ इमामबाड़े की। हजरतगंज के बीचो बीच 1814 से 1827 के बीच गयासुद्दीन हैदर ने इसे बनवाया। चूने और सुर्खी के साथ कई प्रकार की दालों और मसालों से इस इमारत का प्लास्टर तैयार किया गया। फिर इस बेमिसाल इमारत ने आकार लिया। पहले स्वतंत्रता संग्राम की गवाह यह इमारत खंडहर में तब्दील हो रही है। सआदत अली खां के नाम पर बना यह मकबरा अपनी अनदेखी पर नजरें झुकाए खड़ा है। शाहनजफ इमामबाड़े में सआदतअली खां और उनकी बेगम खुर्शीदजादी की कब्र हैं। लेकिन अब गुम्बद से प्लास्टर गिर कर उसमें से लखैरी ईंटें झांकती हैं। बावजूद इसके कोई पुरसाहाल नहीं। इसी इमामबाड़े में पहले स्वतंत्रता संग्राम की यादों को खुद में समेटे कदम रसूल है। पहली क्रांति के दरम्यान यह क्रांतिकारियों का मजबूत किला होता था।

नव्वाब आसिफुद्दौला ने 1783 में रोम के दरवाजे की तर्ज पर अवध की पहचान रूमी दरवाजे का निर्माण कराया। उस वक्त अवध में पड़े भीषण अकाल के दौर में इस इमामबाड़े का निर्माण कराया गया, ताकि रोजगार की समस्या न हो। इस दरवाजे के बगल में बने आसिफी इमामबाड़े की दीवार को उस दौर में दस हजार गरीब मजदूर दिन में बनाते थे और दस हजार अमीर मजदूर रात को तोड़ देते थे। इमामबाड़े के सामने नक्कारखाना है। इस इलाके से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इमारत को भारी वाहनों के गुजरने से होने वाले कंपन से नुकसान न पहुंचे। लेकिन मानता कौन है? इन इमारतों की देख-रेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की है। देखरेख की जिम्मेदारी जिस विभाग की है, उसी ने आसिफी इमामबाड़े के हवामहल की दीवार को चुनवा कर उसमें खिड़की और दरवाजे लगवा कर अपना कार्यालय खोल लिया। इमामबाड़े के सामने नक्कारखाने में भी दरवाजे और खिड़िकियां लगा दी गईं। अब वहां सरकारी साहब बैठते हैं।

फिलहाल लखनऊ शहर में सौ से अधिक छोटी और बड़ी ऐतिहासिक महत्त्व की इमारतें हैं जो सरकार की उपेक्षा और बढ़ते शहरीकरण की गिरफ्त में हैं। बावजूद इसके न सरकार के पास वक्त है और न ही शासन के पास।

शिशु मृत्यु दर

बिहार ने किया सुधार तो यूपी ने किया निराश

गजेंद्र सिंह
नई दिल्ली।

शिशु मृत्यु दर के मामले में बिहार में उत्तर प्रदेश से अच्छा सुधार हुआ है। यहां प्रति एक हजार में 35 शिशुओं की मौत दर्ज की गई है जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 41 बच्चों की मौत का है। हाल ही में जारी हुए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की 2019 की रिपोर्ट में केरल इस मामले में सबसे अधिक सुधार के साथ मात्र 10 शिशुओं की मौत दिखा रहा है। 2017 में हुए सर्वेक्षण को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की ओर से पिछले महीने के अंत में जारी किया गया है। सर्वेक्षण में 79 लाख लोगों को लिया गया था। एसआरएस की रिपोर्ट हर चार साल में जारी की जाती है। पिछली रिपोर्ट 2014 में आई थी।

उत्तर प्रदेश में 2014 की रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार में 50 दर्ज की गई थी जो नौ अंकों के सुधार के साथ 2019 में 41 दर्ज की गई है। बिहार में 2014 में मृत्यु दर 42 थी जो 2019 में 35 दर्ज की गई है। गुजरात में 2014 से 2019 में छह अंकों का सुधार देखा गया है। यहां 36 से 30 दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर 47 दर्ज की गई है। सबसे कम नगालैंड में 7 है। जन्म दर के मामले में भी बिहार कम है। बिहार में 26.4 फीसद की दर से जन्म दर दर्ज की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 25.9 फीसद की दर दर्ज की गई है। मृत्यु दर के मामले में यूपी 6.7 फीसद व बिहार में 5.8 फीसद का आंकड़ा दर्ज किया गया है।

इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वेक्षण में पता चला था कि परिवार नियोजन के साधन प्रयोग करने में देश भर में 53.50 फीसद लोग आगे हैं। यूपी में यह आंकड़ा 43.6 और बिहार में 48 फीसद है। यही नहीं शिशुओं के टीकाकरण में भी बिहार की दर 61.7 फीसद और यूपी की मात्र 51.1 फीसद है। केवल संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार यूपी से पिछड़ा है। यूपी में जहां 67.8 फीसद गर्भवतियों का प्रसव अस्पताल में हो रहा है वहीं बिहार में यह दर 63.8 फीसद है।

पीसी-पीएनडीटी की केंद्रीय सुपरवाइजरी बोर्ड की सदस्य डॉ नीलम सिंह बताती हैं कि इस बार की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को बिहार सीख दे रहा है और यूपी को सीखना भी चाहिए। शिशु मृत्यु दर से लेकर हर चीज में सुधार हुआ है जबकि संसाधनों के मामले में वहां की स्थिति यूपी से ज्यादा बेहतर नहीं बताई जाती है। हालांकि जन्म दर कम होने की वजह जागरूकता है और मृत्यु दर अगर कम हो रही है तो यह कोई चिंताजनक बात नहीं है। इसका साफ मतलब है कि लोगों की जीवनशैली में सुधार हो रहा है और लोगों को पर्याप्त इलाज भी मिल रहा है।

देश भर के हालात

तेजी से बढ़ती जनसंख्या और प्रसव खबरों के बीच हाल ही में जारी हुई एसआरएस की रिपोर्ट थोड़ा सुकून देती है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जन्म दर के साथ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कुछ अंकों का सुधार हुआ है। चार साल बाद जारी हुई इस रिपोर्ट में जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में दो से तीन अंकों की कमी देखी गई है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जन्म दर में चार दशक के दौरान 16.7 फीसद की कमी आई है। 2014 में यह दर 21.4 फीसद थी जो 2019 में 20.2 दर्ज की गई है। चार दशक पहले 1971 में यह दर 36.9 फीसद थी। इसी तरह मृत्यु दर 2014 में 7.0 फीसद थी जो 2019 में 6.3 फीसद दर्ज की गई है। चार दशक में 8.6 फीसद की कमी आई है। एसआरएस की 1971 की रिपोर्ट के अनुसार दर 14.9 फीसद थी। शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। प्रति एक हजार में 33 बच्चों की मौत दर्ज की गई है।

बदरी-केदार में इस बार दर्शनार्थियों की संख्या का बनेगा कीर्तिमान

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड में केदारनाथ और बदरीनाथ में आजकल तीर्थयात्रियों का भारी जमघट लगा हुआ है। इन दोनों धामों में से केदारनाथ में तो मंदिर समिति को दर्शन करने का समय तक बढ़ाना पड़ा और वीआइपी पूजा की व्यवस्था समाप्त करनी पड़ी। अब मंदिर के कपाट 11 की बजाय 18 घंटे खोले जा रहे हैं। तड़के चार बजे से रात्रि 11 बजे तक केदारनाथ मंदिर के कपाट दर्शन के खुले रहते हैं। बाबा केदार को बाल भोग लगाने के लिए मंदिर के कपाट शाम चार बजे से पांच बजे तक एक घंटे के लिए बंद किए जाते हैं। इसके बाद शाम पांच बजे से रात्रि 11 बजे तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं।

बदरी-केदार मंदिर समिति के कार्याधिकारी एनपी जमलोकी के मुताबिक श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर के कपाट खोलने का समय बढ़ाया गया है। भविष्य में दर्शनार्थियों की तादाद के हिसाब से मंदिर के कपाट खोलने और बंद करने का समय तय किया जाएगा।

केदारनाथ में 9 मई से अब तक साढ़े तीन लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए जबकि पिछले साल बीते एक महीने में दर्शनार्थियों की संख्या डेढ़ लाख थी। इस बार केदारनाथ और बदरीनाथ में मौसम भी लगातार करवट बदल रहा है। 9 मई को मंदिर के कपाट खुलने के अगले रोज ही केदारनाथ धाम में खूब बर्फ गिरी थी। जितनी बफर्बारी इस बार केदारनाथ में हुई है, उतनी आठ-दस सालों में नहीं हुई।

बदरीनाथ में बढ़े श्रद्धालु

बदरीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की तादाद पिछले साल के मुकाबले बहुत बढ़ी है। इस साल 8 मई को अक्षय तृतीया के दिन वैदिक विधि-विधान के साथ बदरीनाथ के कपाट खोले गए थे। बदरीनाथ में इस साल करीब 12 हजार तीर्थयात्री रोजाना पहुंच रहे हैं। 27 दिनों में सवा तीन लाख के करीब तीर्थयात्री बदरीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। यह तादाद और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। बदरीनाथ की पुनर्स्थापना 18वीं शताब्दी में आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने की थी और ज्योतिपीठ के नाम से शंकराचार्य की गद्दी स्थापित की थी। जो आज भी विद्यमान है। बौद्ध धर्मावलंबियों से आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने मुक्त कराया था और भगवान विष्णु की प्रतिमा की पुनर्स्थापना की थी। बदरीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत के मध्य तथा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जो समुद्र तल से 3 हजार 133 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 2018 में 9 लाख 45 हजार 86 श्रद्धालुओं बदरीनाथ धाम के दर्शन किए थे। इस बार धाम में इस साल 15 लाख तीथयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि केदारनाथ धाम के जीर्णोद्धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष दिलचस्पी दिखाई, इसलिए आज केदारनाथ धाम 2013 के दैवीय आपदा से उबर पाया। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के चारों धामों को ऑलवेदर रोड तथा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने का सपना जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। इससे उत्तराखंड की दिशा ही बदल जाएगी और उत्तराखंड राज्य एक समृद्धशाली राज्य की ओर तेजी के साथ बढ़ेगा।

अत्यंत महत्त्वपूर्ण केदारनाथ

केदारनाथ देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड के केदारखंड में स्थित होने के कारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना गया है और यहां पर आदि जगद्गुरु शंकराचार्य की समाधि है। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। जो देश के सबसे विशाल शिव मंदिरों में से एक है। समुद्रतल से 3 हजार 584 मीटर की ऊंचाई पर बाबा केदार का मंदिर स्थित है। जानेमाने पर्यावरणविद् डॉ. दिनेश चंद्र भट्ट बताते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक उत्तराखंड में पर्यावरण ने ऐसी करवट बदली कि यह चार सौ सालों का युग छोटे हिमयुग के नाम से जाना जाता है और इन चार सौ वर्षों में केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा। परंतु अपनी स्थापत्य शैली के कारण सुरक्षित रहा।

इस समय फाटा, गुप्तकाशी, गौरीकुंड से 14 हैलीपैड से केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए हवाई सेवाएं चल रही हैं। गौरीकुंड से 18 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर कठिन पहाड़ी रास्ते से होते हुए पहुंचा जाता है। 2018 में केदारनाथ धाम के 6 लाख 94 हजार 934 तीथयात्रियों ने दर्शन किए थे। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के पूर्व प्रोफेसर प्रसिद्ध पर्यावरणविद् डॉ. आरसी शर्मा का कहना है कि हेलिकॉप्टर की केदारनाथ घाटी में बढ़ रही आवाजाही से यहां के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं बंद की जानी चाहिए।

आजाद के सामने ही भिड़े हरियाणा के कांग्रेसी दिग्गज

- नेतृत्व परिवर्तन और नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर गाली-गलौज और तूतू-मैंमैं
- विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी बैठक

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 4 जून।

लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से सबक सीखने के बदले हरियाणा के कांग्रेसी सूरमा मंगलवार को दिल्ली में आपस में ही भिड़ गए। सूबे की विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी के मसले और प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदेश के कांग्रेसी दिग्गजों के बीच प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद के सामने ही जमकर गरमा-गरमी और तूतू-मैंमैं हुई। वरिष्ठ नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती देख आजाद ने आनन-फानन में बैठक समाप्त कर दी लेकिन बंद कमरे की गरमाहट बाहर भी दिखाई पड़ी जब बैठक से बाहर

निकलने के बाद भी दो नेता एक-दूसरे से गाली-गलौज पर उतर आए।

दरअसल, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा की सभी 10 संसदीय सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। हार की समीक्षा के लिए सूबे के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने प्रदेश के तमाम नेताओं को पिछले दिनों दिल्ली बुलाया था और उनसे बातचीत कर हार के कारणों को जानने-समझने की कोशिश की। उसी दिन तय किया गया था कि 4 जून को दिल्ली में फिर बैठक होगी जिसमें हार के कारणों पर विस्तार से विचार किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस महासचिव आजाद की अध्यक्षता में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुआई वाली पार्टी की समन्वय समिति में शामिल तमाम विधायकों व लोकसभा का चुनाव लड़े उम्मीदवारों की एक बैठक दोपहर बाद शुरू हुई। बैठक में मौजूद सूत्रों की मानें तो विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में विधायक दल की नेता किरण चौधरी से यह जानना चाहा कि उन्होंने किससे पूछकर खुद को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष व सरकार को भेजी। इस मुद्दे पर जमकर गरमा-गरमी और तूतू-मैंमैं हुई।

सूत्रों ने बताया कि किरण चौधरी ने बैठक में कहा कि पार्टी हाईकमान व प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से उन्होंने विपक्ष के नेता पद पर अपना दावा ठोका। दूसरी ओर हुड्डा गुट के विधायकों को इस बात पर सख्त एतराज था। इसी बीच कुछ विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की मौजूदगी में ही उन्हें पद से हटाकर किसी और को प्रदेश की कमान सौंपने की मांग शुरू कर दी। इस मुद्दे पर बहसबाजी ज्यादा बढ़ गई।

वरिष्ठ नेताओं के बीच झगड़ा बढ़ता देख महासचिव आजाद ने आनन-फानन में बैठक स्थगित कर दी। लेकिन बैठक की गर्मी का असर बाहर भी दिखा। बाहर आकर पार्टी के एक विधायक व एक वरिष्ठ नेता आपस में गाली-गलौज तक कर बैठे। बैठक के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा कुछ विधायकों के साथ पार्टी महासचिव आजाद के साथ उनके घर पर पहुंचे और वहां पर अलग से पूरे मामले पर बातचीत की गई।

दिलचस्प यह है कि बैठक में हुई बातचीत को लेकर पूछने पर किरण चौधरी व कैप्टन अजय यादव ने कहा कि यह तय किया गया है कि तमाम नेता बूथ स्तर तक जाएंगे और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे।

राकांपा के कम से कम 10 विधायक वीबीए के संपर्क में : प्रकाश आंबेडकर

अकोला, 4 जून (भाषा)।

दलित नेता प्रकाश आंबेडकर ने मंगलवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राकांपा के कम से कम 10 विधायक उनके वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) मोर्चे से संपर्क में हैं।

यहां पत्रकार वार्ता में भारीपा बहुजन महासंघ के नेता ने माना कि वीबीए की सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ औरंगाबाद लोकसभा सीट पर चली, जहां एआइएमआईएम के इम्तियाज़ जलील ने शिवसेना के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे को शिकस्त दी है।

आम चुनाव से पहले गठित वीबीए में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम पार्टी भी शामिल है। आंबेडकर ने कहा, 'वीबीए ने महाराष्ट्र में सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था, लेकिन लगता है कि यह सिर्फ औरंगाबाद में काम आया।' औरंगाबाद के चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए आंबेडकर ने कहा कि मुसलमानों ने वीबीए को कांग्रेस के एक विकल्प के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, 'मैं इस पर सात जून को विस्तार बोलूंगा।' उन्होंने कहा कि राज्य में इस साल सितंबर अक्तूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में वीबीए सभी 288 सीटों पर किस्मत आजमाएगा।

आंबेडकर ने कहा कि वीबीए विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाएगा। वीबीए ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सभी 48 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। खुद आंबेडकर को अकोला और सोलापुर सीटों से हार का मुंह देखना पड़ा।

आंकड़ों के मुताबिक, वीबीए ने कुछ सीटों पर दलितों और मुसलमानों के वोटों को बांट दिया, जिससे कांग्रेस और राकांपा के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा।

शाह ने गिरिराज को विवादित टिप्पणियों से बचने को कहा

पेज 1 का बाकी

पार्टियों में मौजूदगी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से किए गए कटाक्ष भरे ट्वीट को लेकर फटकार लगाई और ऐसी टिप्पणियां करने से बचने को कहा। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। भाजपा नेता एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी एक तस्वीर में दिख रहे हैं। उनके ट्वीट पर भाजपा सहयोगियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि शाह ने सिंह को फटकार लगाई है और उन्हें ऐसी टिप्पणियां करने से बचने को कहा है।

गिरिराज ने मंगलवार को लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की इफ्तार दावत, जिसमें नीतीश भी शामिल हुए थे, की तथा जदयू की इफ्तार दावत की तस्वीरों को ट्विटर पर डालने के साथ यह कहा है कि कितनी खूबसूरत तस्वीर होती, जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पर फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फ़ोटो आते? अपने कर्म धर्म में हम पिछड़ क्यों जाते और दिखावे में आगे रहते है? गिरिराज के इस कटाक्ष पर जदयू के वरिष्ठ नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वह हमारे नेता नीतीश कुमार को कोई नसीहत दें।

उन्होंने कहा कि यह वही गिरिराज सिंह हैं जो चुनाव के वक्त नीतीश जी को 10 बार फोन करते थे और अपने पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आग्रह किया करते थे। चौधरी ने कहा कि आज वह जो 4.5 लाख वोट से जीतकर संसद पहुंचे है और मंत्री बने हैं, वह नीतीश कुमार की ही देन है।

जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने ट्वीट किया कि गिरिराज सिंह जी, हिंदू का मतलब हिंसा नहीं होता है। हम ढोंग नहीं करते हैं और न ही हमें झूठा दिखावा करना पड़ता है। 'मंदिर वहीं बनाएंगें लेकिन तारीख नहीं बताएंगे' यह नारा हमें नहीं देना पड़ता है। देश उन्माद से नहीं चलता है। ऐसा बयान कोई मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश इसलिए है क्योंकि यहां सभी धर्म और संप्रदाय को मानने वालों को संविधान ने समान अधिकार दिया है। हम देवी दुर्गा की आराधना में फलाहार भी करते हैं और रमजान के महीने में इफ्तार भी।

कश्मीर के 10 प्रमुख आतंकियों की सूची बनाई

पेज 1 का बाकी

जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व खुफिया एजंसियों ने 10 आतंकी कमांडरों के नामों की सूची तैयार की है, इनके सफाए या गिरफ्तारी के लिए जल्द ही लक्षित अभियान शुरू किया जाएगा। प्रवक्ता के मुताबिक, आतंकवादी संगठनों- लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े इन सभी के कश्मीर घाटी में सक्रियता की खबरें सामने आई हैं। इन आतंकियों में हिज्बुल मुजाहिदीन का सर्वोच्च कमांडर रियाज अहमद नाइकू भी शामिल है।

शीर्ष सुरक्षा व खुफिया अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में इस सूची पर चर्चा की गई और सुरक्षा बलों के लक्षित हमले की रूपरेखा तैयार की गई। अधिकारियों के मुताबिक, खुफिया एजंसियों, अर्धसैनिक बलों, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली जानकारियों के आधार पर यह सूची तैयार की गई है। रियाज अहमद नाइकू घाटी में हिज्बुल मुजाहिदीन (एचएम) का मुख्य कमांडर है और इस सूची में उसका नाम सबसे पहले स्थान पर है। वह कई विध्वंसक गतिविधियों में शामिल था, जिनकी वजह से कई सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

वांछित आतंकवादियों में लश्कर ए तैयबा का शोपियां जिला कमांडर वसीम अहमद ऊर्फ ओसामा, एचएम का अनंतनाग जिला कमांडर मोहम्मद अशरफ खान, एचएम का बारामूला जिला कमांडर मेहराजुद्दीन, श्रीनगर में एचएम का आतंकी सैफुल्लाह मीर ऊर्फ डॉक्टर सैफ, एचएम का पुलवामा जिला कमांडर अरशद-उल हक शामिल हैं।

घाटी में जैश ए मोहम्मद का मुख्य अभियान कमांडर पाकिस्तानी नागरिक हाफिज उमर, आतंकी संगठन अल बदर का उत्तर कश्मीर मंडलीय कमांडर जावेद मट्टू, एचएम आतंकवादी एजाज अहमद मलिक और जैश आतंकी जाहिद शेख ऊर्फ उमर अफगानी भी आतंकियों की इस सूची में शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन 10 आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित अभियान जल्द शुरू किया जाएगा।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू हो रही है। इसके मद्देनजर भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा के तीन स्तरीय इंतजाम किए जाएंगे। संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। असामाजिक तत्त्वों पर नजर रखने के लिए उचित स्थानों पर सुरक्षा जांच केंद्र और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। जवानों से बातचीत में डीजीपी ने ग्राम सुरक्षा समिति (वीडीसी) को मजबूत करने पर भी जोर दिया। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और अन्य सुरक्षा अधिकारियों को सीमावर्ती संवेदनशील इलाकों के नियमित दौरे करने का निर्देश दिया गया है। दिलबाग सिंह ने मंगलवार को कठुआ और पुंछ जिलों का दौरा किया।

जम्मू-कश्मीर : साल के आखिर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव

पेज 1 का बाकी

के बाद किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू हो रही है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इस बारे में एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है, 'चुनाव आयोग ने संविधान की धारा 324 और अन्य मौजूदा नियमों/कानूनों के तहत सर्वसम्मति से फैसला किया है कि जम्मू व कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में कराए जाएंगे। चुनाव आयोग नियमित तौर पर वहां के हालात पर नजर रखेगा, हर जगह से जरूरी इनपुट लिया जाएगा और अमरनाथ यात्रा पूरी होने के बाद जम्मू व कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी।

नई सरकार प्रसार भारती की स्वायत्तता बरकरार रखेगी : जावडेकर

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

प्रेस की आजादी को सर्वोच्च बताते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को कहा कि केंद्र की नई सरकार सार्वनजिक प्रसारक प्रसार भारती की स्वायत्तता को बरकरार रखेगी। जावडेकर ने यहां दूरदर्शन भवन में अत्याधुनिक 'हाई डेफिनेशन डिजिटल सर्विस न्यूज गैदरिंग' (डीएसएनजी) वैनों को रवाना किए जाने के बाद यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती की स्थापना एक कानून के जरिए की गई है और उस कानून में इसकी स्वायत्तता के लिए सुरक्षा उपाय हैं।

जावडेकर ने कहा, 'प्रसार भारती की स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण है। हम इसे बरकरार रखेंगे। ...हम चाहते हैं कि प्रसार भारती सुचारू तरीके से काम करे, नए कार्यक्रम लेकर आए और नए आयाम छुए।' मंत्रालय के बयान के अनुसार जावडेकर ने इस मौके पर प्रसार भारती की स्-वायत्तता के महत्-व पर जोर दिया और कहा कि प्रेस की आजादी सर्वोच्-च है।

इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश ने कहा कि सार्वजनिक प्रसारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका विश्वास नीति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की सरकार की योजना

पेज 1 का बाकी

गठन किया गया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटों को रिक्त रखा गया है। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 47 के मुताबिक इन 24 सीटों को पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली छोड़ा गया है। बाकी बची 87 सीटों पर ही चुनाव होता है।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन की मांग बीते कई सालों से की जाती रही है। इसके पीछे सभी जातियों को राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की मंशा रही है। जम्मू क्षेत्र में यह भावना रही है कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से असंतुलित प्रतिनिधित्व रहा है। एक अन्य वर्ग की यह सोच है कि कश्मीर घाटी में अनुसूचित जाति और जनजातियां न होकर गुर्जर, बक्करवार और गड़रिए हैं, जिनकी 11 फीसद आबादी को 1991 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, लेकिन इनका विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में सीटों का परिसीमन 2005 में किया जाना था, लेकिन फारुक अब्दुल्ला की तत्कालीन सरकार ने 2002 में इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी। अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1957 और जम्मू-कश्मीर के संविधान में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया था।

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू संभाग की आबादी 53,78,538 है और यह आबादी प्रांत की 42.89 फीसद है। जम्मू संभाग की कुल आबादी में डोगरा समुदाय 62.55 फीसद है। 25.93 फीसद क्षेत्रफल जम्मू संभाग के अंतर्गत आता है और विधानसभा की कुल 37 सीटें यहां से चुनी जाती हैं। दूसरी तरफ, कश्मीर घाटी की आबादी 68,88,475 है और यह सूबे की आबादी का 54.93 फीसद हिस्सा है।

हर साल लाखों टन कार्बन बचा रहा है रेलवे

- प्रतिदिन 9141 मालवाहक गाड़ियां चलती हैं
- प्रतिदिन 13542 यात्री ट्रेन चलाई जाती हैं
- औसतन 3.3 मिलियन टन माल ढोया जाता है

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 4 जून।

ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहे पारे को थामने के लिए हरित तकनीक बड़ा हथियार बन रही है। इसकी मदद से रेल मंत्रालय पैसा बचा रहा है और प्रदूषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा है। इन इको फ्रैंडली कदमों की मदद से हर वर्ष 3.36 मिलियन टन कार्बन की गिरावट लाई गई है। इन अहम योजनाओं में रेलगाड़ियों को डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन में बदलना, सोलर एनर्जी का प्रयोग, गाड़ियों में एलईडी की व्यवस्था समेत अन्य विकल्प हैं। रेलवे का अनुमान है कि 30 साल के दौरान 457 मिलियन टन कार्बन तत्त्व में कमी लाने में सफल होगा।

यह पहल प्रदूषण से लड़ने के साथ रेलवे के लिए बचत का भी सौदा साबित हुआ है। 2014-15 में डीजल से चलने वाले उपकरणों के बाद रेल मंत्रालय का कुल खर्च करीब 30195 करोड़ था। जो विद्युतीकरण के बाद कम होकर औसतन 10968 करोड़ तक हुआ है। इसमें करीब 36.32 फीसद की गिरावट आई है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए सबसे बेहतर योजनाओं में रेल का विद्युतीकरण है। इसके तहत अब तक प्रयोग किए जा रहे है। डीजल इंजन की विदाई की गई है। रेल मंत्रालय इन्हें विद्युत इंजन में तब्दील किया है। इस वजह से कार्बन तत्त्वों की कमी के अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण की मात्रा में भी कमी लाने में मदद हासिल हुई है। रेलवे के बाद अब 500 केवीए क्षमता के इंजन है। साल 2014-17 तक 22 ट्रेन, 2017-18 में 40 ट्रेन और 2018-19 में 64 ट्रेक को बदला गया है।

रेल मंत्रालय सोलर ऊर्जा के माध्यम से तैयार की जा रही बिजली प्रयोग व एलईडी लाइटों का प्रयोग कर रहा है। रेल मंत्रालय हर साल दस हजार किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण का काम कर रहा है।

रेल मंत्रालय ने ट्रेन धुलाई आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी का भी पुनः इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के माध्यम से 2030 तक 20 फीसद पानी का प्रयोग दोबारा संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त देश भर में जहां भी नए रेलवे स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। उनमें इंजीनियरिंग भवन कोड (ईसीबीसी) का प्रयोग किया जा रहा है।

मुसलिम हस्तियों ने अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने वाले मोदी के बयान को सराहा

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

मुस्लिम समुदाय के मशहूर लोगों के समूह ने अल्पसंख्यकों का विश्वास हासिल करने की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी की सराहना की और उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने का उनसे अनुरोध किया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने भाजपा सांसदों के साथ पहली बैठक में उनके भाषण का जिक्र किया। उस भाषण में प्रधानमंत्री ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने और सेवा करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

उन्होंने पत्र में कहा, 'हम आपकी इस धारणा को साझा करते हैं कि जब तक गरीबों और वंचित लोगों को मुख्यधारा में नहीं लाया जाता और उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जाता, तब तक हर भारतीय देशभक्त का यह सपना पूरा नहीं हो सकेगा।' उन्होंने अल्पसंख्यकों के एजंडे के लिए अपनी ओर से सहयोग देने की भी बात की। पत्र में कहा गया है, 'हमें लगता है कि संविधान और भूमि के कानून के तहत पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करके निम्नलिखित तीन मुख्य बिंदुओं- शिक्षा और स्वास्थ्य, कौशल विकास और विश्वास-निर्माण के उपाय-पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।'

तीन अलगाववादी दस दिन की हिरासत में

पेज 1 का बाकी

की तफ्तीश के लिए एनआइए को सौंप दिया गया। अदालत ने इनकी 10 दिनों की रिमांड मंजूर कर ली। यह जानकारी आरोपियों के वकील एमएस खान ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजंसी ने विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल की अदालत में बंद कमरे में चल रही सुनवाई के दौरान तीनों को पहले गिरफ्तार किया और 15 दिनों तक उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की। अदालत ने 10 दिन की रिमांड मंजूर कर ली।

बता दें कि इनके खिलाफ पहले से ही मामला चल रहा है। मंगलवार की गिरफ्तारी नए मामले में की गई है। पहले के मामले में जांच एजंसी आरोप पत्र दायर कर चुकी है। आलम कथित आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के लिए वहां की जेल में बंद था। आरोपियों को मंगलवार को जिन मामलों में गिरफ्तार किया गया उनमें जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियां चलाकर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर षड्यंत्र करना (भारतीय दंड संहिता की धारा 121) भी शामिल है। हालांकि एनआइए की दलील का विरोध बचाव पक्ष के वकील ने किया जिन्होंने कहा कि आरोपी पहले से हिरासत में हैं और एनआइए उनसे पूछताछ कर सकती है और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।

एनआइए ने 2018 में सईद, एक अन्य आतंकवादी सरगना सैयद सलाहुद्दीन और दस कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने और अलगाववादी गतिविधियों के मामले में आरोप पत्र दायर किया था। एनआइए के मुताबिक शाह को मामले में सह आरोपी और हवाला ऑपरेटर जहूर अहमद शाह वटाली से हवाला के जरिए दस लाख रुपए मिले थे। एजंसी ने बताया कि इसके अलावा धन को प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत को भेजा गया था, जिसकी प्रमुख अंद्राबी थी। वकील ने कहा- अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के एक मामले में मंगलवार को अलगाववादी मसरत आलम, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह को दस दिनों के लिए एनआइए की हिरासत में भेज दिया। यह मामला 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के सरगना और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद से जुड़ा हुआ है।

बकौल एमएस खान आरोपी आसिया और शाह अलग-अलग मामलों में पहले से ही हिरासत में हैं, जबकि आलम को ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू-कश्मीर से लाया गया था। एनआइए ने 2018 में सईद, एक अन्य आतंकवादी सरगना सैयद सलाउद्दीन और दस कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने और अलगाववादी गतिविधियों के मामले में आरोपपत्र दायर किया था।

दरअसल

मंत्रियों की बैठक में कच्चे तेल की आपूर्ति पर विचार

पेज 1 का बाकी

की आपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बैठक में वित्त व पेट्रोलियम मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में शाह ने पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और डीजल-पेट्रोल की सुचारू उपलब्धता के लिए भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में जानकारी ली। गौरतलब है कि अमेरिका के दबाव में भारत को दो मई से ईरान से तेल का आयात बंद करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि जो भी देश ईरान से तेल आयात जारी रखेगा, उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए ईरान से कच्चे तेल का आयात भारतीय परिशोधन संयंत्रों के लिए मुफीद पड़ता था। ईरान भुगतान के लिए 60 दिन का समय देता है। यह सुविधा सऊदी अरब, कुवैत, इराक, नाइजीरिया और अमेरिका उपलब्ध नहीं कराते। इन हालात में ईरान से तेल का आयात बंद होने के बाद कच्चे तेल को लेकर दिक्कतें बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि भारत, चीन के बाद ईरान के कच्चा तेल का दूसरा बड़ा खरीदार रहा है। कच्चे तेल के कुल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 10 फीसद थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ईरान से कुल 2.40 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया गया था। (नीति परिषद बैठक) 15 जून को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जल प्रबंधन, कृषि और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

पायलट कम से कम जोधपुर में हार की जिम्मेदारी तो लें : गहलोत

पेज 1 का बाकी

बयान के बारे में पूछा गया कि वैभव गहलोत को टिकट देने की सिफारिश खुद उन्होंने (पायलट ने) की थी तो गहलोत ने कहा, 'उन्होंने (पायलट ने) अच्छी बात कही ... मीडिया में गलतफहमी पैदा होती है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री की नहीं बनती । पर अगर सचिन पायलट जी यह बात कहते हैं कि मैंने वैभव गहलोत को जोधपुर सीट से टिकट देने के लिए जमानत दी तो ...हमारे मतभेद कहां हैं, यह समझ से परे हैं।'

गहलोत ने आगे कहा, 'अभी दस दिन पहले भी पायलट साहब ने कहा था कि कांग्रेस जोधपुर की सीट पर बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। हमारे वहां छह विधायक हैं, हमने शानदार प्रचार किया तो मैं समझता हूं कि पायलट साहब कम से कम उस सीट की जिम्मेदारी तो लें... जोधपुर की सीट का पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए कि हम लोग क्यों नहीं जीते।'

गौरतलब है कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और सभी पर भाजपा नीत राजग ने जीत दर्ज की है। जोधपुर सीट पर मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र शेखावत ने 2.7 लाख मतों से हराया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई।

मीडिया में आई कुछ खबरों के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा अपने बेटों को टिकट को लेकर दबाव बनाने पर नाराजगी जताई थी।

कांग्रेस कार्यसमिति की बातें मीडिया में आने को लेकर गहलोत ने कहा, 'जिन्होंने बाहर आकर ये बातें की हैं उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया।

गहलोत-पायलट विवाद पर कांग्रेस ने कहा

कोई मतभेद नहीं, हार की जिम्मेदारी सामूहिक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सूबे के उपमुख्यमंत्री व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच मतभेदों को सिरे से खारिज करते हुए इस विवाद का ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ा है।

पार्टी का कहना है कि गहलोत ने हार की सामूहिक जिम्मेदारी की बात की है लेकिन कांग्रेस की आलोचना करने के अभ्यस्त मीडिया का एक वर्ग जानबूझकर इस मामले को तूल दे रहा है।

राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और सभी पर भाजपा नीत राजग ने जीत दर्ज की है।

जोधपुर सीट पर मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र शेखावत ने 2.7 लाख मतों से हराया। इसके बाद से ही गहलोत व पायलट के बीच तनातनी की खबरें आ रही हैं।

हालांकि इस संबंध में पूछने पर कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि हार की जिम्मेदारी सामूहिक है।

सभी वरिष्ठ नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं। किसी एक नेता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

जानकारों का कहना है कि कांग्रेस कार्यसमिति की बीती 25 मई को हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में हार के लिए सीधे तौर पर गहलोत को जिम्मेदार ठहराया था।

सूबे के प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट राहुल के करीबियों में शुमार किए जाते हैं।

ऐसे में गहलोत द्वारा पायलट पर हमला बोले जाने को गहलोत की पार्टी नेतृत्व से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है।

ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर मंगलवार को चिकमंगलूर में खरीदारी करती महिला।

पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम काउंसलिंग करने का निर्देश

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में छात्रों को आ रही कठिनाइयों के लिए महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उसे 14 जून तक अंतिम दौर की काउंसलिंग पूरी करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रमों में 2019-20 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 फीसद आरक्षण देने की अधिसूचना पर रोक लगाए जाने के बाद कोई काउंसलिंग नहीं करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह के अवकाश पीठ ने राज्य सरकार को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इन विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह काउंसलिंग का अंतिम दौर होगा।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया 14 जून से पहले पूरी हो जानी चाहिए और मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने चाहिए। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान राज्य के पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में कोई भी अदालत अब किसी भी याचिका या आवेदन पर विचार नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी छात्र को प्रवेश फार्म में पहले दी गई वरीयता में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

न्यायालय ने मेरिट लिस्ट फिर से तैयार करने के बाद काउंसलिंग के नए दौर के लिए कुछ छात्रों के आवेदन पर यह आदेश दिया। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसद आरक्षण की सरकार की अधिसूचना पर शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के बाद इन छात्रों ने यह आवेदन दायर किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने महाराष्ट्र और राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सेट) प्रकोष्ठ से जानना चाहा कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद काउंसलिंग क्यों नहीं की गई। पीठ ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं देना चाहते, जिससे दूसरे छात्र प्रभावित होंगे। सारी समस्याओं के जनक आप ही हैं। यह ठीक नहीं है।

सेट प्रकोष्ठ के वकील ने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार मेरिट सूची फिर से तैयार की गई है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 10 फीसद आरक्षण पर रोक लगाने के आदेश को लगभग दरकिनार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की धमकी दी थी। न्यायालय ने प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा चार जून तक बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी के छात्रों को अलग करके नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का भी निर्देश दिया था।

यूजीसी ने जेआरएफ और एसआरएफ की राशि बढ़ाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ) की योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की है।

यूजीसी के सचिव रजनीश जैन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान (यूजीसी नेट) में जेआरएफ की मौजूदा राशि को 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी गई है।

इसी तरह विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान (यूजीसी नेट) में एसआरएफ की मौजूदा राशि को 28,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 35,000 रुपए हर महीने करने को मंजूरी दी गई है। यूजीसी के नोटिस के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 26 फरवरी 2019 को आयोजित 539वीं बैठक में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जेआरएफ और मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एसआरएफ संबंधी योजना के तहत फेलोशिप की राशि को संशोधित दरों को मंजूरी दे दी। ये संशोधित दरें एक जनवरी 2019 से लागू होंगी। इसमें कहा गया है कि मकान किराया भत्ता 8 फीसद, 16 फीसद और 24 फीसद की संशोधित दरों पर शोधार्थी के कार्यस्थल के अनुसार भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार देय होगा। अन्य नियम व शर्तें यूजीसी की 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जेआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार समान रहेंगे।

इकबाल मेमन के बेटे का पासपोर्ट निलंबित करने का आदेश रद्द

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत जांच में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में निजी तौर पर भाग नहीं लेने के लिए मोहम्मद इकबाल मेमन के बेटे के पासपोर्ट को निलंबित करने के केंद्र के आदेश को रद्द कर दिया है।

केंद्र का आदेश इकबाल मेमन के प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) बेटे जुनैद इकबाल मोहम्मद मेमन की याचिका पर आया है। जुनैद साल 1993 से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा है। जुनैद ने अगस्त 2015 में केंद्र द्वारा उसके पासपोर्ट को निलंबित किए जाने को चुनौती दी थी। केंद्र ने ईडी के अनुरोध पर पासपोर्ट निलंबित किया था। ईडी ने समन जारी किए जाने के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करने पर उसका पासपोर्ट निलंबित करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति विभू बाखरु ने अपने आदेश में कहा कि जुनैद का पासपोर्ट जनहित में निलंबित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जुनैद टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने और इसके लिए बंदोबस्त करने के लिए राजी हो गया था लेकिन एजेंसी ने उसे नहीं माना।

हाथापाई के बाद कुल्हाड़ी से बेटे की हत्या

कोटा, 4 जून (भाषा)।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में हाथापाई के बाद 60 साल के एक व्यक्ति ने अपने बेटे की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि घटना जिले के पिरवा क्षेत्र के धतुरिया कलां गांव में सोमवार की रात हुई।

एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार की रात खाना खाने से पहले राम सिंह नायक और उनके 35 वर्षीय बेटे मथुरा लाल नायक के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई, जिसके बाद राम सिंह ने कथित तौर पर अपने बेटे को कुल्हाड़ी से सिर पर पीछे से मारा। पिपरा थाना प्रभारी रामकिशन मेघवाल ने बताया कि अंदर खाना बना रही मथुरा लाल नायक की माँ दौड़ कर बाहर आई और बेटे को खून से लथपथ पाया। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद 60 वर्षीय व्यक्ति मौके से भाग गया और अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। उसके चार बेटों में मथुरा तीसरा था।

मेघवाल ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार सुबह परिजनों को सौंप दिया गया है और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

सार्वजनिक सूचना
प्रारूप संख्या आईएनसी-26
कम्पनी (निगमन) नियम 2014, के नियम 30 के अनुसार
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 उपधारा (4) कंपनी (निगमन) नियम 2014, के नियम 30 के उपनियम 5 खंड (ए) के मामले में के अनुसार के मामले में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

एमपॉवर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड (U15541DL2006PTC154499) जिसका पंजीकृत कार्यालय 194 जोरबाग नई दिल्ली 110003 में स्थित है के मामले में!

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 उपधारा और कंपनी (**निगमन**) नियम 2014 का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा स्थानांतरित करने के लिए तारीख मई 04 2019 को आयोजित दूसरी भागीदारीयों की बैठक में पारित किया गया है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है, तो यह व्यक्ति एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग दूसरी मंजिल, **पर्यावरण भवन**, सीजीओ कॉम्प्लैक्स नई दिल्ली 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें-194 जोरबाग नई दिल्ली 110003

कृते एवं हित
एमपॉवर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
रामकरण
निदेशक
तारीख: मई 05.06.2019
स्थान: दिल्ली
DIN: 06702887

अधिकारों की लड़ाई में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को नोटिस

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ टकराव की स्थिति में पुडुचेरी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि सात जून की मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय मामलों से संबंधित किसी भी निर्णय को इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक लागू नहीं करें।

न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह के अवकाश पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र और उपराज्यपाल के एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को भी प्रतिवादी बनाया। केंद्र और उपराज्यपाल ने पुडुचेरी के अप्रैल 30 के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से पहले की स्थिति बहाल करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन किया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

केंद्र और उपराज्यपाल ने हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दे रखी है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर 10 मई को कांग्रेस विधायक के लक्ष्मीनारायणन को नोटिस जारी किया था। इसी विधायक की याचिका पर हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और किरण बेदी की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल अमन लेखी और एएनएस नाडकर्णी ने पीठ से कहा कि उसे अंतरिम राहत प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हाई कोर्ट के फैसले से पहले की स्थिति बहाल नहीं की गई तो इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन ठहर जाने की आशंका है।

नाडकर्णी ने पीठ के समक्ष तीन जून की मंत्रिपरिषद की बैठक, जो सात जून के लिए स्थगित हो गई थी, की कार्यसूची पेश की और कहा कि इसमें शामिल अधिकांश विषयों के वित्तीय पहलू हैं और यदि इन्हें लागू किया गया तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका ही निरर्थक हो जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल ने लेखी और नाडकर्णी की दलीलों का विरोध किया और कहा कि इससे पहले प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित पक्षों की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद इस आवेदन पर नोटिस जारी किया जाता है। इसका जवाब 21 जून को देना होगा। पीठ ने कहा कि मौजूदा आवेदन पर सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए निर्देश दिया जाता है कि सात जून की मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय प्रभाव वाले या भूमि अंतरण से संबंधित फैसलों पर अमल नहीं किया जाएगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाएंगे वरिष्ठ शिक्षाविद और अधिकारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआइ) में पढ़ाने के लिए अब वरिष्ठ शिक्षाविदों और अधिकारियों को विशिष्ट अभ्यागत विद्वान (डिस्टिंग्युइस्ड विजिटिंग फैकल्टी) के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। संबद्ध, प्रासंगिक विषय के ज्ञान क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले ये विद्वान विश्वविद्यालय या संस्थान के बाहर से होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जारी पत्र के मुताबिक आयोग ने हाल ही में अपनी 540वीं बैठक में वरिष्ठ शिक्षाविदों या अधिकारियों को विशिष्ट अभ्यागत विद्वान के रूप में आमंत्रित करने के संबंध में दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी।

इन दिशानिर्देशों के मुताबिक वरिष्ठ शिक्षाविद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ उद्योग कर्मी और प्रख्यात व्यक्तित्व (जिन्होंने संबद्ध, प्रासंगिक या अनुप्रयुक्त विषय के ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान किया है) विशिष्ट अभ्यागत विद्वान के रूप में आमंत्रित किए जाने के पात्र होंगे। विशिष्ट अभ्यागत विद्वान संबद्ध विश्वविद्यालय या संस्थान से बाहर के विश्वविद्यालय या संस्थान में आमंत्रित किए जाएंगे। विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों को आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव संबंधित स्कूल या विभाग या केंद्र द्वारा शुरू किया जाएगा। दिशानिर्देश में कहा गया है कि विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों को एक घंटे की अवधि के लिए प्रति व्याख्यान 5000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों को एकल व्याख्यान या श्रृंखला व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। मानदेय का भुगतान सामान्य विकास निधि या ब्लाक अनुदान या विश्वविद्यालयों अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अन्य स्रातों से किया जा सकता है। मानदेय के अलावा यात्रा और अन्य खर्चों का भी भुगतान किया जा सकता है।

FORM No. INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Notice for change of Registered Office of the company from one state to another.
Before the Central Government (Regional Director, Northern Region)
In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.
AND
In the matter of M/s. DAYACHAND ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED having its Registered Office at 301/7 ADITYA COMMERCIAL COMPLEX, PREET VIHAR, NEW DELHI-110092
.................Applicant Company
NOTICE is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013, seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company, in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 16th, May,2019 to enable the Company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Northern Region, B-2 WING, 2ND FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice, with a copy thereof, to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
301/7 ADITYA COMMERCIAL COMPLEX PREET VIHAR NEW DELHI-110092

For and on behalf of DAYACHAND ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
sd/-
AMIT JAIN
DIRECTOR
Date: 05/06/2019
Place: New Delhi
DIN: 05135625

फार्म एनसीएलटी-3ए
राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, प्रधान पीठ
नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी याचिका संख्या (सीएए)-181 (पीबी)/2018
व संबंधित
कंपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)-129 (पीबी)/2018
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़े जाते हुए, के मामले में और
एमजेआई टेक प्राइवेट लिमिटेड, वीकेजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और गुडरे प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना के मामले में

एमजेआई टेक प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U51505DL1996PTC084083 **हस्तांतरणकर्ता कंपनी 1**
वीकेजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन:U74899DL1991PTC043406 **हस्तांतरणकर्ता कंपनी 2**
गुडरे प्राइवेट लिमिटेड सी आई एन: U93000DL1995PTC073239 **हस्तांतरिती कंपनी**
उपरोक्त सभी तीन कंपनियों के कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय बी27/5 (दो मंजिला), रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, भारत में है।

याचिका के विवरण का विज्ञापन
याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत एमजेआई टेक प्राइवेट लिमिटेड, वीकेजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और गुडरे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समामेलन के योजना को अनुमति प्रदान करने हेतु संयुक्त रुप से 08 अगस्त 2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा यह आवेदन राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 4 जुलाई 2019 को सुनवाई के लिए तय हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त आवेदन का समर्थन अथवा विरोध करना चाहता है वह संबंधित पीठ और आवेदक, आवेदक के अधोहस्ताक्षरीत प्रतिनिधि के पास स्वयं अथवा अपने वकील के द्वारा हस्ताक्षर करके नोटिस अपने नाम तथा पते सहित भेज दे, जिससे वह संबंधित पीठ और आवेदक, आवेदक के वकील के पास सुनवाई की तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त हो जाए। यदि उक्त व्यक्ति आवेदन का विरोध करना चाहता है, तो उस संबंध में विरोध करने का कारण या अपने शपथ-पत्र की प्रतिलिपि नोटिस के साथ जमा कराए। आवेदन की प्रतिलिपि सुनवाई की तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व तक आवेदक कंपनी से शनिवार को छोड़कर किसी भी कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच उसके लिये निर्धारित शुल्क देने के पश्चात प्राप्त की जा सकती है।

एसडी
शरद जैन
(याचिकाकर्ताओं के लिए अधिकृत प्रतिनिधि)
पता: 13-बी, डी -6, वसंत विहार, नई दिल्ली -110057, भारत
दिनांक : 4 जून 2019

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
ब्लॉसम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1995PTC066442)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **फ्लैट नं. 8, तीसरी मंजिल, एनडीएमसी बिल्डिंग, यशवंत पैलेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110021 में है, के मामले में**
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **03 जून, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करे या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में **फ्लैट नं. 8, तीसरी मंजिल,एनडीएमसी बिल्डिंग, यशवंत पैलेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110021** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **ब्लॉसम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड**
प्रतिन वास
(निदेशक)
दिनांक: 04 जून, 2019
स्थान: नई दिल्ली
डीआईएन: 01864626

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013
(CIN No. U67190MH2008PLC187552)
डिमांड नोटिस

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 ("नियमों") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत

चूंकि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHFL) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए विवरण अनुसार संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के अंदर संबंधित डिमांड नोटिस में वर्णित अनुसार राशियों की अदायगी के लिए यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों (सभी अकेले या एकत्रित रूप से "बाध्यताधारी")/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नीचे वर्णित तिथि को विस्तृत डिमांड नोटिस पहले ही जारी कर दिया था। कथित नोटिसों की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गई हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधि, यदि वो इच्छुक है, किसी भी कार्यदिवस को सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के अन्दर कथित बाध्यताधारी द्वारा निष्पादित ऋण सहमति व अन्य दस्तावेज/ लिखित, यदि कोई है, के साथ पठित अदायगी/ वसूली की तिथि तक कॉलम (डी) में नीचे वर्णित संबंधित तिथियों से नीचे विस्तृत अनुसार आगामी ब्याज के साथ उनके संबंधित नाम के अंतर्गत नीचे यहां वर्णित राशियों की टीसीएचएफएल को अदा करने के लिए कथित बाध्यताधारी/ कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार फिर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है। ऋण की बकाया पुनः अदायगी के लिए प्रतिभूति के तौर पर, निम्नलिखित प्रतिभूतित परिसम्पत्तियां क्रमशः कथित बाध्यताधारी द्वारा टीसीएचएफएल को रेहन रखी गई है।

ऋण खाता सं.	बाध्यताधारी/ कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि के नाम	निम्न तिथि को कुल बकाया रशि (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि व एनपीए की तिथि
9959310	श्री संजय सेठी (कर्जदार) व श्रीमती मधू सेठी (सह कर्जदार)	42,64,508/- जो 27 मई, 2019 को है।	27 मई, 2019 व 09 अप्रैल, 2019

प्रतिभूतित परिसम्पत्ति/ अचल सम्पत्ति/ रेहन संपत्तियों का विवरण बिक्री विलेख में लिखित कॉमन सुविधाओं के साथ 6, क्विंटन रोड, वार्ड जगदीश चंद्र बोस, लखनऊ, उ.प्र. 226001 में स्थित एबीसी कम्पलैक्स धारक कार्पोरेट नं. 125/ 14 के नाम से ज्ञात कमर्शियल कम्पलैक्स के धरातल पर स्थित शॉप नं. जीएम-19, क्षेत्र रकबा 158 वर्ग फुट और बेसमेंट में स्थित कमर्शियल शॉप नं. बीएम 1 व 2 रकबा 340 वर्ग फुट तथा शॉप नं. बीएम 18 व 19 रकबा 260 वर्ग फुट कुल रकबा 600 वर्ग फुट के सभी अनिवार्य अंग।

* अदायगी/वसूली की तिथि तक उपार्जित आकस्मिक खर्चे, लागतें, प्रभार, ऊपर वर्णित तिथि के डिमांड नोटिस में विशेष तौर पर वर्णित दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज के साथ। यदि कथित बाध्यताधारी ऊपरकथित अनुसार टीसीएचएफएल को अदायगी करने में असफल होगा, तब टीसीएचएफएल कथित अधिनियम व लागू नियमों की धारा 13 (4) के अंतर्गत लागतों व परिणामों के तौर पर कथित बाध्यताधारी/कानूनी प्रतिनिधियों के पूर्ण जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूति परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों के अंतर्गत कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी /कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि कथित अधिनियम के अंतर्गत टीसीएचएफएल की पूर्वलिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतित व परिसम्पत्तियों/अचल संपत्ति का हस्तांतरण, चाहे बिक्री पट्टे या अन्य द्वारा प्रतिबंधित है। कोई व्यक्ति जो यहां नीचे दिए अधिनियम या नियम के प्रावधानों के उल्लंघन या शह देना अधिनियम के अधीन प्रदान किये अनुसार कारावास तथा/या जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

दिनांक 05.06.2019
स्थानः लखनऊ
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जे की सूचना

जैसे की अधोहस्ताक्षरीत, एसेट रिक्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनानशियल ॲसेट्स ॲण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट ॲक्ट, २००२ के अनुसार और धारा १३(१२) सपठीत सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) रुल्स, के नियम ३ के तहत प्राप्त अधिकारी के तहत अर्जदारों को उनके नामो के समुख निर्देशित राशि का प्रदान संबंधित सूचना में निर्देशित लागू दरों पर ब्याज के साथ संबंधित सूचना की प्राप्ति की तिथि से ६० दिनो के भीतर प्रदान औय या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक व्यय, मूल्य, प्रभार आदि के साथ करने के हेतु निर्देश देनेवाली मांग जारी की गई थी

अ. क्र.	ऋण खाता सं.	ऋणी/सह- ऋणी/ जमानतदार का नाम	कुल बकाया राशि रु में मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक व प्रकार
1	HHOMDEL00053631	सुकराम पाल, सुनीता गौतम और वीनस क्रियेशन	16-Jan-2019 Rs. 50,16,070.70/-	31-May- 2019 सांकेतिक
बन्धक संपत्ति का विवरण : मार्ट नं-बी ७/४६, पहली मंजिल, एक्सपोमार्ट कंप्लेक्स, प्लॉट नं.२५, २७, २८ और २९, नौलेज पार्क-२, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश - २०१३०६.				
2	HL0031/HDLH00009108	हरि सिंग, व्हिसाया नेटवर्क इन्फोरमेशन और विक्रम सिंग	12-Jun-18 Rs. 90,32,738.45/-	01-Jun-19 भौतिक
बन्धक संपत्ति का विवरण : डब्ल्यूझेड - २६-ए, १५० वर्ग-मीटर भूमिक्षेत्र पर निर्मित, सभी अधिकार समेत, खसरा-९६/२१ पलाम गाव, अबादी गली नं. १४/ए, साध नगर, पलाम कॉलनी, नई दिल्ली - ४५.				

तथापि, कर्जदार द्वारा संबंधित राशि का प्रदान करने में असफल होने के कारण यह सूचना विशेष रुप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को तथा आम जनता को दी जाती है की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कानून के धारा १३(४) सपठीत इस नियम के नियम ८ के तहत उन्हे प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करत हुए उपरी निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति का प्राधिकृत अधिकार ने उपरी निर्देशित तिथि को **भौतिक / सांकेतिक कब्जा** प्राप्त कर लिया है, विशेष रुप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को और आम जनता को आगाह किया जाता है की वे इन निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति के संदर्भ में व्यवहार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि (आर्सिल) के प्रभारों के अधीन होगा, कानून के धारा १३ के उपधारा (८) के प्रावधानोंके तहत कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वे उपलब्ध समय में प्रतिभूत संपत्ति विमुक्त करें।

स्थळ : दिल्ली
दिनांक : ०५/०६/२०१९
हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.

Arcil
असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालय : द रूबी, १० वी मंजिल, २९ सेनापती बापट मार्ग, दादर (२), मुंबई - ४०० ०२८.
फोन : +९१-२२६६५८१३००, वेबसाईट : www.arcil.co.in; **CIN No.: U65999MH2002PLC134884.**
शाखा पता : सेठी चेंबर्स, २ री मंजिल, प्लॉट नं. २, डीडीए शॉपिंग सेंटर एसओआर ब्लॉक, न्यू राजिंदर नगर, न्यू दिल्ली - ११००६० मो : +९१ ९८००५५९२३; फोन : ०११-४६३७०४०२

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
प्रधान पीठ, नई दिल्ली पीठ के समक्ष
कम्पनी याचिका सं. (सीएए) 74(पीबी)/2019 के साथ संबंधित
कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए)/197(पीबी)/2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत)
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के लागू प्रावधानों के विषय में
तथा
निम्नलिखित के विषय में :
सिग्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा सिग्मा कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन और व्यवस्था की स्कीम

सिग्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएन : यू74899डीएल1994पीएलसी058667), पैन : एएएसीएस9858एच, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय आर-561, न्यू राजिन्दर नगर, शंकर रोड, नई दिल्ली - 110060 में स्थित है।	याचिकादाता/ समामेली कम्पनी
सिग्मा कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड (सीआईएन : यू74899डीएल1995पीएलसी068007), पैन : एएबीसीएस8026एल, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय आर-561, न्यू राजिन्दर नगर, शंकर रोड, नई दिल्ली - 110060 में स्थित है।	याचिकादाता/ समामेलित कम्पनी

याचिका की सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा, उपरोक्त नामक याचिकादाता कम्पनियों की ओर से, सिग्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा सिग्मा कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन और व्यवस्था की स्कीम (**"स्कीम"**) की मंजूरी के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक याचिका सी.पी. (सीएए) सं. 74 (पीबी)/2019 दिनांक 07 मई, 2019 को प्रस्तुत की गई थी तथा 24 मई, 2019 हेतु सूचीबद्ध की गई थी। उक्त याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष 12 जुलाई, 2019 को की जानी नियत है। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, वह अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, अधोहस्ताक्षरी को इस प्रकार भेज सकता है, कि याचिकादाता कम्पनी के अधिवक्ता को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त हो जाए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा एक शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को याचिका की प्रति उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांकित : 05-06-2019
हस्ता/-
(अनिरुद्ध दास)
शार्दुल अमरचंद मंगलदास ऐण्ड कम्पनी
याचिकादाता कम्पनियों हेतु अधिवक्ता
अमरचंद टावर्स216, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,फेज-।।।, नई दिल्ली-110020
मोबाइल : 98100-98320

सूचना

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन,सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष।
कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 13 की उप धारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम-2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले में।
एवं
पिक्चर परफेक्ट बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
[CIN: U70200DL2018PTC331582]
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 16/10, फर्स्ट फ्लोर, न्यू रोहतक रोड, एम टी एन एल ऑफिस के पास, नई दिल्ली-110005, में है।
..........(आवेदक)
के मामले में।

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी क्षेत्रिय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हटाकर गुजरात राज्य में स्थानांतरित करने के लिये 27 मई 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन के खंड-2 में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो, के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आवेदक की ओर से और उसके लिये
मै. पिक्चर परफेक्ट बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
नितिन शाह
निदेशक
दिनांक: 04.06.2019
स्थान: नई दिल्ली
DIN: 07100903

पूर्वोत्तर रेलवे **ई-निविदा**

निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा भारत के राष्ट्रपति की ओर से आमन्त्रित की जाती है जो उप मुख्य विद्युत इंजीनियर, कालोनी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा आमन्त्रित की जाती है:

निविदा सूचना सं. एवं कार्य का विवरण	अनुमानित लागत ₹	बयाने की राशि ₹
1 18-2019-कालोनी कार्य का नाम:- गोरखपुर-रेलवे कार्यालयों में स्थापित स्पिलिट ए.सी. (244 अदद) के ए.एम.सी. 01 वर्ष के लिये (2019-20) एवम अगले 01 वर्ष के लिये (2020-21) स्पिलिट ए.सी. 383 अदद के ए.एम.सी. का प्रावधान (कुल 02 वर्ष के लिये)।	1601134.00	32000.00
	ई-निविदा फार्म का मूल्य ₹2000/- कार्य पूर्ण करने की समय/अवधि स्वीकृत पत्र जारी होने के तिथि से - 24 माह	

• आन लाइन ई-निविदा जमा करने की तिथि 25.06.2019 समय 15.00 बजे तक। • इस निविदा के विरुद्ध मैनुअल आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा, ऐसे प्राप्त मैनुअल आफर को उपेक्षित कर दिया जायेगा। पूर्ण विवरण एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें। • निविदा सूचना में हिन्दी एवं अंग्रेजी में अन्तर होता है तो निविदा सूचना में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

मुजाधि/विद्युत-22 उप मुख्य विद्युत इंजीनियर/कालोनी/पू.उ.रे./गोरखपुर

यात्री सुविधा संबंधित शिकायत हेतु मो.नं.: 09794845955 पर एसएमएस करें

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **सुमित पुत्र** सुनिल **निवासी:** मं0 नं0 181, अमरपुरी पहाडगंज, दिल्ली ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 01/2018 धारा 379/411/34 भा0 द0 सं. थाना–कश्मीरी गेट मेट्रो, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तार के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **सुमित** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **सुमित** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 01/2018 धारा 379/411/34 भा0 द0 सं. थाना–कश्मीरी गेट मेट्रो, दिल्ली** के अभियुक्त **सुमित** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **17.07.2019** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री हरजीत सिंह जसपाल
महानगर दंडाधिकारी (मध्य जिला), कमरा नं. 286,
दूसरी मंजिल, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/142/Metro/19

द दिल्ली फ्लॉर मिल्स कंपनी लिमिटेड

CIN : U74899DL1916PLC000035
पंजीकृत कार्यालय: 8377-8381, रोशनआरा रोड, दिल्ली-110007
फोन: 011-23826445, फैक्स: +91-11-23822409, ईमेल: dfm@dfmgroup.in

शेयरधारकों के लिए सूचना (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण में इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए)

यह सूचना, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा हस्तांतरण और वापसी) नियमावली, 2016 और इसके संशोधनों (नियम) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

यह नियम, अन्य विषयों के साथ–साथ उन शेयरों, जिनके लाभांश का लगातार 7 वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है अथवा जिनके लिए कोई दावा नहीं किया गया है उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") प्राधिकरण में हस्तांतरण के लिए अधिकृत करता है।

तदनुसार नियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित कर दिया है जिनका लाभांश लगातार 7 वर्षों से अप्रदत्त या दावा रहित है। इस संदर्भ में कंपनी ने उन शेयरधारकों को जिनके शेयर उक्त नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2019–20 में आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित करने हेतु देय हैं, को उनके उपलब्ध अद्यतन पतों पर व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.delhiflourmills.com पर उन शेयरधारकों का विवरण अपलोड किया है जिनके शेयर अभी आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं। शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे आईईपीएफ के खाते में हस्तांतरित किए जाने के देय शेयरों का ब्यौरा सत्यापित करने हेतु वेबसाइट देखें।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2011–12 से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, वे 19 अगस्त, 2019 या उससे पूर्व जानकारी प्राप्त करके 2011–12 व आगामी वर्षों के लाभांशों के लिए दावे के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नोट करें कि यदि कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्टस को 19 अगस्त, 2019 तक संबद्ध शेयरधारकों द्वारा कोई सूचना नहीं दिए जाने पर नियमों के अनुरूप कंपनी द्वारा शेयरों का आईईपीएफ प्राधिकरण/आईईपीएफ खाते में बिना किसी सूचना के उक्त अधिसूचना में दर्ज निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा:

i) संबंधित शेयरधारक, फिजिकल रूप में शेयर धारण करने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दें कि नियमों के अनुसार कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर–परक्राम्य मान लिए जाएंगे।

ii) यदि शेयर डीमैट मोड में धारित किया गया है तो शेयरों का हस्तांतरण कॉरपोरेट एक्शन के तहत नियमों में वर्णित प्रक्रिया व तिथि के अनुरूप आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि सभी दावारहित लाभांश व संबद्ध शेयर जो आईईपीएफ एकाउन्ट में हस्तांतरित शेयरों तथा संबद्ध सभी लाभ, यदि हो, को आईईपीएफ के नियम के अनुसार दी गई प्रक्रिया के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए शेयरधारक कृपया कंपनी रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेन्टस, मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेन्ट लिमिटेड, एफ–65, पहला तल, औखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली–110020, ईमेल: admin@mcsregistrars.com व फोन नं. 011-41406149 पर संपर्क करें।

द दिल्ली फ्लॉर मिल्स कंपनी लिमिटेड
ह./–
एन.के. अरोरा
कंपनी सचिव

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 4 जून, 2019

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

India's International Bank
जेडओएसएआरबी, 9वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23448841, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

सार्वजनिक सूचना

सदर्भ: एनपीए खाता मैसर्स अशोका एजेंसी शाखा : जेडओएसएआरबी शाखा, नई दिल्ली, जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटो प्रकाशन

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक / रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है।

नाम:
1. मैसर्स अशोका एजेंसी (कर्जदार)
2. अनूप कुमार गुप्ता (प्रोपराईटर)
पता : एफडी–6, भूतल, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

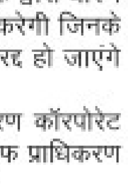

बैंक ने उक्त व्यक्तियों को जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित करने के निर्णय सम्बंधी उपयुक्त संचार भेजा था।
रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार जनसाधारण की सूचना के लिए बैंक जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित करता हैं।
दिनांक : 04-06-2019 मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

India's International Bank
जेडओएसएआरबी, 9वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23448841, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

सार्वजनिक सूचना

सदर्भ: एनपीए खाता मैसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड शाखा : जेडओएसएआरबी शाखा, नई दिल्ली, जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटो प्रकाशन

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक / रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है।

नाम:
1. मैसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड (कर्जदार)
पता: 306, तृतीय तल एसआरएस टॉवर, मेट्रो स्टेशन मेवला महाराजपुर के पास, जी टी रोड, फरीदाबाद
2. श्री अनिल जिंदल (निदेशक और गारंटर)
3. शशि जिंदल (गारंटर)
4. श्री राजू गुप्ता (निदेशक)
5. श्री अंकित सचदेवा (निदेशक एवं गारंटर)
6. श्री विनोद कुमार (गारंटर)
7. रितु जिंदल (गारंटर)
8. श्रीमती बिमलेश तायल (गारंटर)
9. श्रीमती ममता सिंगला (गारंटर)
10. श्री नानक चंद बंसल (गारंटर)
11. श्रीमती तोषी बंसल (गारंटर)
12. श्रीमती संजना बंसल (गारंटर)
13. श्री सुनील जिंदल (गारंटर)
14. श्रीमती शालिनी जिंदल (गारंटर)

बैंक ने उक्त व्यक्तियों को जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित करने के निर्णय सम्बंधी उपयुक्त संचार भेजा था।
रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार जनसाधारण की सूचना के लिए बैंक जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित करता हैं।
दिनांक : 04-06-2019 मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा

सार्वजनिक सूचना

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने निम्नलिखित संचालक द्वारा आवेदन करने पर निम्नलिखित स्थान के लिए सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित करने तथा संचालन करने के लिए उचित प्रकिया एवं परिश्रम का पालन करने के बाद एक आशयपत्र जारी किया है।

आवेदन का नाम: भारती सिंह राव

प्रस्तावित स्टेशन का पता–खेवट नं0 481/425, खतौनी नं0 494, पंथ. नम्बर 40, किला नं0 4/1/2/2 एंड 4/2, खेरकी दौला, तहसील–मानेसर, जिला–गुरुग्राम, हरियाणा।

हालंकि, यदि किसी व्यक्ति को उक्त स्थल पर सीएनजी स्थापित करने के संबंध में कोई आपत्ति या दावा है, तो कृप्या इस नोटिस के प्रकाशन से 7 दिनों के भीतर हमसे संपर्क करें। उपयुक्त और उचित प्रमाण के साथ आपत्ति/दावे को प्रमाणित करने में विफल रहे। जिसमें यह समझा जावेगा कि उक्त स्थल पर सीएनजी स्टेशन की स्थापना के लिए कोई आपत्ति/दावा नहीं है।

हमसे संपर्क करें।–आईजीएल भवन, प्लॉट नं0.4, सामुदायिक केन्द्र आर.के.पुरम, सेक्टर–9, नई दिल्ली–110022 iglcnp@gmail.com

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)
निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्तिमार्ग, हौजखास, नई दिल्ली–110016, टेलीफैक्स: 011–49857894,
ई–मेल: engg.cwhc@cewacor.nic.in, वेबसाइट : www.cewacor.nic.in

सं.केभनि/नि.का.–इंजी./प्रैस नोट/2019–20/1948 दिनांक: 04.06.2019

ई–टैंडर आमंत्रण प्रैस सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित कार्यों के लिए ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है:

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.में)	निविदा ऑनलाइन भेजने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	सैन्ट्रल वेअरहाउस, बीसलपुर एवं चंदौसी– II (उ.प्र) में एसी शीट रुफिंग को बदलना तथा आंतरिक सड़कों का नवीकरण	158.07	04.07.2019

अनुबंध की शर्तें और ई–टेंडर आमंत्रण सूचना सहित विस्तृत निविदा सूचना निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई–टेंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app. से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। इस निविदा संबंधी यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट होगा तो वह केवल वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई–टेंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app.(CPP) पर प्रकाशित होगा। इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

मुख्य अभियंता

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank — ई–नीलामी सूचना

शाखा : यादव कॉम्प्लेक्स, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, फैज़ाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016
फोन : 0522.2353367/68, 7525027504. ई-मेल : cb0567@corpbank.co.in

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

(केवल ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा और जो कुछ भी है"** के आधार पर **कार्पोरेशन बैंक लखनऊ इन्दिरा नगर शाखा (प्रतिभूत लेनदार)** की निम्नलिखित बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **11.07.2019** को बेचा जायेगा।

उधारकर्ता/जमानतकर्ता का नाम एवं पता/बकाया धनराशि	अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धनराशि
ऋणी : श्री नरेन्द्र सिंह **बकाया धनराशि : रू0 29,41,185/- +** उस पर ब्याज एवं अन्य विधिक खर्चे	समानुतिक बंधक आवासीय भूमि एवं भवन भूखण्ड सं0 10ए, खसरा सं0 163–क–मिनजुमला, कमता वार्ड, इस्माइल गंज, इन्दिरा नगर, निकट मुलायम क्रासिंग, फैज़ाबाद रोड, **लखनऊ**, मापित **क्षेत्रफल 66.171 वर्ग मी0** जो कि **श्री नरेन्द्र बी सिंह** पुत्र स्व0 जय बहादुर सिंह के नाम है। **चौहद्दी : पूर्व**–भूखण्ड सं0 10, **पश्चिम**–भूखण्ड सं0 11, **उत्तर**–16 मी0 चौड़ी सड़क, **दक्षिण**–अन्य की भूमि।	रू0 27,10,000.00 / रू0 2,71,000.00

विक्रय हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु, कृपया कार्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत लेनदार) द्वारा दी गई वेबसाइट पर दिये गये लिंक https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/narender_singh.pdf.

दिनांक : 05.06.2019 स्थान : लखनऊ **प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक**

Bank of India

Relationships beyond banking.

नई दिल्ली आंचलिक कार्यालय, स्टार हाउस एच –2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110001

विलफुल डिफॉल्टर्स, डायरेक्टर्स /गारंटर्स के लिए सार्वजनिक सूचना

इस नोटिस द्वारा जनता को बड़े पैमाने पर सूचना दी जाती है कि "बैंक ऑफ इंडिया" ने निम्नलिखित व्यक्तियों को "विलफुल डिफॉल्टर" घोषित किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद किए गए हैं।

निम्नलिखित व्यक्ति ने **18.03.2010** को **बैंक ऑफ इंडिया, आसफ अली रोड शाखा** से टर्म लोन लिया है और भुगतान में चूक की है।

(करुणा जैन)

उधारकर्ता का नाम: श्रीमती करुणा जैन पत्नी श्री सुनील जैन
निवास: 711 अरलियास, डीएलएफ फेज–5, डीएलएफ गोल्फ लिंक्स, गुड़गांव, हरियाणा–122009
कार्यालय का पता: खसरा नंबर 205 और 721, ग्राम डंगयार, टकसाल रेलवे स्टेशन के पास, कसोली रोड, सेक्टर–2, परवाणू, सोलन, हिमाचल प्रदेश
खाते का नाम: मैसर्स के एस फिल्टरेशन सिस्टम
ऋण खाता संख्या: 600170410000006
मूल राशि: रु. 45.00 लाख
बकाया राशि: रु. 31.40 लाख + संविदात्मक ब्याज + अन्य शुल्क

निम्नलिखित व्यक्ति ने **25.07.2014** को **बैंक ऑफ इंडिया, खान मार्केट शाखा** से कैश क्रेडिट ऋण प्राप्त किया है और भुगतान में चूक की है।

(गुरिन्दर सिंह साहनी) (रजिंदर कौर साहनी)

उधारकर्ता का नाम: (1) श्री गुरिंदर सिंह साहनी पुत्र श्री प्रभजीत सिंह, (2) श्रीमती राजिंदर कौर साहनी पत्नी श्री गुरिंदर सिंह साहनी,
निवास: सी–362, सुशांत लोक–1, गुड़गांव, हरियाणा
कार्यालय का पता: 1/204, ग्राउंड फ्लोर, सदर बाजार, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली–110010, इसके अलावा शॉप नंबर 244, डीएलएफ एम्पोरिया, नेल्सन मंडेला मार्ग, नई दिल्ली–110070 और यूजी–14, एंबियंस मॉल, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
खाते का नाम: मैसर्स जोट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
ऋण खाता संख्या: 600730110000021
मूल राशि: रु. 2000.00 लाख
बकाया राशि: रु. 1232.88 लाख + संविदात्मक ब्याज + अन्य शुल्क

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ–साथ क्रेडिट सूचना कंपनियों को उपर्युक्त व्यक्तियों को विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में सूचित करने के लिए उपयुक्त संचार भेजा है। इसके तहत हम बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए विलफुल डिफॉल्टर्स की तस्वीरें प्रकाशित करते हैं।

दिनांक: 05–06–2019 बैंक ऑफ इंडिया
स्थान: नई दिल्ली

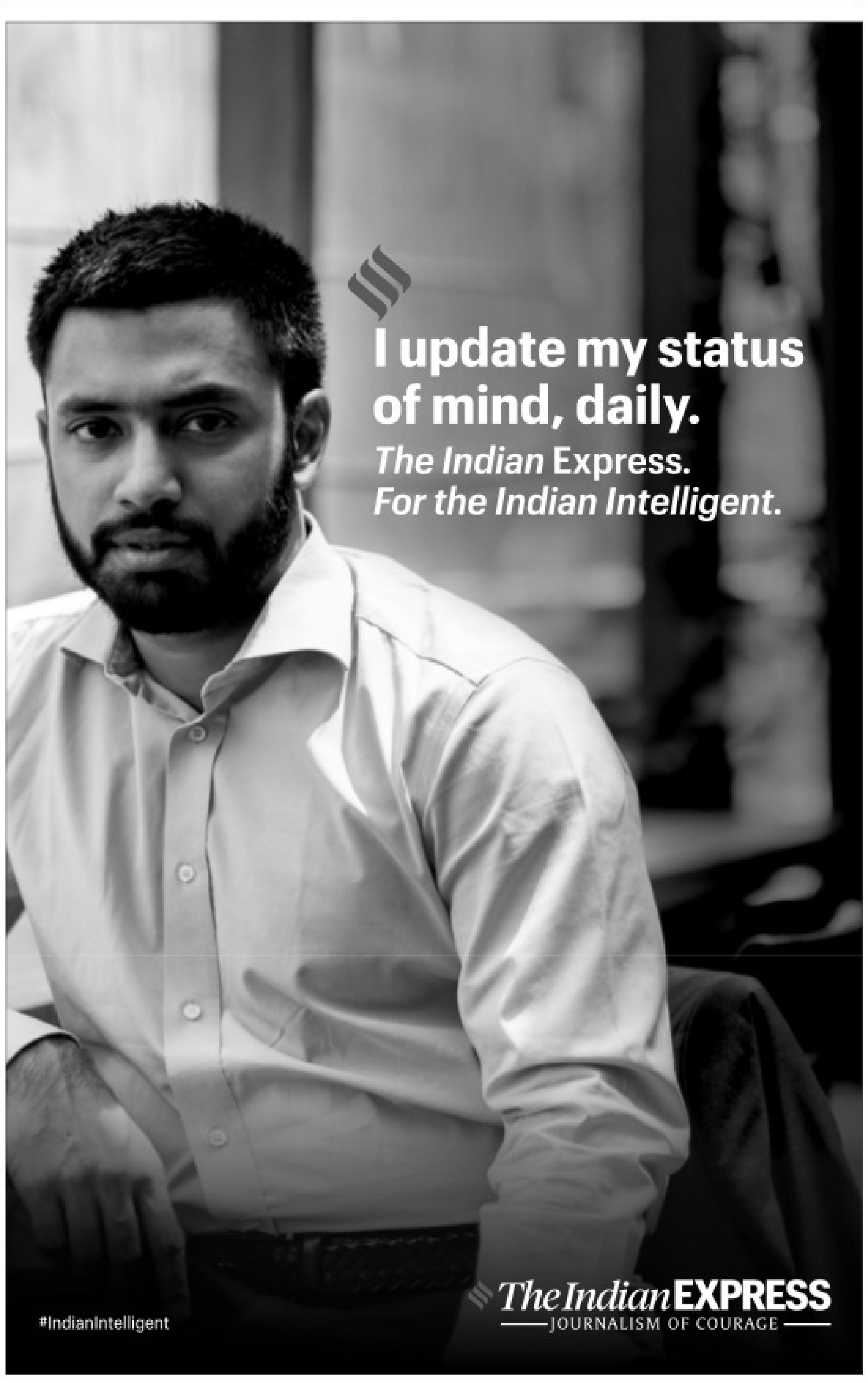

आइजीएसटी क्रेडिट का लाभ उसी वित्त वर्ष में नहीं लेने पर भी खत्म नहीं होगा क्रेडिट : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को व्यापार और उद्योग जगत को 2017–18 में आयातित वस्तुओं पर दिए गए जीएसटी के संदर्भ में जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में भरोसा दिया कि करदाताओं के उसी वित्त वर्ष मेंदावा नहीं करने पर भी वह खत्म नहीं होगा।

मंत्रालय ने व्यापार और उद्योग जगत की तरफ से माल व सेवा कर के क्रियान्वयन के पहले साल (2017–18) के सालाना रिटर्न भरे जाने के संदर्भ में जताई गई चिंता को दूर करते हुए कई बातों को स्पष्ट किया। मंत्रालय ने करदाताओं को यह भी सलाह दी कि वे कर भुगतान और अन्य ब्योरे के बारे में सही आंकड़े दें जैसा कि मासिक बिक्री रिटर्न जीएसटीआर–9 में दिया गया।

कई करदाताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि सालाना रिटर्न फार्म जीएसटीआर–9 करदाताओं को 2017–18 में आयात पर भुगतान किए गए आइजीएसटी के ब्योरे को रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं देता लेकिन उसके लिए क्रेडिट 2018–19 में लिया गया। इसके कारण इस बात की आशंका है कि जो क्रेडिट अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच लिए गए लेकिन उसे सालाना रिटर्न में नहीं दिखाया गया, तो वह खत्म हो सकता है। इसके लिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जुलाई 2017 से मार्च 2019 के बीच आयातित वस्तुओं पर लिया गया अपना पूरा क्रेडिट फार्म जीएसटीआर–9 की सारणी 6 (ई) में भरें। मंत्रालय ने कहा कि कई करदाताओं ने अपने बहीखातों या रिटर्न में स्वयं निकलने वाले आंकड़े और वास्तविक रूप से डाले गए आंकड़ों में मिलान नहीं होने की बात कही है।

मंत्रालय ने कहा– स्वयं आने वाले आंकड़े करदाताओं को उनकी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, करदाता वित्त वर्ष के दौरान भरे गये अपने रिटर्न या अपने बही खातों के अनुसार ही रिपोर्ट करें। जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ। जीएसटी क्रियान्वयन के पहले साल के लिए सालाना रिटर्न जीएसटीआर–9 करदाताओं को 30 जून 2019 तक भरना है। मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2018 को जीएसटी के तहत सालाना रिटर्न फार्म जीएसटीआर–9, जीएसटीआर–9ए और जीएसटीआर 9सी अधिसूचित किए।

जीएसटीआर–9 फार्म सामान्य करदाताओं के लिए सालाना रिटर्न भरने के लिए है। जीएसटीआर–9ए एक मुश्त कर योजना (कंपोजिशन) के तहत आने वाले करदाताओं और जीएसटीआर–9सी मिलान के ब्योरे के लिए है।

U.P. STATE BRIDGE CORPORATION LIMITED

"Setu Bhawan", 16, Madan Mohan Malviya Marg, Lucknow. U.P. (India)
Ph. : 0522-2207442

588 /130 MBC/STEEL SCRAP/2019-20 DT. 04.06.2019

TENDER NOTICE

Online e-tenders are hereby invited on behalf of U.P. State Bridge Corporation Ltd, Lucknow from the scrap reseller/ scrap stockist firm / A-class contractor registered in sales tax/ income tax department, interested for lifting of shuttering/centering and steel scrap on "As is where is" basis as detailed in tender document (NIT No. 587 /130MBC/Steel Scrap/19-20 Dt. 04 .06.19). The cost of tender document is Rs.5000.00 + G.S.T. @ 18%, i.e. total cost Rs.5900.00 only. Online financial bid submission start and closing date are 07/06/2019 and 25/06/2019 respectively and financial Bid opening date is 01/07/2019 at 2:00 P.M.

Note: Tender documents are available on website : www.e-tender.up.nic.in which can be downloaded.

Devendra Pratap,
Dy Project Manager (M)

भुसावळ नगर परिषद, भुसावळ

ई-निविदा सूचना २०१९-२०

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत खेडी शिवार, भुसावळ लँडफील साईटवर पूर्वीपासून साठवलेल्या घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग (Bio-Minning) प्रक्रियेद्वारे कचऱ्याचे पुनरुत्थान (Reclamation) करून निरोपयोगी कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे कामाची ई-निविदा मागविण्यात येत आहे. सदर कामाची अंदाजित रक्कम रु. ३,४९,०३,१२५/- असून, या कामासंबंधीचा सविस्तर निविदा तपशील www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

– आर. ए. दोरकुळकर, मुख्याधिकारी
भुसावळ नगर परिषद

प्ररूप संख्या आईएनसी 25 क
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष नॉर्दन क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन नियम) 2014 के नियम 41 के मामले में

और

मैसर्ज Usha Amorphous Metals Limited जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय Plot No- 486-487, Phase III, Sector-20, Udyog Vihar, Gurgaon (Hr)-122016 में स्थित है के मामले में, आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 02.05.2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठीत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavarn Bhawan, CGO complex, New Delhi-110003, Phone: 011-24366038) को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा

आवेदक के लिए या उसकी ओर से Usha Amorphous Metals Limited
Nedumgottumala Mathai Koshy
निदेशक
DIN: 05329059
रजिस्ट्रीकरण कार्यालय:
Plot No- 486-487, Phase III, Sector-20,
Udyog Vihar, Gurgaon (Hr.)-122016

तारीख: 05/06/2019
स्थान: Gurgaon

AF ENTERPRISES LIMITED

CIN: L65993DL1983PLC016354
Regd Office: DSM-334, DLF Towers Shivaji Marg, Delhi Central Delhi DL 110015
Tel No. : 011-45084850, Website: http://www.afenterprisesltd.com/
E-Mail ID: info.afenterprises@gmail.com

DISPATCH OF POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company has completed the electronic transmission/physical dispatch of the Postal Ballot notice and postal ballot form on Tuesday, 04th June, 2019 to the members for seeking their consent for the matters set out in the Postal Ballot Notice dated 30th May, 2019. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are also available on the website of the Company **www.afenterprisesltd.com.**

Pursuant to Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Company is providing electronic voting facility for transacting all the items of business through National Securities Depository Limited (NSDL). Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut off being Friday, 31st May, 2019, may cast their vote. A user ID and Password for casting the electronic vote has been sent.

The e-voting has commenced from 05th June, 2019 (09:00 A.M.) and ends on 4th July, 2019 (5.00 P.M.). Once the vote is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure/ instructions for e-Voting are contained in the Postal Ballot Notice.

The last date for receipt of votes cast through Postal Ballot form or e-voting from Members, indicating their assent or dissent to the proposed resolutions is on 4th July, 2019. Postal ballot received after on 4th July, 2019 will be strictly treated as if the reply from such Member has not been received.

Any member who does not receive the Postal Ballot form can download Postal Ballot Form from the Company's website **www.afenterprisesltd.com.**

For any query or grievances relating to voting by postal ballot including voting by electronic means, can mail to the Company at **info.afenterprises@gmail.com.**

The result of the Postal ballot will be announced at the registered office of the Company on 06th July, 2019 and shall also be displayed at the Company's website: **www.afenterprisesltd.com.**

By the order of the Board
For AF Enterprises Limited
Sd/-
Abhishek Singh
Whole Time Director
DIN-03603706

कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
कार्पोरेशन बैंक, के जी मार्ग शाखा, क्नॉट प्लेस,, नई दिल्ली

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस

28.05.2019 को पंजीकृत डाक द्वारा निम्नलिखित को प्रेषित :

उधारकर्ता: 1 (क) श्री जग मोहन गुप्ता पुत्र जय किशन दास, नं. 354 तरुण एन्क्लेव पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110034

1 (ख) श्रीमती आशा बहम्बा पत्नी प्रकाश बहम्बा, भूतल, प्लॉट नं 8, कोहाट एन्क्लेव, कोहाट को–ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

1 (ग) श्रीमती शालिनी बहम्बा बनाम महक बहम्बा पत्नी पंकज बहम्बा, कोहाट एन्क्लेव, कोहाट को–ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, प्रथम तल, प्लॉट नं 8, पीतमपुरा, नई दिल्ली –110034

1 (घ) श्रीमती शालिनी गुसाई पत्नी सचिन बहम्बा, कोहाट एन्क्लेव, कोहाट को–ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 8, पीतमपुरा, नई दिल्ली –110034

विषय: कार्पोरेशन बैंक, के जी मार्ग शाखा का ऋण खाता नं. CMTCC – 560331000021656 CMTCC – 560331000021680

उधारकर्ता (क्रमांक 1) ने दिनांक 28.05.2019 तक बकाया राशि रू. **9,55,55,814.12** (रु. नौ करोड पच्चपन लाख पच्चपन हजार आठ सौ चौदह और पैसे बारह मात्र) तथा वार्षिक दर 28.05.2019 से भुगतान की तिथि तक व इससे आगें सहमत दर पर ब्याज, चुकाने में चूक की है। उसके/उनके द्वारा प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधाएं दिनांक 31.03.2019 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जा चुकी हैं। बैंक ने दिनांक 28.05.2019 को अधिनियम के तहत सूचना जारी की है, जिसमें उनसे 28.05.2019 तक बकाया राशि रू. **9,55,55,814.12** चुकाने की मांग की गई है। यह सूचना पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई थी।

उधारकर्ताओं तथा गारंटरों से रू. 9,55,55,814.12 की राशि, दिनांक 28.05.2019 से भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित, इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, बैंक यहां नीचे तालिका में दी गई प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित प्रवर्तन के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बाध्य होगा। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के निबन्धनों में आप यह सूचना प्राप्त होने के बाद, बैंक की पूर्व सहमति के बिना, उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे।

अनुसूची

जिन आस्तियों में प्रतिभूति हित सृजित किया गया है, उनका विशिष्ट विवरण यहां नीचे दिया गया है।

बंधक आस्तियां :

रिहायशी भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 8, कोहाट को–ऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाएटी लि., पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 में स्थित

दिनांक : 05.06.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

{नियम–8(1)} **अधिग्रहण सूचना** (चल/अचल सम्पत्ति हेतु)

शाखा : यादव कॉम्प्लेक्स, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, फैज़ाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016
फोन : 0522.2353367/68, 7525027504. ई-मेल : cb0567@corpbank.co.in

जबकि, अधोहस्ताक्षरी **कार्पोरेशन बैंक, इन्दिरा नगर शाखा, लखनऊ** के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुनः निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के नियम 3 के साथ सेक्शन 13(12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खातों के सामने उल्लिखित तिथियों को बैंक द्वारा डिमांड नोटिस जारी किया गया, जिसमें आगे यह कहा गया कि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाया चुकता कर दें।

ऋणी द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद्द्वारा ऋणी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने, उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) नियम 8 के साथ पठित उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसमें नीचे लिखी सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता एवं जमानतदार को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा करने में सचेत रहे और इन सम्पत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि और ब्याज के लिए **कार्पोरेशन बैंक, इन्दिरा नगर शाखा, लखनऊ** के प्रभारी के अधीन होगा। ऋणकर्ता/जमानतकर्ता को सचेत किया जाता है कि ये अपनी सुरक्षित परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में सरफेसी धारा 2002 के अधिनियम 13(8) का प्रावधान उपलब्ध समय में करें।

ऋणी/जमानतदार का नाम व पता/बकाया धनराशि	मांग सूचना की तिथि / अधिग्रहण की तिथि	चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण
उधारकर्ता: मेसर्स विवेक ट्रेडिंग कम्पनी प्रोपराइटर श्री विवेक सिंह चौहान बकाया धनराशि – रू0 23,38,278.80 एवं अन्य विधिक खर्चे।	24.09.2018 / 01.06.2019	भूखण्ड सं0 12, खसरा सं0 130, 131 एवं 132 का भाग ग्राम अहिबरनपुर वार्ड त्रिवेणी नगर–।।।, सीतापुर रोड, **लखनऊ**। **चौहद्दी : पूर्व**–अन्य की भूमि, **पश्चिम**–15 फिट चौड़ी सड़क, **उत्तर**–अन्य का मकान, **दक्षिण**–अन्य का मकान।

दिनांक : 05.06.2019 स्थान : लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

सूचकांक 184 अंक गिरा

मुंबई, 4 जून (भाषा)।

शेयर बाजारों में मंगलवार को मुनाफा वसूली की बिकवाली से सूचकांक गिरावट में बंद हुए। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा से पहले वाहन और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली का जोर रहा। इससे पहले सोमवार को दरों में कटौती की उम्मीद से शेयर सूचकांक अब तक की रेकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे।

बीएसई का सूचकांक कारोबार की समाप्ति पर 184.08 अंक यानी 0.46 फीसद गिरकर 40,083.54 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 66.90 अंक यानी 0.55 फीसद घटकर 12,021.65 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक में शामिल शेयरों में नुकसान दर्ज करने वालों में हीरो मोटो कार्प, एचसीएल टेक, टीसीएस, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक और इन्फोसिस के रहे। इसके विपरीत यस बैंक, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक लाभ दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में रहे। इनका शेयर मूल्य 2.71 फीसद तक चढ़कर बंद हुआ। सूचकांक में शामिल 30 कंपनियों के शेयरों में 17 शेयर मूल्य नुकसान में रहे जबकि 13 में मुनाफा दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा गिरावट आइटी कंपनियों के शेयरों में रही। प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और तेल एवं गैस क्षेत्र के शेयरों में गिरावट रही।

सीसीआइ ने हिमालय ड्रग, तीन अन्य पर 74 करोड़ का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने फार्मा कंपनियों हिमालय ड्रग कंपनी और इंटास फार्मास्युटिकल्स के साथ उसके वरिष्ठ अधिकारियों और मध्य प्रदेश के दो दवा संगठनों पर प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के लिए 74 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये दो दवा संघ हैं, मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (एमपीसीडीए) और इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन (आईसीए)।

सीसीआइ ने व्यवस्था दी कि दोनों दवा संघ और फार्मा कंपनियों ने स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्ति से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की जरूरत को अनिवार्य कर दिया था जिससे मध्य प्रदेश में औषध और दवाओं की आपूर्ति सीमित और नियंत्रित हो गई थी। यह प्रतिस्पर्धा कानून की धारा तीन के उलट है। यह धारा प्रतिस्पर्धा रोधी करार से संबंधित है। नियामक ने तीन जून को यह आदेश जारी किया। सीसीआइ के आदेश के अनुसार हिमालय ड्रग पर 18.59 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं इसके तीन अधिकारियों के खिलाफ करीब चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

नौसेना प्रमुख ने जारी किए दिशानिर्देश

एक जैसा खाना-पीना हो, गुलदस्ता न दिया जाए

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

नव नियुक्त नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने दूरगामी पहल करते हुए सहायक संस्कृति पर लगाम लगाने, कुछ औपचारिक प्रथाओं को सीमित करने और विभिन्न रैंकों के बीच समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इन दिशानिर्देशों में आधिकारिक कार्यक्रमों में नौसैन्य कर्मियों की सभी रैंक में एक जैसा भोजन, पेय पदार्थ और कटलरी होने, नौसेना प्रमुख के लिए कई गाड़ियों के काफिले को तैयार रखने के प्रावधान को हटाने और फूलों का गुलदस्ते देने की परंपरा को कम करना शामिल है। दिशा निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार, 'जूनियर अधिकारियों को अनुशासित रहने और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने ने के अधीन व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जलपान और भोजन सादा रहेगा और आडंबर के बगैर होगा।'

नौसेना प्रमुख ने ये भी निर्देश दिए हैं कि गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए महिलाओं और बच्चों को खड़ा न किया जाए। एडमिरल सिंह ने नौसेना के 24वें प्रमुख के तौर पर 31 मई को कार्यभार संभाला था।

'पायल तड़वी को किया गया था परेशान'

मुंबई, 4 जून (भाषा)।

टोपीवाला नेशनल मेडिकल कालेज की एंटी-रैगिंग कमेटी ने निष्कर्ष निकाला है कि पिछले महीने कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली डा. पायल तड़वी को तीन आरोपी वरिष्ठों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर की छात्रा तड़वी (26) ने कथित तौर पर 22 मई को आत्महत्या कर ली थी। वह आदिवासी समुदाय से आती थीं।

नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए रैगिंग विरोधी समिति के एक सदस्य ने कहा, 'हमने कई लोगों, उसके दोस्तों और साथी छात्रों से पूछताछ की और उनके बयानों की पुष्टि की। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पायल को उसकी जाति और जनजाति के मामले में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था।' समिति में मेडिकल कालेज के वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र एसोसिएशन आफ रेजिडेंट डाक्टर्स (एमएआरडी) के प्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। सदस्य ने कहा, 'रिपोर्ट राज्य सरकार में उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।' मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मेडिकल कालेज से जुड़े बीवाईएल नायर अस्पताल में तड़वी के सीनियर आरोपी डाक्टरों को हिरासत में लेने की ताजा मांग की गई। पायल को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीन डाक्टरों हेमा आहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया है और वे तीनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

घरों में अकेली रह रहीं अधेड़ महिलाओं की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

कालना (पश्चिम बंगाल), 4 जून (भाषा)।

घर पर अधेड़ उम्र की अकेली महिलाओं को निशाना बनाने वाले कथित आरोपी को पश्चिम बंगाल में पूर्वी बर्धमान जिले के इस छोटे से शहर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कमरुज़ जमां सरकार पर पूर्वी बर्धमान जिले और पड़ोस के हुगली जिले में पांच महिलाओं की हत्या करने और कई को जख्मी करने का शक है।

नए फैशन के कपड़े पहनने वाला, 42 साल का कमरुज़ दोपहर के समय बिजली के मीटर की रीडिंग लेने के बहाने से घर में घुस जाता था और साइकिल की चेन व लोहे की छड़ से हमला कर देता था।

पूर्वी बर्धमान जिले के पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखोपाध्याय ने बताया कि जिला अदालत ने यहां 21 मई को गोअारा गांव में पुतुल माझी की हत्या के मामले में सोमवार को सरकार को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने चार अन्य मामलों में कमरुज़ सरकार की भूमिका की जांच करने के सिलसिले में उससे पूछताछ करने के लिए उसकी हिरासत मांगी थी। ये सभी कत्ल एक ही तरह से हुए थे।

मुखोपाध्याय ने कहा कि वह पीड़िताओं के घर से कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था, लेकिन उसका इरादा चोरी करना नहीं लगता है। महिलाओं की हत्या करना उसका मुख्य लक्ष्य लगता है।उन्होंने बताया कि कमरुज़ ने कुछ महिलाओं की मौत के बाद उनके निजी अंगों में धारदार चीजें डाल दीं थी।

कर्नाटक सरकार की परेशानी फिर बढ़ी

बंगलुरु, 4 जून (भाषा)।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। सरकार में शामिल जनता दल (एस) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एएच विश्वनाथ ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। विश्वनाथ ने गठबंधन के कामकाज के तरीके की आलोचना की और गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के दो वरिष्ठ विधायकों ने लोकसभा में हार के लिए राज्य के नेताओं को निशाने पर लिया।

ये घटनाक्रम दर्शाता है कि एक साल पुरानी एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं जबकि सत्तारूढ़ दल कैबिनेट विस्तार व मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करके सरकार को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। पार्टी के खास मामलों में कथित तौर पर दरकिनार किए जाने से नाराज विश्वनाथ ने कहा, 'मैं इस पराजय (पार्टी की) की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं।' उन्होंने समन्वय समिति के प्रमुख सिद्धरमैया पर कांग्रेस व जद(एस) के मध्य समुचित समन्वय बनाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के सही ढंग से चलने के लिए यह समिति एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बना सकी। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद राज्य में किसी बड़े नेता का यह पहला इस्तीफा है। राज्य की 28 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, पर उन्हें मात्र एक-एक सीट पर ही सफलता मिल पाई। भाजपा 25 सीटों पर कामयाब रही। जबकि भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी सुमालता अंबरीश ने मांड्या से जीत हासिल की।

कांग्रेस के खेमे में भी इस तरह के विरोध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अन्य वरिष्ठ नेता रोशन बेग ने भी मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना की। बेग पहले भी पार्टी नेताओं को खरीखोटी सुना चुके हैं। हालांकि बेग को पार्टी पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है।

उधर चिकबल्लापुर के विधायक सुधाकर ने कहा कि सिद्धरमैया सरकार में मंत्री रहे इन लोगों को गठबंधन सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए अब वे ऐसी बातें कर रहे हैं। मौजूदा सरकार में 34 मंत्री हैं और इसमें कांग्रेस के 22 और जद(एस) के 12 सदस्य हैं। अभी इसमें तीन और लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें जद(एस) के कोटे से दो और कांग्रेस के कोटे से एक को मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के रूपातंरण के लिए विज्ञापन
(लिमिटेड देयता सहभागिता नियमावली, 2009 के नियम 17(4) के साथ पठित लिमिटेड देयता सहभागिता अधिनियम, 2008 की धारा के प्रावधानों के अनुपालन में)
और
नोएड़ा हार्डवेयर एलएलपी (पंजी. सं. एएमई–5487) इसका पंजीकृत कार्यालय, 1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली ईस्ट दिल्ली–110032 के मामले में

एतद्द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि नोएड़ा हार्डवेयर एलएलपी ने लिमिटेड देयता सहभागिता नियमावली, 2009 के नियम 17 के अंतर्गत ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को 'उत्तर प्रदेश'' राज्य में हस्तांतरित करने प्रस्ताव किया है।

एलएलपी ने एलएलपी दिनांकः 28.08.2015 के लिमिटेड देयता अनुबंध के खंडः 6 और लिमिटेड देयता सहभागिता अधिनियम, 2009 के नियम के साथ पठित लिमिटेड देयता सहभागिता अधिनियम, 2008 के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार 04.06.2019 को आयोजित उनकी बैठक में सभी पार्टनरों की सहमति ली है। कोई व्यक्ति जिसकी अभिरूचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरूचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को पंजीकृत डाक द्वारा आवेदनकर्ता एलएलपी के नीचे वर्णित पंजीकृत पते को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं:

1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032

आवेदक की आरे से व उन्हीं के लिए
हस्ता./–
आनंद कुमार माहेश्वरी
निदेशक
डीआईएन : 00238143

दिनाकं : 04 जून , 2019
स्थानः नई दिल्ली

Advertisement for Shifting of Registered Office of LLP from one state to another State
[pursuant to the provisions of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 17(4) of the Limited Liability Partnership Rules, 2009]

AND

In the matter of **DIGVIJAY ADVISORS LLP** (Reg No: AAI-7931) having its Registered office at **1/3471, 1st Floor, Ram Nagar Extension Sahadara, Delhi East Delhi -110032**

Notice is hereby given to the General Public that the **DIGVIJAY ADVISORS LLP** proposes to Shift its Registered Office from **'NCT of Delhi'** to **'State of Utter Pradesh'** Under Rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009. The LLP has taken consent of all the Partners at their meeting held on **04.06.2019** as required under Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 17(1) of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 and clause 2 of Limited Liability Agreement of the LLP dated: **10.03.2017**

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or sent by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the the Registrar of Companies, at the address 4th Floor, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi - 110019, within 21 days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant LLP its registered office at the address mentioned below:

1/3471, 1st Floor, Ram Nagar Extension, Sahadara, Delhi-110032

For and on behalf of the Applicant
Sd/-
Anand Kumar Maheshwari
Date : 04.06.2019 Director
Place : New Delhi DIN: 00238143

फॉर्म नं. आईएनसी–26
(कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में)
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल पंडित दीनदयाल अंतोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 के समक्ष
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के मामले में
और
श्रृष्टि ऑन–लाइन प्राइवेट लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालयः सी–12, साइट–4, अप्ट्रान एस्टेट, साहिबा. बाद इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उ.प्र. 201005
...याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को 'उत्तर प्रदेश' राज्य में हस्तांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम करने के लिए सोमवार, 20 मई, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के संशोधन के सुनिश्चितीकरण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित किया है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरूचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरूचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदनकर्ता कंपनी के नीचे वर्णित पंजीकृत पते को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह दिनों) के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तर), क्षेत्र, बी–2, विंग, दूसरी मंजिल पंडित दीनदयाल अंतोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं।

श्रृष्टि ऑन–लाइन प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः सी–12, साइट–4, अप्ट्रान एस्टेट, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उ.प्र. 201005

आवेदक की आरे से व उन्हीं के लिए
हस्ता./–
संजीव वर्मा
निदेशक
डीआईएन : 01529482

दिनाकं : 04 जून , 2019
स्थानः दिल्ली

HDFC BANK
We understand your world

Department For Special Operations
5th Floor, Ansal Classique Tower, Plot No. 1, J-Block, Community Centre, Opp. Surya Continental, Rajouri Garden, New Delhi - 110027,

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of **HDFC Bank Ltd.**, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated **25.03.2019** calling upon the borrower **M/s. M K Overseas Pvt. Ltd.** through its Directors and Guarantors namely Mr. Mohd. Kamil, Ms. Nasira Begum and Mr. Mohsin Quereshi to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 40,68,59,025.20/- (Rupees Forty Crores Sixty Eight Lakhs Fifty Nine Thousand and Twenty Five and Twenty Paise Only)** and future interest and incidental expenses, cost as per the sanction terms till the date of payment within 60 days of the receipt of the said notice. The Borrower/Guarantor(s)/Mortgagor(s), having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor(s)/Mortgagor(s) and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules, on this **1st day of June, 2019 at New Delhi and Ghaziabad.** The Borrower/Guarantor(s)/Mortgagor(s), in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HDFC Bank Ltd. for an amount of **Rs. 40,68,59,025.20/- (Rupees Forty Crores Sixty Eight Lakhs Fifty Nine Thousand and Twenty Five and Twenty Paise Only)** and future interest and incidental expenses, cost as per the sanction terms till the date of payment. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of Immovable Property	Date & Place of Possession
Plot bearing No. 7, Block No. 205-A, area admeasuring 0.203 Acre or 821.49 Sq. Mts., now known as 16, Fire Brigade Lane, New Delhi – 110001 bounded as under: North: Service Lane; South: Main Road (Fire Brigade Lane); East: Plot No. 8 (14 Fire Brigade Lane); West: Plot No. 6 (18 Fire Brigade Lane) Owned by M/s. MK Overseas Pvt. Ltd.	01.06.2019 at New Delhi
Shop No. N-4, measuring about 1165 Sq. Feet, on Ground Floor, with Inside Mezzanine and Balcony, admeasuring 800 Sq. Feet situated at Connaught Place, New Delhi owned by Mrs. Nasira Begum.	
All the Plot of Land numbered as B-64 situated within the Industrial Area at Site 4 Sahibabad, UPSIDC, Distt. Ghaziabad admeasuring 4822 Sq. Yards owned by M/s. MK Overseas Pvt. Ltd.	01.06.2019 at Ghaziabad, Uttar Pradesh

Authorised Officer , HDFC Bank Ltd.

STANDARD SURFACTANTS LIMITED
Registered Office: 8/15, Arya Nagar, Kanpur-208002 (India) Tel: 0512-2531762
E-mail: headoffice@standardsurfactants.com, Website: www.standardsurfactants.com
Corporate Identity Number: L24243UP1989PLC010950

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2019 (Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2019 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total Income from Operations	2827.76	11753.63
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	5.37	123.51
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	5.37	123.51
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(2.87)	82.86
5.	Total comprehensive Income for the period	(3.69)	82.46
6.	Paid up Equity Share Capital	711.26	711.26
7.	Other Equity	-	718.77
8.	Earning per share (Face value of Rs. 10/- each):		
	1. Basic	(0.04)	1.16
	2. Diluted	(0.04)	1.16

NOTES: 1. The above consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on June 03, 2019. The statutory auditors have carried out an audit of these financial results.

2. Standalone Information:

Particulars	Quarter Ended 31.03.2019 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
Total revenue	2827.76	11753.63
Profit before tax	5.52	124.10
Profit after tax	(2.72)	83.45
Other comprehensive income (OCI)	(0.82)	(0.40)
Total comprehensive income (Net of tax)	(3.54)	83.05

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly financial results are available on stock exchange websites and on Company's website.

For Standard Surfactants Limited
Pawan Kumar Garg
Chairman & Managing Director
DIN-00250836

Place: Kanpur
Date: 03.06.2019

इण्डियन ओवरसीज बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली–110008
फोन नंबर : 011–25758124, ई–मेल आईडी : iob1997@iob.in

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारक/स्वामी/निदेशक/ पार्टनर ने बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त की थी तथा उसके पुनर्भुगतान में चुक के कारण उनकी खाताओं को दर्शाई गई तिथियों को एनपीए घोषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा इन ऋणधारकों/ स्वामी / निदेशक / पार्टनर को "जान–बूझकर चूककर्ता " घोषित कर दिया गया है। इन ऋणधारकों/ स्वामी / निदेशकों/ पार्टनर को उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/ धनों के साथ नीचे वर्णित राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिये बैंक ने उनके विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की है। जन हित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जान–बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिये जाने के बाद ऋणधारक किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

1
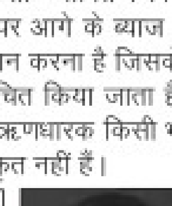
श्री राकेश कुमार
आर एस एसोसिएट्स
एन पी ए की तिथि: 01.07.1998
बकाया राशि: रु 47,97,906, 19.01.2000 को

2

श्री राम सरन
युनीक सेल्स कॉरपोरेशन
एन पी ए की तिथि: 28.09.2011
बकाया राशि: रु 80,93,366, 30.04.2012 को

3

श्री पंकज मलिक
अनिश्का ज्वैलर्स
एन पी ए की तिथि: 30.09.2014
बकाया राशि: रु 12,84,21,261, 23.02.2015 को

स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 05.06.2019 इण्डियन ओवरसीज बैंक

फॉर्म नं. आईएनसी–26
(कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में)
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के मामले में
और
राधा माधव एक्जिम लिमिटेड, (CIN: U51501DL2009PLC186703) इसका पंजीकृत कार्यालय 1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को 'उत्तर प्रदेश'' राज्य में हस्तांतरित करने में कंपनी को सक्षम करने के लिए 03.06.2019 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक/असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के संशोधन के सुनिश्चितीकरण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित किया है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरूचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरूचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदनकर्ता कंपनी के नीचे वर्णित पंजीकृत पते को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह दिनों) के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तर), क्षेत्र, बी–2, विंग, दूसरी मंजिल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं।

1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032

आवेदक की आरे से व उन्हीं के लिए
हस्ता./–
आनंद कुमार माहेश्वरी
निदेशक
डीआईएन : 00238143

दिनाकं : 04 जून , 2019
स्थानः दिल्ली

एक राज्य से दूसरे राज्य में एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के रूपातंरण के लिए विज्ञापन
(लिमिटेड देयता सहभागिता नियमावली, 2009 के नियम 17(4) के साथ पठित लिमिटेड देयता सहभागिता अधिनियम, 2008 की धारा के प्रावधानों के अनुपालन में)
और
एम वोल्लेरे ट्रेडलिंक एलएलपी (पंजी. सं. एलएलपीआईएन–एएएम–2758) इसका पंजीकृत कार्यालय, 1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली ईस्ट दिल्ली–110032 के मामले में एतद्द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि एम वोल्लेरे ट्रेडलिंक ने लिमिटेड देयता सहभागिता नियमावली, 2009 के नियम 17 के अंतर्गत ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को 'उत्तर प्रदेश'' राज्य में हस्तांतरित करने प्रस्ताव किया है।

एलएलपी ने एलएलपी दिनांकः 28.08.2015 के लिमिटेड देयता अनुबंध के खंडः6 और लिमिटेड देयता सहभागिता अधिनियम, 2009 के नियम के साथ पठित लिमिटेड देयता सहभागिता अधिनियम, 2008 के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार 04.06.2019 को आयोजित उनकी बैठक में सभी पार्टनरों की सहमति ली है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरूचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरूचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को पंजीकृत डाक द्वारा आवेदनकर्ता एलएलपी के नीचे वर्णित पंजीकृत पते को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं:

1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032

आवेदक की आरे से व उन्हीं के लिए
हस्ता./–
आनंद कुमार माहेश्वरी
दिनांक : 04 जून, 2019 निदेशक
स्थान: नई दिल्ली डीआईएन : 00238143

फॉर्म नं. आईएनसी–26
(कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में)
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के मामले में
और
अष्टमूर्ति एक्जिम लिमिटेड, (CIN:U29248DL2013PTC250790) इसका पंजीकृत कार्यालय 1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को 'उत्तर प्रदेश'' राज्य में हस्तांतरित करने में कंपनी को सक्षम करने के लिए 03.06.2019 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक/असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के संशोधन के सुनिश्चितीकरण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित किया है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरूचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरूचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदनकर्ता कंपनी के नीचे वर्णित पंजीकृत पते को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह दिनों) के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तर), क्षेत्र, बी–2, विंग, दूसरी मंजिल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं।

1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032

आवेदक की आरे से व उन्हीं के लिए
हस्ता./–
आनंद कुमार माहेश्वरी
निदेशक
डीआईएन : 00238143

दिनाकं : 04 जून , 2019
स्थानः दिल्ली

फॉर्म नं. आईएनसी–26
(कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में)
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के मामले में
और
हनुमान ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, (CIN: U51909DL2007PTC158856) इसका पंजीकृत कार्यालय 1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को 'उत्तर प्रदेश'' राज्य में हस्तांतरित करने में कंपनी को सक्षम करने के लिए 03.06.2019 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक/असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के संशोधन के सुनिश्चितीकरण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित किया है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरूचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरूचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदनकर्ता कंपनी के नीचे वर्णित पंजीकृत पते को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह दिनों) के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तर), क्षेत्र, बी–2, विंग, दूसरी मंजिल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 को भेज या
डिलीवर कर सकते हैं।

1/3471, पहली मंजिल, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032

आवेदक की आरे से व उन्हीं के लिए
हस्ता./–
आनंद कुमार माहेश्वरी
निदेशक
डीआईएन : 00238143

दिनाकं : 04 जून , 2019
स्थानः दिल्ली

KUWER INDUSTRIES LIMITED
CIN: L74899DL1993PLC056627
Registered office: D-1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065
Email I.D- investor.kuwer@gmail.com ; Website: www.kuwer.com
Tel. No.: 0120-2580088
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2018
Amount in Lakh(except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended on 31.03.2019 Audited	Year Ended on 31.03.2019 Audited	Corresponding Quarter ended on 31.03.2018 Audited
1	Total Income from Operations	1069.01	4751.98	1281.26
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	82.37	11.99	16.90
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	82.37	11.99	16.90
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.47	-59.91	13.70
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10.47	-59.91	13.70
6	Equity Share Capital (Rs. 10 per share)	907.61	907.61	907.61
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)			
	1. Basic :	0.12	(0.60)	0.21
	2. Diluted	0.12	(0.60)	0.21

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at mentined URL: https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/1fa62d0e-1592-4c3a-aa51-cb2940a9295f.pdf
b) The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 30.05.2019

For Kuwer Industries Limited
Sd/-
Tarun Agarwal
Joint Managing Director
DIN :01320462

Place-New Delhi
Date-31.05.2019

kotak
निजी समझौते द्वारा नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

कोटक महिंद्रा बैंक लि.
पंजीकृत कार्याः 27–बीकेसी, सी 27, जी–ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (ई), मुबंई–400051 निगमित पहचान सं. L65110MH1985PLC038137
शाखा कार्यालय, कोटक महिंद्रा बैंक लि. 7वीं मंजिल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14 के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी/गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूतित ऋणदाता अर्थात कोटक महिंद्रा बैंक लि. को गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यों), जिस पर, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने भौतिक कब्जा ले लिया था, जिसमें अभिरूचि की अभिव्यक्ति/प्रस्ताव आरक्षित मूल्य के अनुसार वर्णित राशि में इच्छुक खरीदार से प्राप्त हुआ है और इसके अतिरिक्त प्रस्ताव निम्नानुसार वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए मुहरबंद कवर में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित हैं और मैसर्स पवन ट्रेडिंग (ऋणी), इसके मालिक श्री पवन कुमार शर्मा, श्री पवन कुमार शर्मा (गारंटर), श्रीमती रजनी शर्मा (गारंटर) को देय रु. 71,38,161 की वसूली के लिए 21.06. 2019 को "जहां है जैसी है", जो है जैसी है", और "जहां कहीं भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 60,00,000/– है और जमा धरोहर राशि बोली राशि का 10 प्रतिशत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ऋणी(यों) का नाम	मांग सूचना तिथि व राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	अचल संपत्ति के जांच की तिथि
मैसर्स पवन ट्रेडिंग (ऋणी), इसके मालिक श्री पवन कुमार शर्मा, श्री पवन कुमार शर्मा (गारंटर), श्रीमती रजनी शर्मा (गारंटर) (ऋण खाता सं. 609044001843)	05.12.2016 रु. 71,38,161/– (रुपए इकहत्तर लाख अड़तालीस हजार एक सौ इकसठ केवल)	अचल संपत्ति बियरिंग आरजेड 49, एफ ब्लॉक, माप 100 वर्ग यार्ड मकसूदाआद कॉलोनी मानव भारती स्कूल के पास नागंलोई रोड नजफगड़ नई दिल्ली के सभी भाग व पार्सल भूमि	रु. 30,00,000/– (रुपए तीस लाख केवल)	दिनांक 15.06.2019 11.00–1400 बजे
			जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	**प्रस्ताव/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि**
			10% of Bid Amount	दिनांक 20.06.2019 को शाम 5.00 बजे तक
				नीलामी की तिथि/समय
				दिनांक 21.06.2019 1100–1300 बजे

बिक्री की नियम व शर्तें
1. संपत्ति/दस्तावेजों की जांच प्राधिकृत अधिकारी के साथ दिए गए तिथि व समय पर की जा सकती है।
2. बोली दस्तावेज/फॉर्म बिक्री की सामान्य नियम व शर्तों के साथ उक्त वर्णित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी कार्यालय घंटों के दौरान पर प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित बोली फॉर्म पर अपनी मुहरबंद बोलियां भेजनी चाहिए।
3. बोली को बैंक के उक्त वर्णित क्षेत्र कार्यालय में 20.06.2019 को शाम 5.00 से पहले कोटक महिंद्रा बैंक लि., दिल्ली के पक्ष में अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत) के साथ भेजा चाहिए। पूर्ण रूप से न भरी बोलियां या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक बार बोली किए जाने पर वापस नहीं ली जा सकती है।
4. मुहरबंद बोलियों को उस समय मौजूद बोलीदाताओं की उपस्थिति में बैंक के उक्त वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय में 21.06.2019 को 1100–1300 बजे के बीच खोला जाएगा। नीलामी/इंटर से बोली बोलियों के खुलने के बाद शुरू रखी जाएगी। जहां बोलीदाता उपस्थित रह सकते हैं। और वृद्धि में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।
5. संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से नीचे पर नहीं बेचा जाएगा। बोलीदाता रु. 30,000/– के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। और संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को "कोटक महिंद्रा बैंक, दिल्ली के पक्ष में अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के द्वारा अगले कार्य दिवस पर तुरंत उसके बाद नहीं बोली राशि (बोली के लिए पहले से जमा आरक्षित मूल्य की ईएमडी अर्थात 10 प्रतिशत सहित) 25 प्रतिशत जमा करना होगा। असफल होने पर बैंक बोलीदाता द्वारा पहले से जमा पूरी राशि को जब्त कर लेगा। बोलीदाता द्वारा जमा ईएमडी व अन्य राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
7. बिक्री के सुनिश्चिकरण पर उच्चतम बोलीदाता को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, कन्वेंस, टीडीएस, आदि का वहन खरीदार को करना होगा।
8. बैंक उपरांकित संपत्ति पर किसी प्राधिकरण या किसी नियम या नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी से किसी अनुमति/एनओसी को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
9. सफल बोलीदाता को नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी से किसी भी बकाया देय का भुगतान करना होगा और बिक्री प्रमाण के लिए पंजीकरण के लिए स्टैंप ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को आगे बढ़ाने/रद्द करने या बिना कोई पूर्व सूचना के बिक्री की शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।
11. बैंक के बेहतर ज्ञान व जानकारी से बैंक की बिक्री को छोड़कर संपत्ति पर किसी ऋणभार के प्रति जागरूक नहीं है। इच्छुक पार्टियां अपनी संतुष्टि के लिए स्वयं संपत्ति का मूल्यांकन कर सकती हैं। बैंक ने उपरोक्त संपत्ति के फिटनेस/टाइटल के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिनिधि नहीं बनाया है।
12. सूचना में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों अनुसार लागू अनुसार अतिरिक्त ब्याज प्रभारित होगा और आकस्मिक देय, लागत आदि व वसूली तक देय आदि भी।
13. एतद्द्वारा ऋणी/गिरवीकर्ता को उक्त वर्णित संपत्ति को व्यक्तिगत रूप से छुड़ाने के लिए सूचित किया जाता है और वे बिक्री के नियम व शर्तों के अनुसार उक्त वर्णित संपत्तियों को खरीदने के लिए किसी इच्छुक खरीदार को भी ला सकते हैं।
14. अथवा सर्वोच्च उच्चतम बोलीदाता को स्वीकार की जाएगी। हालांकि अधोहस्ताक्षरी को इंटर-से बोली, यदि आवश्यकता हो तो की अनुमति के लिए स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है।
15. बैंक संपत्ति पर किसी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं है जो बैंक को ज्ञात नहीं है।
16. उक्त गिरवी संपत्ति पर कोई बोली प्राप्त नहीं होती है संपत्ति को रु. 60,00,000/– (साठ हजार केवल) के प्रस्तावित मूल्य पर इच्छुक खरीदार को बेचा जाएगा।

एतद्द्वारा ऋणी(यों)/गिरवीकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा पूर्ण में देयता का चुकाने और इस सूचना की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर अब तक की तिथि तक ब्याज व अन्य सहित उक्त वर्णित अनुसार देयों का भुगतान करने के लिए **सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) व 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक सूचना दी** जाती है। असफल होने पर प्रतिभूतित संपत्ति (उक्त वर्णित) को उक्त वर्णित नियम व शर्तों अनुसार बेचा जाएगा। विस्तृत विवरण के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट https://www.kotak.com/en/bank-auction.html में दिए लिंक का संदर्भ लें या प्राधिकृत अधिकारी, श्री राजीव अग्रवाल 7291971531 व श्री सुधीर कुमार 9999765233 से बैंक के उक्त वर्णित कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक 04.06.2019, स्थान: दिल्ली हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिंद्रा बैंक लि.

kotak
निजी समझौते द्वारा नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

कोटक महिंद्रा बैंक लि.
पंजीकृत कार्याः 27–बीकेसी, सी 27, जी–ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (ई), मुबंई–400051 निगमित पहचान सं. L65110MH1985PLC038137
शाखा कार्यालय, कोटक महिंद्रा बैंक लि. 7वीं मंजिल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14 के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी/गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूतित ऋणदाता अर्थात कोटक महिंद्रा बैंक लि. को गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यों), जिस पर, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने भौतिक कब्जा ले लिया था, जिसमें अभिरूचि की अभिव्यक्ति/प्रस्ताव आरक्षित मूल्य के अनुसार वर्णित राशि में इच्छुक खरीदार से प्राप्त हुआ है और इसके अतिरिक्त प्रस्ताव निम्नानुसार वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए मुहरबंद कवर में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित हैं और मैसर्स ऐंजल वेल्नेस, श्रीमती रेखा चौहान, श्री मुकेश चौहान से प्रतिभूतित ऋणदाता को देय रु. 1,41,79,499.74की वसूली के लिए 21.06. 2019 को "जहां है जैसी है", जो है जैसी है", और "जहां कहीं भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 60,00,000/– है और जमा धरोहर राशि बोली राशि का 10 प्रतिशत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ऋणी(यों) का नाम	मांग सूचना तिथि व राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	अचल संपत्ति के जांच की तिथि
1. मैसर्स ऐंजल वेल्नस 2. श्रीमती रेखा चौहान 3. श्री मुकेश चौहान (ऋण खाता सं. 3111381679)	16.03.2017 रु. 1,41,79,499.74 (रुपए एक करोड़ इकतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे व चौहत्तर पैसे केवल)	अचल संपत्ति बियरिंग "यूनिट नं. 24, ग्राउंड फ्लोर, द सेफियर, उप्पल के साउथेंड सेक्टर–49, गुड़गांव, हरियाणा के सभी भाग व पार्सल भूमि क्षेत्रः 468 वर्ग फुट	रु. 60,00,000/– (रुपए साठ लाख केवल)	दिनांक 13.06.2019 11.00–1400 बजे
			जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	**प्रस्ताव/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि**
			10% of Bid Amount	दिनांक 20.06.2019 को शाम 5.00 बजे तक
				नीलामी की तिथि/समय
				दिनांक 21.06.2019 1100–1300 बजे

बिक्री की नियम व शर्तें
1. संपत्ति/दस्तावेजों की जांच प्राधिकृत अधिकारी के साथ दिए गए तिथि व समय पर की जा सकती है।
2. बोली दस्तावेज/फॉर्म बिक्री की सामान्य नियम व शर्तों के साथ उक्त वर्णित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी कार्यालय घंटों के दौरान पर प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित बोली फॉर्म पर अपनी मुहरबंद बोलियां भेजनी चाहिए।
3. बोली को बैंक के उक्त वर्णित क्षेत्र कार्यालय में 20.06.2019 को शाम 5.00 से पहले कोटक महिंद्रा बैंक लि., दिल्ली के पक्ष में अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत) के साथ भेजा चाहिए। पूर्ण रूप से न भरी बोलियां या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक बार बोली किए जाने पर वापस नहीं ली जा सकती है।
4. मुहरबंद बोलियों को उस समय मौजूद बोलीदाताओं की उपस्थिति में बैंक के उक्त वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय में 21.06.2019 को 1100–1300 बजे के बीच खोला जाएगा। नीलामी/इंटर से बोली बोलियों के खुलने के बाद शुरू रखी जाएगी। जहां बोलीदाता उपस्थित रह सकते हैं। और वृद्धि में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।
5. संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से नीचे पर नहीं बेचा जाएगा। बोलीदाता रु. 30,000/– के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। और संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को "कोटक महिंद्रा बैंक, दिल्ली के पक्ष में अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के द्वारा अगले कार्य दिवस पर तुरंत उसके बाद नहीं बोली राशि (बोली के लिए पहले से जमा आरक्षित मूल्य की ईएमडी अर्थात 10 प्रतिशत सहित) 25 प्रतिशत जमा करना होगा। असफल होने पर बैंक बोलीदाता द्वारा पहले से जमा पूरी राशि को जब्त कर लेगा। बोलीदाता द्वारा जमा ईएमडी व अन्य राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
7. बिक्री के सुनिश्चिकरण पर उच्चतम बोलीदाता को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, कन्वेंस, टीडीएस, आदि का वहन खरीदार को करना होगा।
8. बैंक उपरांकित संपत्ति पर किसी प्राधिकरण या किसी नियम या नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी से किसी अनुमति/एनओसी को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
9. सफल बोलीदाता को नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी से किसी भी बकाया देय का भुगतान करना होगा और बिक्री प्रमाण के लिए पंजीकरण के लिए स्टैंप ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को आगे बढ़ाने/रद्द करने या बिना कोई पूर्व सूचना के बिक्री की शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।
11. बैंक के बेहतर ज्ञान व जानकारी से बैंक की बिक्री को छोड़कर संपत्ति पर किसी ऋणभार के प्रति जागरूक नहीं है। इच्छुक पार्टियां अपनी संतुष्टि के लिए स्वयं संपत्ति का मूल्यांकन कर सकती हैं। बैंक ने उपरोक्त संपत्ति के फिटनेस/टाइटल के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिनिधि नहीं बनाया है।
12. सूचना में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों अनुसार लागू अनुसार अतिरिक्त ब्याज प्रभारित होगा और आकस्मिक देय, लागत आदि व वसूली तक देय आदि भी।
13. एतद्द्वारा ऋणी/गिरवीकर्ता को उक्त वर्णित संपत्ति को व्यक्तिगत रूप से छुड़ाने के लिए सूचित किया जाता है और वे बिक्री के नियम व शर्तों के अनुसार उक्त वर्णित संपत्तियों को खरीदने के लिए किसी इच्छुक खरीदार को भी ला सकते हैं।
14. अथवा सर्वोच्च उच्चतम बोलीदाता को स्वीकार की जाएगी। हालांकि अधोहस्ताक्षरी को इंटर-से बोली, यदि आवश्यकता हो तो की अनुमति के लिए स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है।
15. बैंक संपत्ति पर किसी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं है जो बैंक को ज्ञात नहीं है।
16. उक्त गिरवी संपत्ति पर कोई बोली प्राप्त नहीं होती है संपत्ति को रु. 60,00,000/– (साठ हजार केवल) के प्रस्तावित मूल्य पर इच्छुक खरीदार को बेचा जाएगा।

एतद्द्वारा ऋणी(यों)/गिरवीकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा पूर्ण में देयता का चुकाने और इस सूचना की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर अब तक की तिथि तक ब्याज व अन्य सहित उक्त वर्णित अनुसार देयों का भुगतान करने के लिए **सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) व 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक सूचना दी** जाती है। असफल होने पर प्रतिभूतित संपत्ति (उक्त वर्णित) को उक्त वर्णित नियम व शर्तों अनुसार बेचा जाएगा। विस्तृत विवरण के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट https://www.kotak.com/en/bank-auction.html में दिए लिंक का संदर्भ लें या प्राधिकृत अधिकारी, श्री राजीव अग्रवाल 7291971531 व श्री सुधीर कुमार 9999765233 से बैंक के उक्त वर्णित कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक 04.06.2019, स्थान: दिल्ली हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिंद्रा बैंक लि.

राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास अतिक्रमण को लेकर हरित पंचाट चिंतित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजमार्ग के पास व्यापक स्तर पर अतिक्रमण को लेकर चिंता प्रकट की है और सरकार को इस संबंध में प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। हरित अधिकरण ने कहा कि निगरानी तंत्र को बनाए जाने वाले राजमार्ग, निर्माण किए जा चुके राजमार्ग और जहां पर निर्माण किया जा रहा है, उस संबंध में भविष्य की नीति के साथ काम करना चाहिए।

अधिकरण ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस संबंध में दो महीने के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि राजमार्ग पर अवैध ढांचे द्वारा अतिक्रमण से पौधे लगाने की नीति को लागू करना कठिन हो गया है। हरित अधिकरण ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) से और राज्यों में राजमार्ग के संबंध में संबंधित राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों से जरूरी आंकड़ा जुटाने को कहा।

पीठ एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसने एनजीटी के पांच सितंबर 2017 के आदेश की तामील की मांग की है। जिसमें एनएचएआइ ने अधिकरण को आश्वस्त किया था कि वह हरित राजमार्ग नीति का पालन करेगी। उधर अधिकरण (एनजीटी) ने सेना को दिल्ली कैंट इलाके में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 लागू करने में छावनी बोर्ड के साथ सहयोग करने को कहा है।

न्यायमूर्ति के रामकृष्णन और विशेषज्ञ सदस्य नगिन नंदा के अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि भारतीय सेना नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने में दूसरों के लिए आदर्श तय कर सकती है। पीठ दिल्ली छावनी बोर्ड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून 2016 के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड के अंतर्गत वार्डों में बदलाव की मांग की। इन वार्डों को आदर्श वार्ड बनाया जाना था।

बोर्ड ने कहा कि उसे आबंटित दो वार्ड पूरी तरह रक्षा विभाग के नियंत्रण में आते हैं। इस कारण से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून 2016 को प्रभावी तरीके से लागू करने में दिक्कतें आ रही है। बोर्ड ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा की गई बैठक में उन्हें दिल्ली छावनी इलाके में 2,3 और चार नंबर वार्ड दिए गए जिन्हें आदर्श वार्ड घोषित किया जाना था। लेकिन वार्ड नंबर दो का उरी इनक्लेव और वार्ड नंबर चार का शंकर विहार पूरी तरह रक्षा विभाग के नियंत्रण में आता है। यह छावनी बोर्ड के नियंत्रण में नहीं है।

याचिका में कहा गया है -इसलिए इलाके में नियम लागू करने में कठिनाई आ रही है। वार्ड नंबर दो और चार की जगह वे वार्ड नंबर सात और आठ को मॉडल वार्ड बनाना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि छावनी के बोर्ड के संकोच करने का कोई कारण नहीं बनता। उन्हें इलाके के पार्षद की मदद से वहां के लोगों से बात करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इसे कैसे लागू किया जाएगा और उन्हें दूसरों को मार्ग दिखाना चाहिए कि कैसे मॉडल वार्ड बनता है। पीठ ने कहा- हमें उम्मीद है कि सेना के लोग नियमों को लागू करने में छावनी बोर्ड के साथ सहयोग करेंगे और यह दूसरों के लिए आदर्श होगा।

छात्र को मानसिक यातना देने वाले स्कूल पर जुर्माना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

उपभोक्ता मामलों के शीर्ष आयोग ने दिल्ली के एक स्कूल को अपने पूर्व छात्र का प्रवेश पत्र रोक कर उसे मानसिक यातना देने पर 75,000 रुपए का मुआवजा देने को कहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने छात्र को मुआवजा देने के राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा। लेकिन बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, विकास मार्ग की मान्यता रद्द करने के निर्देश को खारिज कर दिया। आयोग ने वहां पढ़ रहे अन्य विद्यार्थियों के हित को देखते हुए यह आदेश दिया।

आयोग के अध्यक्ष सदस्य सी विश्वनाथ ने कहा- राज्य आयोग ने मुकदमे के शुल्क सहित, छात्र को मिली मानसिक यातना व उसके उत्पीड़न के लिए उसे 75,000 रुपए का बिलकुल सही मुआवजा तय किया है। राज्य आयोग का आदेश इस संबंध में बरकरार रखा जाता है। वहीं आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता के स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू किए जाने के संबंध में राज्य के निर्देश को यह देखते हुए रद्द किया जाता है कि वहां कई अन्य छात्र भी पढ़ रहे हैं जिन्हें इस फैसले से अपूर्णीय क्षति होगी। इन छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए स्कूल की मान्यता रद्द करने का निर्देश खारिज किया जाता है।

आकाश अग्रवाल को 2009 में बोर्ड परीक्षा देनी थी। उसे खराब सेहत की वजह से कुछ क्लास छोड़नी पड़ीं और स्कूल ने उसे प्रवेश पत्र नहीं जारी किया था। बाद में दीवानी अदालत का रुख करने पर उसे प्रवेश पत्र जारी किया गया। उसने अपनी शिकायत में कहा कि प्रवेश पत्र देर से मिलने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था। जिसकी वजह से उसे परीक्षा में कम अंक मिले और वह अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाया।

प्याज की कीमत कम रखने के लिए अतिरिक्त भंडारण में जुटी केंद्र सरकार

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

केंद्र ने प्याज उत्पादक राज्यों में सूखे जैसी स्थिति के मद्देनजर आने वाले महीनों में इस महत्त्वपूर्ण फसल की कीमत पर अंकुश रखने के लिए पचास हजार टन प्याज का बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एशिया में प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव में इसका थोक भाव 29 फीसद बढ़कर 11 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। पिछले साल इसी दौरान भाव 8.50 रुपए का था। दिल्ली में खुदरा प्याज 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है।

अधिकारी ने कहा कि उत्पादक क्षेत्र में सूखे की स्थिति के कारण, रबी की प्याज का उत्पादन कम होने की संभावना है। इससे इसकी आपूर्ति व भाव, दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। सहकारी संस्था, नाफेड को मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज की खरीद करने के लिए कहा गया है, उसने अब तक लगभग बत्तीस हजार टन रबी की ऐसी किस्मों की प्याज खरीदी है, जिनको जमा करके कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। इसको जुलाई के बाद में आपूर्ति न होने के समय इस्तेमाल में लाया जा सकता है। प्याज के अलावा सरकार इस वर्ष दलहन के लिए भी 16.15 लाख टन का बफर स्टॉक बना रही है। इस वर्ष महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं। पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार जून में प्याज उत्पादन थोड़ा अधिक यानी दो करोड़ 36.2 लाख टन होने का अनुमान है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
ONE FAMILY ONE BANK
दिल्ली अंचल कार्यालय
15, एनबीसीसी टावर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66
फोन : 011–26164817 / 26197769 ; फैक्स : (011) 26171554 ई–मेल : legal_del@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) तिथि : 04–06–2019

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक **मांग सूचना दिनांकित 18–10–2018** जारी की थी, जिसमें **कर्जदार मेसर्स कॉनसेप्ट मॉल्ड प्लास्ट और 1. श्रीमति सुनीता ढींगरा 2. सुमित ढींगरा 3. मुनीत ढींगरा 4. ज्योति ढींगरा (गारंटर्स) से रु. 9,14,686/ – (रूपये नौ लाख चौदह हजार छः सौ छियासी मात्र) + 19–10–2018 की प्रभावी तिथि से संविदा दर पर लागू नहीं किया गया ब्याज** का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। (सूचना स्पीड पोस्ट से भेजी गई थी)।

कर्जदार एवं गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार एवं गारंटर और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा **4 जून, 2019** को प्राप्त कर लिया है।

जबकि विशेष रूप से कर्जदार एवं गारंटर को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को संपत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उपरिवर्णित बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार एवं गारंटर का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बैंक में बंधक रखी तथा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण और बैंक के द्वारा लिया गया कब्जा निम्नानुसार है :

1. एफ एफ –43–ए, बेसमेन्ट, खसरा नं. 60/2/1, ब्लॉक–एफ, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली

2. दुकान नं. 7, संम्पति संख्या एफ एफ –43–ए, का भाग, खसरा नं. 60/2/1, ब्लॉक–एफ, मंगला बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्राधिकृत अधिकारी

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, मूल न्यायाधिकरण
कंपनी आवेदन सं. (CAA)-8/chd/Hry/2019

के मामले में,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232

और

अनंत राज एजेंसिज प्राइवेट लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा-122051

और (समामेलनकारी कंपनी/आवेदक कंपनी 1)

अनंत राज लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा-122051

और (समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी/आवेदक कंपनी 2)

अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा-122051

(परिणामी कंपनी/आवेदक कंपनी 3)

अनंत राज लिमिटेड (अर्थात् समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी/आवेदक कंपनी 2) के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) प्रतिभूतित ऋणदाताओं व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं की बैठक की सूचना देते हुए ट्रिब्यूनल की सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी आवेदन (CAA) No. 8/chd/Hry/2019 में आदेश दिनांक 17 मई, 2019 के द्वारा, माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ ('एनसीएलटी') ने कंपनीज अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 52 व 66 के साथ पठित धारा 230-232 के अनंत राज एजेंसिज प्राइवेट लिमिटेड (अर्थात् समामेलनकारी कंपनी), अनंत राज लिमिटेड, (समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी) और अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड (परिणामी कंपनी) व उनके संबंधित शेयरधारकों और क्रेडिटर्स (''योजना'') के बीच समामेलन व डिमर्जर के लिए प्रबंधन की संयुक्त योजना शामिल प्रबंधन में शामिल योजना पर विचार करने और यदि सही लगता है, संशोधित सहित और संशोधन(ओं) के बिना के उद्देश्य के लिए अनंत राज लिमिटेड (''समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी) के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूतित ऋणदाताओं व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं की अलग बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में और उसमें निर्देशानुसार, आगे सूचित किया जाता है कि समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूतित ऋणदाताओं और अप्रतिभूतित ऋणदाताओं की उपरोक्त बैठक निम्नानुसार समय व स्थान पर आयोजित की जाएगी, जिसमें समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी के उक्त इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूतित ऋणदाताओं और अप्रतिभूतित ऋणदाताओं से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

क्र.सं.	बैठक का वर्ग	बैठक की तिथि व दिन	बैठक का समय	बैठक का स्थान
1	इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, 06 जुलाई, 2019	सुबह 11.00 बजे	प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा-122051
2	प्रतिभूतित ऋणदाता		दोपहर 12.30 बजे	
3	अप्रतिभूतित ऋणदाता		दोपहर 2.30 बजे	

कंपनी (समझौते, प्रबंधन और समामेलन) नियमों, 2016 (''नियम'') के नियम 6 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम की धाराओं 230(3), 232(1) और (2) और 102 के साथ पठित धारा 102 के अंतर्गत योजना, संबंधित व्याख्यात्मक विवरण सहित उसकी बताने वाले दस्तावेजों के साथ उपरोक्त बैठकों के संबंध में सूचनाओं की प्रतियां, प्रॉक्सी का फॉर्म व उपस्थिति स्लिप प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा-122051 में समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूतित ऋणदाताओं और अप्रतिभूतित ऋणदाताओं द्वारा उसके लिए किए गए अनुरोध पर एक (1) दिन के भीतर किसी दिन (शनिवार, रविवार व सार्वजनिक छुट्टी) पर निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं और/या समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी, श्री सुमन कुमार झा, निगमित व्यावसायिक सलाहाकार व अधिवक्ता, डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 नई दिल्ली-110049 से कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं।

उक्त वर्णित अनुसार हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या आवेदक कंपनियों के अधिवक्ता, श्री सुमन कुमार झा, निगमित व्यावसायिकों, डी-28, पहली मंजिल, साउथ एक्सटेंशन-1, नई दिल्ली-110049 के कार्यालय से आवेदक कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर एक (1) दिन (सभी कार्यदिवसों पर) के भीतर निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

उपरोक्त बैठकों में उपस्थित और वोट करने के हकदार व्यक्ति (इक्विटी शेयरधारक बैठकों के मामले में पोस्टल बैलेट या इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा) संबंधित बैठक स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा वोट डाल सकते हैं, सभी प्रॉक्सियां दिए गए निर्धारित फॉर्म में उपरोक्त बैठकों की आरंभ के निर्धारित समय से अड़तालीस (48) घंटे पहले, उसके बाद नहीं, उक्त वर्णित समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। प्रॉक्सी के फॉर्म समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से कार्यालय घंटों के दौरान वर्णित अनुसार इसके अधिवक्ता के कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

एनसीएलटी ने अधोहस्ताक्षरी को बैठकों के अध्यक्ष, श्री धृष्टिमन भट्टाचार्य, अधिवक्ता को, बैठकों के वैकल्पिक अध्यक्ष सुश्री गुंजन बंसल और श्री प्रिंस चड्ढा, कंपनी सचिव को बैठकों के जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। उपरोक्त बैठकों में योजना यदि अनुमोदित होती है तो इसके बाद एनसीएलटी के अनुमोदन का विषय होगी।

इसके अतिरिक्त समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधाकरों सहित) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. (1) अधिनियम की धारा 108 व 110 के साथ पठित धारा 230(4), (2) नियमों के नियम 6(3)(गप), (3) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासनिक) नियमों, 2014 के नियम 20 के साथ पठित नियम 22 व अन्य लागू प्रावधानों, (4) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 44 व अन्य लागू प्रावधानों (5) सेबी सकुर्लर सं. CFD/DIL3/CIR/2017/21 दिनांक 10 मार्च, 2017, समय-समय पर संशोधित (''सेबी सकुर्लर) अनुसार और अन्य संबंधित नियम व विनियम, जो भी लागू हो, समामेलित कंपनी/डिमर्जड कंपनी ने योजना पर विचार करने व अनुमोदन के लिए इक्विटी शेयरधारकों जिनमें सार्वजनिक शेयरधारक शामिल हैं, को सक्षम करने के लिए पोस्टल बैलेट व ई-वोटिंग द्वारा [illegible]

2. पोस्टल बैलेट व ई-वोटिंग के बैठक के स्थल पर वोटिंग द्वारा वोट करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों की योग्यता निर्धारण करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार 24 मई, 2019 है। [illegible]

3. पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग और इक्विटी शेयरधारकों द्वारा ई-वोटिंग की शुरुआत गुरुवार, 06 जून, 2019 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 05 जुलाई, 2019 को शाम 5.00 बजे बंद होगी।

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible] www.anantrajlimited.com [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

11. [illegible] www.anantrajlimited.com [illegible] https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

12. [illegible] gmanojpahwa@anantrajlimited.com [illegible] www.evoting.nsdl.com [illegible] 1800-222-990 [illegible]

प्राधिकृत व्यक्ति
अनंत राज लिमिटेड
हस्ता/-
अमर शरीन
निदेशक
डीआईएन: 00015937
दिनांक : 04 जून, 2019
स्थान: मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा

हस्ता/-
अमन शरीन
मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ)

हस्ता/-
धृष्टिमन भट्टाचार्य, अधिवक्ता
अनंत राज लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूतित ऋणदाताओं व अप्रतिभूतित ऋणदाताओं की बैठक के आयोजन व के लिए अध्यक्ष

कंपनी याचिका सं. 122/PB/2018

एसवी पावर प्राइवेट लिमिटेड ...हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 1

और

स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड ....हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 2

के साथ

एसीबी (इंडिया) लिमिटेड ....हस्तांतरी कंपनी

(1) एसवी पावर प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं. 1), (2) स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं. 2) और (3) एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (हस्तांतरी कंपनी) के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक की सूचना की जानकारी एवं विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 30.05.2019 के माध्यम से एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (हस्तांतरी कंपनी) के साथ एसवी पावर प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं. 1) और स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं. 2) के बीच समामेलन की योजना पर विचार करने, और यदि जरूरी हुआ तो संशोधन या बिना संशोधन के उसे अनुमोदित करने के प्रयोजन हेतु सभी तीन कंपनियों के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सभी तीन कंपनियों के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक नीचे दी गई समय-सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी:

क्र सं0.	कंपनियों के नाम	बैठक का स्थान	तिथि एवं समय
1.	एसवी पावर प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 1)	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016	शनिवार 6 जुलाई, 2019 सुबह 11:00 बजे
2	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 2)	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016	शनिवार 6 जुलाई, 2019 दोपहर 12:30 बजे
3.	एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (हस्तांतरी कंपनी)	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016	शनिवार 6 जुलाई, 2019 दोपहर 2:00 बजे

कथित समामेलन की योजना की प्रतियां और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत विवरण नीचे दिये गये संबंधित कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। बैठक में उपस्थित होने एवं वोट के लिए पात्र व्यक्ति स्वयं या प्रॉक्सी के माध्यम से वोट दे सकता है बशर्ते निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी फार्म बैठक प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व संबंधित कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिये गये हो। कंपनियों का पंजीकृत कार्यालय निम्नानुसार है:

क्र सं0.	कंपनियों के नाम	कंपनियों का पता
1	एसवी पावर प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 1)	फ्लैट नं0. 18, एसएफएस, पहला फ्लोर वसंत एन्क्लेव, राव तुला राम मार्ग, नई दिल्ली –110057
2	स्पैक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी सं0. 2)	18, वसंत एन्क्लेव, राव तुला राम मार्ग, नई दिल्ली–110057
3	एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (हस्तांतरी कंपनी)	सी–102, एसजीएफ, न्यू मुल्तान नगर, सूर्या एन्क्लेव, नई दिल्ली–110056

प्राक्सी फार्म कंपनी के संबंधित कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय पर भी उपलब्ध रहेगा।

माननीय अधिकरण ने कथित बैठकों के लिए श्री संजय ठाकुर, अधिवक्ता को अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में श्री संजीव सिंघल, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, श्री नवीन सिंघल, चार्टर्ड एकाउंटेंट को बैठकों का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उपरोक्त वर्णित समामेलन की योजना, यदि अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो यह माननीय अधिकरण के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांक: 04 जून, 2019
हस्ता. /–
(अध्यक्ष)

पूर्वी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता [एम-एसएच-(एन)]-I
डी-1, स्टाफ क्वार्टर्स, एस.डी.एन. अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली-110095

निविदा आमंत्रण सूचना

एनआईटी: ईई-[एम.एसएच-(एन)]-I/एसीसीटीटी/टीसी/2019-20/04 दिनांक: 03.06.2019

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि : 24.06.2019 को 14.00 बजे तक

बोली तैयार करने तथा हैश जमा कराने की अंतिम तिथि : 25.06.2019 को 15.00 बजे

बोली बन्द होने की तिथि : 25.06.2019 को 14.00 बजे से 25.06.2019 को 17.00 बजे तक

ऑनलाइन बोली की री-इंक्रिप्शन की तिथि : 25.06.2019 को 17.00 बजे से 27.06.2019 को 15.00 बजे तक

वित्तीय बोली खुलने की तिथि : 27.06.2019 को 15.30 बजे

आयुक्त, ईडीएमसी की ओर से अधिशासी अभियन्ता [एम. शाह (एन)]-I द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा संख्या
1.	वार्ड सं. 33 ई/244 शाह. उत्तर जोन में सुन्दर नगरी में एफ-2 मस्जिद के सामने एवं ईडीएमसी प्राथमिक विद्यालय एल-ब्लॉक के सामने 0 के प्रावधान द्वारा सड़क का सुधार/विकास।	84,26,195/-	1,68,600/-	314646
2.	वार्ड सं. 33 ई/244 शाह. उत्तर जोन में सुन्दर नगरी में मकान नं. ओ-433 से ईडीएमसी प्राथमिक विद्यालय तक तथा मकान नं. एन-1 से एम एंड सीडब्ल्यू सेन्टर तक बी/डब्ल्यू के प्रावधान द्वारा ड्रेन का सुधार/विकास।	57,12,585/-	1,14,300/-	314647
3.	वार्ड सं. 34 ई/242 न्यू सीमापुरी शाह. उत्तर में ताहिरपुर गाँव में पीर के निकट आरसीसी मद के प्रावधान द्वारा सीटीसी का निर्माण।	67,53,427/-	1,35,100/-	314648
4.	वार्ड सं. 35 ई/241 शाह. उत्तर जोन में ओ, पी एवं क्यू-पॉकेट दिलशाद गार्डन के साथ 0 के प्रावधान द्वारा आरसीसी ड्रेन का निर्माण।	57,56,224/-	1,15,200/-	314649
5.	वार्ड सं. 35 ई/241 शाह. उत्तर जोन में पी-पॉकेट [--] में ईडीएमसी प्राथमिक विद्यालय से पी-21/A-1 एवं पी-28/A-1 से पी-32/A-1 तक के मध्य 0 के प्रावधान द्वारा सड़क एवं लेन का सुधार/विकास।	42,59,124/-	85,200/-	314650
6.	वार्ड सं. 35 ई/241 दिलशाद गार्डन शाह. (एन) जोन में एफ-पॉकेट [--] में 0 के प्रावधान द्वारा एफ पॉकेट में फ्लैट नं. 19A से 25A तक तथा फ्लैट नं. 86A से 91A तक रोड लेन का सुधार, विकास।	21,94,091/-	43,900/-	314651
7.	वार्ड सं. 35 ई/2401 दिलशाद गार्डन शाह. उत्तर जोन में ए-पॉकेट जी.टी.बी. एन्क्लेव [--] में 0 के प्रावधान द्वारा ए-पॉकेट में गेट नं. 1 से 3 तक तथा फ्लैट नं. 31/A से 58/A के निकट तक मेन रोड का सुधार/विकास।	49,21,295/-	98,500/-	314652

लेखा शीर्षक : TYADB क्र.सं. 1, 2 एवं 6 हेतु, **SBM** क्र.सं. 3 हेतु, **XL-VIII-S-(i)** क्र.सं. 4 एवं 7 हेतु, **XL-VIII-S-(iv)** क्र.सं. 5 हेतु; **परिपूर्णन अवधि : 6 माह** प्रत्येक, क्र. सं. 1 से 3 हेतु, **4 माह** प्रत्येक, क्र.सं. 4, 5 एवं 7 हेतु, **3 माह** क्र.सं. 6 हेतु; **दर वैधत्ता अवधि : 5 माह** प्रत्येक, उपरोक्त सभी कार्यों हेतु; **निविदा का मूल्य** : रु. **1,000/-** प्रत्येक, क्र.सं. 1 से 4 हेतु, रु. **500/-** प्रत्येक, क्र.सं. 5 से 7 हेतु।

निविदा प्रपत्र वेबसाइट **http://www.mcdonline.gov.in/** से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है तथा स्वीकृत एवं पात्र ठेकेदारों द्वारा बिडिंग हेतु वेबसाइट **http://www.mcdetenders.com** पर भी उपलब्ध है। एनआईटी का विवरण वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

केवल दिल्ली नगर निगम के पंजीकृत ठेकेदार ही सम्बन्धित श्रेणी में भाग लेने हेतु पात्र हैं।

आर.ओ. नं. 06/डीपीआई/पूर्वी/2019-20 ईई-[एम.-एसएच-(एन)]-I

पूर्वी दिल्ली नगर निगम का नागरिक हेल्पलाइन नं. : 155303

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई– 400013
(CIN No. U67190MH2008PLC187552)

डिमांड नोटिस

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्त्तन) नियमों, 2002 (''नियमों'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत

चूंकि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHFL) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए विवरण अनुसार संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के अंदर संबंधित डिमांड नोटिस में वर्णित अनुसार राशियों की अदायगी के लिए यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदारों/सह–कर्जदारों/गारंटरों (सभी अकेले या एकत्रित रूप से ''बाध्यताधारी'')/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नीचे वर्णित तिथि को विस्तृत डिमांड नोटिस पहले ही जारी कर दिया था। कथित नोटिसों की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गई हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधि, यदि वो इच्छुक है, किसी भी कार्यदिवस को सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के अन्दर कथित बाध्यताधारी द्वारा निष्पादित ऋण सहमति व अन्य दस्तावेज/ लिखित, यदि कोई है, के साथ पठित अदायगी/ वसूली की तिथि तक कॉलम (डी) में नीचे वर्णित संबंधित तिथियों से नीचे विस्तृत अनुसार आगामी ब्याज के साथ उनके संबंधित नाम के अंतर्गत नीचे यहां वर्णित राशियों की टीसीएचएफएल को अदा करने के लिए कथित बाध्यताधारी/ कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार फिर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है। ऋण की बकाया पुनः अदायगी के लिए प्रतिभूति के तौर पर, निम्नलिखित प्रतिभूतित परिसम्पत्तियां क्रमशः कथित बाध्यताधारी द्वारा टीसीएचएफएल को रेहन रखी गई है।

ऋण खाता सं.	बाध्यताधारी/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	निम्न तिथि को कुल बकाया राशि* (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि व एनपीए की तिथि
10048203	श्रीमती विशू ढींगरा (कर्जदार) व स्व. श्री जतीन ढींगरा (सह कर्जदार) के कानूनी वारिस	14,69,554/– जो 29 मई, 2019 को है।	29 मई, 2019 09 अप्रैल, 2019
प्रतिभूतित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/रेहन संपत्तियों का विवरणः–बिक्री विलेख में लिखित कॉमन सुविधओं के साथ भूमि रकबा 58.52 वर्ग मी. में बाँके बिहरमन नगला, जिला बरेली, उ. प्र.–243001 में स्थित खसरा नं. 627 वाले प्लाट पर निर्मित आरसीसी छत प्रथम ग्रेड के साथ छत रकबा 63.54 वर्ग मी. के शीर्ष सहित बरामदा के साथ सीढ़ी और रिहायशी एक कमरा, एक ड्राइंग रूम लॉबी व बाथरूम किचनः– सीमाबद्ध निम्न अनुसार ढंग सेः– उत्तरः 12 फुट चौड़ी सड़क; दक्षिणः प्लॉट फौजी, पूर्वः मोहन सक्सेना की संपत्ति; पश्चिमः अल्पना सिन्हा का मकान;			

* अदायगी/वसूली की तिथि तक उपार्जित आकस्मिक खर्चे, लागतें, प्रभार, ऊपर वर्णित तिथि के डिमांड नोटिस में विशेष तौर पर वर्णित दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज के साथ। यदि कथित बाध्यताधारी ऊपरकथित अनुसार टीसीएचएफएल को अदायगी करने में असफल होगा, तब टीसीएचएफएल कथित अधिनियम व लागू नियमों की धारा 13 (4) के अंतर्गत लागतों व परिणामों के तौर पर कथित बाध्यताधारी/कानूनी प्रतिनिधियों के पूर्ण जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूति परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों के अंतर्गत कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी /कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि कथित अधिनियम के अंतर्गत टीसीएचएफएल की पूर्वलिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतित व परिसम्पत्तियों/अचल संपत्ति का हस्तांतरण, चाहे बिक्री पट्टे या अन्य द्वारा प्रतिबंधित है। कोई व्यक्ति जो यहां नीचे दिए अधिनियम या नियम के प्रावधानों के उल्लंघन या शह देना अधिनियम के अधीन प्रदान किये अनुसार कारावास तथा/या जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

दिनांक 05.06.2019 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः बरेली कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सूचना

यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं बैठक) विनियम, 2010 के विनियमन 48 के अनुरूप **सूचना दी जाती है कि** बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 27 जून, 2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 में होगी जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी:

1. 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते पर विचार-विमर्श, उसका अनुमोदन करना और उसे अंगीकार करना, बैंक के कार्यकलाप पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और बैंक के तुलन पत्र और लेखा पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में चर्चा करना, उसका अनुमोदन करना और उसे अंगीकार करना।
2. एक या इससे अधिक चरणों में अधिकतम 1500 करोड़ रुपए तक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018, यथा संशोधित और/अथवा सेबी परिपत्र सं. CIR/CFD/CMD/14/2015 दिनांक 30.11.2015 और SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/43/2018 दिनांक 22.02.2018 के अनुसरण में लिये जानेवाले निर्णय के अनुसार प्रीमियम सहित कीमत रु. 10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का सृजन करना, प्रस्तावित करना, जारी करना और आवंटित करना।

टिप्पणी:

1. **वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शेयरधारकों का रजिस्टर और अंतरण बही शुक्रवार, 21 जून, 2019 से गुरुवार, 27 जून, 2019 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।**
2. 24 मई, 2019 को जिन शेयरधारकों के नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज थे एवं जिनके पास बैंक के शेयर्स मूर्त रूप में मौजूद थे अथवा डीमैट रूप में बैंक के शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल से डाउनलोड किए गए, उन्हें इस आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की एक प्रति या तो उनके डिपोजिटरी/बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज दी गई है या कुरियर के माध्यम से बैंक/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास पंजीकृत पते पर भेज दी गई है। इस सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की प्रति हमारे बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर भी उपलब्ध है।
3. सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुरूप बैंक शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है ताकि वे अपना वोट इस सूचना में दिए गए सभी मुद्दों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकें। इसके लिए बैंक ने वोटिंग एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त कर रखा है। **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने की सुविधा सोमवार, 24 जून, 2019 को भारतीय समयानुसार 10.00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 26 जून, 2019 को भारतीय समयानुसार 17.00 बजे समाप्त होगी। यह सुविधा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगी। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल की सुविधा बंद कर दी जाएगी।**
4. **गुरुवार, 20 जून, 2019** (**निर्धारित तिथि**) तक मूर्त अथवा अमूर्त रूप में इस बैंक का शेयर रखने वाले शेयरधारक ही कार्यसूची मदों के संदर्भ में अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग से अथवा बैठक के दौरान दे सकते हैं।
5. यदि कोई व्यक्ति आम बैठक की सूचना जारी हो जाने के बाद किंतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए निर्धारित तिथि अर्थात गुरुवार, 20 जून, 2019 को अथवा उससे पहले बैंक का शेयरधारक बनता है तो अपना वोट देने के लिए वह सीडीएसएल को उनके ई-मेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड हेतु अनुरोध कर सकता है। यदि कोई शेयरधारक ई-वोटिंग के लिए अपना पंजीकरण सीडीएसएल के पास पहले ही करा चुका है तो वह शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। सीडीएसएल भी उन नए शेयरधारकों को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजने का प्रयास करेगा जिनका ई-मेल आईडी उनके पास उपलब्ध है।
6. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग का उपयोग नहीं किया है वे आम बैठक में शामिल होकर वहीं अपना वोट दे सकेंगे। कृपया यह ध्यान दें कि जो शेयरधारक अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे चुके हैं वे बैठक में शामिल तो हो सकते हैं किंतु उन्हें पुनः वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
7. बैठक के दौरान होने वाली वोटिंग कार्यसूची की मद के अनुरूप और बैठक के अध्यक्ष की घोषणा के बाद शुरु होगी ताकि जो शेयरधारक ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं दे पाए हैं, वे अपना वोट दे सकें।
8. रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक के दौरान होने वाली वोटिंग, दोनों के समेकित परिणाम बैंक और सीडीएसएल की वेबसाइट पर लगा दिए जाएंगे तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को इसकी सूचना भेज दी जाएगी।
9. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और लॉग-इन आई-डी बनाने के संबंध में किसी भी तरह की जिज्ञासा के लिए आप www.evotingindia.com के हेल्प डेस्क सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) की सूची और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ लें। इसके लिए आप 18002005533 पर सीडीएसएल ई-वोटिंग हेल्प डेस्क की सहायता ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं अथवा श्री मलय विस्वास, क्षेत्रीय प्रमुख, सीडीएसएल, 22 कैमेक स्ट्रीट, ब्लॉक-ए, प्रथम तल, कोलकाता 700016 से अपनी समस्या के समाधान के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या 9073980266 पर संपर्क कर सकते हैं।
10. **जो शेयरधारक बैठक में शामिल होने और उसी दौरान वोट देने के पात्र होंगे वे अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को वोट देने के लिए प्रतिनिधि स्वरूप प्राधिकृत कर सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए शेयरधारक को गुरुवार, 20 जून, 2019 को व्यवसाय अवधि की समय-सीमा तक या उससे पहले ही विधिवत आवश्यक कागजात समेत इसकी सूचना शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ, चौथा तल, युनाइटेड टावर, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 में दे देनी होगी ताकि प्राधिकृत प्रतिनिधि की वैधता बरकरार रहे।**
11. वार्षिक आम बैठक के आयोजन केंद्र पर प्रवेश केवल उपस्थिति सह-प्रवेश-पर्ची के साथ ही संभव हो सकेगा।

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-
स्थान : कोलकाता सुष्मिता मजुमदार
दिनांक : 04 जून 2019 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) **United Bank of India** (A Govt. of India Undertaking) The Bank that begins with U
प्रधान कार्यालय : 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700 001
www.unitedbankofindia.com

फॉर्म संख्या, यू आर सी–2

अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन
(कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 374 (b) और कंपनियों के नियम 4 (1) के तहत (पंजीकृत करने के लिए अधिकृत नियम, 2014)

1. सूचना यहां दी गई है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, पंद्रह दिनों के बाद एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन दिल्ली तथा हरियाणा के रजिस्ट्रार को इसके बाद के तीस दिनों की समाप्ति से पहले, M/s. VU2VU India LLP, एक सीमित देयता भागीदारी फर्म कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकृत हो सकती है, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में।

2. कंपनी की प्रमुख वस्तुएं इस प्रकार है: ''सलाहकारी, इंजीनियरी, सलाहकारी और वीडियो संचार सेवाओं और उत्पादों, प्रौद्योगिकी अवसंरचना, सिस्टम एकीकरण, सॉफ्टवेयर सेवाओं, वेब–पोर्टलों, इंटरनेट आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रदाताओं, प्रशिक्षण, और डीलरों के रूप में इंटरनेट आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुनियादी ढांचा प्रौद्योगिकी प्रदान करने का व्यवसाय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सभी संबंधित गतिविधियों के लिए प्रासंगिक कुछ दूरसंचार उपकरणों, सेवाओं और प्रणालियों में।''

3. मसौदा ज्ञापन की एक प्रति और प्रस्तावित कंपनी के संघ के लेखों का कार्यालय में ए 3 मौड अपार्टमेंट, 61 वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली –110096 में निरीक्षण किया जा सकता है।

4. सूचना यहां दी गई है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सी आर सी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आइ आर सी ए), रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति को सूचित कर सकता है, प्लॉट नंबर 6,7,8 सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा) पिनकोड–122050, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति के साथ।

दिनांक: 21 मई 2019
आवेदक का नाम
मनोज मूलचंद शाह
(नामित भागीदार नामित)
एच 3 डी सॉल्यूशंस लिमिटेड

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

और

फिशम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1990PTC041704)
जिसका पंजीकृत कार्यालय :
बी–558, पोल नं. 3593, संगम विहार, नई दिल्ली–110062 में हैं, के मामले में
....**आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **28 मई, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''** से **''उत्तर प्रदेश राज्य''** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हो, एमसीए-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में **बी-558, पोल नं. 3593, संगम विहार, नई दिल्ली-110062** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **फिशम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**
पंकज मेहरोत्रा
(निदेशक)
दिनांक: 04 जून, 2019 डीआईएन: 06892743
स्थान: नई दिल्ली

सूचना

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन,सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 के समक्ष।

कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 13 की उप धारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम–2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले में।

एवं

फर्स्ट रेट सोल्युसन्स प्राइवेट लिमिटेड
[CIN: U70109DL2018PTC331577]
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 16/10, फर्स्ट फ्लोर, न्यू रोहतक रोड, एम टी एन एल ऑफिस के पास, नई दिल्ली–110005, में है।
.........(आवेदक) के मामले में।

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी क्षेत्रिय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हटाकर गुजरात राज्य में स्थानांतरित करने के लिये 27 मई 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन के खंड-2 में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो, के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, एमसीए, बी–2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आवेदक की ओर से और उसके लिये
मै. फर्स्ट रेट सोल्युसन्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
नितिन शाह
दिनांक: 04.06.2019 निदेशक
स्थान: नई दिल्ली DIN: 07100903

कड़ी सुरक्षा में मनाई गई थ्यानमन की 30वीं बरसी

बेइजिंग, 4 जून (एएफपी)।

चीन में लोकतंत्र के समर्थन में 30 साल पहले थ्यानमन चौक पर हुए प्रदर्शन के दमन की बरसी गहरी चुप्पी और अतिरिक्त सुरक्षा के बीच मनाई जा रही है। पुलिस थ्यानमन चौक के पास मेट्रो से निकलने वाले हर पर्यटक और दैनिक यात्रियों के पहचान पत्र की जांच कर रही है। दरअसल 30 साल पहले थ्यानमन चौराहे पर लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन आज ही के दिन टैंकों और सैनिकों की मदद से बेरहमी से कुचल दिया गया था।

पुलिस ने ज्यादातर विदेशी पत्रकारों को चौक पर जाने की सिरे से अनुमति नहीं दी। जिन्हें इजाजत मिली, उन्हें तस्वीरें लेने से मना किया गया। अधिकारियों ने संवाददाता से कहा कि अगर वह इसका उल्लंघन करते हैं तो इसका असर वीजा नवीनीकरण पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर अमेरिका ने 1989 के आंदोलन को साहसी करार देते हुए इसकी सराहना की।

उधर, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि वर्षगांठ सिर्फ अतीत की स्मृति का बस एक हिस्सा ही बना रहे। उसने 4 जून से पहले कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जबकि लोकप्रिय लाइवस्ट्रीमिंग साइट तकनीकी रखरखाव के लिए बंद रहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2012 में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद से पार्टी और उच्च तकनीक से लैस उसके पुलिस तंत्र ने नागरिक समाज पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर दिया है। पुलिस कार्यकर्ताओं, मानवाधिकारों की वकालत करने वालों और श्रमिक आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मार्क्सवादी छात्रों को भी गिरफ्तार कर रही है।

थ्यानमन चौक की निगरानी करने के लिए चौक और उसके आसपास के लैंप पोस्ट पर निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। वर्ष 1989 में जन्मे व चीन की दिदी ऐप्प आधारित टैक्सी सेवा के चालक ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि हमें इसका ध्यान नहीं है। हम जानते हैं क्या हुआ था।' चालक ने कहा, 'लेकिन मैं आपको ऐसा कैसे बता सकता हूं कि दिदी ऐप्प कार में हमारी बातचीत की रिकार्ड कर रहा है।' उसने कहा, 'लेकिन आज का चीन बदला हुआ है। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। अगर आपके पैसा नहीं है तो आप मुंह खोलने की जुर्रत नहीं कर सकते हैं।' दूसरी ओर थ्यानमन घटना की 30वीं बरसी पर मंगलवार की शाम कैंडिल लाइट विजिल के लिए भीड़ का आना शुरू हो गया है।

हांगकांग विश्वविद्यालय में थ्यानमन चौक पर 1989 में हुए संहार की स्मृति में बनाई गई प्रतिमा की मंगलवार को साफ-सफाई करते छात्र-छात्राएं।

सुभाष काक को अमेरिका में सौंपा गया पद्मश्री

ह्यूस्टन, 4 जून (भाषा)।

अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एमिरेट्स सुभाष काक को भारत के महावाणिज्यदूत डॉ अनुपम रे ने पद्मश्री सम्मान सौंपा। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।

रे ने उपमहावाणिज्य दूत सुरेंद्र अधाना के साथ प्रोफेसर काक को मेडल व उद्धरण सौंपा। काक मार्च में पुरस्कार वितरण समारोह में भारत नहीं आ सके थे। 72 साल के काक ने कहा, 'मैं पद्मश्री पुरस्कार पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत पुनर्जागरण से गुजर रहा है और पहले से ही पीपीपी (खरीद क्षमता) में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नैश्विक शक्ति के रूप में भारत के विकास में शामिल होना और परिवर्तन का हिस्सा बनना बहुत अच्छा है।'

काक मूल रूप से श्रीनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने श्रीनगर के क्षेत्रीय इंजनीरियंग कालेज (अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर) से बीई किया। 1970 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएचडी की। वह 1975-1976 में लंदन के इम्पीरियल कालेज में अतिथि शिक्षक थे जबकि मर्रे हिल की बेल लेबोरेट्रीज में अतिथि शोधकर्ता थे। इसके अलावा वह 1977 में बंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अतिथि शोधकर्ता थे।

उन्हें 28 अगस्त, 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवोन्मेष सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) का सदस्य नियुक्त किया गया। वह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के मानद अतिथि प्रोफेसर भी हैं। काक 20 किताबों के लेखक हैं जिनमें से कुछ का अनुवाद फ्रैंच, जर्मन, इतावली, स्पैनिश, कोरियन और सर्बियन भाषाओं में हुआ है।

थ्यानमन कार्रवाई को लेकर लगी पाबंदी हटाए चीन : यूरोपीय संघ

ब्रसेल्स, 4 जून (एएफपी)।

यूरोपीय संघ (ईयू) ने मंगलवार को चीन से थ्यानमन चौक प्रदर्शन पर दमनात्मक कार्रवाई के संदर्भ में लगाई गई पाबंदी हटाने की अपील की है। ईयू ने कहा कि उसे 1989 की इस खूनी घटना में मारे गए या सलाखों के पीछे डाल दिए गए लोगों की पहचान स्वीकार कर लेनी चाहिए।

बेजिंग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन पर नृशंस दमनात्मक कार्रवाई की 30वीं बरसी पर ईयू ने चीन से हिरासत में रखे गए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आह्वान किया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने उस प्रदर्शन और दमनात्मक कार्रवाई के संबंध पर किसी भी चर्चा पर रोक लगा दी है ताकि चीनी लोग यह नहीं जान पाएं कि उस दिन क्या हुआ था। 1989 में चार जून को चीन की दमनात्मक कार्रवाई में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे।

ईयू की राजनयिक प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनी ने कहा कि यूरोपीय संघ को थ्यानमन चौक पर नृशंस कार्रवाई में लोगों की मौत का अब भी शोक है। उन्होंने बयान में कहा, 'चार जून को कितने लोग मारे गए या कितनों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, उसकी सटीक संख्या की कभी पुष्टि नहीं हुई और न कभी उसका पता चल पाएगा।' उन्होंने कहा, 'थ्येनमन की इन घटनाओं, मारे गए लोगों, हिरासत में लिए गए लोगों, लापता हुए लोगों की पहचान स्वीकार कर लेना भावी पीढ़ियों और सामूहिक स्मृति के लिए महत्त्वपूर्ण है।' उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय संघ चीन को अलग-थलग किए बिना उस पर मानवाधिकार रिकार्ड सुधारने का दबाव बनाने और उसके साथ संबंधों में संतुलन कायम करने की कोशिश में जुटा है।

आस्ट्रेलिया के डार्विन में गोलीबारी, चार मरे

मेलबर्न, 4 जून (एपी)।

आस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में हुई गोलीबारी में कम से कम चार व्यक्तियों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

'नदर्न टेरिटरी' के पुलिस ड्यूटी अधीक्षक ली मॉर्गन ने कहा कि मंगलवार को हुई गोलीबारी की घटना के बाद 45 साल के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। मॉर्गन ने 'गार्डियन आस्ट्रेलिया' को बताया कि फिलहाल हमें चार व्यक्तियों की मौत और गोलीबारी का शिकार हुए कई लोगों के बारे में जानकारी मिली है। आस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन ने खबर दी है कि एक व्यक्ति ने वूलन्र के उपनगर पाम्स होटल में अपरा एक पंप पर गोलीबारी की है।

चीनी शोधकर्ता का बच्चों में जीन संबंधी प्रयोग खतरनाक : विशेषज्ञ

बेइजिंग, 4 जून (भाषा)।

शोधकर्ताओं ने कहा है कि जीन-एडिटिंग (जीन में बदलाव) से गुजरने वाले लोगों, जिनमें चीन की जुड़वां बहनें भी शामिल थीं, का जीन उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) संभवतः इस तरह से किया गया है कि उनकी मृत्यु कम उम्र में ही होने की आशंका है। अनुसंधानकर्ताओं ने इसे बेहद खतरनाक और बेवकूफाना करार दिया है।

जुड़वां बहनों की कम उम्र में मृत्यु की आशंका

पिछले साल चीनी शोधकर्ता प्रोफेसर हे जियानकुई ने उस वक्त दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने जुड़वां बच्चियों को आनुवंशिक तौर पर बदल दिया ताकि उन्हें जानलेवा ह्यूमन इम्युनोडेफिशियेंसी वायरस (एचआईवी) से संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की जा सके। इस प्रयोग को लेकर देश-विदेश में हुई व्यापक आलोचना के बाद जियानकुई को किसी भी वैज्ञानिक गतिविधि में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। पिछले साल नवंबर में विज्ञान व प्रौद्योगिकी उपमंत्री शू नैनपिंग ने कहा, 'यह चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है।' उन्होंने कहा कि जियानकुई की हरकत चीन के कानून व नियमन का घोर उल्लंघन है और इसने शैक्षणिक नैतिकता व नीतिगत मूल्यों का उल्लंघन किया है।

बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीन एडिटेड जुड़वां लड़कियों पर 'नेचर मेडिसिन' में प्रकाशित नए अध्ययन में दिखाया गया है कि जियानकुई ने जिन लोगों के प्राकृतिक उत्परिवर्तन में बदलाव करने की कोशिश की, उनकी कम उम्र में मृत्यु की आशंका अधिक है।

इमरान खान के लिए बनाए सांप के चमड़े से सैंडल, लगा 50 हजार जुर्माना

पेशावर, 4 जून (भाषा)।

ईद के मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उपहार में देने के लिए सांप के चमड़े से बनाए गए सैंडलों को जब्त करने के बाद 50 हजार रुपए का जुर्माना भरने के बाद लौटा दिया गया है।

देश के प्रसिद्ध जूता निर्माता द्वारा बनाए गए ये सैंडल अधिकारियों ने पाक के वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में जब्त कर लिए थे जिसे 50 हजार रुपए का भारी भरकम जुर्माना भरने के बाद निर्माता को वापस कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने जहांगीर पुरा बाजार स्थित नूरुदीन शिनवारी की दुकान पर छापा मारा और सांप के चमड़े से बने दो जोड़ी परंपरागत पेशावरी सैंडल जब्त कर लिए। ऐसे सैंडल 'कप्तान स्पेशल चप्पल्स' के नाम से जाने जाते हैं और काफी प्रसिद्ध है। ईद के उपहार में क्रिकेटर से नेता बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देने के लिए सांप के चमड़े का यह सैंडल बनाया गया था। उसने दावा किया कि सांप की चमड़ी उसे अमेरिका से दो जोड़ी सैंडल बनाने के लिए भेजी गई थी। एक जोड़ी भेजने वाले के लिए और दूसरा प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए।

जिला वन अधिकारी ग्राहक बन कर उसकी दुकान पर गए और सेल्समैन से सैंडल की मांग की। इसके बाद विभाग ने शिनवारी के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारी ने सैंडल जब्त कर लिया और इसकी पुष्टि के लिए उसे प्रयोगशाला में भेजा। शिनवारी को यह सैंडल सोमवार को वापस मिल गया और इसके लिए उसने 50 हजार रुपए का भारी भरकम जुर्माना भरा।

डॉन न्यूज टीवी से नुरुद्दीन ने कहा, 'यह चप्पल मुझे वापस मिल गया और इसके लिए मुझे 50 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर देना पड़ा। अब मैं इसे प्रधानमंत्री इमरान खान को ईद के उपहार के तौर पर पेश करूंगा।'

सौतेली बेटी की हत्या में भारतीय मूल की महिला को 22 साल की सजा

न्यूयार्क, 4 जून (भाषा)।

बाथ टब में नौ साल की सौतेली बेटी की गला घोंट कर हत्या करने वाली भारतीय मूल की एक महिला को 22 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस अपराध को 'अकल्पनीय' करार दिया है।

क्वींस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केनेथ होल्डर की अध्यक्षता वाली एक जूरी ने एक घंटे से कम समय में जानबूझ कर की गई हत्या के मामले में पिछले महीने न्यूयार्क में क्वींस के शमदई अर्जुन (55) को दोषी करार दिया। सोमवार को उसे 22 साल कैद की सजा सुनाई गई।

अर्जुन को अगस्त 2016 में अपनी सौतेली बेटी अशदीप कौर का गला घोंट कर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। कौर के देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन की थी।

क्वींस डिस्ट्रिक्ट के कार्यवाहक अटॉर्नी जॉन रयान ने फैसले के बाद एक कठोर बयान में कहा, 'इस मामले में दुष्ट सौतेली मां से प्रतिवादी की कहानी अलग है। इस प्रतिवादी ने अकल्पनीय काम किया, उसने अपनी सौतेली बेटी का नाजुक गर्दन अपने हाथों से दबाया और उसकी हत्या कर दी।' रयान ने बताया, 'पीड़िता एक मासूम बच्ची थी और सिर्फ नौ साल की थी। अदालत ने एक ऐसी सजा दी है जो इस बात की गारंटी देगी कि यह महिला फिर कभी जेल से बाहर नहीं निकलेगी।

सिगरेट लाइटर से हुई मृत भारतीय की पहचान

लील, 4 जून (एएफपी)।

फ्रांस की पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने उत्तरी फ्रांस में एक सड़क के किनारे पड़ी बोरी में मिले एक भारतीय के शव की पहचान उसके सिगरेट लाइटर से की। इस सुराग से एक और भारतीय नागरिक को हिरासत में लेने में मदद मिली जिस पर हत्यारा होने का संदेह है।

पिछले अक्तूबर में एक मशीन ऑपरेटर बोर्बबर्ग में एक गड्ढे की सफाई कर रहा था। उसी समय उसे एक बोरी मिली जिसमें बिना किसी दस्तावेज या मोबाइल फोन के क्षत विक्षत शव मिला। शव इतना क्षत विक्षत था कि उससे उसके लिंग, राष्ट्रीयता या मृत्यु की परिस्थितियों का पता लगाना मुश्किल था। जांचकर्ताओं के बयान के अनुसार डीएनए और उंगलियों के निशान पहचान को उजागर करने में विफल रहे। पीड़ित की जेब में मिले सिगरेट लाइटर से पुलिस को उसकी शिनाख्त करने में सफलता मिली।

'दुनिया भर में दो तिहाई एड्स दवा की आपूर्ति करता है भारत'

संयुक्त राष्ट्र, 4 जून (भाषा)।

दुनिया भर में एड्स के इलाज में प्रयुक्त होने वाली कुल दवाओं में से दो तिहाई की आपूर्ति भारत करता है। इस तरह वह एड्स के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा कर खासतौर पर विकासशील देशों की मदद कर रहा है। एक भारतीय राजनयिक ने यह जानकारी दी है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन की प्रथम सचिव पौलोमी त्रिपाठी ने सोमवार को महासभा के सत्र में कहा कि एचआइवी/एड्स महामारी के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि 2030 तक इसके पूर्ण उन्मूलन को लेकर पर्याप्त चुनौती बनी हुई है। वह एड्स से संबंधित एक कार्यक्रम 'एचआइवी/एड्स पर प्रतिबद्धता की घोषणा को लागू करना और एचआइवी/एड्स पर राजनीतिक उद्घोषणा' को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भारतीय दवा उद्योग एड्स के इलाज में काम आने वाली एंटीरेट्रोवायरल दवा की कुल खपत की करीब दो तिहाई दवा की आपूर्ति करता है। इससे विकासशील देशों में इस बीमारी से लड़ने में खासी मदद मिल रही है।

एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी का दायरा बढ़े : भारत

संयुक्त राष्ट्र, 4 जून। एड्स के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्त्वपूर्ण साझीदार भारत ने जीवन भर चलने वाली एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) की जरूरत कम करने के लिए नई दवाइयां व उपचार पद्धतियां विकसित करने और अनुसंधान तेज करने के प्रयासों पर बल देने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पॉलोमी त्रिपाठी ने कहा, 'एचआइवी/एड्स बीमारी के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालांकि एचआइवी/एड्स को 2030 तक जनस्वास्थ्य को खतरे के तौर पर दूर करने के हमारे रास्ते में बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।'

भारत ने 1995 के बाद से नए पीड़ितों की संख्या मे 80 फीसद से अधिक की गिरावट दर्ज की है

भारत ने 1995 के बाद से नए पीड़ितों की संख्या मे 80 फीसद से अधिक की गिरावट दर्ज की है। इस जानलेवा बीमारी की वजह से होने वाली मौतों की संख्या 2005 के सर्वोच्च स्तर से 71 फीसद कम हुई है।

पिघलते ग्लेशियर टूर संचालकों के लिए बने नए बाजार

एंकरेज, 4 जून (एपी)।

अलास्का के टूर संचालकों के लिए जलवायु संकट के कारण तेजी से पिघलते ग्लेशियर नए बाजार बन रहे हैं। एंकरेज डेली न्यूज ने रविवार को खबर दी कि टूर कंपनियों के कई संचालकों के पास ऐसी ट्रिप बुक कराने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है जो राष्ट्र के एकमात्र आर्कटिक राज्य के पिघलते ग्लेशियरों को देखना चाहते हैं। इन ग्राहकों की इच्छा है कि वह ग्लेशियरों के पूरी तरह पिघल जाने से पहले उन्हें देख लें।

मोनालिसा की मुस्कान असली नहीं : अध्ययन

लंदन, 4 जून। ब्रिटेन में लंदन विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार मोनालिसा की चर्चित मुस्कान अस्वाभाविक हो सकती है। यह कहा गया है कि इतालवी विद्वान लियोनार्डो दा विंची ने जानबूझकर उन्हें इस तरीके से चित्रित किया है। लंदन विश्वविद्यालय में शोधकर्ता सेंट जॉर्ज ने मोनालिसा के भाव की सच्चाई को परखना शुरू किया और पेंटिंग के लिए मनोभाव के सिद्धांत का प्रयोग किया। उन्होंने चेहरे के हाव-भाव को परखने के लिए 'किमरिक फेस टेस्ट तकनीक' का इस्तेमाल किया। (भाषा)

दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान की तलाश खत्म

तोक्यो, 4 जून। जापान ने दुर्घटनाग्रस्त विमान 'एफ-35 ए' का तलाश अभियान मंगलवार को खत्म कर दिया। करीब दो महीना पहले यह विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 'एफ-35 ए' एक स्टील्थ (रडार की पहुंच से बच निकलने वाले) लड़ाकू विमान था। (एएफपी)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

प्रथम तल, प्रवीन हाउस, 28-ए, विधानसभा मार्ग, बर्लिंग्टन सर्किल लखनऊ-226001, फोन-0522-2611615, 2615413, फैक्स: 2623150, ईमेल: zo.lucknow@denabank.co.in

अधिग्रहण सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)
(नियम 8(1))

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इदेना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) (संस्था का नाम) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 13(12) के सपठित नियम 9 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी ओं / जमानतकर्ता ओं को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था।

ऋणी ओं / जमानतकर्ता ओं के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणग्रहिता / जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) के नियम 9 के साथ पठित प्रदत्त भाक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित बंधक अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया गया है।

ऋणी / जमानतकर्ताको विशिष्ट रूप से सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतदद्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति कोई क्रय-विक्रय और इन सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि के लिए इदेना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) (संस्था का नाम) के प्रभारों के अधीन होगा। ऋणकर्ता का विवरण, अचल सम्पत्तियों एवं बकाया राशि का विवरण:

शाखा:- सुल्तानपुर

ऋणी नाम व पता	मांग सूचना की तिथि/राशि	अधिग्रहण की तिथि	अधिग्रहित बंधक सम्पत्ति का विवरण
ऋणकर्ता: श्रीमती निम्मी तिवारी, प्रोपराइटर: मेसर्स मंगला सेल्स श्री आशुतोष कुमार तिवारी के द्वारा जमानत	11.02.2019 रू. 16,29,000/- 31.12.2018 तक	03.06.2019	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्सों सहित प्लॉट सं. 1340जीएच, 1341जीएच मकान गाटा सं. 1340जीएच, ग्राम: बिलहरी, परगना: बरौसा, तहसील: जयसिंहपुर, सुल्तानपुर (श्री आशुतोष कुमार के नाम पर) चौहद्दी: उत्तर: सड़क भदौह मालिक की भूमि, दक्षिण: मालिक की भूमि, पूर्व: मालिक की भूमि, पश्चिम: प्रसिद्ध नारायन तिवारी की भूमि

दिनांक : 05.06.2019 स्थान : सुल्तानपुर प्राधिकृत अधिकारी, देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : पटपड़गंज रोड, दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटपड़गंज रोड, दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **17/12/2018** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: हसन टेक्सटाईल्स (मालिक: श्रीमती मीनु फ़तमा पत्नी श्री गुलशन बेग),** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.26,78,717/- (छब्बीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ सत्रह रूपये मात्र)** प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क, उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 01.06.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.26,78,717/- (छब्बीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ सत्रह रूपये मात्र) प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क** के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटपड़गंज रोड दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

निम्नलिखित स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से:

गांव मौजपुर, 'कबीर नगर' की आबादी, गली नं. 1, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110094 में स्थित साम्यिक बंधक सम्पत्ति सं. सी-2/2, एरिया परिमाप 35 वर्ग यार्ड, खसरा नं. 392 एवं 393 का भाग **(मालिक- श्रीमती मीनु फ़ातमा पत्नी श्री गुलशन बेग) जो घिरी है:**

पूर्व: अन्य की सम्पत्ति **पश्चिम:** गली
उत्तर: अन्य की सम्पत्ति **दक्षिण:** अन्य की सम्पत्ति

स्थान: दिल्ली
तिथि: 01/06/2019
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे अनुसूची में विशेष तौर पर वर्णित सम्पत्ति के संबंध में अपने सूचीबद्ध अधिवक्ता के माध्यम से **श्रीमती बीना जैन पत्नी श्री अशोक कुमार जैन** (आधार नं. 861127018918) निवासी II-ई-49, नेहरू नगर, गाजियाबाद, वर्तमान पता: निवासी केएम 119, कवि नगर, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद के टाइटल की जांच कराई है।

सम्पत्ति की अनुसूची

ब्लॉक-एल, मकान नं. केएल-143, कवि नगर, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित भवन नं. केएल-143, प्लॉट एरिया 167.22 वर्ग मीटर जो निम्नानुसार घिरा है:

पूर्व: 40 फीट चौड़ी रोड **पश्चिम:** 12 फीट चौड़ी रोड
उत्तर: प्लॉट नं. 142 **दक्षिण:** प्लॉट नं. 144

श्रीमती बीना जैन ने इस सम्पत्ति को साम्यिक बंधक सम्पत्ति के रूप में बैंक को प्रतिभूत के तौर पर प्रस्तुत किया है और प्रारंभ में यह सम्पत्ति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की थी और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गाजियाबाद) द्वारा लीज दिनांक 05.10.1971 के माध्यम से **श्रीमती इंदिरा गुप्ता पत्नी श्री सुरेन्द्र प्रकाश गुप्ता** को उपरोक्त कथित प्लॉट अंतरित किया था और **फ्रीहोल्ड विलेख दिनांक 21.05.1999** के संदर्भ में उपरोक्त लीजहोल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदला गया और उसके बाद इन्होंने इस सम्पत्ति को बिक्री डीड दिनांक 27.08.2002 के माध्यम से **श्रीमती पूनम अग्रवाल पत्नी श्री गणेश अग्रवाल** को बेचा और **श्रीमती पूनम गुप्ता** ने बिक्री विलेख दिनांक 14.09.2018 के माध्यम से उपरोक्त कथित सम्पत्ति को **श्रीमती बीना जैन पत्नी श्री अशोक कुमार जैन** को बेचा। उपरोक्त कथित सम्पत्ति को अंतरित करने से **पूर्व श्रीमती पूनम अग्रवाल** ने कवि नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि पूर्व दस्तावेजों की चेन अर्थात् मूल लीज डीड दिनांक 05.10.1971 एवं मूल **फ्रीहोल्ड डीड दिनांक 21.05.1999** कहीं गुम हो गये हैं। सभी व्यक्ति जो कथित सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कोई अधिकार, हक, दावा, मांग या सम्पदा हित रखते हैं और बिक्री, विनिमय, बंधक, किराया, पट्टा, ग्रहणाधिकार, प्रभार, रखरखाव, लाइसेंस, उपहार, वारिस, हिस्सा कब्जा, सुखभोग, ट्रस्ट, वसीयतनामा कब्जा, अनुबंध या अधिभार या अन्यथा किसी भी अन्य तरीके से अधिकार का दावा रखते हैं, वे एतदद्वारा कथित सम्पत्ति के संबंध में किये जा रहे अपने दावे के अधिकार के अधीन संगत दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिन के भीतर अपना दावा पेश कर सकते हैं और ऐसा कोई दावा नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी बैंक के पक्ष में बिना किसी अधिभार के सम्पत्ति को साम्यिक बंधक रखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगें।

हस्ता/- मुख्य प्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद

Corporation Bank

(A Premier Public Sector Bank)

अंचल कार्यालय-दिल्ली उत्तर, दूसरा तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005,
फोन नं. 011-28754615, 28754642, ईमेल आईडीः dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईटः www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कॉर्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है की, नीचे वर्णित ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) से कॉर्पोरेशन बैंक के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित तिथि को ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

शाखा का नाम एवं पताः नोएडा कॉर्पोरेट शाखा, फोन नं. 0120-2511225, 2511224, 2517205

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः राइजिंग ओवरसीज, प्लॉट नं. 39, 40, खसरा नं. 26, 16, भू तल, डाबरी, राजू एन्क्लेव, पुराना पालम रोड, ककरौली, दिल्ली गारन्टरः 1. राजेश अत्री	बकाया राशिः रु. 49551201.75 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 1. सतवीर सिंह के नाम में नसीरपुर (पश्चिमी सागरपुर के नाम से विदित) नई दिल्ली में सम्पत्ति सं. आरजेड-345/17, खसरा नं. 869/345 एवं 870/345 तथा उस पर निर्मित तीन कमरे, क्षेत्रफल-500 वर्ग यार्ड्स/416.88 वर्ग मीटर का ईएमजी (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 2,46,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2460000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tedner/rising_overseas. pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः बृज सुगर इंडस्ट्रीज (पी) लि., मैन मार्केट, पुलिस स्टेशन के सामने, सिम्भावली-245207, जिला हापुड़, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशकों 1. श्री महेन्द्र कुमार गोयल, 2. श्रीमती कल्पना गोयल गारन्टरोंः 1. श्री महेन्द्र कुमार गोयल, 2. श्रीमती कल्पनागोयल 3. कल्पना इन्फोटेक (पी) लि.	बकाया राशिः रु. 193053469.98 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति स. 2. श्रीमती कल्पना गोयल के स्वामित्व में ग्राम गढ़ बांगर, परगणा एवं तहसील गढ़मुक्तेश्वर, पंचशील नगर, जिला गाजियाबाद में स्थित खाली रुपांतरित भूमि एरिया 0.495 हेक्टेयर जिसका खसरा नं. 2183 है। ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 11.6.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 75,74000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 7,57,400/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/brij-industries-p-ltd.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 3. श्रीमती कल्पना गोयल के स्वामित्व में खसरा नं. 1628, ग्राम बांगरपुर, एनएच 24 के निकट, गढ़मुक्तेश्वर, पंचशील नगर, उ.प्र. में खाली रुपांतरित भूमि।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ
आरक्षित मूल्यः रु. 74,40,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 7,14,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/birij-sugar-industries-p-ltd.pdf

सम्पत्ति सं. 4. श्रीमती कल्पना गोयल के स्वामित्व में ग्राम फरीदपुर, सिम्भावली, परगणा एवं तहसील गढ़मुक्तेश्वर, पंचशील नगर, गाजियाबाद में खसरा नं. 308 एम, खाता नं. 243, माप 0.1450 हेक्टेयर में खाली भूमि तथा श्री महेन्द्र कुमार गोयल के स्वामित्व में ग्राम फरीदपुर, सिम्भावली, परगणा एवं तहसील गढ़मुक्तेश्वर, पंचशील नगर,
खसरा नं. 308 एम, खाता नं. 243, माप 0.2284 हेक्टेयर में खाली भूमि।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/birij-sugar-industries-p-ltd.pdf

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः मै. स्वास्तिक ट्रेडर्स, डी-9, प्रेम नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, प्रॉप्राईटर का नामः श्री राजेश अत्री	बकाया राशिः रु. 2,7084383.93 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 5. फ्लैट नं. 16 (दूसरा तल), प्लॉट नं. आर 2 एवं आर 3 पर निर्मित, खसरा नं. 98 एवं 102 में, ब्लॉक-आर, बिन्दापुर, उत्तमनगर, नई दिल्ली-59, क्षेत्रफल 94 वर्ग यार्ड्स/78.60 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 22,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,20,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders_o.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 6. फ्लैट नं. 18 (दूसरा तल) प्लॉट नं. आर 2 एवं आर 3 पर निर्मित, खसरा नं. 98 एवं 102 में, ब्लॉक-आर, बिन्दापुर, उत्तमनगर, नई दिल्ली-59, क्षेत्रफल 94 वर्ग यार्ड्स/78.60 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 22,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,20,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders_o.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 7. 3रा तल, फ्लैट नं. 24, प्लॉट नं. आर-02 एवं आर-03, खसरा नं. 98 एवं 102, वाणी विहार, ग्राम बिन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 23,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,30,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders_o.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 8 आवासीय फ्लैट नं. 4 (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. आर-02 एवं आर-03, खसरा नं. 98 एवं 102, ब्लॉक-आर, वाणी विहार, ग्राम विन्दापुर, उत्तर नगर, नई दिल्ली, क्षेत्रफल-78.60 वर्ग मीटर का ऊपरी भू तल (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 24,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः 2,40,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://cprpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/swastik_tenders_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 9 आवासीय फ्लैट नं. 6 (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. आर-02 एवं आर-03, खसरा नं. 98 एवं 102, ब्लॉक-आर, वाणी विहार, ग्राम विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, क्षेत्रफल-78.60 वर्ग मीटर का ऊपरी भू तल (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 24,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः 2,40,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://cprpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/swastik_tenders_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 10 3रा तल, आवासीय फ्लैट (बिना छत के अधिकार के रीअर साइड, बाईं ओर) प्लॉट नं. आर-02 एवं आर-03, खसरा नं. 98 एवं 102, ब्लॉक-आर, वाणी विहार, ग्राम विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, एरिया 78.60 वर्ग मीटर (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 23,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः 2,30,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://cprpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/swastik_tenders_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 11 ऊपरी भूतल का आवासीय फ्लैट (बिना छत के अधिकार के) प्रा. नं. 5, प्लॉट नं. आर-2 तथा आर-3 पर निर्मित, ब्लॉक-आर, खसरा नं. 98 एवं 102 में, वाणी विहार एक्स्टें. ग्राम विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में जो कि श्री राजेश अत्री के स्वामित्व में है।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 18,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः 1,80,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://cprpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/swastik_tenders_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम	रैनबो वर्ल्डवाइड प्रा. लि., ए 37, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, गारन्टर 1. लव भारद्वाज 2. रवि भोला 3. रंगोली इन्टरनेशनल प्रा. लि.	बकाया राशिः रु.50,02,89,487.80 तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 12 म्यूनिसिपल नं. 106-110-ए-बी, 111 से 114, 115-ए/5, 115-बी/1-9, 120-बी, सी, डी, ई एवं एफ परिक्षेत्र, तेलीवारा एन्ट्री चोट्टा बाजार कॉम्प्लैक्स, अपना बाजार के नाम से विदित, शाहदरा, दिल्ली-110032, क्षेत्रफल 1896 वर्ग यार्ड्स/ 1585.28 वर्ग. मीटर में स्थित सम्पत्ति (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 10,56,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः 1,05,60,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://cprpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/rainbow_worldwide_private_limited.pdf में दी गई लिंक देखें।

शाखा का नाम एवं पताः करोल बाग शाखा, 2223 फोन नं. 011-28750955, 25755119

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः डायमंड ज्वैलर्स कॉर्पोरेशन, 2728/23, बेडनपुरा करोल बाग, नई दिल्ली, गारन्टर 1. मनोज कुमार सोनी, 2. सुमन सोनी, 3. जेसस डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड 4. आनंदम ऑर्नामेन्ट्स पी. लि.	बकाया राशिः रु. 157767296/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 13 नाईवाला इस्टेट, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित ब्लॉक पी में प्लॉट/खसरा नं. 25, गली नं. 23-24 पर निर्मित भू तल का व्यावसायिक दुकान (बिना छत के अधिकार के) प्रा. नं. 5,6 एवं 7, सम्पत्ति म्यूनिसिपल सं. 2728, वार्ड नं. xvi में।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,34,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः 13,40,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://cprpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/diamond_jewel_corporation_1.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 14 नाईवाला इस्टेट, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित ब्लॉक पी में प्लॉट/खसरा नं. 25, गली नं. 23-24 पर निर्मित भू तल का व्यावसायिक दुकान (बिना छत के अधिकार के) प्रा. नं. 8,9 एवं 10, सम्पत्ति म्यूनिसिपल सं. 2728, वार्ड नं. xvi में।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 98,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः 9,80,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/diamond_jewel_corporation_1.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः मै. आनंदम ज्वैलर्स 2439, गली नं. 10, अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली, गारन्टरः 1. मनोज कुमार सोनी, 2. विकास वर्मा, 3. जेसस डेवपर्स प्राईवेट लिमिटेड 4. जेसस बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड	बकाया राशिः रु.112776501.47 तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 15 मद सं. 1 शाप/पोर्शन प्रा. नं. 8, माप 184.48 वर्ग फीट, शॉप पोर्शन/प्रा. नं. 9, माप 134.56 वर्ग फीट, शॉप पोर्शन प्रा. नं. 10, माप लगभग 192.27 वर्ग फीट अर्थात् कुल माप 511.31 वर्ग फीट, II रा तल, बिना छत के अधिकार के , फ्रीहोल्ड सम्पत्ति म्यूनिसिपल सं. 2728, वार्ड नं. xvi, पोस्ट/खसरा नं. 25, गली नं. 23-24, ब्लॉक-पी, नाईवाला इस्टेट, बेडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली जो मै. जेसस डेवलपर्स प्रा. लि. के नाम में है।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 39,02,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 3,90,200/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/aanandam_jewellers_1.pdf देखें।

सम्पत्ति सं. 16 शॉप प्रा. नं. 1, माप 229.50 वर्ग फीट, शॉप/पोर्शन प्रा. नं. 2, माप लगभग 133.79 वर्ग फीट/शॉप/पोर्शन प्रा.नं. 3, माप लगभग 117.04 वर्ग फीट तथा शॉप/पोर्शन प्रा. नं. 4, माप लगभग 117.04 वर्ग फीट अर्थात् कुल माप 597.37 वर्ग फीट, II रा तल, बिना छत के अधिकार के , फ्रीहोल्ड सम्पत्ति म्यूनिसिपल सं. 2728, वार्ड नं. xvi, पोस्ट/खसरा नं. 25, गली नं. 23-24, ब्लॉक-पी, नाईवाला इस्टेट, बेडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली जो मै. जेसस डेवलपर्स प्रा. लि. के नाम में है।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 46,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 46,00,00.00/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://cprpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/aanandam_jewellers_1.pdf देखें।

संपत्ति सं. 17ः मै. जेसस डेवलपर्स प्रा.लि. के नाम में फ्रीहोल्ड सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं. 2728, XVI, प्लॉट/ खसरा नं. 25, गली नं. 23-24, ब्लॉक पी, नाईवाला इस्टेट, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में छत के अधिकार के बिना शॉप/ पोर्शन, प्रा.नं. जी.एफ माप लगभग 8.76 वर्ग मी., भू तल।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 30,60,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 3,06,000.00
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ corpbank-page-files- tender/ aanandam-jewellers-1.pdf में दी गई लिंक देखें।

संपत्ति सं. 18ः मै. जेसस डेवलपर्स प्रा.लि. के नाम में फ्रीहोल्ड सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं. 2728, XVI, प्लॉट/ खसरा नं. 25, गली नं. 23-24, ब्लॉक पी, नाईवाला इस्टेट, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में छत के अधिकार के बिना शॉप/ पोर्शन, प्रा.नं. 2, माप 143.49 वर्ग फीट शॉप/ पोर्शन प्रा..नं. 3, माप लगभग 88.54 वर्ग फीट शॉप/ पोर्शन, प्रा.नं. 4, माप 175.40 वर्ग फीट अर्थात कुल माप 407.43 वर्ग फीट, भू तल।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,20,11,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1201100.00
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ corpbank-page-files- tender/ aanandam-jewellers-1.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम	ऋणधारकः राजीव अग्रवाल (मृतक) के कानूनी उत्तराधिकारियों, ई-38, ब्लॉक ई, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1, नई दिल्ली- 110048 सुश्री रिद्धि अग्रवाल(कानूनी उत्तराधिकारी) सुश्री जाह्नवी अग्रवाल (कानूनी उत्तराधिकारी), श्री कृष अग्रवाल (कानूनी उत्तराधिकारी)	बकाया राशिः रु. 7041403.50 तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 19ः दूसरा तल, सम्पत्ति सं. 34 पर निर्मित आवासीय फ्लैट, ब्लॉक III, ईरोस गार्डन कॉलोनी, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 84,62,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 8,46,200/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ corpbank-page-files- tender/ rajeev-aggarwal.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम	ऋणधारकः मै. दुर्गा एप्पैरल्स प्रा.लि., ए-3/88, III तल, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058, साथ हीः मै. दुर्गा एप्पैरल्स प्रा.लि., एल-93, चाणक्य प्लेस, पार्ट- II, नई दिल्ली-110059, गारन्टरः 1. श्री सज्जन कुमार, श्रीमती सुनीता गर्ग, 3. धरम पाल, 4. श्री दीना नाथ, 5. सुश्री संगीता बंसल	बकाया राशिः रु. 33836229.75 तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 20ः फ्रीहोल्ड दो मंजिला निर्मित सम्पत्ति सं. जे-90, उसके छत/ टैरेस सभी अधिकारों के साथ, एरिया माप 75 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 92/10 का भाग जो ग्राम हस्तसाल कॉलोनी आर्य समाज रोड के नाम से विदित, उत्तम नगर, जे ब्लॉक, नई दिल्ली-110059 की राजस्व सम्पदा में स्थित है (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 72,65,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 7,26,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ corpbank-page-files- tender/ Durga-apparals.pvt.ltd.pdf में दी गई लिंक देखें।

संपत्ति सं. 21ः भूमि माप 3 बीघा एवं 11 बिसवा जो खसरा नं. 5/23/2 (3-11) में शामिल है, बिल्डिंग के साथ जो राजस्व- ग्राम असालतपुर खवाड़, तहसील नजफगढ़, नई दिल्ली में स्थित है (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 2,35,50,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 23,50,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ corpbank-page-files- tender/ Durga-apparals.pvt.ltd.pdf में दी गई लिंक देखें।

संपत्ति सं. 22ः फ्रीहोल्ड निर्मित एमआईजी फ्लैट नं. 112-सी, दूसरे तल पर, पॉकेट-2 जो द्वारका अवासीय स्कीम की ले आउट योजना, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित है (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 67,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 6,70,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ corpbank-page-files- tender/ Durga-apparals.pvt.ltd.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः इरशाद हुसैन, सी-205, गली नं. 5, चौहान बांगर, शारदा पब्लिक स्कूल के निकट, दिल्ली, सह-देनदारः श्रीमती जुबेदा बेगम	बकाया राशिः रु. 15,93,977/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 23ः आवासीय सम्पत्ति सं. बी-118, शालीमार गार्डन मैन, ग्राम पसोण्डा, परगणा लोनी, तहसील/जिला गाजियाबाद का ईएमजी।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,83,13,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 18,31,300/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/irshad_hussain_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः रितुश शर्मा, 80, साकेत, मेरठ, सह-देनदारः 1. श्रीमती रीना शर्मा	बकाया राशिः रु. 10,56,151/- तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 24ः फ्लैट नं. 504, 4था तल, रॉयल ब्लैक, सुपरटेक ईस्टेट जो ग्राम-प्रहलाद गढ़ी, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित है, का ईएमजी (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ritush_sharma_1.pdf में दी गई लिंक देखें।

शाखा का नाम एवं पताः नोएडा मुख्य शाखा, फोन नं. 0120-2404878, 2404880, 2404881, 2404877

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः 1. मयंक सिंघल, एच. नं. ए 131, सेक्टर 55, नोएडा, सह-आवेदकः 1. श्रीमती शशि सिंघल, पत्नी दिनेश कुमार सिंघल, 2. श्री दिनेश कुमार सिंघल 3. श्री रवीश वत्स 4. एकदन्त बिल्डटेक प्रा. लि. ऋणधारकः 2. मै. एकदन्त इंडिया लिमिटेड, पंजी. कार्याः बी-1/46, लेन नं.-3, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-96, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशकों श्री दिनेश कुमार सिंघल तथा श्री राम सिंह सह-आवेदक 1. मयंक सिंघल पुत्र श्री दिनेश कुमार सिंघल 2. रवीश वत्स पुत्र श्री रामसिंह, 3. श्री दिनेश कुमार सिंघल, पुत्र स्व. श्री ओ.पी. सिंघल 4. श्री राम सिंह, पुत्र आरवी सिंह, 5. श्रीमती राशि सिंघल, पत्नी श्री दिनेश कुमार सिंघल 6. श्री रवीण वत्स, पुत्र श्री राम सिंह	बकाया राशिः रु. 1,95,42,703.00 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज - मयंक सिंघल रु. 1,25,25,083/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज -एकदन्त इंडिया लिमिटेड

सम्पत्ति सं. 25ः सेक्टर-55, नोएडा में स्थित प्लॉट नं. 131, ब्लॉक-ए पर आवासीय मकान (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 3,24,90,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 32,49,000
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mayank_singhal_1.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः किरण वत्स, एच. नं. डी 171, सेक्टर 49, नोएडा सह-आवेदकः श्रीमती रंजना सिंह	बकाया राशिः रु. 9762581/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 26. आवासीय मकान, प्लॉट नं. 172 जो ब्लॉक-डी, सेक्टर-49, नोएडा में स्थित है, क्षेत्रफलः 153 वर्ग मी. (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,48,50,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1485000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/kiran_sale.pdf में दी गई लिंक देखें।

शाखा का नाम एवं पताः इन्दिरापुरम शाखा, फोन नं. 0120-2607703, 2607704

ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम	ऋणधारकः मुक्ता राय, ई-301, 3रा तल, राजहंस अपार्टमेन्ट, अहिंसा खंड-II, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.	बकाया राशिः रु. 7614672/- तथा ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 27. प्लॉट नं. 1/1, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र. पर कृष्णा एप्रा सैफायर में 3 बीएचके फ्लैट नं. 906, 9वाँ तल, टाइप सी-1890 वर्ग फीट, एरियाः 1890 वर्ग फीट। उत्तरः सड़क 100 फीट चौड़ी, दक्षिणः प्लॉट नं. 1/2, पूर्वः 80 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः 18 मी. चौड़ी सड़क (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 83,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 8,30,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mukta_roy_3.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः मै. किशोरी इंडस्ट्रीज, 141-ए, रिचपालपुरी, गाजियाबाद, प्रॉप्राईटर का नामः श्री प्रमोग गोयल गारन्टरः 1. कविता गोयल 2. प्रमोद गोयल	बकाया राशिः रु. 18504371.15 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 28. खसरा नं. 1086 का प्लॉट, विकास नगर (उत्तम टोयटा शो रूम के सामने), इंडस्ट्रियल एरिया, ग्राम सादिक नगर, मेरठ रोड, परगणा-लोनी, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद (उ.प्र.) (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 97,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 9,70,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/kishori_industries.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः कान्ति प्रशाद अजय कुमार, प्रॉप. अजय कुमार, रेलवे रोड, मंडी गंज, पिलखुआ, हापुर। गारन्टरः 1. कान्ति प्रशाद, 2. सरोज देवी, पत्नी कान्ति प्रशाद	बकाया राशिः रु. 1043608.00 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 29ः शॉप नं. 20, नया नं. 84/ 85, रेलवे रोड में, मंडी गंज, पिलखुआ, हापुर, गाजियाबाद, एरिया 13.5 वर्ग यार्ड्स का ईएमजी (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 10,25,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1,02,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ files/ corpbank-page-files/ tender/ Kanti.prasad-0.-pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर (रों) का नाम	ऋणधारकः मदीना प्रिन्ट्स, 98 शमशाद रोड, पिलखुआ, गाजियाबाद, प्रॉप्राईटर का नामः 1. श्री इन्तजार आलम, 2. श्री मुख्तियार, गारन्टरः 1. मुख्तियार	बकाया राशिः रु. 11,51,675.50 तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 30ः कॉमर्सियल फैक्ट्री नं. 645, डबरिया, पिलखुआ, हापुर, गाजियाबाद का ईएमजी (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 45,35,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,53,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ files/ corpbank-page-files/ tender/ madina-prints-0.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर (रों) का नाम	नबील प्रिन्ट्स भंडार, प्रॉप. नबील अहमद, भारतीय स्टेट बैंक के सामने, बाजार बजाजा, पिलखुआ, प्रॉप्राईटर का नामः 1. श्री नबील अहमद, 2. श्रीमती सरताज बेगम, 3. श्री फरीद अहमद	बकाया राशिः रु. 10,16,000 तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 31ः खसरा नं. 1457, मोहल्ला डबरिया, पिलखुआ, तहसील धौलन, जिला हापुर का ईएमजी (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 28,60,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,86,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ files/ corpbank-page-files/ tender/ nabeel-prints-bhandar-0.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर (रों) का नाम	ऋणधारकः पिलखुआ हैंडलूम्स, प्रॉप. शहीदा बेगम, शमशाद रोड, पिलखुआ, हापुर, गारन्टरः फरीद अहमद	बकाया राशिः रु. 10,80,000 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 32ः एच.नं. 380/ 381, मोहल्ला डबरिया, पिलखुआ, हापुर, उ.प्र. (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 20,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,00,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ files/ corpbank-page-files/ tender/ pilakhuwa-handlooms-0.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः अहमद प्रिन्ट्स शमशाद रोड, पिलखुआ, गाजियाबाद, उ.प्र., प्रॉप्राईटरों का नामः 1. श्री फरीद अहमद 2. श्रीमती शहीदा बेगम, गारन्टरः 1. शहीदा बेगम	बकाया राशिः रु. 10,22,000/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 33. एच. नं. 380/381, मोहल्ला डबरिया, पिलखुआ, हापुड़, उ.प्र. का ईएमजी (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 50,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 5,00,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ahmad_print_sale_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

शाखा का नाम एवं पताः प्रीत विहार शाखा, फोन नं. 011-22055675, 22464811, 22050955

ऋणधारक एवं गान्टरों का नाम	ऋणधारकः 1. मा टिम्बर एक्स्पोर्ट्स, प्लॉट नं.-4, 1 ला तल, पॉकेट-20, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली, प्रॉप्राईटर का नामः 1. श्री अफ्सर अली 2. श्रीमती एहसाना, 3. आनंद सिंह-ऋणधारक, 2. रॉयल ग्रीन एण्टरप्राईजेज, ऑफिस नं. 23, 2रा तल, प्लॉट नं. 14, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र., प्रॉप्राईटर का नामः श्री अफसर अली, श्री ऐनुल हक, गारन्टरः 1. श्री अफसर अली 2. ऐनुल हक 3. आनंद सिंह	ऋणधारक 1. बकाया राशिः रु. 27,42,471/- तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज। 2. बकाया राशिः रु. 28,32,142/- तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज।

सम्पत्ति सं. 34. खसरा नं. 193, ग्राम अकबरपुर, बेहरामपुर, परगणा लोनी, तहसील जिला गाजियाबाद, 150 वर्ग मी., वही नं. 1, जिल्द नं. 5082, पेज नं. 45 से 104, क्रम सं. 4794 में जो श्री आनंद सिंह के स्वामित्व में है, का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 44,63,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,46,300/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/maa_timber_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः 1. गुल फूड्स एण्ड कम्पनी, सी-23, III रा तल, गली नं. 2, चौहान बांगर, दिल्ली, प्रॉप्राईटर का नामः श्री मोहम्मद अनवर, गारन्टरः 1. अफसर अली ऋणधारकः 2. साबा एण्टर प्राईजेज बी 1/13, जी 2, डीएलएफ एक्स्टेंशन II, गाजियाबाद, उ.प्र., प्रॉप्राईटर का नामः 1. श्रीमती एहसाना, गारन्टरः 1. अफसर अली	ऋणधारकः 1. बकाया राशिः रु. 23,50,108/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज ऋणधारक 2ः रु. 23,79,586/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 35. श्री रोहित उप्पल के स्वामित्व में वायु सेना, हिंडन सहकारी आवास समिति लिमिटेड, डिफेंस कॉलोनी, भोलपुरा, परगणा-लोनी, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. की ले आउट योजना में स्थित प्लॉट नं. डी-1/2, ब्लॉक-डी, भूमि एरिया 117.50 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ।
आरक्षित मूल्यः रु. 34,00,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 3,40,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/gul_foods and company_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः 1. इस्बाह एण्टरप्राईजेज, ऑफिस नं. 23, शिल्पी आर्क्ड प्लॉट नं. 14, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र., प्रॉप्राईटर का नामः 1. अफसर अली ऋणधारक 2 फ्रैंड्स ट्रेडर्स, बी-49, पंडित पार्क, शिवपुरी, दिल्ली, प्रॉप्राईटर का नामः 1. श्रीमती राज रानी	ऋणधारकः 1 बकाया राशिः रु. 2672465/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज ऋणधारकः 2 बकाया राशिः रु. 21,54,835/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 36ः आबादी-शिवाजी गली, पंडित पार्क, ग्राम- घोंण्डली, शाहदरा, नई दिल्ली-110051 में स्थित खसरा नं. 472 में शामिल सम्पत्ति संख्या 49-बी, कवर्ड एरिया 67 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 73,95,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः 7,39,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/friends_traders_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः 1. पीएस एसोसिएट्स, सी-120 डिफेन्स कॉलोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. प्रॉप्राईटर का नामः 1. श्री संदीप शर्मा, गारन्टर का नाम श्री अफसर अली ऋणधारक-2. एमएस एसोसिएट्स, सी-120, 1 ला तल, डिफेन्स कॉलोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. ऋणधारक 3. डी वी एण्टरप्राईजेज, लोनी रोड, मुखिया मार्केट, भोपुरा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र., गारन्टर का नामः 1. श्री अफसर अली	ऋणधारकः 1 बकाया राशिः रु. 10,64,784/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज ऋणधारकः 2 बकाया राशिः रु. 11,20,898/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज ऋणधारकः 3 बकाया राशिः रु. 11,15,414/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 37 शॉप नं. 23 दूसरा तल, शिल्पी आर्केड, प्लॉट नं. 14, सेक्टर-04, कॉमर्सियल मार्केट, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. का सभी भाग तथा हिस्सा (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 28,50,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,85,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://cprpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/m.s_associates.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम	ऋणधारक 1:1. पूनम ट्रेडर्स, 205, बालाजी मार्केट, 2604, नई सड़क, प्रॉप्राईटर का नामः 1. श्रीमती पूनम चलाना, गारन्टरः नसीम अहमद ऋणधारक : 2. प्रिन्स फ्रैंड एंड ग्रिल्ड चिकन, सी 3, शिवपुरी, मैन पटपड़गंज रोड, दिल्ली प्रॉप्राईटर का नामः श्री रोहित उप्पल, गारन्टरः 1. नसीम अहमद ऋणधारकः 3. दीपक एण्टरप्राइजेज, सी 120, डिफेंस कॉलोनी, भोपुरा गाजियाबाद प्रॉप्पराईटर का नामः श्री दीपक शर्मा, गारन्टरः 1. नसीम अहमद, ऋणधारक : 4. जेजे फूड्स एंड कंपनी, बी-71, डीएलएफ दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन 2 गाजियाबाद, प्रॉप्राईटर का नामः श्री पवन शर्मा गारंटरः 1. नसीम अहमद	ऋणधारकः 1 बकाया राशिः रु. 12,14,568.50/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज ऋणधारकः 2 बकाया राशिः रु. 1064433/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज ऋणधारकः 3 बकाया राशिः रु. 10,64,032/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 38 प्लॉट नं. डी-130 बी, दूसरा तल, टीएचए, सेक्-08, जीडीए कॉलोनी, वृज विहार, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. का सभी भाग तथा हिस्सा (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 16,60,000/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1,66,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिय कृपया https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/punama_traders.pdf में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 04.06.2019, स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी कॉर्पोरेशन बैंक

प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान के भंडार पर ज्यादा अनुसंधान की जरूरत : निशंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ह्यनिशंकह्न ने अधिकारियों से एक ऐसी कार्य योजना तैयार करने को कहा कि जिसके जरिए देश भर में विभिन्न भारतीय भाषाओं को एकीकृत ढंग से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने यह राय दी कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान के भंडार पर और ज्यादा अनुसंधान करना चाहिए और उसे आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करना चाहिए। उन्होंने यह निर्देश दिया कि छह स्वीकृत आइआइएम हैं और उनके भवनों की आधारशिला जल्द से जल्द रखी जानी चाहिए।

निशंक ने मंगलवार को मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। उच्च शिक्षा सचिव आर. सुब्रमण्यम और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यावसायिक शिक्षा के जरिए कौशल और रोजगार सृजित करने, आइआइएम की कार्यशैली और नए आइआइएम स्थापित करने, शिक्षा के क्षेत्र में भारत में अध्ययन कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भाषायी परिषदों की कार्यशैली की समीक्षा की। मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अहमियत और ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रम सृजित करने की जरूरत पर प्रकाश डाला, ताकि युवाओं को बगैर किसी विलंब के रोजगार परिवेश में समायोजित किया जा सके। मंत्री ने अधिकारियों को इन पाठ्यक्रमों के जरिए रोजगार सृजन का एक निश्चित लक्ष्य तय करने के साथ-साथ उद्योग एवं व्यापार जगत के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करते हुए विशेष क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार अवसरों के अनुरूप ही इन पाठ्यक्रमों को क्षेत्रवार अनुकूल बनाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि कौशल एवं शिक्षा उसी अभिरुचि के अनुसार दी जानी चाहिए जिसके लक्षण संबंधित विद्यार्थी में कम उम्र में ही नजर आने लगते हैं।

लापता एएन-32 विमान को तलाशने का अभियान जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

भारतीय वायु सेना के रूस निर्मित एएन-32 विमान को तलाशने के अभियान में मंगलवार को भारतीय नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान को तैनात किया गया। नौसेना के अलावा थलसेना और इसरो के विशेषज्ञों की टीमें तलाशी अभियान में लगाई गई हैं। एएन-32 सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के मेनचुका के पास लापता हो गया था।

विमान ने असम के जोरहाट से चीन की सीमा के पास मेनचुका के लिए उड़ान भरी थी। सोमवार दोपहर उड़ान भरने के करीब 33 मिनट बाद विमान लापता हो गया, जिसमें 13 लोग सवार थे। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने कहा कि पी8आई विमान ने तमिलनाडु के अराकोणम में आइएनएस रजाली से दोपहर करीब एक बजे उड़ान भरी और तलाश अभियान का हिस्सा बना। अधिकारियों ने बताया कि अंतोनोव एएन-32 विमान का पता लगाने के लिए विमानों और हेलीकॉप्टरों के एक बेड़े को पहले ही लगाया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पर्वतीय इलाके में तलाश अभियान चलाने के लिए जवानों को भी तैनात किया गया है। कैप्टन शर्मा ने कहा कि पी8आई विमान इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रा रेड सेंसरों की मदद से तलाश अभियान में मदद करेगा। उन्होंने ट्वीट किया, 'पी8आई विमान में बहुत ताकतवर सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है, जिसका इस्तेमाल लापता विमान को खोजने के लिए किया जाएगा।' बोइंग द्वारा निर्मित पी8आई लंबी दूरी तक समुद्र में टोह रखने वाला विमान है और इस समय नौसेना के पास आठ ऐसे विमान हैं। वायु सेना ने सोमवार को बताया था कि विमान ने दोपहर 12:27 बजे जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी जिले में मेंचुका के लिए उड़ान भरी।

नीतीश को लेकर बिहार में महागठबंधन का रुख नरम

पटना, 4 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक ही सीट दिए जाने के आफर के बाद से जद (एकी)-भाजपा के संबंधों में खटास के बीच महागठबंधन के घटक राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति नरम रुख अपनाते हुए कहा है कि उनकी पार्टी को किसी से एलर्जी नहीं है और सभी (गैर भाजपाई दलों) को मिलकर भाजपा को पछाड़ना है। यह पूछे जाने पर कि क्या उसमें नीतीश भी शामिल किए जाएंगे, रघुवंश ने कहा कि कोई भी हों। जब नीति बनेगी तो सबके लिए बनेगी। चुन-छांटकर कहीं नीति बनती है क्या?

बिहार में राजग में वर्तमान में भाजपा, जद (एकी) और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा शामिल है। हाल ही में पासवान ने राजग के एकजुट और उसके भीतर सबकुछ ठीक होने का दावा किया था। महागठबंधन के घटक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के इफ्तार दावत में शामिल होने पहुंची राजद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश के बारे में साकारात्मक रुख जाहिर करते हुए कहा कि उनको (नीतीश) लेकर महागठबंधन ही कोई फैसला करेगा। अपनी इफ्तार दावत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने से खुश मांझी ने कहा कि आगे कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर हमलोगों के साथ आते हैं तो भाजपा को भगाने में मदद मिलेगी। मांझी ने कहा कि राजनीति में न तो कभी कोई दोस्त होता है न दुश्मन। यहां हमेशा विकल्प खुला रहता है। मालूम है कि पिछले दो जून को जद (एकी) के इफ्तार दावत में मांझी भी शामिल हुए थे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में जद (एकी) को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने के बदले स्वरूप गत रविवार को बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में केवल जद (एकी) से आठ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने व भाजपा से किसी को भी शामिल नहीं किए जाने पर हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी पर दोनों दलों के बीच खींचतान को लेकर चर्चाएं जारी हैं।

बैंक धोखाधड़ी पर श्वेतपत्र लाए केंद्र सरकार : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र में पांच वर्ष के राजग हुकूमत के दौरान 27,125 बैंक धोखाधड़ी में 1,74,753 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। पार्टी ने केंद्र से मांग की कि वह इस मामले में श्वेतपत्र जारी करे। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत रिजर्व बैंक से मिली जानकारी के आधार पर पार्टी ने कहा है कि यह वक्त का तकाजा है कि केंद्र की नई राजग सरकार अब जीत की खुमारी से बाहर निकले और बैंकों की बिगड़ती सेहत को दुरुस्त करने की ओर ध्यान दे।

पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि रिजर्व बैंक से आरटीआइ से मिली जानकारी के अनुसार एक साल में यानी 2018-19 में 6,801 बैंक फ्रॉड के मामले हुए हैं, जिसमें तकरीबन 71,500 करोड़ रुपए का घोटाला या गबन हुआ है, जो आज तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। 2017-18 में इसका आंकड़ा था 5,916, जिसमें 41,167 करोड़ रुपए का घोटाला, गबन या जो वह रुपए हैं वह गायब हो गए थे, जो 2017-18 और 2018-19 के बीच में 70 फीसद से अधिक वृद्धि बैंक फ्रॉड केसिस में हुई है। तो बिगड़ती अर्थव्यवस्था और लुटते हुए बैंक इस देश की सच्चाई है, जो भाजपा को पहले स्वीकार करनी चाहिए।

शेरगिल ने कहा कि पांच वर्ष में राजग के राज में 27,125 बैंक फ्रॉड हुए और 1,74,753 करोड़ रुपए का घोटाले हुए हैं और इतनी बड़ी रकम देश से गायब हो गई।

देश भर में शुरू होगा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

गुरुवार से स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान शुरू किया जाएगा, इसके तहत देश भर के राज्यों में अब तक स्वच्छता अभियान के तहत किए गए कार्यो की समीक्षा की जाएगी और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। केंद्रीय राज्य शहरी विकास मंत्री हरदीपुरी इसकी शुरुआत करेंगे। इस अभियान को स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2020 नाम दिया गया है। इसके तहत देश के सभी शहरों में स्वच्छता स्तर की जांच की जाएगी।

इस सर्वेक्षण में स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता से रायशुमारी की जाएगी और इन योजनाओं की एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि किन क्षेत्रों में शहरी विकास मंत्रालय को अभी और अधिक काम करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए एक निष्पक्ष एजेंसी की मदद ली जाएगी। देश का पहला सर्वे 2016 में आया था और इसके तहत 73 शहरों को रेटिंग दी गई थी जबकि 2018 के अभियान में 4203 शहरों को लिया गया था और यह सर्वे 66 दिन तक चला था। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक इस बार 2019 के सर्वे में 4237 शहरों को शामिल किया गया है और यह रिकार्ड 28 दिन के अंदर में पूरा किया जाएगा। यह एक डिजिटल सर्वे होगा। सर्वे रिपोर्ट से सरकार की भावी योजनाओं को लागू करने में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, विभिन्न प्रधान सचिव, और 106 शहरों के आयुक्त समेत अन्य लोग वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहेंगे।

सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और जवानों से राष्ट्र विरोधी तत्वों की कुटिल चालों को लेकर सजग रहने को कहा।

जनरल रावत सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनके पहले आधिकारिक दौरे पर सियाचिन ग्लेशियर भी गए थे। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, सेना प्रमुख ने उत्तरी सैन्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रनबीर सिंह के साथ बल की अभियान संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोर जोन में व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय का दौरा किया।

उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख ने किश्तवाड़ और रियासी सेक्टरों में परिचालन संरचनाओं को देखा और वहां उन्हें शांति और स्थायित्व के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई।

सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया

बालासोर (ओडिशा), 4 जून (भाषा)।

ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आइटीआर) से मंगलवार को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) सूत्रों ने कहा कि मिसाइल के पोत रोधी संस्करण को आइटीआर के प्रक्षेपण परिसर-3 से प्रक्षेपित किया गया। रक्षा सूत्रों ने कहा कि यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता सटीक है। ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से दागा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर के करीब है और यह भारत के लिए रणनीतिक हथियार है क्योंकि चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौतियों के लिए संभावित प्रतिरोधक के तौर पर काम करेगी। डीआरडीओ और ब्रह्मोस के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी और वैज्ञानिक इस परीक्षण के मौके पर मौजूद थे।

सेल्फी के माध्यम से लोगों को पौधारोपण अभियान से जोड़ेगी सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जून।

विश्व पर्यावरण दिवस पर आम जनता को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 'सेल्फी विद सेपलिंग' की शुरुआत की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को जनता से अपील की कि वे इस मुहिम से जुड़ें। इस मुहिम के तहत देशवासियों से बुधवार को पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पौधा लगाकर उसके साथ अपनी सेल्फी साझा करने की अपील की गई है।

पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए सोशल मीडिया पर हैशटेग सेल्फी विद सेपलिंग भी शुरू किया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि करोड़ों लोग पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधा लगाकर इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे।

Corporation Bank
(A Premier Public Sector Bank)

अंचल कार्यालय-दिल्ली उत्तर, दूसरा तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नं. 011-28754615, 28754642, ईमेल आईडी: dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट: www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कॉर्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है की, नीचे वर्णित ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) से कॉर्पोरेशन बैंक के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित तिथि को "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

शाखा का नाम एवं पताः प्रीत विहार शाखा, फोन नं. 011-22055675, 22464811, 22050955

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः श्री वीकाय इन्टरनेशनल, 197, रत्तन गली, महावीर गली के निकट, गांधी नगर, दिल्ली पार्टनर/गारन्टरः 1. सुश्री इश्मा अरोड़ा, 2. श्री विनोद अरोड़ा, एच-5/10, कृष्णा नगर, दिल्ली	बकाया राशिः रु. 12698166.00 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 39. श्री विनोद अरोड़ा के स्वामित्व में एच-5/10, क्षेत्रफल माप 110.7 वर्ग याईस, कृष्णा नगर, ग्राम घोंडली, ईलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 19500000.00, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1950000.00
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/veekay_international_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

शाखा का नाम एवं पताः शालीमार बाग शाखा, फोन नं. 011-27470276, 27483072, 27483073

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः बाबा एप्लिएन्सेस प्रा.लि., ए-16, गली नं. 17, लिवासपुर, दिल्ली प्रॉप्राइटर/पार्टनर का नामः श्री संजीव कपूर, श्रीमती गीता कपूर, गारन्टरों का नामः 1. संजीव कपूर, ए-16, गली नं. 17, लिवासपुर, दिल्ली 2. गीता कपूरः एच. नं. 1388, किशनपुरा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	बकाया राशिः रु. 120830518.55 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 40. खसरा नं. 396/1 मिन, ग्राम गोपालपुरा, माजरा दारा कोटला बैरिअन, बेहट रोड, सहारनपुर, पिन-247001, उत्तर प्रदेश में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,33,50,000.00, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1335000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_appliances_pvt_ltd.pdf में दी गई लिंक देखें।
सम्पत्ति सं. 41. कम्पनी गार्डन, एम.एस. डिग्री कॉलेज, एसडी बॉयज इन्टर कॉलेज, नाईमैश कैम्प, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में बाके दारा मिल्काना बैरुन, मोहित विहार कॉलोनी, माधो नगर तथा नवीन माधो नगर के निकट स्थित एक मंजिला आवासीय भवन, प्लॉट नं. 11 का पूर्वी भाग तथा खसरा नं.-608/2 (एम) (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 24,50,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 245000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_appliances_pvt_ltd2.pdf में दी गई लिंक देखें।
सम्पत्ति सं. 42. आवासीय फ्लैट नं. बी-3/804, 8वाँ तल, तुलिप ग्रैण्ड, अकबरपुर, बरोता, सेक्टर-35, सोनीपत, हरियाणा (क्षेत्रफल-1679 वर्ग फीट) (सांकेतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 36,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 3,60,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_appliances_pvt_ltd3.pdf में दी गई लिंक देखें।

शाखा का नाम एवं पताः विवेक विहार शाखा, फोन नं. 011-22158133, 22149951

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः अश्वनी कुमार शर्मा, 2. श्रीमती ममता शर्मा, बी-43, 2 रा तल, शालीमार गार्डन, एक्स्टें.-II, गाजियाबाद, गारन्टरों का नामः श्री रविन्द्र कुमार अथोत्रा	बकाया राशिः रु. 571205/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं चार्जेज

सम्पत्ति सं. 43 श्री अश्वनी कुमार शर्मा तथा श्रीमती ममता शर्मा के नाम में फ्लैट नं. ए-1, प्लॉट नं. सी-129, शालीमार गार्डन एक्स्टें.-II, गाजियाबाद (उ.प्र.), माप 540 वर्ग फीट की आवासीय सम्पत्ति
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1870,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 187000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/tender/aswanikumar_sharma.pdf में दी गई लिंक देखें।

शाखा का नाम एवं पताः कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखा, फोन नं. 011-28754642, 28755501, 28755294

ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम	ऋणधारकः मै. जय पॉलिकेम इंडिया लि., कॉर्पोरेट कार्यालयः पंजीकृत कार्यालयः बी-115, भू तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 साथ हीः ए-10, लाजपत नगर 1, नई दिल्ली-110024 साथ हीः डी-143, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 गारन्टरः 1. सुन्दरम सॉफ्टवेअर प्रा. लि., बी-115, भू तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 साथ हीः एच नं. आई-ए/76, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024, साथ हीः 102, रोड नं. 2, गव. स्कूल के निकट एन्ड्रूजगंज, दक्षिण दिल्ली-110049, 2. श्री सतिन्दर सिंह मधोक, पताः डी-97, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 साथ हीं ए-101, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024, साथ हीः खेवत नं. 451, खतोनी नं. 626, रेक्ट नं. 101/16 (8-0), मौजा खेरी, सम्पला एवं जिला रोहतक, हरियाणा, साथ हीः प्लॉट नं1 36, खसरा नं. 38/8, सिटी इंडस्ट्रियल एरिया, मुंडका दिल्ली 3. श्री संदीप सिंह मधोक, डी-97, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 साथ हीं ए-101, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024, साथ हीः खेवत नं. 451, खतोनी नं. 626, रेक्ट नं. 101/16 (8-0), मौजा खेरी, सम्पला एवं जिला रोहतक, हरियाणा, साथ हीः प्लॉट नं. 36, खसरा नं. 38/8, सिटी इंडस्ट्रियल एरिया, मुंडका दिल्ली	बकाया राशिः रु. 1596914041.35 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं चार्जेज

सम्पत्ति सं. 44 बी-115, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, नई दिल्ली-110020 में स्थित औद्योगिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्य : रु. 14,40,00,000/- जमा की जाने वाली धरोह राशिः रु. 14400000/- बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/sites/default/files/tender/jay_polychem_india_ltd_0 में दी गई लिंक देखें।

शाखा का नाम : दिलशाद गार्डन शाखा, फोन नं. 011-22357244

ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	ऋणधारकः पवित्र मिल्क प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, 104, 103, प्रथम तल, टाइम्स स्क्वॉयर बिल्डिंग, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, हरियाणा, प्रॉप्राईटर का नाम श्री श्री भगवान, गारन्टरः 1, श्री भगवान, 2. गुनीता, 3. दयावती, 4. हरकेश यादव	बकाया राशिः रु. 164316295.10 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं चार्जेज

सम्पत्ति सं. 45 संयुक्त रूप से 3 प्लाटों, नं. एच-83, एच 1-103 एवं एच 1-104, औद्योगिक क्षेत्र, ईवीआईपी नीमराना, दिल्ली जयपुर राजमार्ग, एनएच-8 नीमराना, जिला- अलवर, राजस्थान में औद्योगिक सम्पत्ति का ईएमजी
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु.31183200/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 3118320/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाःः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_.pdf में दी गई लिंक देखें।
सम्पत्ति सं. 46 प्लान्ट एवं मशीनरी ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 3,17,82,600/- जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 3178260/- बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाःः https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/ रों का नाम	ऋणधारकः एमएफएस एण्टरप्राईजेज, बी-25/4, गली नं. 13/6, सुबवाश विहार, दिल्ली, प्रॉप्राईटर का नामः 1. श्री मोह. मुवीन, गारन्टरः 1. श्री आफताब आलम, पुत्र अल्ला दिया	बकाया राशिः रु. 7712844/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 47ः फ्लैट नं. बी-25/4, खसरा नं. 452, मिन, बी-ब्लॉक, ग्राम गुजरन खादर, सुभाष पार्क, उत्तरी घोण्डा (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,02,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 1950000.00
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ files/ tender/ corpbank-page-files/ tender mts- enterprises-3.pdf में दी गई लिंक देखें।

ऋणधारक एवं गारन्टर/ रों का नाम	ऋणधारकः याली इन्टरनेशनल, बी-1, डीडीए कॉलोनी, बी-ब्लॉक, शाहदरा, दिल्ली-32, प्रॉप्राईटर का नामः श्री अब्बास हैदर, गारन्टरः जावेद हुसैन	बकाया राशिः रु. 22710406.12 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 48ः सम्पत्ति सं. बी-1, माप 2260 वर्ग फीट अर्थात 209 वर्ग मी., न्यू जाफराबाद, दिल्ली- 110032 के तीन मंजिला भवन में बेस्मेन्ट तल तथा भू तल का आधा भाग। (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 7000000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 700000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ files/ corpbank-page-files/ tender/ yaali- international-0.pdf में दी गई लिंक देखें।
संपत्ति सं. 49ः न्यू जाफराबाद इलाका शाहदरा, दिल्ली- 110032 में स्थित सम्पत्ति सं. बी-1 में सम्पत्ति नं. बी-1, क्षेत्रफल माप 1500 वर्ग फीट अर्थात 139.95 वर्ग मी., पर निर्मित सम्पूर्ण प्रथम तल (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 72,00,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 7,20,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ files/ corpbank-page-files/ tender/ yaali- international-0.pdf में दी गई लिंक देखें।
शाखा का नाम एवं पताः वसुन्धरा एन्क्लेव शाखा, फोन नं. 011-22622614, 22622125, 22621030

ऋणधारक एवं गारन्टर/ रों का नाम	ऋणधारकः श्रीमती कमलेश, 2. श्री जमुना प्रसाद, फ्लैट नं. 102, जीएफ, प्लॉट नं. II/148, वैशाली गाजियाबाद, उ.प्र. गारन्टरः 1. सुश्री बर्फी देवी, फ्लैट नं. 4ए/1080, जीएफ, वैशाली, गाजियाबाद (उ.प्र.)	बकाया राशिः रु. 2682525.63 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 50ः प्लॉट नं. II/148, वैशाली गाजियाबाद, में फ्लैट नं. 102, (एलआईजी), (भू तल) पर, माप 32 वर्ग मी.
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 26.6.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1234000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 123400/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपयाः https://corpbank.com/ sites/ default/ files/ corpbank-page-files/ tender/ kamlesh-pdf में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 4.6.2019, स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, कॉर्पोरेशन बैंक**

GOVERNMENT OF JHARKHAND
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
PUNASI DAM DIVISION, PUNASI CAMP DEOGHAR

e-Procurement Tender Notice

Tender Reference No. :- WRD/Punasi Dam Div., Punasi Camp Deoghar/SBD-IFB-01/2019-20
Dt : 04.06.2019

1.	Name of the work	Rip-rap work of hillock U/S portion adjacent of Punasi Dam and Spillway from ch. 70.00 to ch. 85.50
2.	Estimated Cost (Rs.)	Rs. 4,96,41,184.29 (Rupees four crore ninety six lakh forty one thousand one hundred eighty four and paise twenty nine) only
3.	Time of Completion	450 days
4.	Last date & Time for receipt of bids	27.06.2019 Up to 5:00 P.M.
5.	Date of Publication of Tender on website	07.06.2019 11:00 A.M.
6.	Name & address of office Inviting tender	Executive Engineer Punasi Dam Division, Punasi Camp-Deoghar
7.	Contact no. of Procurement officer	09431365175
8.	Helpline number of e-Procurement cell	06432-232477

Note :- Only E-Tender will be accepted
Further details can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in
Executive Engineer
PR 207976 Water Resource (19-20)_D
Punasi Dam Division, Punasi Camp – Deoghar

GOVERNMENT OF JHARKHAND
DRINKING WATER & SANITATION DIVISION, GODDA
e- Procurement Notice (Ist Call)

Very- Very SHORT Term Tender
Tender Reference No- DW& SD/ Godda NOTICE No 14 / 2019-20 Date :-04.06.2019

1	Name of the Department	Drinking Water and Sanitation Department, Jharkhand, Ranchi.
2	Name & Address of Office Inviting Tender	Executive Engineer, Drinking Water &Sanitation,Division, Godda.
3	Date of Publication of tender/ Time on website:	08.06.2019 up to 5.00 P.M.
4	Last date / Time for receipt of Bid	15.06.2019 up to 5.00 P.M.
5	Last date of submission of Earnest Money (BankGurantee/T.D.Pass Book/ N.S.C) Time and cost of BOQ and place	17.06.2019 up to 2.30 P.M. 1.Office of the Executive Eingineer DW&S Divi.Godda 2.Office of The Superintending Engineer DW&S Deoghar Circle Deoghar.
6	Date of Opening of Tender/ Time	17.06.2019 up to 05.00PM
7	Name &Address of Tender Openin g Office:	Executive Engineer, Drinking Water &Sanitation,Division, Godda
8	Contact No. of Procurement office	7631150330
9	Help Line No. of e-procurement cell:	7631150330
10	Name of Work : Construction of Solar energy based Mini water supply scheme under ST /SC Tola with 3.00 mtr. hight galvanized tubular steel structure staging for mounting HDPE water storage tank having capacity 5000 Ltr. in Existing tube well Solar panel mounted on ESR in all ST /SC Tolas of 9 blocks of Godda District under D.W&S Division, Godda for the year 2019-2020 on turn key Basis.	

Sl. No.	Name of Block	Number of Scheme	Group No.	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest money (In Rs.)	Cost of BOQ (in Rs.)	Time of Completion
1	3	5	6	7	8	9	10
1	MEHERMA	11	EXI/ST/G-29	4629476.00	93000.00	5000.00	3 Months
2	THAKURGANGTI	11	EXI/ST/G-30	4629476.00	93000.00	5000.00	3 Months
3	BOARIJORE	11	EXI/ST/G-31	4629476.00	93000.00	5000.00	3 Months
4	SUNDERPAHARI-9 &PORAIYAHAT -2	11	EXI/ST/G-32	4629476.00	93000.00	5000.00	3 Months
5	GODDA -4, BASANTRAI-4, PATHARGAMA -1 &MAHAGAMA-2	11	EXI/ST/G-33	4629476.00	93000.00	5000.00	3 Months
6	BOARIJORE-4 &THAKURGANGTI-3	07	EXI/ST/G-34	2946030.00	59000.00	5000.00	3 Months
7	MAHAGAMA-4 & MEHERMA-1	05	EXI/ST/G-35	2104307.00	43000.00	5000.00	3 Months
8	MAHAGAMA-20, PORAIYAHAT -02 & SUNDERPAHARI-1	23	EXI/SC/G-01	9679813.00	194000.00	10000.00	3 Months
9	THAKURGANGTI-16 BOARIJORE-2 & BASANTRAI-5	23	EXI/SC/G-02	9679813.00	194000.00	10000.00	3 Months
10	PATHARGAMA	11	EXI/SC/G-03	4629476.00	93000.00	5000.00	3 Months
11	GODDA-2 & MEHERMA-8	10	EXI/SC/G-04	4208614.00	85000.00	5000.00	3 Months

Note:-1. BOQ Amount/Earmest Money/ Cost of BOQ may be increase of dercease.
2. In one Group, Many Schemes are attached. So any queries Please contact DW&S Division, Godda
3. No Claim Shall be entertained because of disruption of internet service being used by the bidders.
Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last minute technical snags. All details/ Further details can be seen on website http:// jharkhandtenders. Gov.in
Executive Engineer,
D.W. & Division, Godda
P.R.207926 Drinking Water and Sanitation(19-20):D

विश्व कप -2019

जनसत्ता
महासमर
5 जून, 2019 16

आर्चर, राय पर मैच फीस का 15 फीसद जुर्माना

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और बल्लेबाज जैसन राय पर पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असंतोष जताने और अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के कारण मैच फीस का 15 फीसद जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद पर भी धीमी ओवर गति के कारण 20 फीसद जुर्माना लगाया गया है। उनकी टीम पर दस फीसद जुर्माना लगा है।

पहले मैच में भारतीय टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से

कोहली की असल परीक्षा आज से

मैच का समय

दोपहर तीन बजे से

- पहले दो मैचों में इंग्लैंड और बांग्लादेश से हार चुकी है दक्षिण अफ्रीका, मैच में बादल छाए रहने और बारिश की आशंका

साउथम्प्टन, 4 जून (भाषा)।

एक अरब से अधिक देशवासियों की उम्मीदों का सरमाया लेकर विराट कोहली अपने अंतरराष्ट्रीय करिअर के सबसे अहम सफर का आगाज बुधवार को विश्व कप में लगातार दो हार से बेजार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेंगे।

इस दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक कोहली की बतौर कप्तान असल परीक्षा क्रिकेट के इस महासमर में होगी। भारत के पास मैच विजेताओं की कमी नहीं है और उनमें पहला नाम खुद कोहली का है लेकिन इसमें वह 'आभामंडल' नहीं दिख रहा जो महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली 2011 की विश्व कप विजेता टीम में था। उस टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, जहीर खान और हरभजन सिंह थे जिनका साथ देने के लिए मुनाफ पटेल, आशीष नेहरा, सुरेश रैना और युवा कोहली थे। मौजूदा टीम के कप्तान कोहली और मार्गदर्शक धोनी हैं और इसने पिछले नौ में से छह मैच जीते हैं। इस बार इसे खिताब के प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है। दो साल की मेहनत की परिणिति इस टीम के रूप में हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान से मिली हार के बाद से विश्व कप की टीम की तैयारी शुरू हो चुकी थी। टीम इंडिया को यहां आने के बाद से काफी आराम मिल चुका है। बाकी टीमें दो-दो मैच खेल चुकी है जबकि भारत का यह पहला मैच है। टूर्नामेंट का पहला मैच हमेशा अहम होता है और इस बार सामना दक्षिण अफ्रीका से है जिसका मनोबल इंग्लैंड और बांग्लादेश से हारकर पहले ही टूटा हुआ है। तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी चोट के कारण बाहर हैं जबकि डेल स्टेन कंधे की चोट से उबर नहीं सके हैं। हाशिम अमला को पहले मैच में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर की गेंद हेलमेट पर लगी थी। वैसे तमाम दिक्कतों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम को हलके में लेना भूल होगी।

मुख्य कोच और शातिर रणनीतिकार रवि शास्त्री अपने खिलाड़ियों को पैर जमीन पर रखने की ताकीद करना नहीं भूलेंगे। यहां पिच पर घास नहीं है और इसे बल्लेबाजों की मददगार माना जा रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि बादल छाए रहने और बारिश की आशंका जताई है। गेंदबाजी में देखना यह है कि कोहली तीसरे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को उतारते हैं या नहीं। अभ्यास मैचों में रविंद्र जडेजा के उम्दा प्रदर्शन के असर को तरजीह मिलती है या पिछले 22 महीने से मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल खेलते हैं। एक भी मैच खेले बिना केदार जाधव को उतारा जाता है या विजय शंकर टीम में रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दक्षिण अफ्रीकी टीम खराब दौर से जूझ रहे हैं और फिटनेस समस्याएं भी गहरी हैं। लेकिन कागिसो रबादा का एक स्पैल उसके लिए कहानी बदल सकता है। चौथे नंबर पर केएल राहुल उतरेंगे लेकिन देखना यह है कि कठिन हालात में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच में शतक जमाया और उनसे उसी लय को कायम रखने की उम्मीद रहेगी।

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 34 रन से दी शिकस्त

- डकवर्थ लुईस पद्धति अपनाया गया
- श्रीलंका की तरफ से कुसाल परेरा ने सर्वाधिक 78 रन बनाए, नुवान प्रदीप ने 31 रन देकर चार लिए।

कार्डिफ, 4 जून (भाषा)।

कुसाल परेरा के बड़े अर्धशतक और नुवान प्रदीप की शानदार गेंदबाजी से श्रीलंका ने बारिश से प्रभावित विश्व कप मैच में मंगलवार को यहां अफगानिस्तान को डकवर्थ लुईस पद्धति से 34 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपना खाता खोला।

अफगानिस्तान को जीत के लिए 41 ओवरों में 187 रन बनाने थे लेकिन उसकी टीम 32.4 ओवर में 152 रन पर आउट हो गई। प्रदीप ने अपने करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 31 रन देकर चार और लेसिथ मलिंगा ने 39 रन देकर तीन विकेट लिए। अफगानिस्तान की तरफ से नजीबुल्लाह जादरान ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। श्रीलंका ने जब 33 ओवर में आठ विकेट पर 182 रन बनाए थे तब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। इसके बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो मैच 41-41 ओवर का कर दिया गया। श्रीलंका की टीम 36.5 ओवर में 201 रन पर आउट हो गई और अफगानिस्तान को डकवर्थ लुईस पद्धति से जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य मिला। श्रीलंका को कम स्कोर पर आउट करने में मोहम्मद नबी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नौ ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए जबकि राशिद खान और दौलत जादरान ने दो-दो विकेट हासिल किए। श्रीलंका की तरफ से कुसाल परेरा ने सर्वाधिक 78 रन बनाए। उसके बाद दूसरा बड़ा स्कोर अतिरिक्त रन (35) का रहा। हजरूतुल्लाह जाजई (30) ने अफगानिस्तान को तूफानी शुरुआत दिलाई। उन्हें 24 रन के निजी योग पर कुसाल मेंडिस ने जीवनदान भी दिया लेकिन मलिंगा ने इसी ओवर में मोहम्मद शहजाद (सात) को दिमुथे करूणारत्ने के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद विकेटों को पतन शुरू हो गया। इसुरू उदाना ने नए बल्लेबाज रहमत शाह (दो) को तुरंत ही पवेलियन की राह दिखाई जबकि जाजई की पारी का अंत प्रदीप किया। इसमें हालांकि तिसारा परेरा का योगदान अहम रहा जिन्होंने अपने बाईं तरफ लगाने के बाद डाइव लगाकर शानदार कैच लपका।

प्रदीप ने हशमुतुल्लाह शाहिदी (चार) को भी आउट किया जबकि तिसारा ने मोहम्मद नबी (11) को बोल्ड करके श्रीलंका को बड़ी सफलता दिलाई। इससे स्कोर पांच विकेट पर 57 रन हो गया। कप्तान गुलबदीन नायब (23) और नजीबुल्लाह ने यहीं से स्थिति संभाली और छठे विकेट के लिए 64 रन जोड़कर अफगानिस्तान की उम्मीदें जगाई। जब यह जोड़ी खतरनाक बनती जा रही थी तब प्रदीप ने नायब को पगबाधा आउट करके मैच को फिर रोमांचक बना दिया।

डेल स्टेन विश्व कप से बाहर

साउथम्पटन, 4 जून (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका को भारत के खिलाफ होने वाले मैच से पहले मंगलवार को करारा झटका लगा जब उसकी तेज गेंदबाजी के अगुआ डेल स्टेन कंधे के चोट से उबरने में नाकाम रहने के कारण विश्व कप से बाहर हो गए।

दक्षिण अफ्रीका ने प्रतियोगिता तकनीकी समिति से मंजूरी मिलने के बाद उनकी जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्यूरान हेंडरिक्स को टीम में शामिल किया है। पैंतीस वर्षीय स्टेन का कंधा आइपीएल के दौरान दूसरी बार चोटिल हो गया था। उन्होंने आइपीएल में रायल चैलेंजर्स बंगलुर की तरफ से दो मैच खेले थे।

मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, आइसीसी ने पुष्टि की है कि आइसीसी विश्व कप 2019 की प्रतियोगिता तकनीकी समिति ने बाकी टूर्नामेंट के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में डेल स्टेन के स्थान पर ब्यूरोन हेंडरिक्स को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है, गेंदबाज स्टेन को दूसरी बार कंधे में चोट लगी जिस पर उपचार का खास असर नहीं पड़ा। इस वजह से वह निकट भविष्य में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। उनकी जगह पर चुने गए हेंडरिक्स बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने इस नए घटनाक्रम से निराश थे।

कोहली ने दिए संकेत, टीम में अतिरिक्त तेज गेंदबाज शमिल होगा

साउथम्प्टन, 4 जून (भाषा)।

कप्तान विराट कोहली ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय टीम प्रबंधन आइसीसी विश्व कप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले अतिरिक्त तेज गेंदबाज को अंतिम 11 में शामिल करने पर विचार कर रहा।

कोहली ने टीम में भुवनेश्वर कुमार को शामिल करने के संकेत देते हुए कहा, हमें पता है कि जब बादल छाए रहते हैं तो इंग्लैंड में हालात अलग होंगे और जब धूप खिली तो स्थिति कुछ और होती है। दो नई गेंद से गेंदबाजी करते समय एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज की भूमिका अहम हो जाती है। बल्लेबाजी के लिए आसान पिच पर भी शुरुआती दस ओवरों में बल्लेबाजों के लिए स्थिति मुश्किल होगी। भुवनेश्वर थोड़ी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं ऐसे में अगर जाधव फिट हुए और परिस्थितियां तेज गेंदबाजों की मुफीद हुई तो भारत एक स्पिनर को बाहर बैठा सकता है।

भारतीय कप्तान ने कहा, बल्लेबाजों के लिए 10:30 बजे बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण होगा। हमने इस बारे में चर्चा की है। गेंदबाजी की दृष्टि से देखे तो अगर आप दो स्पिनर और दो या तीन तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में जाते हैं तो शुरुआत में हालात कुछ और होंगे और दोपहर में कुछ और। ऐसी स्थिति से गेंदबाजों को निपटना होगा।

हमें मानसिक तौर पर मजबूत रहना होगा : डुप्लेसिस

साउथम्प्टन, 4 जून (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद साहसिक रवैया अपनाते हुए मंगलवार को अपने खिलाड़ियों को हतोत्साहित नहीं होने और मनोबल बनाए रखने की सलाह दी। मैच पूर्व संध्या पर डु प्लेसिस ने कहा, हमारे लिए यह जरूरी है कि हम मजबूती से डटे रहें।

दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ आइसीसी विश्व कप में कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा क्योंकि टीम को बुधवार को भारत के खिलाफ अहम मुकाबले में मैदान में उतरना है और उससे पहले उनके सबसे अनुभवी गेंदबाज डेल स्टेन चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। स्टेन के अलावा टीम के युवा तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी भी चोट के कारण भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतर पाएंगे। इससे पहले टीम को मेजबान इंग्लैंड और रैंकिंग में नीचले पायदान पर काबिज बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी।

फेडरर, नडाल सेमी फाइनल में होंगे आमने सामने

पेरिस, 4 जून (एएफपी)।

मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल और उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी रोजर फेडरर ने मंगलवार को यहां अपने अपने मैच जीतकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में रोमांचक मुकाबले की नींव रखी।

नडाल ने जापान के केई निशिकोरी को 6-1, 6-1, 6-3 से हराकर 12वीं बार रोलां गैरां में सेमी फाइनल में जगह बनाई। अपने 12वें फ्रेंच खिताब की जीत की कवायद में लगे नडाल की यह फ्रेंच ओपन में 91वीं जीत है। फेडरर ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन स्विस खिलाड़ी स्टैन वावरिंका को 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-4 से पराजित किया। सैंतीस वर्षीय फेडरर पिछले 28 वर्षों में

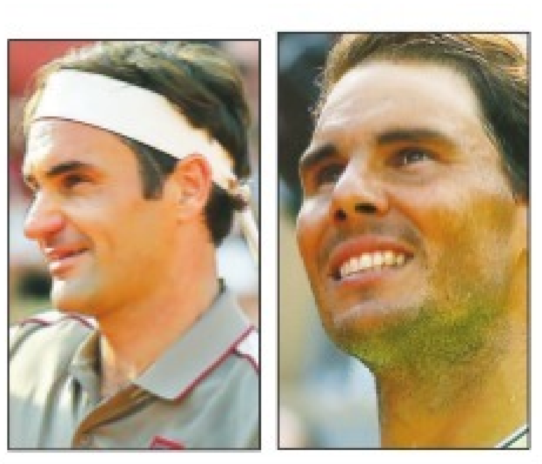

फ्रेंच ओपन

ग्रैंडस्लैम सेमी फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।

नडाल का फेडरर पर अब तक 23-15 से बेहतर रेकार्ड है लेकिन इन दोनों के बीच पिछले पांच मुकाबलों में स्विस खिलाड़ी ने जीत दर्ज की है।

इससे पहले महिला वर्ग में योहाना कोंटा ने अमेरिका की सलोने स्टीफेंस को शिकस्त देकर पिछले 36 साल में फ्रेंच ओपन सेमी फाइनल पहुंचने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनीं। टूर्नामेंट में 26वीं वरीयता प्राप्त कोंटा ने पिछले साल की उपविजेता को 6-1, 6-4 से मात दी। सेमी फाइनल में उनका सामना चेक गणराज्य की युवा खिलाड़ी मार्केटा वोनड्रोयूसोवा या क्रोएशिया की पेत्रा मार्टिच के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की विजेता से होगा। कोंटा से पहले जो डूरे 1983 में फ्रेंच ओपन के सेमी फाइनल में पहुंचने वाली आखिरी ब्रिटिश महिला खिलाड़ी थी।

'मौजूदा भारतीय आक्रमण इस दौर का सबसे मुकम्मल'

साउथम्पटन, 4 जून (भाषा)।

चैंपियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का मानना है कि जसप्रीत बुमराह की अगुआई में भारतीय आक्रमण इस दौर का सबसे मुकम्मल है लेकिन इसकी तुलना 2003 और 2011 के गेंदबाजों से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन गेंदबाजों की तुलना इसी दौर के गेंदबाजों से होनी चाहिए। 1992 और 2011 के बीच छह विश्व कप खेल चुके तेंदुलकर ने कपिल देव, जवागल श्रीनाथ और जहीर खान की अगुआई वाले तेज आक्रमण को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग दौर के खिलाड़ियों की तुलना बेमानी है। उन्होंने एजंसी से कहा, मुझे दो अलग-अलग दौर के खिलाड़ियों की तुलना पसंद नहीं है ।

भारतीय टीम कुछ मैचों में नारंगी पोशाक में दिखेगी

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट आइसीसी विश्व कप में 30 जून को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच सहित कुछ अन्य मुकबालों में नीली पोशाक की जगह नारंगी रंग की पोशाक में दिख सकती है। नारंगी रंग की इस पोशाक में नीला रंग भी मिला हुआ होगा जिसे टूर्नामेंट के दौरान जारी किया जाएगा।

बीसीसीआइ के एक सूत्र ने एजंसी से कहा, बीसीसीआइ की मार्केटिंग टीम जर्सी की डिजाइन पर काम कर रही है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। वैकल्पिक जर्सी की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि आइसीसी ने विश्व कप से पहले ही यह दिशानिर्देश दिया था कि टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले टूर्नामेंटों के लिए मेजबान देश को छोड़ कर हर टीम को अलग-अलग रंगों की दो जर्सी रखनी होगी।

आइसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले आइसीसी के सभी टूर्नामेंटों में भाग लेने वाली टीमों को दो अलग-अलग रंगों की पोशाकें रखनी होंगी। इसमें मेजबान देश अगर चाहे तो वह एक रंग की जर्सी में सभी मैचों में उतर सकता है। मैच से पहले टीम को बता दिया जाएगा कि उसे किस रंग की पोशाक में मैदान पर उतरना होगा। भारतीय टीम की नीली रंग की जर्सी इंग्लैंड की जर्सी की रंग से मिलती-जुलती है, ऐसे में विराट कोहली की टीम के खिलाड़ियों को 30 जून को एजबेस्टन में होने वाले मुकाबले में नारंगी रंग की पोशाक में मैदान में उतरना होगा।

पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चेतावनी

नाटिंघम, 4 जून (भाषा)।

इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को विश्व कप मैच के दौरान अंपायरों ने रिवर्स स्विंग के लिए गेंद को एकतरफ खुरदुरा बनाने के लिए चालबाजी नहीं करने की चेतावनी दी।

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सोमवार को खेले गए मुकाबले के दौरान मैदानी अंपायरों मारियस इरैसमस और सुंदरम रवि ने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद और इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन से इस बारे में बात की। दोनों देशों के खिलाड़ी आउटफील्ड से थ्रो करते समय गेंद को एक से ज्यादा टप्पा खिलाकर फेंक रहे थे।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबित मोर्गन ने कहा, वे दोनों पारियों के दौरान इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। पारी के बीच में अंपायर मेरे पास आए और उन्हें लगा कि हम थ्रो के दौरान जरूरत से ज्यादा टप्पा खिला रहे है। यह जरूरत से ज्यादा कयास लगाने वाली बात है। मैच के दौरान दोनों टीमें के गेंदबाजों को ज्यादा रिवर्स स्विंग नहीं मिली लेकिन शतकवीर जोस बटलर ने आउट होने के बाद गेंद का निरीक्षण किया।

पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने भी बताया कि अंपायरों ने उनकी टीम के खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके थ्रो के दौरान गेंद ने एक से ज्यादा बार टप्पा लिया तो जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, यह उनका काम है और वे अपना काम कर रहे थे। दोनों टीमें में एकाध-दो बार ऐसा हुआ जब थ्रो के दौरान गेंद एक से ज्यादा टप्पा लेकर पहुंची। हमें 20वें ओवर के बाद चेतावनी मिली।

वनडे श्रृंखला में 3-0 से झेलनी पड़ी थी पराजय | **न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला** | शाकिब पर निगाह, पूरा करेंगे 'दोहरा शतक'

बांग्लादेश के पास हिसाब चुकता करने का मौका

लंदन, 4 जून (भाषा)।

बांग्लादेश के हरफनमौला शाकिब अल हसन न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को अपने करिअर का 200वां वनडे मैच खेलेंगे तो उनका इरादा विश्व कप में टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाकर इसे यादगार बनाने का होगा।

बांग्लादेश ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 21 रन से हराया जिसने शाकिब ने 75 रन बनाए। उन्होंने एक विकेट भी लिया और वनडे क्रिकेट में 5000 रन तथा 250 विकेट का दोहरा पूरा करने वाले वह श्रीलंका के सनत जयसूर्या, दक्षिण अफ्रीका के जाक कैलिस, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज्जाक के बाद पांचवें क्रिकेटर हो गए। अब बांग्लादेश का सामना न्यूजीलैंड से है जिसने पहले मैच में श्रीलंका को दस विकेट से

मैच का समय

समय शाम छह बजे

हराया।

शाकिब उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से मात दी थी। उन्होंने उस मैच में सातवां वनडे शतक जमाया था। वह ऊंगली की चोट के कारण इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला नहीं खेल सके थे जिसमें उनकी टीम को 3-0 से पराजय झेलनी पड़ी।

उन्होंने कहा, हमें पता था कि विश्व कप में क्या चुनौती रहेगी। हमारी तैयारी उम्दा है जिससे आत्मविश्वास बढ़ा है। हम अच्छा खेलने के इरादे से ही आए हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि हम बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। इस लय को बरकरार रख सके तो आगे तक जाएंगे। शाकिब से ज्यादा वनडे मैच बांग्लादेश के लिए कप्तान मशरेफी मुर्तजा (210) और मुशफिकुर रहीम (206) ने खेले हैं। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि पिछले मैच में जीत में योगदान दे सका। यदि मैं हर मैच में ऐसा कर सका तो आंकड़े खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे। मैं आंकड़ों की परवाह नहीं करता लेकिन लोग यदि इस बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे खुशी है।

दूसरी ओर न्यूजीलैंड को श्रीलंका के खिलाफ तेज गेंदबाज टिम साउदी और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हेनरी निशोल्स की कमी महसूस नहीं हुई। साउदी की जगह खेलने वाले मैट हेनरी ने तीन विकेट लिए। श्रीलंकाई टीम 136 रन पर आउट हो गई जबकि सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो और मार्टिन गुप्टिन ने यह लक्ष्य 16.1 ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड इस मैच में तेज गेंदबाज लोकी फग्युर्सन को उतार सकता है जिसने श्रीलंका के खिलाफ तीन विकेट लिए। गुप्टिल ने कहा, हम शुरुआत में ही लय बनाना चाहते हैं। उम्मीद है कि हम उसी तरह का प्रदर्शन फिर कर सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 199, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।